50वीं वार्षिक रिपोर्ट
50th Annual Report
2024-25

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि.

NFDC

cinemas of india

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि.
NFDC
cinemas of india

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

50वीं वार्षिक रिपोर्ट 2024-25

National Film Development Corporation Limited

(A Government of India Enterprise)

50th Annual Report 2024-25

PVR INOX PICTURES

NFDC cinemas of india

NATIONAL FILM DEVELOPMENT CORPORATION

PRESENTS

WORLD PREMIERE AT INTERNATIONAL FILM FESTIVAL FESTIVAL OF SOUTH ASIA TORONTO, 2022

5TH BANGALI- KANNADA FILM FESTIVAL BANGALORE, 2024

6TH LONDON BENGALI FILM FESTIVAL 2023

20TH INDIAN FILM FESTIVAL STUTTGART, 2023

BELARUS-NFDC FILM FESTIVAL MUMBAI 2024

14TH INDIAN FILM FESTIVAL OF MELBOURNE, 2023

9TH JAFNA CINEMA FESTIVAL 2023

INDIAN PREMIERE 28TH KOLKATA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2022

21STDAHAKA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2023

4TH DIORAMA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2022

SPECIAL JURY AWARD AT KOLKATA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

BEST ACTOR PAOLI DAM DIORAMA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

BEST SOUND DESIGNER ANUP MUKHERJEE DIORAMA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

ছাদ

The Terrace

A FILM BY **INDRANI**

PRODUCED BY PRITHUL KUMAR, DHANPREET KAUR, D. RAMAKRISHNAN AND P. P MATH

CAST PAOLI DAM, RAHUL, RAINANDINI, ANURADHA ROY, ARINDAM GANGULY, RANAJOY BINHNU & OTHERS

LINE PRODUCER ARUNAVA MIDDYA D.O.P SUBHODEEP DEY EDITOR AMITAVA DASGUPTA SOUND ANUP MUKHERJEE

MUSIC JOY SARKAR ART TAPAN SETH D.A. SWATILINA SAMANTA PRODUCTION SUBIR & PRABIR MARKETING IRFAN

BO FILMS (Ujjwal Shee)

विषय सूची Contents

निदेशक मंडल
Board of Directors 5

हमारे बारे में
About us 7

I. निर्माण
I. Production 8

II. प्रचार
II. Promotion 8

III. संरक्षण
III. Preservation 12

सिने आर्टिस्ट्स वेलफेयर फंड ऑफ इंडिया (कॉफ़ी)
Cine Artistes Welfare Fund of India (CAWFI) 13

सूचना
Notice 14

अंशधारकों को प्रबंध निदेशक का पत्र
Managing Director's Letter to Shareholders 15

निदेशकों की रिपोर्ट
Directors' Report 19

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट
Management Discussion and Analysis Report 73

कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रमाणपत्र
Corporate Governance Certificate 79

आचार संहिता प्रमाणपत्र – आचार संहिता-अनुपालन पुष्टीकरण
Code of Conduct – Compliance Affirmation 80

दिनांक 31 मार्च 2025 का तुलन पत्र
Balance Sheet as on 31st March 2025 81

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ एवं हानि का विवरण
Statement of Profit and Loss for the year ended 31st March 2025 83

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष का रोकड़ प्रवाह का विवरण
Cash Flow Statement for the year ended 31st March, 2025 84

लेखाओं पर टिप्पणियां
Notes on Accounts 86

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
Independent Auditor's Report 120

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – "क"
Annexure – "A" to Independent Auditor's Report 129

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – "ख"
Annexure – "B" to Independent Auditor's Report 134

31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिये राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, भारत सरकार की टिप्पणियां.
Comments of The Comptroller & Auditor General of India Under Section 143(6)(B) of The Companies Act, 2013 on The Financial Statements of National Film Development Corporation, Mumbai For The Year Ended 31st March 2025. 136

पंजीकृत कार्यालय **मुम्बई**
एनएफडीसी-एफडी कॉम्प्लेक्स, 24, डॉ. गोपालराव
देशमुख मार्ग, मुंबई – 400 026
सीआईएन यू92100एमएच1975जीओआई022994

Registered Office **Mumbai**
NFDC-FD Complex, 24, Dr. Gopalrao
Deshmukh Marg, Mumbai – 400 026
CIN U92100MH1975GOI022994

क्षेत्रीय कार्यालय **चेन्नई**
डोअर नंबर : 216 से 221
दूसरी मंजिल, दूरदर्शन केंद्र चेन्नई
स्वामी शिवानंद सलाई
चेपॉक, चेन्नई – 600 005

Regional Offices **Chennai**
Door No : 216 to 221
2nd Floor, Doordarshan Kendra Chennai
Swami Sivananda Salai
Chepauk, Chennai – 600 005

नई दिल्ली
चौथी मंजिल, सूचना भवन,
फेज – 1, सी.जी.ओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली – 110 003

New Delhi
4th Floor, Soochana Bhavan,
Phase I, C.G.O. Complex, Lodhi Road,
New Delhi – 110 003

बैंक एच.डी.एफ.सी. बैंक

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर

पंजाब नैशनल बैंक

आयडीबीआय बैंक

यस बैंक

बैंक ऑफ इंडिया

आय.डी.एफ.सी. फस्ट बैंक

Bankers H.D.F.C Bank

State Bank of India

State Bank of Travancore

Punjab National Bank

IDBI Bank

Yes Bank

Bank of India

I.D.F.C First Bank

लेखा परीक्षक **कर्णावत एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
प्रधान कार्यालय : 2ए, किताब महल,
192 डॉ. डी.एन. रोड,
मुंबई 400 001

Auditor **Karnavat & Co.**
Chartered Accountants
Head Office : 2A, Kitab Mahal,
192 Dr. D.N. Road,
Mumbai 400 001

निदेशक मंडल 31.03.2025 को
Board of Directors as on 31.03.2025

प्रबंध निदेशक Managing Director

पृथुल कुमार
प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
Prithul Kumar
Managing Director (Additional charge)

अंशकालिक निदेशक (सरकारी) Part-time Directors (Official)

दीपक नारायण
सरकार द्वारा नामित निदेशक
Deepak Narain
Government Nominee Director

वृंदा मनोहर देसाई
सरकार द्वारा नामित निदेशक
Vrunda Manohar Desai
Government Nominee Director

परिकल्पना

भारतीय विषयवस्तु एवं सिनेमा का गौरवपूर्ण उत्सव मनाना तथा उन्हें देश-विदेश में प्रतिष्ठा और व्यापक सराहना दिलाना तथा हितधारकों और हमारे राष्ट्र के लिए मूल्य का सृजन करना.

Vision

To create domestic and global appreciation and celebrate the Contents and Cinemas of India and create value for the stakeholders and our Country.

लक्ष्य

एनएफडीसी का उद्देश्य फिल्मों, वृत्तचित्र और एनीमेशन फिल्मों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना तथा फिल्मों में नई प्रतिभाओं को समर्थन, प्रोत्साहन, एकीकरण और पोषण के जरिये अपनी संस्कृति की विविधता को बढ़ावा देना साथ ही विभिन्न शैलियों, क्षेत्रों और भारतीय भाषाओं में आशय विकास तथा फिल्म सामग्री की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और भारत सरकार की नीतियों के अनुसार सीमाओं के भीतर एवं पार जन-जन तक इसकी व्यापक पहुंच सुनिश्चित करना है.

Mission

NFDC aims at fostering excellence in films, documentary and animation films and promoting the diversity of its culture by supporting, encouraging, integrating and nurturing new talents in films and content development across genres, regions and Indian languages and preserving the rich heritage of the filmic contents and ensuring its wider reach out to masses within and across borders as per Government of India's Policies.

हमारे बारे में

केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर राष्ट्रीय आर्थिक नीति और निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार भारतीय फिल्म उद्योग के एकीकृत और कुशल विकास की योजना बनाने, प्रचार करने और व्यवस्थित करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड (एनएफडीसी) की स्थापना 1975 में भारत सरकार द्वारा की गई थी. 1980 में, फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन और इंडियन मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन का एनएफडीसी में विलय कर दिया गया. भारत सरकार के 23 दिसंबर 2020 के निर्णय के अनुसार चार फिल्म मीडिया इकाइयों फिल्म प्रभाग (एफडी), फिल्म समारोह निदेशालय (डीएफएफ), राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, भारत (एनएफएआई) और बाल चित्र समिति, भारत (सीएफएसआई) को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड (एनएफडीसी) के साथ का विलय कर दिया गया. सीएफएसआई, एफडी, डीएफएफ एनएफएआई के सभी कार्यों को एनएफडीसी में 01.01.2023 से विलय किया गया. अभी, एनएफडीसी पूरी तरह से एकीकृत फिल्म विकास निगम के रूप में, भारतीय फिल्म पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को सशक्त बनाने और विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्मों की समृद्ध विरासत के विकास, निर्माण, प्रचार और संरक्षण की सुविधा प्रदान करने के लिए तत्पर है.

निगम ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में 340 से अधिक फिल्मों का वित्त पोषण और निर्माण करके अपने विज़न और मिशन के बयानों को सफलतापूर्वक लागू करने में अपनी प्रभावकारिता का प्रदर्शन किया है, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में अकादमी पुरस्कार (गांधी), राष्ट्रीय और राज्य पुरस्कार सहित कई अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं. मर्जर के बाद, एनएफडीसी फिल्म्स डिवीज़न की लगभग 8,000 डॉक्यूमेंट्री, पहले के सीएफएसआई की 250 हमेशा याद रहने वाली बच्चों की फ़िल्में, और एनएफएआई के कीमती आर्काइव कलेक्शन की एक कीमती राष्ट्रीय विरासत का कस्टोडियन बन गया है. कल्चर, क्रिएटिविटी और यादों के इन बड़े रिपॉजिटरी के ज़रिए, एनएफडीसी भारत की सिनेमाई विरासत को देश भर और दुनिया भर के दर्शकों तक पहुँचाने के लिए कमिटेड है, जिसमें डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म भी शामिल हैं.

About us

The National Film Development Corporation Limited (NFDC) was set up by the Government of India in 1975 with the primary objective of planning, promoting and organizing an integrated and efficient development of the Indian Film Industry in accordance with the National economic policy and objectives laid down by the Central Government from time to time. In 1980, Film Finance Corporation Limited and Indian Motion Picture Export Corporation Limited were merged with NFDC. Pursuant to the decision of the Government of India dated 23 December 2020 to merge four film media units namely Films Division (FD), Directorate of Films Festivals (DFF), National Film Archive of India (NFAI) and Children's Film Society, India (CFSI) with NFDC, all functions of CFSI, FD, DFF, NFAI are now merged into NFDC w.e.f. 01.01.2023. Now, NFDC as a fully integrated body, poised to empower the growth of the Indian film ecosystem and facilitate development, production, promotion and preserve the rich legacy of films across various Indian languages.

The Corporation has demonstrated its efficacy in successfully implementing its Vision and Mission statements by funding and producing over 340 films in various Indian languages, which have won several international accolades including the Academy Awards (Gandhi), National and State Awards over the years. Pursuant to the merger, NFDC has become custodian of an invaluable national legacy of nearly 8,000 documentaries of Films Division, 250 timeless children's films from the erstwhile CFSI, and the treasured archival collections of NFAI. Through these vast repositories of culture, creativity and memory, NFDC is committed to extending India's cinematic heritage to audiences across the country and around the world, including through digital platforms.

I. निर्माण

एनएफडीसी सिनेमा के कामों की एक शानदार रेंज को बढ़ावा देता है और बनाता है–फीचर फिल्में, बच्चों की फिल्में, वृत्तचित्रे, एनिमेशन फिल्में और भी बहुत कुछ–जो भारतीय सिनेमा की समृद्ध विविधता और सांस्कृतिक गहराई का जश्न मनाते हैं. यह निर्माण सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योजना, "फिल्मी कंटेंट का डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन और प्रसार डीसीडीएफसी" के तहत किए जाते हैं, खासकर इसकी सब-स्कीम, "विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्मों, बच्चों की फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का प्रोडक्शन."

इस पहल के ज़रिए, एनएफडीसी अपने स्थापित दिशानिर्देशों के अनुसार कई तरह की फिल्मों आ निर्माण तथा सहनिर्माण करता है. निगम नवोदित फिल्म बनाने वालों की पहली फीचर फिल्मों, बच्चों की फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के लिए 100% फंडिंग करके सिनेमा में उभरते प्रतिभाओं को एक्टिव रूप से सपोर्ट करता है. यह भारत और दुनिया भर के प्रतिभावान फिल्म बनाने वालों के साथ मिलकर हाई-क्वालिटी फिल्मों का सहनिर्माण करके क्रिएटिव इकोसिस्टम को और मजबूत करता है.

31.03.2025 तक ये माइलस्टोन हासिल किए गए :

क. (छह) फीचर फिल्में पूरी हुईं :

i. बिबो बिनानाओ (बोरो)

ii. करकेन (गालो)

iii. पुइना पुइदा (सौतेली माँ) (रोंगमेई)

iv. गुडबाय गुरुजी (असमिया)

v. तारा और आकाश (लव बियॉन्ड रियल्म्स) (हिंदी)

vi. नोरा (असमिया)

ख. (दो) वृत्तचित्र फिल्में पूरी हुईं :

i. माजुली - द श्रिंकिंग आइलैंड (असमिया)

ii. अरण्य प्रहरी (कीपर्स ऑफ द वाइल्ड) (असमिया)

ग. हिंदी में दो एनिमेशन फिल्में यू कियांग नांगबाह और इंडियन वुमन एटलस पूरी हुईं.

घ. एक बच्चों की फिल्म अचप्पा का एल्बम (मलयालम) पूरा हो गया है.

ड़. आज़ादी का अमृत महोत्सव के यादगार कंटेंट के तहत, इन प्रोजेक्ट्स पर एक्टिव रूप से काम किया जा रहा है :

क) भारती और बीबो (भारती और उनका जादुई कीड़ा) (एनिमेटेड हिंदी सीरीज़) के 15 एपिसोड पूरे हो चुके हैं.

ख) ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल (डॉक्यूमेंट्री फिल्म) पोस्ट-प्रोडक्शन स्टेज में है.

I. Production

NFDC nurtures and creates a vibrant spectrum of cinematic works–Feature Films, Children's Films, Documentaries, Animation Films, and more–celebrating the rich diversity and cultural depth of Indian cinema. These productions are undertaken under the Ministry of Information and Broadcasting's scheme, "Development, Communication and Dissemination of Filmic Content (DCDFC)", specifically its sub-scheme, "Production of Films, Children's Films and Documentary Films in Various Indian Languages."

Through this initiative, NFDC produces and co-produces a wide array of films in accordance with its established production guidelines. The Corporation actively supports emerging talent in cinema by funding 100% of the debut Feature Films, Children's Films, and Documentary Films of first-time filmmakers. It further strengthens the creative ecosystem by co-producing high-quality films in collaboration with talented filmmakers from India and around the world.

The following milestones were achieved as on 31.03.2025 :

A. (Six) Feature Films completed :

i. Bibo Binanao (Boro)

ii. Karken (Galo)

iii. Puinaa Puidaa (Step Mother) (Rongmei)

iv. Goodbye Guruji (Assamese)

v. Tara and Akash (Love Beyond Realms) (Hindi)

vi. Nora (Assamese)

B. (Two) Documentary Films completed :

i. Majuli - The shrinking Island (Assamese)

ii. Aranya Prahari (Keepers of the Wild) (Assamese)

C. Two Animation Films in Hindi U Kiang Nangbah and Indian Woman Atlas was completed.

D. One Children's Film Achappa's Album (Malayalam) was completed

E. Under the umbrella of commemorative content for Azadi Ka Amrit Mahotsav, the following projects were actively developed :

a) Bharti Aur Bibo (Bharti and Her Magical Worm) (Animated Hindi series) 15 episodes have been completed.

b) Breaking the Fourth Wall (documentary film) is in post-production stage.

II. प्रचार वितरण

एनएफडीसी स्वतंत्र और क्षेत्रीय भारतीय सिनेमा को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है, इसकी कहानियों को अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर दर्शकों तक पहुंचाता है–थियेटर स्क्रीन के क्लासिक आकर्षण से लेकर डिजिटल मीडिया के बदलते माहौल तक. 120 से अधिक फीचर फिल्मों, 100 से अधिक बच्चों की फिल्मों तथा 25 से अधिक भारतीय भाषाओं में 5,000+ डॉक्यूमेंट्री, एनिमेशन और शॉर्ट फिल्मों के बड़े कलेक्शन के साथ, एनएफडीसी इस क्रिएटिव खजाने को भारत और विदेश के मार्केट में क्यूरेट और सिंडिकेट करता है. ऐसा करके, यह इंडियन सिनेमा की वैश्विक पहुंच बढ़ाता है और दुनिया भर में इसकी सांस्कृतिक पहचान को बढ़ाता है.

II. Promotion Distribution

NFDC plays a vital role in championing independent and regional Indian cinema, bringing its stories to audiences across a spectrum of platforms–from the classic allure of theatrical screens to the dynamic landscape of digital media. With a rich and diverse catalogue of over 120 feature films, more than 100 children's films, and a vast collection of 5,000+ documentaries, animations, and short films spanning over 25 Indian languages, NFDC curates and syndicates this creative wealth to markets in India and abroad. In doing so, it expands the global footprint of Indian cinema and elevates its cultural resonance worldwide.

फ़िल्म बाज़ार

फिल्म बाज़ार को एनएफडीसी ने पहली बार 2007 में शुरू किया था और तब से यह साउथ एशिया के फिल्ममेकर्स के लिए एक खास प्लेटफॉर्म के तौर पर विकसित हुआ है. इसे फिल्म इंडस्ट्री में सहयोग, सह-निर्माण और विचारों का आदन-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह प्रतिवर्ष गोवा, भारत में होता है. फिल्म बाज़ार नए प्रोजेक्ट्स के लिए एक मार्केटप्लेस का काम करता है, जिससे फिल्म निर्माता अपने काम को संभावित फाइनेंसर्स, वितरकों और सहयोगीयों को दिखा सकते हैं. इसमें कई तरह की गतिविधियां होती हैं, जैसे स्क्रीनिंग, कार्यशाला, पैनल डिस्कशन और नेटवर्किंग इवेंट्स, जो इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के बीच संपर्क को बढ़ावा देते हैं और नवोन्मेषी कथाकथन को बढ़ावा देते हैं. 2024 में फिल्म बाज़ार के सभी सेगमेंट में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागिता में काफी बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे फिल्म निर्माताओं के लिए वैश्विक नेटवर्किंग के मौके बढ़े हैं. इस इवेंट में अलग-अलग तरह के प्रोजेक्ट्स दिखाए गए, जो साउथ एशियन कहानियों की रिचनेस को दिखाते हैं. दिलचस्प वर्कशॉप और पैनल में इंडस्ट्री के अनुभवी लोगों ने ट्रेंड्स और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी पर अपनी राय शेयर की, जबकि उभरते हुए टैलेंट पर खास फोकस ने सिनेमा में कम रिप्रेजेंटेशन वाली आवाज़ों को हाईलाइट किया. इसके अलावा, फिल्म निर्माण में सस्टेनेबल तरीकों पर चर्चा ने इंडस्ट्री के इको-फ्रेंडली तरीकों के प्रति प्रतिबध्दता को दिखाया. फिल्म बाज़ार ने दुनिया भर में फिल्म इंडस्ट्री में रचनात्मकता और सहयोग के लिए एक ज़रूरी हब के तौर पर अपनी भूमिका को मज़बूत किया है.

Film Bazaar

Film Bazaar was taken up by NFDC for the first time in 2007 and since then it has evolved as a prominent platform for filmmakers from South Asia, designed to promote collaboration, co-production, and the exchange of ideas within the film industry, held annually in Goa, India. The Film Bazaar serves as a marketplace for new projects, allowing filmmakers to showcase their work to potential financiers, distributors, and collaborators. It features a variety of activities, including screenings, workshops, panel discussions, and networking events, fostering connections among industry professionals and promoting innovative storytelling. All the segments of Film Bazaar in 2024, have seen a notable increase in international participation, enhancing global networking opportunities for filmmakers. The event showcased a diverse array of projects, reflecting the richness of South Asian narratives. Engaging workshops and panels featured industry veterans sharing insights on trends and distribution strategies, while a strong focus on emerging talent highlighted underrepresented voices in cinema. Additionally, discussions on sustainable practices in film production underscored the industry's commitment to eco-friendly approaches. Film Bazaar has reinforced its role as a vital hub for creativity and collaboration in the film landscape globally.

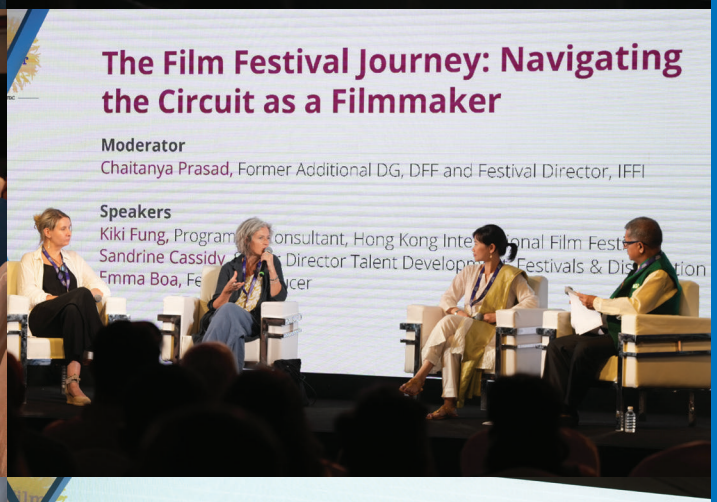

एनएफडीसी लैब्स

एनएफडीसी लैब्स, 2007 में शुरू हुई, इंडियन फिल्म कम्युनिटी के लिए एक बदलाव लाने वाली पहल के तौर पर सामने आई. इसे निर्देशन, लेखन, संपादन, छायाचित्रण और निर्माण जैसे मुख्य क्षेत्र में विकसित प्रशिक्षण, इमर्सिव वर्कशॉप और मास्टर क्लास के ज़रिए प्रोफेशनल फिल्ममेकर्स को तैयार करने के लिए बनाया गया था. फिल्म सेक्टर में मिड-करियर सीखने के मौकों की कमी को पूरा करने के लिए बनाई गई, लैब्स एक सख्त क्रिएटिव माहौल देती हैं जहाँ क्राफ्ट, विज़न और मेंटरशिप एक साथ आते हैं.

2024 में, एनएफडीसी ने लैब का आयोजन किया, जहाँ आठ लेखकों ने तीन शानदार ढंग से डिज़ाइन किए गए सेशन में पाँच महीने की एक गहरी यात्रा शुरू की. भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मार्गदर्शकों के एक जाने-माने पैनल के मार्गदर्शन में, प्रतिभागियों ने गहरी खोज, परि चर्चाओं तथा व्यक्तिगत रचनात्मक मार्गदर्शन के ज़रिए अपनी पटकथाओं को बेहतर बनाया - जिससे वैश्विक सिनेमैटिक रास्तों के लिए मज़बूत कहानियाँ सामने आईं.

NFDC Labs

NFDC Labs, launched in 2007, emerged as a transformative initiative for the Indian film community created to nurture professional filmmakers through advanced training, immersive workshops, and master classes across core disciplines such as directing, writing, editing, cinematography, and producing. Conceived to bridge the critical gap in mid-career learning opportunities within the film sector, the Labs provide a rigorous creative environment where craft, vision, and mentorship converge.

In 2024, NFDC conducted the Lab, where eight writers embarked on an intensive five-month journey spread across three masterfully designed sessions. Guided by a distinguished panel of Indian and international mentors, the participants refined their scripts through deep exploration, collaborative discussions, and personalised creative guidance–emerging with stories strengthened for global cinematic pathways.

समारोह

अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह भारत (इफ्फी)

भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का 55वां संस्करण 20 से 28 नवंबर, 2024 तक गोवा में हुआ, जिसमें दुनिया की कुछ सबसे मशहूर सिनेमाई आवाज़ें एक ही छत के नीचे इकट्ठा हुईं. अपनी थीम "सबका मनोरंजन" (सभी के लिए एंटरटेनमेंट) को बनाए रखते हुए, इस फेस्टिवल ने सबको साथ लेकर चलने को बढ़ावा दिया, कला, संस्कृति और कहानी कहने की साझा भाषा का जश्न मनाया. ऑस्ट्रेलिया को कंट्री ऑफ़ फोकस का सम्मान दिया गया, जबकि फेस्टिवल में चार बड़े प्रतिष्ठित : मोहम्मद रफी, तपन सिन्हा, अक्किनेनी नागेश्वर राव और राज कपूर की जन्म शताब्दी मनाई गई. इफ्फी को 114 देशों से 1811 शानदार एंट्री मिलीं, जिनमें आखिरकार 81 देशों की 278 फिल्में दिखाई गईं, जिनमें 94 भारतीय और 182 अंतर्राष्ट्रीय टाइटल शामिल थे. फेस्टिवल में 16 वर्ल्ड प्रीमियर, 3 अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर, 44 एशियाई प्रीमियर और 103 भारतीय प्रीमियर शामिल थे. इसके अलावा, फिल्म हेरिटेज मिशन के तहत नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया (एनएफएआई) द्वारा रिस्टोर की गई सात क्लासिक फिल्में नए रूप में स्क्रीन पर लौटीं. सिनेमा में एक्सीलेंस के लिए प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड अनुभवी ऑस्ट्रेलियाई फिल्ममेकर फिलिप नॉयस को दिया गया, जबकि विक्रांत मैसी को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया. ईफ्फी ने इफ्फीएस्टा के पहले संस्करण का भी अनावरण किया– यह एक शानदार सांस्कृतिक जश्न है जिसमें फिल्म, म्यूजिक, डांस, खाना, आर्ट और इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस को एक साथ बुनकर समारोह को एक लाइवली कम्युनिटी कार्निवल में बदल दिया गया.

Festivals

International Film Festival of India (IFFI)

The 55th edition of the International Film Festival of India illuminated Goa from November 20 to 28, 2024, gathering some of the world's most celebrated cinematic voices under one vibrant roof. Upholding its theme of "Sabka Manoranjan" (Entertainment for All), the festival championed inclusivity, celebrating the shared language of art, culture, and storytelling. Australia was honoured as the Country of Focus, while the festival marked the birth centenaries of four towering icons : Mohammed Rafi, Tapan Sinha, Akkineni Nageswara Rao, and Raj Kapoor. IFFI received an extraordinary 1811 entries from 114 countries, ultimately showcasing 278 films from 81 nations, including 94 Indian and 182 international titles.The festival featured 16 world premieres, 3 international premieres, 44 Asian premieres, and 103 Indian premieres. Additionally, seven classics restored by the National Film Archive of India (NFAI) under the Film Heritage Mission returned to the screen in newly revived form. The prestigious Satyajit Ray Lifetime Achievement Award for Excellence in Cinema was conferred upon veteran Australian filmmaker Phillip Noyce, while Vikrant Massey was honoured as the Indian Film Personality of the Year. IFFI also unveiled the inaugural edition of IFFIESTA–a spectacular cultural celebration weaving together film, music, dance, cuisine, art, and interactive experiences, transforming the festival into a lively communal carnival.

इंडियन पैनोरमा

इंडियन पैनोरमा ईफ्फी की नींव है, जो अंतर्राष्ट्रीय समारोह, सांस्कृतिक मंच और वैश्विक भारतीय मिशन में नॉन-कमर्शियल स्क्रीनिंग के लिए बेहतरीन सिनेमैटिक, विषयगत और एस्थेटिक क्वालिटी वाली फिल्मों को चुनने के लिए प्रतिबध्द है. पिछले साल बने सबसे बेहतरीन इंडियन सिनेमा के एक प्रेस्टीजियस शोकेस के तौर पर, इंडियन पैनोरमा 2024 में 25 फीचर फिल्में–जिनमें 5 मेनस्ट्रीम टाइटल शामिल हैं–और 20 नॉन-फीचर फिल्में दिखाई गईं, जिनमें से हर एक अपनी आर्टिस्टिक इनसाइट, ओरिजिनैलिटी और क्राफ्ट से अलग थी.

Indian Panorama

The Indian Panorama is a cornerstone of IFFI, dedicated to selecting films of exceptional cinematic, thematic, and aesthetic merit for non-commercial screenings across international festivals, cultural platforms, and global Indian missions. As a prestigious showcase of the finest Indian cinema produced in the preceding year, Indian Panorama 2024 presented 25 feature films–including 5 mainstream titles–and 20 non-feature films, each distinguished by artistic insight, originality, and craft.

अंतर्राष्ट्रीय प्रचार

भारत ने 17 देशों के साथ सह-निर्माण संधियाँ की हैं और कुछ और भी पाइपलाइन में हैं. इनके साथ-साथ ऑडियो विजुअल प्रोत्साहन योजनाओं के साथ, भारत वैश्विक फिल्म उद्योग के साथ अर्थपूर्ण सहयोग और संबंध बनाने की दिशा में लाभ की स्थिति में है.

वर्ष 2024-25 के लिए, कई वर्षों से फोकस विकसित संबंधों को मजबूत करने और उन्हें आगे बढ़ाने पर है, जिसमें कान, वेनिस, टोरंटो और बर्लिन जैसे फिल्म समारोह और बाज़ार शामिल हैं. इसके अलावा, एनेसी इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल, मलेशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल, सैन सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, गेम्सकॉम (जर्मनी), बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, एमआईपीसीओएम कान्स, टीआईएफएफसीओएम टोक्यो, रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, एटीएफएम सिंगापुर, फोकस लंदन, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ रॉटरडैम, यूरोपियन फिल्म मार्केट, गेम डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस, सैन फ्रांसिस्को, हांगकांग फिल्मार्ट में भागीदारी.

International Promotion

India has co-production treaties with 17 countries and there are a few more in the pipeline. With the Audiovisual Incentive Schemes in place alongside these, India is in a position of advantage towards forming meaningful collaborations and connections with the global film industry.

For the year 2024-25, the focus is to consolidate and build upon the relationship fostered over several years, with film festivals and markets such as Cannes, Venice, toronto and Berlin. Apart from this, participation at the Annecy International Animation Film Festival, Malaysia International Film Festival, Locarno Film Festival, San Sebastian International Film Festival, GAMESCOM (Germany), Busan International Film Festival, MIPCOM Cannes, TIFFCOM tokyo, Red Sea International Film Festival, ATFM Singapore, Focus London, International Film Festival of Rotterdam, European Film Market, Game Developers Conference, San Francisco, Hong Kong Filmart.

इंडिया सिने हब

2015 में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एनएफडीसी में इंडिया सिने हब (आईसीएच) (पूर्व फिल्म फैसिलिटेशन ऑफिस) स्थापित किया. इसका मकसद उन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं के लिए एक भरोसेमंद गेटवे बनाना था जो अपनी कहानियों को भारत में ज़िंदा करना चाहते हैं. अपनी शुरुआत से ही, आइसीएच ने देश के सिनेमाई दरबान के तौर पर काम किया है : निर्माताओं को मार्गदर्शन करना, परमिशन को आसान बनाना, भारत की अलग-अलग शूटिंग जगहों को दिखाना, और क्रिएटर्स को भारतीय फिल्म इकोसिस्टम की बड़ी प्रोडक्शन और पोस्ट-प्रोडक्शन क्षमताओं से जोड़ना. यह राज्य सरकारों के साथ भी मिलकर काम करता है, उन्हें अपने खुद के ऐसे ही सुविधा संरचनाएं बनाने के लिए प्रेरित और काबिल बनाता है. जनवरी 2023 से, आईसीएच, इन्वेस्ट इंडिया, भारत की नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के अंदर काम कर रहा है. इस बदलाव ने एक मज़बूत ग्लोबल नेटवर्क को अनलॉक किया और भारत की प्रेजेंस को एक पसंदीदा फिल्मिंग डेस्टिनेशन के तौर पर बढ़ाया और इस सेक्टर में नए रचनात्मक और वित्तीय निवेश लाए.

2019 से, आईसीएच ने घरेलू फिल्मनिर्माताओं को भी अपना सपोर्ट दिया है, जिससे गवर्नेंस रिफॉर्म्स और प्रणाली एकात्मता में काफी प्रोग्रेस हुई है. यह निर्विवाद है : वित्तीय वर्ष 2016-17 से, 49 देशों के 310 इंटरनेशनल फिल्म प्रोजेक्ट्स को भारत में शूटिंग की अनुमति मिली है. इसमें यूएसए (76 फिल्में), यूके (49), और बांग्लादेश (29) के फिल्ममेकर्स सबसे आगे हैं–यह वैश्विक सिनेमाई गंतव्य के तौर पर भारत के बढ़ती प्रतिष्ठा का सबूत है. वर्तमान में, आईसीएच का डिजिटल बैकबोन और मज़बूत होता जा रहा है, 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एपीआई इंटीग्रेशन पूरा हो चुका है, और 21 राज्यों के साथ-साथ 6 केंद्र शासित प्रदेशों डिजिटल फ्रेमवर्क के ज़रिए आसानी से जुड़ गए हैं, जिससे दुनिया भर के फिल्ममेकर्स के लिए सच में एक राष्ट्रीय, एकीकृत सुविधा अनुभव शुरू हो रहा है.

India Cine Hub

In 2015, the Ministry of Information & Broadcasting established the India Cine Hub (ICH) (formerly the Film Facilitation Office) within NFDC, envisioning a single, trusted gateway for international filmmakers seeking to bring their stories to life on Indian soil. Since its inception, ICH has served as the nation's cinematic concierge : guiding producers, streamlining permissions, showcasing India's diverse shooting locales, and connecting creators with the vast production and post-production capabilities of the Indian film ecosystem. It also works hand-in-hand with State Governments, inspiring and enabling them to build similar facilitation structures of their own. Since January 2023, ICH has been working within Invest India, the National Investment Promotion Agency of India. This transition unlocked a powerful global network and amplifying India's presence as a preferred filming destination and drawing fresh creative and financial investments into the sector.

Since 2019, ICH has extended its support to domestic filmmakers as well, driving significant progress in governance reforms and system integration. The impact is undeniable : from FY 2016–17 onward, 310 international film projects from 49 countries have received permission to shoot in India. Leading the influx are filmmakers from the USA (76 films), UK (49), and Bangladesh (29)–a testament to India's rising stature as a global cinematic destination. today, ICH's digital backbone continues to strengthen, with API integration completed for 7 States and 2 Union Territories, and 21 States along with 6 UTs seamlessly connected through the digital framework, ushering in a truly national, unified facilitation experience for filmmakers from around the world.

वेव्स

कॉर्पोरेशन का सबसे नया वर्टिकल, "द वर्ल्ड ऑडियो विज़ुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट (वेव्स)", जिसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया था, निर्माताओं के लिए एक व्यावसायिक वैश्विक मंच के तौर पर उभरा है, जो भारत के मीडिया और एंटरटेनमेंट के दायरे को पूरी तरह से बदल रहा है. माननीय प्रधानमंत्री के विज़नरी गाइडेंस में शुरू किया गया, वेव्स 2025 तेज़ी से एक जागतिक रचनाकारों के सम्मेलन में बदल गया है, जो गहरे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के ज़रिए विषयवस्तु, रचनात्मकता और संस्कृति पर आधारित भारत की ऑरेंज इकॉनमी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है. वेव्स 2025 के साथ, भारत दुनिया के लिए एक विश्वसनीय और काबिल पार्टनर के तौर पर आगे बढ़ रहा है, जो फिल्म, डिजिटल कंटेंट, एवीजीसी (एनिमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स), म्यूज़िक, लाइव इवेंट्स और लगातार बढ़ती क्रिएटर इकॉनमी का एक बढ़ता हुआ हब है. यह सिर्फ़ एक समिट नहीं है; यह एक ऐसा मंच है जिस पर भारत दुनिया के सामने अपनी रचनात्मक पुनर्जागरण की घोषणा करता है.

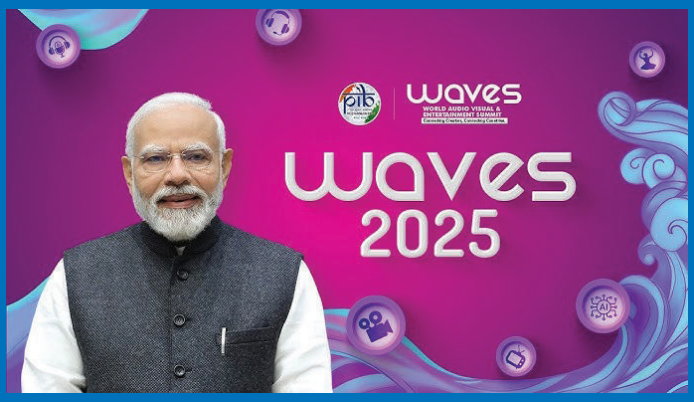

WAVES

The Corporation's newest vertical, "The World Audio Visual and Entertainment Summit (WAVES)" launched under the aegis of the Ministry of Information & Broadcasting, has risen as a vibrant global forum for creators, reshaping the very contours of India's Media and Entertainment horizon. Conceived under the visionary guidance of the Hon'ble Prime Minister, WAVES 2025 has swiftly evolved into a world creators' conclave, poised to propel India's Orange Economy rooted in content, creativity, and culture through deep international collaboration. With WAVES 2025, India steps forward as a confident and capable partner to the world, a flourishing hub for film, digital content, AVGC (Animation, Visual Effects, Gaming & Comics), music, live events, and the ever-expanding creator economy. It is not merely a summit; it is a stage upon which India announces its creative renaissance to the world.

III. संरक्षण

राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय, भारत (एनएमआईसी)

एनएमआईसी एक सिनेमाई विरासत के संरक्षक के रूप में जाना जाता है, जो फिल्मों के संरक्षण के लिए अथक रूप से समर्पित है, एक सदी लंबी सिनेमाई यात्रा के सार को दर्शाता है. एनएमआईसी का महत्वपूर्ण उद्देश्य भारत की विविध सिनेमाई विरासत के भंडार के रूप में सेवा करना, कला के प्रति सराहना को बढ़ावा देना है. इसका लोकाचार भारतीय सिनेमा के विकास को अपनाने, सांस्कृतिक आख्यानों पर इसके गहरे प्रभाव को प्रदर्शित करने के इर्द-गिर्द घूमता है. एनएमआईसी के भीतर एक ऐतिहासिक रत्न, सिनेमाई जड़ों का प्रतीक गुलशन महल, है, जबकि समकालीन कांच की इमारत भारत की सिनेमाई प्रगति को प्रतिबिंबित करती है. इस वास्तुशिल्प चमत्कार की प्रत्येक मंजिल भारतीय सिनेमा के माध्यम से एक विषयगत यात्रा है. यह संग्रहालय कथाकथन युग से लेकर डिजिटलीकरण तक फैली कलाकृतियों का खजाना है, जिसमें सावधानीपूर्वक तैयार किए गए हस्तनिर्मित पोस्टर भी शामिल हैं.

एनएमआईसी 100 वर्षों के सिनेमा इतिहास को समाहित करता है, एक मनोरम यात्रा की पेशकश करता है जो आगंतुकों को भारतीय सिनेमा की परिवर्तनकारी शक्ति के बारे में शिक्षित और प्रेरित करता है. यह सिर्फ एक संग्रहालय नहीं है; यह उस कलात्मक विकास का जीवित प्रमाण है जिसने पिछली सदी में देश के सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार दिया है.

III. Preservation

National Museum of Indian Cinema (NMIC)

NMIC stands as a custodian of cinematic legacy, tirelessly devoted to the preservation of movies, capturing the essence of a century-long cinematic journey. NMIC's unique purpose is to maintain the diverse cinematic heritage, fostering an appreciation for the art form. Its ethos revolves around embracing the evolution of Indian cinema, showcasing its profound impact on cultural narratives. Gulshan Mahal, a historic gem within NMIC, symbolizes the cinematic roots, while the contemporary glass building mirrors India's cinematic progression. Each floor in this architectural marvel is a thematic odyssey through Indian cinema. This museum is a treasure trove of artefacts spanning from the storytelling era to digitization, including meticulously crafted handmade posters.

NMIC encapsulates 100 years of cinema history, offering a captivating journey that educates and inspires visitors about the transformative power of Indian cinema. It's not just a museum; it's a living testament to the artistic evolution that has shaped the nation's cultural landscape over the past century.

राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, भारत (एनएफएआई)

राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, भारत,पुणे(एनएफडीसी-एनएफएआई) फरवरी 1964 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एक खास मीडिया यूनिट के तौर पर शुरू हुआ था. यह संस्था इस विश्वास पर आधारित है कि सिनेमा, साहित्य या ऐतिहासिक पांडुलिपियाँ की तरह, संस्कृति और यादों का एक ऐसा ज़रिया है जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता. इसका मिशन साफ़ और गहरा रहा है : आने वाली पीढ़ियों के लिए भारतीय सिनेमा की विरासत को खोजना, हासिल करना और सुरक्षित रखना; दुनिया भर के सिनेमा का एक खास कलेक्शन बनाना; फिल्म से जुड़ी जानकारी को दस्तावेजीकरण करना, वर्गीकरण करना और सुरक्षित रखना; संशोधन को बढ़ावा देना; और भारत में फिल्म संस्कृति के लिए एक वाइब्रेंट सेंटर के तौर पर काम करना, साथ ही भारतीय सिनेमा की आवाज़ को दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाना.

दुनिया ने लंबे समय से फिल्म को एक कला और ऐतिहासिक दस्तावेज़, दोनों के तौर पर बचाकर रखने की ज़रूरत को पहचाना है. भारत ने भी इस समझ को अपनाया और एनएफएआई को देश की चलती-फिरती तस्वीरों की विरासत का संरक्षक बनाया. यह ज़िम्मेदारी संभालने वाली अकेली संस्था के तौर पर, एनएफडीसी–एनएफएआई भारत के आर्काइवल इकोसिस्टम के दिल में है, जो यह सुनिश्चित करता है कि हमारी फिल्मों में मौजूद कहानियाँ, कलाकारी और सांस्कृतिक निशान समय के साथ खत्म न हों.

इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने नवंबर 2014 में मशहूर राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन (एनएफएचएम) शुरू किया. यह बड़ा काम भारत की सिनेमाई विरासत को बचाने, उसे जतन, संरक्षण करने और उसे ठीक करने के लिए था. 2021-25 के समय के लिए, मिनिस्ट्री ने इस बड़े काम को आगे बढ़ाने के लिए रू. 544.82 करोड़ मंज़ूर किए हैं, जिसमें एनएफडीसी-एनएफएआई इसे लागू करने वाली एजेंसी है. आज, एनएफएचएम इंडस्ट्री की जानी-मानी हस्तियों–निर्माता, स्टूडियो, कंटेंट कस्टोडियन, फिल्म एसोसिएशन और इतिहासकारों–के साथ मिलकर काम कर रहा है, ताकि भारत की फिल्म विरासत को ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से बचाकर रखा जा सके. इन कोशिशों से, आर्काइव न सिर्फ़ अतीत को सुरक्षित रखता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि भारतीय सिनेमा की कल्चरल मौजूदगी दुनिया भर के स्क्रीन और दिमाग पर छाई रहे.

National Film Archive of India (NFAI)

The National Film Archive of India, Pune (NFDC–NFAI) was born in February 1964 as a dedicated media unit of the Ministry of Information & Broadcasting, an institution rooted in the belief that cinema, like literature or historical manuscripts, is an irreplaceable vessel of culture and memory. It's mission has been clear and profound : to trace, acquire, and safeguard the legacy of Indian cinema for future generations; to build a distinguished collection of world cinema; to document, classify, and preserve film-related knowledge; to foster research; and to serve as a vibrant centre for film culture in India while carrying the voice of Indian cinema to audiences across the globe.

The world has long recognized the urgency of preserving film as both an art form and a historical document. India too embraced this understanding, establishing NFAI as the nation's guardian of moving-image heritage. As the sole institution entrusted with this responsibility, NFDC-NFAI stands at the heart of India's archival ecosystem, ensuring that the stories, artistry, and cultural imprints contained in our films are not lost to time.

To elevate this mission, the Government of India launched the prestigious National Film Heritage Mission (NFHM) in November 2014. This ambitious effort was dedicated to the preservation, conservation, digitization, and restoration of India's cinematic inheritance. For the 2021-25 period, the Ministry has sanctioned ₹ 544.82 Crore to drive this monumental undertaking, with NFDC-NFAI serving as the implementing agency. today, the NFHM advances in collaboration with the industry's foremost voices-producers, studios, content custodians, film associations, and historians-working collectively to preserve India's film heritage to global standards. Through these efforts, the Archive not only safeguards the past but ensures that the cultural presence of Indian cinema continues to illuminate screens and minds around the world.

सिने आर्टिस्ट्स वेलफेयर फंड ऑफ इंडिया (कॉफ़ी)

क. सन 1991 में ट्रस्ट की स्थापना की गई थी उसका प्रबंध तथा नियमन एनएफडीसी के बोर्ड द्वारा नियुक्त ट्रस्टियों द्वारा किया जाता है.

ख. फिल्म "गांधी" से प्रतिवर्ष होने वाली आय का 5 प्रतिशत हर साल सीएडब्ल्यूएफआई में दिया जाता है.

ग. प्रमुख उद्देश्य बीते जमाने के, 50 वर्ष से अधिक आयु के उन सिने कलाकारों को सहायता प्रदान करना है जो दुर्दिनों के शिकार हैं.

Cine Artistes Welfare Fund of India (CAWFI)

a. The trust was formed in the year 1991 is administered and managed by the trustees duly appointed by the NFDC Board.

b. 5% of profits earned from the film "Gandhi" are contributed to CAWFI every year.

c. The main objective is to give financial assistance to yesteryears Cine Artistes above 50 years of age who have fallen on bad days and need financial support.

सूचना

सूचना इस प्रकार दी जाती है कि नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की 50वीं वार्षिक सामान्य बैठक, संक्षिप्त नोटिस पर, दिनांक शुक्रवार, 5 दिसंबर, 2025 को शाम 4.30 बजे बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीसी / अन्य ऑडियो विज़ुअल माध्यम (ओवीएएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी, ताकि निम्नलिखित व्यवसाय का लेन-देन किया जा सके :

साधारण व्यवसाय :

1. वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को प्राप्त करने, विचार करने और अनुमोदित करने हेतु, जिसमें उस तिथि तक का बैलेंस शीट, वर्ष 31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए लाभ एवं हानि विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण, ऑडिटर्स की रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट, तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय विवरणों पर की गई टिप्पणियाँ सम्मिलित हैं.

2. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश घोषित करने हेतु.

3. वैधानिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति को संज्ञान में लेने हेतु.

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

दिनांक : 5.12.2025
स्थान : मुंबई

प्रकाश मगदूम
प्रबंध निदेशक

टिप्पणी :

1. अधिनियम की धारा 101 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के 95% से अधिक सदस्यों की लिखित सहमति के अधीन बैठक अल्प सूचना पर बुलाई जा रही है. सहमति प्रपत्र संलग्न है.

2. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") ने 5 मई, 2020 के अपने परिपत्र के माध्यम से दिनांक 05.05.2022, 28.12.2022, 25.09.2023, 19.09.2024 और 22.09.2025 (एकत्रित रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) के परिपत्रों के साथ मिलकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") या अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") बुलाने की अनुमति दी है. एमसीए परिपत्रों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है. यह एजीएम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित मानी जाएगी.

3. एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के साथ एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सदस्यों को उनके ईमेल पते पर भेजी जा रही है.

4. चूंकि यह वार्षिक आम बैठक एमसीए परिपत्रों के अनुसार वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, अत : सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के सिवाय की गई है. तदनुसार, इस एजीएम के लिए सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रॉक्सी फॉर्म इसके साथ संलग्न नहीं है. हालांकि, अधिनियम की धारा 112 और धारा 113 के प्रावधानों के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति जैसे सदस्यों के अधिकृत प्रतिनिधि वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं और अपना वोट दे सकते हैं.

5. बैठक में शामिल होने की सुविधा वार्षिक आम बैठक के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले प्रारम्भ होगी तथा वार्षिक आम बैठक की पूरी कार्यवाही के दौरान खुली रखी जाएगी.

6. जिन सदस्यों को एजीएम से पहले या उसके दौरान सहायता की आवश्यकता हो, वे sumona@nfdcindia.com पर संपर्क कर सकते हैं.

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

दिनांक : 5.12.2025
स्थान : मुंबई

प्रकाश मगदूम
प्रबंध निदेशक

Notice

NOTICE is hereby given that the 50th Annual General Meeting of National Film Development Corporation Limited will be held at shorter notice on Friday, the 5th day of December, 2025 at 4.30 pm at the Registered Office of the company through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM), to transact the following business :

Ordinary Business :

1. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Company for the financial year ended March 31, 2025, which includes the Statement of Profit & Loss and Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2025, the Balance Sheet as on that date, the Auditors' Report thereon, the Directors' Report and comments of the Comptroller and Auditor General of India on the financial statement.

2. To declare final Dividend on Equity Shares for the financial year 2024-25.

3. To take note of the appointment of the Statutory Auditors'.

By order of the Board of Directors

Date : 5.12.2025
Place : Mumbai

Prakash Magdum
Managing Director

Note :

1. The Meeting is being convened at a shorter notice, subject to consent, in writing, of more than 95% of the Members of the Company, pursuant to the provisions of Section 101 of the Act. The consent form is enclosed herewith.

2. The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its circular dated May 5, 2020 read together with circulars dated 05.05.2022, 28.12.2022, 25.09.2023,19.09.2024 and 22.09.2025 (collectively referred to as "MCA Circulars") permitted convening the Annual General Meeting ("AGM") through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM"). In accordance with the MCA Circulars, provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act'), the AGM of the Company is being held through VC / OAVM. This AGM shall be deemed to be held at the Registered Office of the Company.

3. In compliance with the MCA Circulars, Notice of the AGM along with the Annual Report 2024-25 is being sent only through electronic mode to the Members at their email addresses.

4. Since this AGM is being held through VC / OAVM pursuant to the MCA Circulars, physical attendance of members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the members will not be available for this AGM and hence the Proxy Form are not annexed hereto. However, in terms of the provisions of Section 112 and Section 113 of the Act, authorised representatives of the Members such as the President of India can attend the AGM through VC/OAVM and cast their vote.

5. The facility to join the meeting shall be opened 15 minutes before the scheduled time of the AGM and shall be kept open throughout the proceedings of the AGM.

6. Members who need assistance before or during the AGM, can contact NFDC on sumona@nfdcindia.com.

By order of the Board of Directors

Date : 5.12.2025
Place : Mumbai

Prakash Magdum
Managing Director

अंशधारकों को प्रबंध निदेशक का पत्र

प्रिय अंशधारकों,
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड (एनएफडीसी) के निदेशक मंडल की ओर से, मैं निगम की 50वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ.

मुझे वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एनएफडीसी के परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने परिचालन से अपने राजस्व में पर्याप्त वृद्धि हासिल की. पिछले वर्ष के 287.54 करोड़ रुपये की तुलना में टॉपलाइन बढ़कर 387.25 करोड़ रुपये हो गई - जो 34.85% की वृद्धि को दर्शाती है. वित्त वर्ष 2023-24 में 10.91 करोड़ रुपये की तुलना में इस वर्ष का शुद्ध लाभ 5.56 करोड़ रुपये रहा. प्रचार और समारोह विंग को शामिल करते हुए सेवा परियोजना प्रभाग, 15,999.84 लाख रुपये के साथ सबसे अधिक राजस्व योगदानकर्ता बना रहा, इसके बाद संरक्षण वर्टिकल 10,559.64 लाख रुपये और मीडिया अभियान प्रभाग 6,907.26 लाख रुपये के साथ तीसरे स्थान पर रहा. फिल्म निर्माण और वितरण खंड ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 5,308 लाख रुपये अर्जित किए. मुझे विश्वास है कि रणनीतिक फोकस और निरंतर नवाचार के साथ, एनएफडीसी वित्त वर्ष 2025-26 में और भी बड़ी उपलब्धियाँ हासिल करेगा.

अब मैं इस वर्ष की प्रमुख परिचालन उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण साझा करने की अनुमति चाहता हूँ.

फिल्म निर्माण

एनएफडीसी के मुख्य उद्देश्यों में से एक-गुणवत्तापूर्ण सिनेमा का निर्माण–के अनुरूप, निगम भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तत्वावधान में "फिल्म सामग्री का विकास, संचार और प्रसार (डीसीडीएफसी)" योजना का कार्यान्वयन जारी रखे हुए है. वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, एनएफडीसी को छह क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण के लिए 23.80 करोड़ रुपये प्राप्त हुए. 11 परियोजनाओं के लिए सीबीएफसी प्रमाणन प्राप्त किया गया, जिनमें पूर्वोत्तर की नौ फिल्में, 17वें फिल्म बाजार की एक परियोजना और एक बाल फिल्म शामिल हैं. इन पहलों के माध्यम से, एनएफडीसी भारत की सिनेमाई विरासत को समृद्ध बनाने और विविध कहानी कहने की परंपराओं को बढ़ावा देने के अपने मिशन में अडिग है.

वितरण

एनएफडीसी का वितरण नेटवर्क निरंतर विकसित हो रहा है, जिसमें हिंदी सहित 25 से अधिक भारतीय भाषाओं में 350 से अधिक फ़िल्में शामिल हैं, जिनमें 85 पुनर्स्थापित फ़िल्में भी शामिल हैं. निगम के सिंडिकेशन कैटलॉग में अब 150 प्रमुख फ़िल्में शामिल हैं, जिनमें से कई को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा मिली है.

कंपनी ने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों दर्शकों तक अपनी पहुँच बढ़ाने के लिए आधुनिक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का लाभ उठाया है. उल्लेखनीय है कि बंगाली फ़ीचर फ़िल्म "छाद - द टेरेस" 7 मार्च 2025 को भारत में 30 स्क्रीन्स पर रिलीज़ की गई थी.

एनएफडीसी और सीएफएसआई और फिल्म्स डिवीजन की लीगेसी सामग्री को ओटीटी प्लेटफार्मों और टेलीविजन नेटवर्क के साथ लाइसेंसिंग व्यवस्था के माध्यम से राजस्व-साझाकरण और निश्चित-शुल्क मॉडल दोनों पर मुद्रीकृत किया जाना जारी है. कंपनी की फीचर फिल्में, वृत्तचित्र और बच्चों की सामग्री विभिन्न फिल्म समारोहों, संग्रहालयों और फिल्म सोसाइटियों में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित की गईं और गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के विभिन्न स्कूलों में स्क्रीनिंग की गई. मंत्रालय की डीसीडीएफसी योजना के अंतर्गत विशेष आउटरीच पहल के तहत सात पूर्वोत्तर राज्यों में बाल फिल्मों का प्रदर्शन किया गया. एनएफडीसी ने पूर्वोत्तर के आठ दूरस्थ जिलों - फेक (नागालैंड), तामेंगलोंग (मणिपुर), चंपई (मिजोराम), चांगलांग (अरुणाचल प्रदेश), ग्यालशिंग (सिक्किम), पेरेन (नागालैंड), साउथ गारो हिल्स (मेघालय) और धलाई (त्रिपुरा) में फिल्म प्रदर्शन आयोजित किए, जिनमें 37,000 से अधिक स्कूली बच्चों ने भाग लिया. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, एनएफडीसी ने मार्चे डू कान्स (फ्रान्स), यूरोपियन फिल्म मार्केट (बर्लिन) और फिल्ममार्ट (हाँगकाँग) में अपनी प्रतिष्ठित उपस्थिति बनाए रखी, जिससे ब्रांड की दृश्यता बढ़ी और वैश्विक क्यूरेटर, वितरकों और सामग्री खरीदारों के साथ रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा मिला.

Managing Director's Letter to Shareholders

Dear Shareholders,
On behalf of the Board of Directors of the National Film Development Corporation Limited (NFDC), I extend a warm welcome to you all at the 50th Annual General Meeting of your Company.

It gives me immense pleasure to present before you the operational and financial performance of NFDC for the financial year 2024–25.

During the year under review, your Company achieved substantial growth in its revenue from operations. The topline increased to ₹ 387.25 crore, compared to ₹ 287.54 crore in the previous year–reflecting a 34.85% growth. The net profit for the year stood at ₹ 5.56 crore as against ₹ 10.91 crore in FY 2023–24. The Service Project Division, encompassing the promotional and festival wings, continued to be the highest revenue contributor at ₹ 15,999.84 lakh, followed by the Preservation vertical at ₹ 10,559.64 lakh, and the Media Campaign Division at ₹ 6,907.26 lakh. The Film Production and Distribution segment generated ₹ 5,308 lakh during FY 2024–25. I am confident that with strategic focus and continued innovation, NFDC will attain greater milestones in FY 2025–26.

Allow me to now share with you a brief overview of the key operational highlights for the year.

Film Production

In alignment with one of NFDC's core objectives–to produce quality cinema–the Corporation continues to implement the "Development Communication and Dissemination of Filmic Content (DCDFC)" scheme under the aegis of the Ministry of Information & Broadcasting, Government of India. During FY 2024–25, NFDC received ₹ 23.80 crore for the production of six regional films. CBFC certification was obtained for 11 projects, including nine films from the North-East, one project from the 17th Film Bazaar, and one Children's Film. Through these initiatives, NFDC remains steadfast in its mission to enrich India's cinematic heritage and promote diverse storytelling traditions.

Distribution

NFDC's distribution network continues to evolve, encompassing over 350 films across 25+ Indian languages, including Hindi, with 85 restored titles. The Corporation's syndication catalogue now features 150 marquee films, many of which have received national and international accolades.

Your Company has leveraged modern digital platforms to extend its reach to both national and international audiences. Notably, "Chhaad – The Terrace", a Bengali feature film, was released on 7 March 2025 across 30 screens in India.

NFDC and Legacy content from CFSI and Films Division continues to be monetized through licensing arrangements with OTT platforms and television networks, on both revenue-sharing and fixed-fee models. The Company's feature films, documentaries, and children's content were showcased at various film festivals, museums, and film societies both domestically and internationally and screenings were conducted in Gujarat, Maharashtra, and Rajasthan in various schools. Under Special outreach initiatives exhibition of children's films across seven North Eastern States under the DCDFC Scheme of the Ministry. NFDC conducted film screenings in eight remote districts of the North East - Phek (Nagaland), Tamenglong (Manipur), Champai (Mizoram), Changlang (Arunachal Pradesh), Gyalshing (Sikkim), Peren (Nagaland), South Garo Hills (Meghalaya), and Dhalai (Tripura), reaching over 37,000 school children. Internationally, NFDC maintained an esteemed presence at Marché du Cannes (France), European Film Market (Berlin), and FILMART (Hong Kong), building brand visibility and fostering strategic partnerships with global curators, distributors, and content buyers.

परिरक्षण

राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय पुणे, भारत में स्थित एक संस्था है जो फिल्म को कला और ऐतिहासिक दस्तावेजों के रूप में संरक्षित करने के लिए समर्पित है. यह सरकार की इस समझ का परिणाम है कि फिल्में देश की विरासत हैं और कला के इस रूप का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व है और इसलिए इसे भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए. भारतीय सिनेमा की विरासत को प्राप्त करने और संरक्षित करने के प्राथमिक चार्टर के अलावा, यह सुनिश्चित करना भी अभिलेखागार के घोषित उद्देश्यों में से एक है कि भारतीय सिनेमा की सांस्कृतिक उपस्थिति दुनिया भर में अधिक दिखाई दे. एनएफएआई भारत सरकार की प्रतिष्ठित परियोजना राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन (एनएफएचएम) को लागू कर रहा है, जिसे भारतीय सिनेमाई विरासत को संरक्षित करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) द्वारा 600 करोड़ रुपये के आवंटित बजट के साथ 2016 में लॉन्च किया गया था. एनएफएचएम के तहत प्रमुख मॉड्यूल में फिल्म संग्रह मूल्यांकन, निवारक संरक्षण, डिजिटलीकरण और फिल्मों की बहाली शामिल हैं. 'एनएफएआई में फिल्म सामग्री का निवारक संरक्षण' परियोजना 19 जनवरी 2023 को शुरू की गई थी. निवारक संरक्षण के तहत, फिल्म संरक्षण में दुनिया के अग्रणी विशेषज्ञ, ल'इम्माजिने रित्रोवाता के सहयोग से 69,038 सेल्युलाइड रीलों को पूरा किया गया है. वर्ष के दौरान मुख्य रूप से 35 मिमी और 16 मिमी फिल्म प्रारूपों में 1400 से अधिक फिल्मों को 2के और 4के रिज़ॉल्यूशन में डिजिटल किया गया है. मई 2022 में, दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म बहाली परियोजना शुरू की गई और दिसंबर 2022 में इसे शुरू किया गया. 24 अप्रैल - मार्च 2025 के दौरान, 2के और 4के रिज़ॉल्यूशन में 600 से अधिक फिल्मों को बहाल किया गया है, जिनमें से 400 से अधिक फिल्में फीचर फिल्में हैं. सेल्युलाइड रीलों के डिजिटलीकरण के बाद, फिल्मों को डिजिटल रूप से बहाल किया जाता है. आखिरी रिस्टोर की गई फिल्म वैसी ही दिखेगी और वैसी ही सुनाई देगी जैसी कई दशक पहले रिलीज़ के समय थी.

मीडिया व्यवसाय

एनएफडीसी भारत सरकार की नोडल एजेंसी है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभियान चलाती है और भारत सरकार के अधीन विभिन्न मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), स्वायत्त निकायों, विभागों और संगठनों की योजनाओं, संदेशों, विज्ञापनों और नीतियों के बारे में जागरूकता कार्यक्रमों और सूचनाओं का प्रसार करती है. वर्ष के दौरान 19 ग्राहकों की ओर से 90 अभियान चलाए गए.

फिल्म बाज़ार

फिल्म बाजार अंतरराष्ट्रीय और दक्षिण एशियाई फिल्म बिरादरी के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष रूप से बनाया गया मंच है. फिल्म बाजार फिल्म मेकिंग, फिल्म निर्माण और वितरण के क्षेत्र में दक्षिण एशियाई सामग्री और प्रतिभा की खोज, समर्थन और प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करता है. फिल्म बाज़ार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, भारत (आईएफएफआई) के साथ आयोजित किया जाता है और यह भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं के समुदाय और दुनिया भर के व्यवसाय में रुचि रखने वालों के लिए एक रोमांचक और प्रेरणादायक स्थान बना हुआ है. 2024 में 30 देशों के 2332 प्रतिनिधियों ने फिल्म बाज़ार में भाग लिया, 2006 में अपनी शुरुआत के बाद से यह आयोजन एक लंबा सफर तय कर चुका है.

इंडिया सिने हब

पूर्ववर्ती फिल्म सुविधा कार्यालय को 24 सितंबर 2024 से इंडिया सिने हब के रूप में नामित किया गया है. यह वर्टिकल प्रमुख केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों और 36 राज्य सरकारों के साथ एक सुसंगत पारिस्थितिकी तंत्र में काम करता है और अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों फिल्म निर्माताओं के लिए एक ऑनलाइन सिंगल विंडो अनुमति सुविधा तंत्र के रूप में कार्य करना जारी रखता है. 2016 से, भारत में 49 देशों में 310 अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की शूटिंग की अनुमति दी गई है, जिनमें अमेरिका (76 फिल्में), यूके (49) और बांग्लादेश (29) शीर्ष योगदानकर्ता हैं. यह एक वैश्विक फिल्मांकन गंतव्य के रूप में भारत की बढ़ती पहचान को दर्शाता है. इस वर्टिकल ने सिस्टम एकीकरण और शासन सुधारों में महत्वपूर्ण प्रगति की है और 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एपीआई एकीकरण पूरा कर लिया है. इसके अतिरिक्त, राष्ट्रव्यापी सुविधा सुनिश्चित करने के लिए 21 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें शामिल किया गया है. भारत सरकार की सूचना प्रसारण मंत्रालय की प्रोत्साहन योजना एक प्रमुख प्रेरक के रूप में उभरी है, जो योग्य व्यय का 30% तक प्रतिपूर्ति प्रदान करती है और यूके, फ्रान्स, कनाडा, इटली और स्पेन सहित 17 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सह-निर्माण संधियों का समर्थन कर रही है, जिससे इन समझौतों के तहत 31 अनुमोदित फिल्मों को सुविधा मिल रही है.

Preservation

The National Film Archive of India, situated in Pune is an institution dedicated to preserving film as art and historical documents. It is the outcome of the Government's realization that films are the country's heritage and the form of art has a significant historical consequence and so, needs to be preserved for posterity. In addition to the primary charter of acquiring and preserving the heritage of Indian Cinema, it is also one of the declared objectives of the Archive to ensure that the Cultural presence of Indian Cinema is made more visible across the globe. NFAI is implementing the GoI's prestigious project National Film Heritage Mission (NFHM), launched in 2016 with an allocated budget of more than ₹ 600 crores by the Ministry of Information and Broadcasting (MIB) to preserve the Indian cinematic heritage. The key modules under NFHM include film collection assessment, preventive conservation, digitization and restoration of films. The 'Preventive Conservation of film content at NFAI' project was commenced on 19th January 2023. Under Preventive Conservation, 69,038 celluloid reels have been completed in collaboration with L'Immagine Ritrovata, the world's foremost expert in film conservation. During the year more than 1400 films primarily in 35mm and 16mm film formats have been digitized in 2k and 4k resolution. In May 2022, the World's largest Film Restoration project was launched and the same was commenced in Dec 2022. During April 24 – March 2025, more than 600 films have been restored in 2k and 4k resolution, of which more than 400 films are Feature Films. Post-digitization of celluloid reels, the films are restored digitally. The final restored film will appear and sound as it did at the time of its release several decades ago.

Media Business

NFDC is a Nodal agency of Government of India executing Electronic Media campaigns and does dissemination of Awareness Programs and Information about schemes, messages, advertisement and policies of different Ministries, Public Sector Undertaking (PSU's), Autonomous Bodies, Departments and organization under the Govt. of India. During the year 90 Campaigns were undertaken on behalf of 19 clients.

Film Bazaar

Film Bazaar is a platform exclusively created to encourage collaboration between the international and South Asian film fraternity. The Bazaar focuses on discovering, supporting and showcasing South Asian content and talent, in the realm of filmmaking, production and distribution. Film Bazaar is held alongside the International film festival of India (IFFI) and continues to be an exciting and an inspiring place for the Independent filmmakers' community from India and South East Asia and those interested in the business from across the world. With 2332 delegates from 30 countries attended Film Bazaar in 2024, the event has come a long way since its inception in 2006.

India Cine Hub

Erstwhile Film Facilitation Office has been nomenclated as India Cine Hub w.e.f. 24th September, 2024. This vertical works in a cohesive ecosystem with Key Central Government Ministries/ Departments and 36 State Governments and continues to act as an Online Single Window Permission Facilitation Mechanism for both international and domestic filmmakers. Since 2016, 310 international films have been granted shooting permissions in India across 49 countries, with the USA (76 films), UK (49), and Bangladesh (29) being top contributors. This reflects India's growing recognition as a global filming destination. This vertical has made significant strides in system integration and governance reforms and has completed API integration for 7 States and 2 UTs. Additionally, 21 States and 6 UTs have been onboarded ensuring nationwide facilitation. The Incentive Scheme of MI&B, GoI has emerged as a key driver, providing reimbursements up to 30% of qualifying expenditure and is supporting international co-production treaties with 17 countries, including the UK, France, Canada, Italy, and Spain, facilitating 31 approved films under these agreements.

विज्ञापन फिल्म निर्माण और संचार

भारत सरकार और इनकी विभिन्न एजेंसियों के लिए विज्ञापन संचार का निर्माण ने सभी प्लेटफार्मों पर विज्ञापन संचार के निर्माण और प्रसार के लिए स्वयं को 360 डिग्री एकीकृत मीडिया सेवा प्रदाता के रूप में दृढता से स्थापित किया है.

वेव्स

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तत्वावधान में निगम का नया वर्टिकल, विश्व श्रव्य-दृश्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेव्स), भारत के मीडिया एवं मनोरंजन परिदृश्य को पुनर्परिभाषित करते हुए एक वैश्विक क्रिएटर्स मंच के रूप में उभरा है. माननीय प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप, वेव्स 2025 ने स्वयं को विश्व क्रिएटर्स मंच के रूप में स्थापित किया है और यह सहयोग के माध्यम से विषय-वस्तु, रचनात्मकता और संस्कृति पर आधारित भारत की ऑरेंज अर्थव्यवस्था के विकास को सुगम बनाएगा. वेव्स-2025 ने भारत को एक वैश्विक रचनात्मक सक्षम भागीदार और फिल्म, डिजिटल विषय-वस्तु, एवीजीसी (एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एवं कॉमिक्स), संगीत, लाइव इवेंट और क्रिएटर अर्थव्यवस्था के अन्य तत्वों के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया है. मई 2025 में आयोजित वेव्स 2025 में 100 देशों, 3,100 से अधिक कंपनियों, 6,442 खरीदारों और वेव्स बाज़ार पर 6,106 विक्रेताओं, और 3,000 से अधिक लगातार बैठकों की मेजबानी की गई, जिसने वैश्विक सामग्री केंद्र के रूप में भारत के आकर्षण को रेखांकित किया.

कौशल विकास और प्रशिक्षण

एनएफडीसी 2005 से फिल्म निर्माण से संबंधित विभिन्न तकनीकी व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है और इसने लगभग 18,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित और रोजगार दिया है. क्षेत्र में अपने प्रतिबद्ध प्रयासों के कारण, एनएफडीसी को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद से में "अवार्डिंग बॉडी" का दर्जा मिला. एनएफडीसी की परिकल्पना मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में कौशल, मूल्यांकन और प्रमाणन में गुणवत्ता मानकों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों के लिए तकनीकी और पेशेवर रूप से सक्षम कार्यबल और उद्योग पेशेवरों को तैयार करने के लिए की गई है और यह संबद्धता, मान्यता, परीक्षा और प्रमाणन की योजना बनाने और निष्पादित करने के लिए प्रतिबद्ध है. विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग प्रदान करके अंतर को भरने और उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए एनएफडीसी के बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मानकों की स्थिरता और स्वीकार्यता सुनिश्चित करना.

सिने आर्टिस्ट वेलफेयर फंड ऑफ इंडिया

सामाजिक हेतु लॉर्ड रिचर्ड एटनबरो द्वारा वर्ष 1991 में गांधी फिल्म से अर्जित लाभ के एक हिस्से से गठित ट्रस्ट, 50 वर्ष से अधिक उम्र के पुराने सिने कलाकारों को वित्तीय सहायता देने का प्रयास कर रहा है, जो दूर्दिनों के शिकार हैं.

आगामी वर्ष के लिए दृष्टिकोण

चार फिल्म मीडिया इकाइयों अर्थात फिल्म प्रभाग (एफडी), फिल्म समारोह निदेशालय (डीएफएफ), भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार (एनएफएआई) और बाल फिल्म सोसाइटी इंडिया (सीएफएसआई) के विलय के बाद, एनएफडीसी भारतीय फिल्म उद्योग के विकास को सशक्त बनाने के लिए तैयार है और भारतीय फिल्म पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा है और आम जनता के बीच विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्मों के विकास, निर्माण, वितरण, संरक्षण और विपणन की सुविधा के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित है. फिल्म बाज़ार 2023 से चुनी गई हिंदी भाषा की फिल्म तारा एंड आकाश: लव बियॉन्ड रियल्म्स 26 सितंबर 2025 को भारत में 92 स्क्रीन पर रिलीज़ हुई. कंपनी व्यापक स्पेक्ट्रम तक पहुंच रही है और फीचर फिल्मों के निर्माण में उतर रही है. एनिमेशन फिल्में, बच्चों की फिल्में और वृत्तचित्र और भारत और दुनिया भर में फिल्म समारोहों और फिल्म बाजारों का आयोजन करना और भारत को एक अद्वितीय फिल्मांकन गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना. हम फिल्म उद्योग में विभिन्न व्यवसायों की प्रतिभाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय फिल्म समारोहों और बाजारों में भागीदारी बढ़ा रहे हैं और फिल्मी सामग्री और विरासत का संरक्षण कर रहे हैं. भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई),

Advertisement Film Production and Communication

Production of advertising communication for the government and its various agencies has firmly established itself as a 360-degree integrated media service provider for the creation and dissemination of advertising communication across platforms.

WAVES

The new vertical of the Corporation The World Audio Visual and Entertainment Summit (WAVES), under the aegis of the Ministry of Information & Broadcasting, has emerged as a Global Creators platform redefining India's Media and Entertainment landscape. Envisioned by the Hon'ble Prime Minister's WAVES 2025 has established itself as the World Creators Forum and would facilitate the growth of India's Orange Economy anchored in Content, Creativity, and Culture through Collaborations. WAVES-2025 positioned India as a global creative capable partner and a Global hub for film, digital content, AVGC (Animation, Visual Effects, Gaming & Comics), music, Live events and other elements of the Creator economy. WAVES 2025 held in May 2025 hosted 100 countries, 3,100+ companies, 6,442 buyers and 6,106 sellers on WAVES Bazaar, and 3,000+ B2B meetings, underscoring India's attractiveness as a Global content hub.

Skill Development & Training

NFDC has been providing training in various technical trades pertaining to film making since 2005 and has trained and placed nearly 18,000 candidates. Owing to its committed efforts in the area, NFDC received the "Awarding Body" status from the National Council for Vocational Education & Training, Ministry of Skill Development & Entrepreneurship. NFDC is envisioned to create a technically and professionally competent workforce and industry professionals for both national and international markets to achieve quality standards in skilling, assessment, and certification in Media and Entertainment space and is committed to plan and execute affiliation, accreditation, examination, and certification to ensure consistency and acceptability of standards to achieve the larger goal of NFDC to fill in the gap and meet Industry demand by providing skilling, upskilling and reskilling through various Skill Development Programs.

Cine Artistes Welfare Fund of India

On Social front, the Trust formed out of a portion of profit earned from the film Gandhi, in the year 1991 by late Lord Richard Attenborough, is striving to extend financial assistance to old cine artists above 50 years who have fallen on bad days.

Outlook for the next year

Post-merger of the four film media units viz. Films Division (FD), Directorate of Films Festivals (DFF), National Film Archive of India (NFAI) and Children's Film Society India (CFSI), NFDC has poised to empower the growth of the Indian film industry and emerged as the key player in the Indian film ecosystem and is well equipped to facilitate development, production, distribution, preservation and marketing of films across various Indian languages across the masses. The film Tara & Akash : Love Beyond Realms in Hindi language selected from Film Bazaar 2023 was released on 26 September 2025 across 92 screens in India. Your Company is reaching out to wide spectrum and venturing into Producing feature films, Animation films, Children's films and documentaries and organizing Film Festivals and Film markets in India and across Globe and Promoting India as a unique filming destination. We are also fostering talent across professions in the Film Industry, enhancing participation in International and Indian film festivals and markets and preservation of filmic content and heritage. The integration of established brands like International

मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (एमआईएफएफ), राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव (एनसीएफएफ), भारतीय अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव (आईसीएफएफआई) और फिल्म बाजार जैसे स्थापित ब्रांडों का एकीकरण अब आपकी कंपनी को अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए प्रचार संबंधी तालमेल बनाने और राजस्व उत्पन्न करने की अनुमति देता है. साथ ही रणनीतिक रूप से हम फिल्मी सामग्री, संसाधनों, परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण कर रहे हैं, अधिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए अपनी समृद्ध फिल्म सूची और स्वयं के स्वामित्व वाले थिएटरों का लाभ उठा रहे हैं. यह वित्तीय ताकत फिल्म निर्माण में नई प्रतिभाओं के पोषण का समर्थन करेगी और आने वाले वर्ष में औद्योगिक विकास में योगदान देगी. भारत सरकार का संरक्षण लक्ष्य फिल्म उद्योग की समृद्ध विरासत की बहाली की दिशा में काम करना और यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय सिनेमा की विरासत भविष्य की पीढ़ियों के लिए बनी रहे. मुंबई में स्थित हमारा भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय (एनएमआईसी) भारतीय सिनेमा के कालातीत खजाने की कलात्मकता और सांस्कृतिक महत्व को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है. लगातार जनसंपर्क और रणनीतिक जन संपर्क गतिविधि के साथ एनएमआईसी में आने वालों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है.

भारत सरकार के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विरासत मिशन में एनएफएआई सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है और अपनी संरक्षण प्रयोगशाला में एनएफएआई भौतिक एवं रासायनिक रूप से क्षतिग्रस्त तथा क्षीण हो रही फिल्म रीलों का सूक्ष्मता से संरक्षण कर रहा है, तथा देश की फिल्म विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखते हुए उसकी सामग्री को दर्शकों के लिए उपलब्ध करा रहा है.

वैश्विक सामग्री की बढ़ती मांग, सीमा-पार सह-निर्माण, तथा एनिमेशन/वीएफएक्स आउटसोर्सिंग आपकी कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करते हैं. भारत द्वारा प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन, कुशल जनशक्ति और विश्व-स्तरीय बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराए जाने के साथ, अधिक अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं को आकर्षित करने की क्षमता मजबूत है. आपकी कंपनी रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए भारत सरकार के जनादेश के कार्यान्वयन हेतु एक केंद्रीय स्तंभ बनने की स्थिति में है. सतत डिजिटलीकरण, एकीकरण, विस्तार तथा सभी हितधारकों की साझेदारियों के सुदृढ़ीकरण और सक्रियण से आपकी कंपनी का ब्रांड वैश्विक स्तर पर और अधिक सशक्त हो रहा है.

निगमित प्रशासन

कंपनी ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन किया है.

औद्योगिक संबंध

वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सद्भावपूर्ण बने रहे.

स्वीकृति

निदेशक मंडल के सभी सदस्यों तथा कंपनी के सभी पदाधिकारियों की ओर से मैं सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरगन, के प्रति उनसे निरंतर मिले मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ. मैं सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू के प्रति भी कंपनी को चलाने में मिले सहयोग एवं विश्वास बनाए रखने के लिए आभार प्रकट करता हूँ.

निदेशक मंडल के अपने सहयोगियों, एनएफडीसी के सभी कर्मचारियों एवं कंपनी के स्टेकहोल्डर्स की ओर से मिले मूल्यवान समर्थन और सहयोग के लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ.

मैं शेयरधारक के रूप में इस बैठक में भाग लेने के लिए समय निकालने के लिए आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ. मैं आने वाले महीनों में आपकी प्रेरणा, समर्थन, सहयोग और सहायता की आशा करता हूँ. अब मैं बोर्ड की रिपोर्ट के साथ-साथ वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण की ओर बढ़ता हूँ. अनुरोध है कि वार्षिक खातों को स्वीकृत और अपनाया जाए.

दिनांक : 5.12.2025
स्थान : मुंबई

प्रकाश मगदूम
प्रबंध निदेशक

Film Festival of India (IFFI), Mumbai International Film Festival (MIFF), National Children's Film Festival (NCFF), International Children's Film Festival of India (ICFFI), and Film Bazaar now allows your Company to build promotional synergies and generate revenue while advancing its mission. Also strategically we are monetizing filmic Contents, resources, assets, leveraging our rich film catalogue and self-owned theatres to achieve greater self-reliance. This financial strength will support the nurturing of new talents in filmmaking and contribute towards industrial growth in the coming year and positioning of your company as a pivotal agency. The preservation goal of GoI has been working towards restoration of Film Industries rich heritage and ensuring that the legacy of Indian cinema endures for future generations. Our National Museum of Indian Cinema (NMIC) in Mumbai serves as a platform for showcasing the artistry and cultural significance of Indian cinema's timeless treasures. With consecutive public relations and strategic mass outreach activity the footfall at NMIC enhanced considerably.

NFAI is actively contributing towards the GoI's prestigious National Heritage Mission and in its conservation lab, NFAI is meticulously conserving the physically and chemically damaged and deteriorating film reels and preserving the film heritage of the nation for future generations and making the contents available to the audience.

The growing demand for global content, cross-border co-productions, and animation/VFX outsourcing presents a major opportunity for your company. With India offering competitive incentives, skilled manpower, and world-class infrastructure, the potential to attract more international projects is strong. Your company is positioned to become a central pillar for implementation of Go'I mandate for creative economy. With continued digitization, integration, expansion and mobilization of partnerships of all stakeholders is enhancing brand of your company globally.

Corporate Governance

Your Company has complied with the conditions of the corporate governance as stipulated in the guidelines on corporate governance for Central Public Sector Enterprises.

Industrial Relations

During the year, industrial relations in your company remained cordial.

Acknowledgement

On behalf of the Board of Directors and all officials of the Company, I would like to convey my sincere gratitude to the Hon'ble Union Minister for Information & Broadcasting, Shri Ashwini Vaishnaw and Minister of State for Information & Broadcasting, Dr. L. Murugan, for the immense support and guidance received from them. I am also deeply grateful to Shri Sanjay Jaju, Secretary, Ministry of Information & Broadcasting, for his support and trust in the functioning of the Company.

I would also like to express my thanks and appreciation to my esteemed colleagues on the Board, all employees of NFDC and to our other stakeholders for their valuable support and co-operation to the Company.

I want to express my gratitude to all of you for taking the time to participate in this meeting as a shareholder. I look forward to your inspiration, support, collaboration, and assistance in the months ahead. I now move to the Boards' Report as well as the audited financial statement of the Company for the year 2024-25. It is requested that the Annual Accounts be approved and adopted.

Date : 5.12.2025
Place : Mumbai

Prakash Magdum
Managing Director

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,
अंशधारक
निगम के निदेशक 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिये कम्पनी के लेखा परीक्षित लेखों के साथ अपनी 50वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रसन्नतापूर्वक प्रस्तुत कर रहे हैं.

इस वर्ष कंपनी ने रू 556.42 लाख का कर पश्चात लाभ अर्जित किया, जबकि गत वर्ष कंपनी ने रू. 1091.01 लाख का लाभ अर्जित किया था. गत वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष के दौरान परिचालन से राजस्व में 34.85% की वृद्धि हुई है.

1. निष्पादन की विशिष्टताएं

1.1 वित्तीय विवरण

क. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये कंपनी की निष्पादन विशिष्टताएं पिछले वर्ष के मुकाबले इस प्रकार रहीं :

₹ लाखो में

पैरामीटर्स	2024-25	2023-24
कुल आय	39561	29554
ग्रॉस मार्जिन (ईबीआईडी टीए)	616	1557
कर पूर्व लाभ	558	1497
कुल कीमत	**4760**	**4203**

ख. भारत सरकार के 23 दिसंबर 2020 के निर्णय के अनुसार चार फिल्म मीडिया इकाइयों- फिल्म प्रभाग (एफडी), फिल्म समारोह निदेशालय (डीएफएफ), राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय, भारत (एनएफएआई) तथा बाल चित्र समिति, भारत (सीएफएसआई) का राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड (एनएफडीसी) के साथ विलय किया गया, सीएफएसआई, एफडी, डीएफएफ, एनएफएआई के सभी कार्य एनएफडीसी में विलय कर दिये गये. विलय के बाद, एनएफडीसी एक पूर्णतः एकीकृत इकाई के रूप में विकसित हुई है जो भारतीय फिल्म पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को सशक्त बनाने और विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्मों के विकास, निर्माण, प्रचार और समृद्ध विरासत के संरक्षण हेतु तत्पर है. निगम सार्वजनिक-निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं का सह-निर्माण, भारत में शूटिंग के लिए लाइन प्रोडक्शन सेवाओं और विदेशी ग्राहकों को एनीमेशन सेवाओं की सुविधा प्रदान करके, भारत में विभिन्न महोत्सवों का आयोजन करके और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के अधिदेशानुसार विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में भारत का प्रभावी प्रतिनिधित्व करके, तथा मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र में भारत की सॉफ्ट पावर को विकसित करने में योगदान देकर, नए आयाम स्थापित कर रहा है.

एनएफडीसी की मुद्रीकरण रणनीति में अधिक आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए अपनी फिल्म कैटलॉग और स्व-स्वामित्व वाले थिएटरों का लाभ उठाना शामिल है. यह वित्तीय ताकत फिल्म निर्माण में नई प्रतिभाओं के पोषण में सहायता करेगी और उद्योग के विकास में योगदान देगी. डिजिटल माध्यम और ओटीटी प्लेटफॉर्म सहित उभरती प्रौद्योगिकियों पर गहन ध्यान देने के साथ, एनएफडीसी का लक्ष्य वैश्विक अपील के साथ सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण भारतीय फिल्मों के निर्माता के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करना है.

एनएफडीसी की फिल्मी सामग्री को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता से कोई समझौता नहीं करता है. पुनर्स्थापना कार्यक्रम सहित एनएफएआई की गतिविधियां अत्यंत सावधानी से जारी है, यह सुनिश्चित करते हुए कि भारतीय सिनेमा की विरासत भविष्य की पीढ़ियों के लिए बनी रहे. मुंबई में एनएफडीसी का राष्ट्रीय भारतीय सिनेमा संग्रहाल (एनएमआईसी) भारतीय सिनेमा के कालजयी संपदा की कलात्मकता और सांस्कृतिक महत्व को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है. और उसकी भूमिका भारतीय सिनेमा के विकास में एक प्रेरक शक्ति बनने के लिए तत्पर है. एनएफडीसी की भूमिका उद्योग विकास से लेकर प्रतिभा विकास और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण तक फैली हुई है.

Directors' Report

To,
The Shareholders
Your directors are presenting the 50th Annual Report together with the Audited Accounts of the Company for the financial year ended March 31, 2025.

During the year, your Company earned a PAT of ₹ 556.42 Lakhs compared to ₹ 1091.01 Lakhs in the previous year. The Revenue from operations increased by 34.85% during the year under consideration compared to the previous year.

1. Performance Highlights

1.1 Financial Details

a. The highlights of the performance of the company for the financial year 2024-25 against the performance in the previous year are as under :

₹ in lakhs

Parameters	2024-25	2023-24
Total Income	39561	29554
Gross Margin (EBIDTA)	616	1557
Profit before Tax	558	1497
Net Worth	**4760**	**4203**

b. Pursuant to the decision of the Government of India dated 23 December 2020 to merge four film media units viz. Films Division (FD), Directorate of Films Festivals (DFF), National Film Archive of India (NFAI) and Children's Film Society India (CFSI) with National Film Development Corporation Limited (NFDC), all functions of CFSI, FD, DFF and NFAI are merged with NFDC. Post-merger NFDC has evolved as a fully integrated entity poised to empower the growth of the Indian film ecosystem and facilitate development, production, promotion and preserve the rich heritage of films across various Indian languages. The Corporation is breaking new grounds by co-producing projects involving public-private partnerships, facilitating line production services for shooting in India and animation services of overseas clients, organizing various festival in India and making effective representation of India in various International Film Festivals as per the mandate of MI&B, GoI and contributing towards evolving India's soft power in global Media and Entertainment sector.

NFDC's monetization strategy involves leveraging its film catalogue and self-owned theatres to achieve greater self-reliance. By granting financial support your company is nurturing of new talents in filmmaking and contributing in the industry growth. With a keen focus on emerging technologies, including the digital medium and in OTT platform, NFDC aims to consolidate its position as a producer of culturally significant Indian films with global appeal.

NFDC is committed towards preserving filmic content. The activities of NFAI, including the restoration program, is continuing with utmost care, ensuring that the legacy of Indian cinema is well preserved for future generations. The NFDC's National Museum of Indian Cinema (NMIC) in Mumbai serves as a platform for showcasing the artistry and cultural significance of Indian cinema's timeless treasures. NFDC is poised to be a driving force in Indian cinema's evolution and its role spans from industry growth to talent development and preservation of cultural heritage.

1.2 पूंजी संरचना :

आपकी कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी ₹ 4540 लाख है और प्रदत्त शेयर पूंजी ₹ 4540 लाख है.

1.3 राशि हस्तांतरित या किसी आरक्षित निधि में स्थानांतरित करने के लिए प्रस्तावित

कंपनी ने 31.03.2025 तक किसी भी राशि को किसी रिजर्व में स्थानांतरित या स्थानांतरित करने का प्रस्ताव नहीं दिया है.

1.4 लाभांश

निदेशक मंडल ने 14 अक्टूबर, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में, वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लाभ में से, चुकता इक्विटी शेयर पूंजी (₹ 4.194 प्रति शेयर) पर 4.19% की दर से ₹ 190.39 लाख के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है.

2. वित्तीय समीक्षा

2.1 वित्तीय परिणामों का सार संक्षेप

31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के कंपनी के वित्तीय परिणामों का सार संक्षेप नीचे दिया जा रहा है :

₹ लाखो में

विवरण	Particulars	2024-25	2023-24
संचालन से राजस्व	Revenues from Operation	38775	28754
अन्य आय	Other Income	786	800
कुल आय	**Total Income**	**39561**	**29554**
ई बी आई डी टी ए	EBIDTA	616	1557
वित्तीय खर्च	Financial Expenses	0	0
मूल्य -हास एवं परिशोधन	Depreciation & Amortization	59	60
करों के बाद लाभ/(हानि)	Profit/(Loss) Before Tax	558	1497
आस्थगित कर/कर के लिये प्रावधान आदि	Deferred Tax /Provision for Tax, etc.	2	406
करों के बाद लाभ/(हानि)	Profit/(Loss) After Tax	556	1091
घटाएं : लाभ/(हानि) आगे लाया गया	Less : Profit/(loss) Brought forward	(339)	(1865)
तुलन पत्र पर शेष लाया गया	Balance Carried to Balance Sheet	217	(339)

2.2 विकास

आपकी कंपनी में मीडिया इकाइयों के विलय से कंपनी की परिचालन क्षमता मजबूत हुई है और हमारे भविष्य के लिए नए रास्ते खुले हैं. आपकी कंपनी उद्योग में अपनी स्थिति को फिर से पुष्ट कर रही है और अपनी सामग्री की बेहतर पहुंच के लिए नए युग के प्लेटफार्मों की दिशा में उल्लेखनीय योगदान दे रही है. विलय के बाद वित्त वर्ष 2024-25 के लिए परिचालन से सकल राजस्व पिछले वर्ष के 28,754.33 लाख रुपये की तुलना में 38,774.74 लाख रुपये था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 33.86% की वृद्धि है और अन्य स्रोतों से आय भी पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 में 33.86 बढ़ी है.

2.3 सकल स्वामित्व

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी की कुल संपत्ति पिछले वर्ष के 4203 लाख रुपये के मुकाबले 4760 लाख रुपये है.

2.4 विदेशी मुद्रा (संरक्षण तथा निर्गामी व्यय) :

विदेशी मुद्रा की आय फिल्म स्क्रीनिंग/ब्रॉडकास्टिंग राइट्स/लाइसेंस फीस/रॉयल्टी इनकम आदि से होती है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में रू 54.00 लाख था, जबकि गत वर्ष यह रू 131.00 लाख था. विदेशी मुद्रा का खर्च कंसल्टेंसी फीस/रजिस्ट्रेशन फीस/स्टाफ ट्रैवलिंग, अवॉर्ड्स वगैरह से होता है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह रू 634.00 लाख था, जबकि गत वर्ष यह रू 530.00 लाख था.

1.2 Capital structure :

Your company's authorized share capital is ₹ 4540 Lakhs and paid-up share capital is ₹ 4540 Lakhs.

1.3 Amount transferred or proposed to transfer to any reserves

Your Company has not transferred or proposed to transfer any amount to any reserve as on 31.03.2025.

1.4 Dividend

The Board of Directors, in its meeting held on October 14, 2025 has recommended a final dividend at the rate of 4.19% on the paid-up Equity Share Capital i.e. ₹ 4.194 per share amounting to ₹ 190.39 lakhs, out of profit of financial year 2024-25, which is subject to the approval of the members at the ensuing Annual General Meeting.

2. Financial Review

2.1 Summary of Financial Results

The summary of financial results of the company for the year ended March 31, 2025 is given below :

₹ in lakhs

2.2 Growth

The merger of the media units into your Company has strengthened operational efficiency of the Company and has opened new avenues for future. Your Company is reaffirming its stature in the Industry and making remarkable contributions towards new age platforms for better outreach of its content. The Revenue from Operations for the FY 2024-25 was ₹ 38,774.74 Lakhs compared to ₹ 28,754.33 Lakhs in the previous year which is 34.85% growth compared to the previous year and overall income has increased by 33.86% in FY 2024-25 compared to the previous year.

2.3 Net Worth

The net worth of the company for the financial year 2024-25 is ₹ 4760 Lakh against ₹ 4203 Lakhs in the previous year.

2.4 Foreign Exchange (Earnings and Outgo) :

The foreign exchange earnings are from Film Screening/ Broadcasting rights/License Fee/Royalty Income, etc. in FY 2024-25 was ₹ 54.00 Lakhs compared to ₹ 131.00 Lakhs in previous year. The foreign exchange expenditure is from Consultancy Fee/Registration Fee/ Staff Traveling, Awards, etc. in FY 2024-25 was ₹ 634.00 Lakhs compared to ₹ 530.00 Lakhs in previous year.

3. वार्षिक रिटर्न

कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 92(3) के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी की वार्षिक रिटर्न्स वेबसाइट www.nfdcindia.com/कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस पर दर्शायी जाती हैं. अनुबंध-II

4. निदेशकों का दायित्व संबंधी वक्तव्य

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3) (क) के अनुसार यह पुष्ट किया जाता है कि :

i. 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए समय के हिसाब किताब का वार्षिक लेखा तैयार करने में हिसाब किताब के वही मानदंड अपनाये गये हैं जो आमतौर पर अपनाये जाते हैं. साथ में वित्तीय विवरणों से संबंधित आवश्यक स्पष्टीकरण भी दे दिये गये हैं.

ii. हिसाब किताब के संबंध में उन्हीं नीतियों का चुनाव किया गया तथा सुसंगत रूप में लागू किया और अनुमान एवं निर्णय लिये गये जो सही तथा तथ्यपरक हैं, जो कंपनी के मामलों का सही और सच्चा विवरण देने में समर्थ हैं, कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत में और लाभ अथवा हानि का सही और सच्चा विवरण देते हैं.

iii. कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह की अनियमितताओं तथा जालसाजी आदि को रोकने के लिये लेखे जोखे का रिकॉर्ड कंपनी अधिनियम 2013 की प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त रूप से रखा गया है और इसकी देखभाल के लिये पर्याप्त इंतजाम किये हैं.

iv. वार्षिक लेखे जोखे का विवरण संचलित संस्थान के आधार पर तैयार किया गया है.

v. सभी लागू नियमों के प्रावधानों का भली भांति अनुपालन करने के लिए समुचित कार्यप्रणाली विकसित कर ली गई है और यह कार्यप्रणाली पर्याप्त रूप से प्रभावशाली है.

5. कंपनी की गतिविधियां

5.1 फिल्म निर्माण

भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत "फिल्म सामग्री का विकास, संचार एवं प्रसार" (डीसीडीएफसी) योजना, विशेष रूप से "विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्मों का निर्माण" उप-योजना के अंतर्गत, निगम गुणवत्तापूर्ण सिनेमा निर्माण और देश की रचनात्मक प्रतिभाओं को पोषित करने पर ध्यान केंद्रित करता रहेगा. वित्तीय वर्ष 2024-25 में, निगम को रू. 23.80 करोड़ के बजट में छह क्षेत्रीय फिल्मों के लिए स्वीकृती प्राप्त हुई.

इस वित्तीय वर्ष के दौरान निगम ने 11 परियोजनाओं का निर्माण पूरा किया और सीबीएफसी प्रमाणन प्राप्त किया. इनमें पूर्वोत्तर की 9 (नौ) परियोजनाएँ, फिल्म बाज़ार 2023 की 1 (एक) परियोजना और 1 (एक) बाल फिल्म शामिल हैं. पूरी हो चुकी परियोजनाओं की सूची इस प्रकार है :

3. Annual Return

As required under the provisions of Section 92(3) of the Companies Act, 2013, the Annual Return of the Company for 2024-25 is displayed on the website www.nfdcindia.com/corporate performance. Annexure-II

4. Directors' Responsibility Statement

Pursuant to Section 134 (3) (c) of the Companies Act, 2013, it is hereby confirmed that :

i. In the preparation of the Annual Accounts for the period ended March 31, 2025, the applicable accounting standards have been followed, along with proper explanation relating to material departures.

ii. Such accounting policies are selected and applied consistently, and judgments and estimates made that are reasonable and prudent, so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year, and of the profit or loss of the company for that period.

iii. Proper and sufficient care is taken for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013, for safeguarding the assets of the company, and for preventing and detecting fraud and other irregularities.

iv. The annual accounts have been prepared on a going concern basis.

v. Proper systems have been devised to ensure compliance with the provision of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

5. Activities of The Company

5.1. Film Production

As part of its mandate under the scheme "Development Communication and Dissemination of Filmic Content" (DCDFC), specifically the sub-scheme "Production of Films in Various Indian Languages" under the Ministry of Information & Broadcasting, Government of India, the Corporation continues to focus on producing quality cinema and nurturing the country's creative talent pool. In financial year 2024–25, NFDC received sanction for six regional films against a Budget of ₹ 23.80 Crore.

Your Company has completed the film production and received CBFC certification for 11 projects during the FY 2024-25. This includes 9 (nine) Projects from North East, 1 (one) Project from Film Bazaar 2023 and 1 (one) Children's Film The list of completed projects is as follows :

	फ़िल्म का नाम	Film Name	भाषा	Language	प्रोजेक्ट का प्रकार	Type of Project	सेंसर दिनांक Censor Date
1	यू कियांग नांगबह	U Kiang Nangbah	हिंदी	Hindi	एनिमेशन (एन ई)	Animation (NE)	03.07.2024
2	बिबो बिनानाओ	Bibo Binanao	बोरो	Boro	फीचर फिल्म (एन ई)	Feature Film (NE)	26.07.2024
3	मजुली – द श्रिंकिंग आइलैंड	Majuli - The shrinking Island	असमिया	Assamese	वृत्तचित्र (एन ई)	Documentary (NE)	07.08.2024
4	इंडियन वुमन एटलस	Indian Woman Atlas	हिंदी	Hindi	एनिमेशन (एनई)	Animation (NE)	20.08.2024
5	कार्केन	Karken	गालो	Galo	फीचर फिल्म (एन ई)	Feature Film (NE)	29.08.2024
6	पूइनाः पुइदा (स्टेप मदर)	Puinaa Puidaa (Step Mother)	रोंगमेई	Rongmei	फीचर फिल्म (एन ई)	Feature Film (NE)	25.09.2024
7	गुडबाय गुरूजी	Goodbye Guruji	असमिया	Assamese	फीचर फिल्म (एन ई)	Feature Film (NE)	30.10.2024

	फ़िल्म का नाम	Film Name	भाषा	Language	प्रोजेक्ट का प्रकार	Type of Project	सेंसर दिनांक Censor Date
8	तारा एंड आकाश (लव बियॉन्ड रीएल्म्स)	Tara and Akash (Love Beyond Realms)	हिंदी	Hindi	फीचर फिल्म (फिल्म बाजार 23)	Feature Film (Film Bazaar 23)	22.11.2024
9	नोरा	Nora	असमिया	Assamese	फीचर फिल्म (एन ई)	Feature Film (NE)	28.12.2024
10	अरण्य प्रहरी (कीपर्स ऑफ द वाइल्ड)	Aranya Prahari (Keepers of the Wild)	असमिया	Assamese	वृत्तचित्र (एन ई)	Documentary (NE)	20.12.2024
11	अचप्पा'स एलबम	Achappa's Album	मलयालम	Malayalam	बाल चलचित्र	Children's Film	17.03.2025

पिछले वित्तीय वर्ष में स्वीकृत परियोजनाओं के क्रम में, एनएफडीसी ने दो बाल फिल्मों का निर्माण कार्य शुरू किया :

क) अचप्पा का एल्बम (पूर्व में दादाजी का एल्बम) 17 मार्च 2025 को पूरा हुआ और इसकी यूरोपीय फिल्म बाजार (ईएफएम) में स्क्रीनिंग की गई.

ख) एडवेंचर्स ऑफ चिरकुट एंड कंपनी (पूर्व में चिरकुट) वर्तमान में पोस्ट-प्रोडक्शन के अंतिम चरण में है.

फिल्म बाजार से चयनित परियोजनाओं का सह-निर्माण

i) एनएफडीसी ने फिल्म बाजार 2023 के सह-निर्माण बाजार से चयनित पाँच परियोजनाओं के साथ सह-निर्माण समझौते किए हैं. इन परियोजनाओं की स्थिति इस प्रकार है :

	फ़िल्म का नाम	भाषा	परियोजना की स्थिति
1	तारा एंड आकाश (लव बियॉन्ड रीएल्म्स)	हिंदी	परियोजना पूर्ण
2	बघुनी	उड़िया	पूर्व-निर्माण
3	भाई बैंड	गुजराती	पूर्व-निर्माण
4	हेयरलूम	गुजराती / हिंदी	निर्माण
5	लायोनेस	हिंदी / पंजाबी / अंग्रेजी	पूर्व-निर्माण
6	वगाचिपानी	कन्नडा	*

*परियोजना अब रद्द की जा रही है.

ii) डॉक फिल्म बाजार 2024 से परियोजनाओं का चयन

निगम को प्रथम डॉक बाजार से वृत्तचित्रों, लघु फिल्मों और एनीमेशन फिल्मों का सह-निर्माण करने का निर्देश दिया गया था और इसके लिए रू 7.00 करोड़ का आवंटन किया गया था अधिदेश के अनुसार, एनएफडीसी ने डॉक फिल्म बाजार के विभिन्न क्षेत्रों से 82 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया और पूर्वोत्तर श्रेणी के अंतर्गत 3 (तीन) परियोजनाओं और पूर्वोत्तर के अलावा अन्य श्रेणी से 8 (आठ) परियोजनाओं का चयन किया, जो वर्तमान में मंत्रालय के विचाराधीन हैं.

iii) फिल्म बाज़ार 2024 से परियोजनाओं का चयन

सूचना प्रसारण मंत्रालय के निर्देशानुसार, निगम को फिल्म बाज़ार 2024 के 18वें संस्करण के सह-निर्माण हेतु प्रस्तावों की पहचान कर मंत्रालय को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था. इस गतिविधि के लिए रू 20 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई. फिल्म बाज़ार 2024 के विभिन्न क्षेत्रों से 228 परियोजनाओं के मूल्यांकन के बाद, पूर्वोत्तर से 6 (छह) और पूर्वोत्तर के अलावा अन्य क्षेत्रों से 12 (बारह) परियोजनाओं का चयन किया गया, जो वर्तमान में मंत्रालय के विचाराधीन हैं.

iv) आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत परियोजनाएँ

आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए स्मारक सामग्री के अंतर्गत, निम्नलिखित परियोजनाएँ सक्रिय रूप से विकसित की गईं

In continuation of projects sanctioned in the previous financial year, NFDC undertook the production of two children's films :

a) Achappa's Album (formerly GrandPa's Album) was completed on 17 March 2025 and had its market screening at the European Film Market (EFM).

b) Adventures of Chirkut & Co (formerly Chirkut) is currently in the final stages of post-production.

Co-Production of projects selected from Film Bazaar

i) NFDC entered into co-production agreements with five projects selected from the Co-Production Market of Film Bazaar 2023. The status of these projects is as follows :

	Film Name	Language	Project Status
1	Tara and Akash (Love Beyond Realms)	Hindi	Completed
2	Baghuni	Odiya	Pre Production
3	Bhai Band	Gujarathi	Pre Production
4	Heirloom	Gujarathi/Hindi	Production
5	Lioness	Hindi/Punjabi/ English	Pre Production
6	Vagachipani	Kannada	*

*Project is now being cancelled

ii) Selection of Projects from Doc Film Bazaar 2024

Your Company was mandated to co-produce documentaries, short films and animation films from 1st Doc Bazaar and an allocation of ₹7.00 crores was made for the same. As per the mandate NFDC, evaluated 82 projects from various verticals of Doc Film Bazaar and selected 3 (three) projects under North East and 8 (eight) projects from Other than North East category, which are currently under consideration of the ministry.

iii) Selection of Projects from Film Bazaar 2024

As per the directives of MI&B, your Company was instructed to identify and submit proposals to the Ministry for the co-production from the 18th edition of Film Bazaar 2024. An approval of ₹20 crores was sanctioned for this activity. After evaluation of 228 projects from various verticals of Film Bazaar 2024, 6 (Six) projects from North East and 12 (Twelve) projects from other than North East were selected, which are currently under consideration of the ministry.

iv) Projects under Azadi Ka Amrit Mahotsav

Under the umbrella of commemorative content for Azadi Ka Amrit Mahotsav, the following projects were actively developed :

क) भारती और बीबो (भारती एंड हर मैजिकल वॉर्म) - एक एनिमेटेड हिंदी श्रृंखला. इसके 15 एपिसोड पूरे हो चुके हैं, और 5 और निर्माणाधीन हैं.

ख) ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल - एक वृत्तचित्र फिल्म जो वर्तमान में अंतिम संपादन चरण में है.

ग) रानी 1770 – एक तमिल फीचर फिल्म वर्तमान में समझौते के चरण में है. इस फिल्म को वित्त वर्ष 2024-25 में मंजूरी मिली थी.

5.2 विज्ञापन फिल्म निर्माण और संचार

आपकी कंपनी ने विभिन्न प्लेटफार्मों पर विज्ञापन संचार के निर्माण और प्रसार के लिए एक विश्वसनीय एकीकृत मीडिया सेवा प्रदाता के रूप में विभिन्न मंत्रालयों के बीच एक प्रतिष्ठित नाम अर्जित किया है. अपनी व्यवस्थित और कुशल कार्य प्रक्रिया के कारण, एनएफडीसी मौजूदा और नए ग्राहक मंत्रालयों से समान रूप से व्यवसाय को सक्रिय रूप से सुरक्षित करना जारी रखता है और सरकार के लिए संचार के नए रुझानों में शीर्ष पर बना हुआ है. एनएफडीसी का प्राथमिक लक्ष्य सरकार के प्रमुख प्रमुख कार्यक्रमों के संचार की रणनीति बनाने और उसे क्रियान्वित करने का व्यवसाय हासिल करना है, ताकि विज्ञापन में तालमेल सुनिश्चित हो सके, जिससे लोगों तक बेहतर पहुंच बनाई जा सके. एक बड़ा और बेहतर 360^0 डिग्री गुलदस्ता : वन स्टॉप शॉप प्रभाव एनएफडीसी ने अपनी सेवाओं के गुलदस्ते में विविधता लाई है और वर्चुअल इवेंट और प्रदर्शनी, कॉफी टेबल बुक्स (भौतिक और ई-बुक दोनों), नुक्कड़ नाटक, ग्राउंड प्रदर्शनी, इंटरैक्टिव/इमर्सिव वीडियो जैसे विज्ञापन के अपरंपरागत प्रारूपों में कदम रखा है, जो सरकारी संचार को दो-तरफ़ा प्रक्रिया बना सकते हैं और संदेश की प्रभावशीलता को बढ़ा सकते हैं.

इस वर्ष की कुछ प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं :

1. संस्कृति मंत्रालय के एएसआई के लिए 23 जनवरी से 26 जनवरी 2025 तक 'पराक्रम दिवस' 2025 के आयोजन प्रबंधन से संबंधित कार्य. यह आयोजन ओडिशा के बाराबती किले में आयोजित किया गया.

2. जल शक्ति के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन हेतु गंगा उत्सव 2024 और रिवर राफ्टिंग अभियान जैसे आयोजनों का आयोजन.

3. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से गणतंत्र दिवस के लिए एक झांकी का निर्माण. इसे परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया.

4. माननीय जहाजरानी मंत्री की उपस्थिति में बंदरगाह के उद्घाटन हेतु कोलकाता में आईडब्ल्यूएआई के लिए कार्यक्रमों का आयोजन.

5. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए एम्स मंगलगिरी में आयोजित कार्यक्रम का वर्चुअल उद्घाटन/लाइव स्ट्रीमिंग और कवरेज.

कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएँ :

1. रक्षा मंत्रालय (सशस्त्र बलों की भर्ती सामान्य) के लिए रचनात्मक सामग्री का निर्माण

2. कंपनी को साइबर अपराध के विरुद्ध जागरूकता पैदा करने के लिए गृह मंत्रालय की I4सी जैसी प्रतिष्ठित परियोजनाओं और एससीईआई, आरईसी और एनसीडीसी की परियोजनाओं के लिए नियुक्त किया गया है.

3. आपकी कंपनी की सेवाएँ I4सी, आईडब्ल्यूएआई, डीएआरपीजी द्वारा ली गई हैं.

4. कंपनी ने डीएआरपीजी के लिए सिविल सेवा दिवस 2023, जल शक्ति मंत्रालय के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए कई फिल्मों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

वित्तीय वर्ष 2024-25 में, इस वर्टिकल ने लगभग 100 ग्राहक मंत्रालयों/विभागों को उनकी फिल्म/ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, इवेंट मैनेजमेंट, विज्ञापन अभियान,

a) Bharti Aur Bibo (Bharti and Her Magical Worm) – An animated Hindi series. 15 episodes have been completed, with 5 more currently under production.

b) Breaking the Fourth Wall – A documentary film currently in the final editing stage.

c) Rani 1770 – A Tamil feature film is currently in agreement stage. The film received sanction in FY24-25.

5.2 Advertisement Film Production and Communication

Your Company garnered a prestigious name among various ministries as a reliable integrated media services provider for the creation and dissemination of advertising communications across platforms. With our systematic and efficient work process, your company continues to proactively secure business from our existing and new client ministries alike and continues to be at the top of the new trends of communications for the Government. NFDC's primary goal is to acquire the business of strategizing and executing the communication of the Government's premium flagship programs to ensure synergy in advertising, thus leading to better reach with the population. A bigger and better 360 Degree Bouquet One Stop Shop Effect NFDC has diversified its bouquet of services and has ventured into unconventional formats of advertising like Virtual Events and Exhibitions, Coffee table books (both physical and e-books), Nukkad Nataks, on ground Exhibitions, interactive/immersive videos, which can make government communication a two-way process and enhance the effectiveness of the messaging.

Some key highlights of this year are :

1. The work related to the event management of 'Parakram Divas'2025 for ASI, Ministry of Culture, from 23rd Jan to 26th Jan 2025. The event was held in Barabati Fort, Odisha.

2. Execution of the events like Ganga Utsav 2024 and River Rafting Expedition for the National Mission for Clean Ganga for Jal Shakti,

3. Creation of a tableau for Republic Day on behalf of the Ministry of Women & Child Development. The same was adjudged as the best Tableau award in the parade.

4. Execution of events for IWAI at Kolkata to inaugurate the port in presence of the Hon'ble Minister of Shipping.

5. Virtual Inauguration/ Live streaming and coverage of the event, AIIMS Mangalagiri for the Ministry of Health & Family Welfare's.

Some Important Projects :

1. Production of creative materials for the Ministry of Defense (Recruitment General of Armed Forces)

2. The company has been engaged for prestigious projects like I4C of Ministry of Home Affairs for creating awareness against cybercrime and for projects of SECI, REC and NCDC.

3. Your Company's services were availed by I4C, IWAI, DARPG.

4. The Company was instrumental for the production of multiple films for prestigious National Awards like Civil Services Day 2023 for DARPG, National Water Awards 2024 for the Ministry of Jal Shakti.

In the financial year 2024-25, the vertical serviced about 100 client ministries/departments for about 233 Projects for their Film/Audio Visual Production, Event Management, Advertising

ग्राफिक डिजाइन/प्रिंट कार्यों आदि के लिए लगभग 233 परियोजनाओं के लिए सेवा प्रदान की, जिससे कुल मिलाकर 31.64 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ.

5.3 इंडिया सिने हब (पूर्व में फिल्म सुविधा कार्यालय, 24.09.24 से प्रभावी)

5.3.1 इंडियन सिने हब का अवलोकन

प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और 28 राज्य सरकारों तथा 8 केंद्रशासित प्रदेशों में नोडल अधिकारियों के एक समेकित तंत्र के साथ, आईसीएच अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों फिल्म निर्माताओं के लिए एक ऑनलाइन एकल खिड़की अनुमति सुविधा तंत्र के रूप में कार्य करता है. यह एफएफओ/आईसीएच की स्थापना के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और एनएफडीसी के बीच 15 जून 2022 को हस्ताक्षरित नवीनीकृत समझौता ज्ञापन द्वारा निर्देशित है. 1 जनवरी 2023 को, एफएफओ के कार्यों को भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एजेंसी, इन्वेस्ट इंडिया द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया, ताकि प्रचार और आउटरीच में इन्वेस्ट इंडिया की संस्थागत विशेषज्ञता का लाभ उठाया जा सके और यह 31 जुलाई, 2025 तक प्रभावी रहेगा.

5.3.2 गतिविधियाँ

आईसीएच ने कागज़ रहित एकल-खिड़की प्रवेश प्रणाली का निर्माण, राज्य एकीकरण का संचालन, उच्च-प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय पहुँच प्रदान करना और निर्माता सुविधा उपकरणों का संचालन करके भारत को एक प्रतिस्पर्धी वैश्विक फिल्मांकन गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए अपने अधिदेश का विस्तार किया. यह वर्ष विशेष रूप से उत्पादक रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू परियोजनाओं को सुविधा प्रदान की गई.

प्रमुख परिणामों में शामिल हैं

क) फिल्म और लाइव-इवेंट अनुमोदन के लिए एक राष्ट्रीय एकल-खिड़की बनाना जो अनुमोदन समयसीमा और प्रशासनिक घर्षण को कम करता है और सीमा पार सह-निर्माण को सक्षम बनाता है, राज्य फिल्म कार्यालयों को प्रोत्साहनों में सामंजस्य स्थापित करने और राष्ट्रीय पोर्टल के साथ एकीकृत करने में सहायता करना और क्यूरेटेड अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव और महोत्सव प्रोग्रामिंग के माध्यम से भारत की बाजार पहुँच बढ़ाना.

ख) चरण-1 पोर्टल का लाइव होना (कई लाइव मॉड्यूल), वीज़ा और सीमा शुल्क सुविधा संवाद, लक्षित राज्यों की ऑनबोर्डिंग, और प्रमुख बाज़ारों व त्योहारों में भारत की मज़बूत उपस्थिति. इन उपायों से प्रोडक्शन के लिए व्यापार सुगमता में सुधार हुआ, सीमा पार सहयोग में तेज़ी आई और सह-प्रोडक्शन और निवेश को बढ़ावा देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट्स की एक श्रृंखला स्थापित हुई.

ग) अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय अनुमति, आधिकारिक सह-उत्पादन स्थिति, सामान्य राज्य आवेदन पत्र, एएसआई और रेलवे की अनुमति, प्रोत्साहन अनुमोदन सुरक्षा ऑडिट आदि के लिए पेपरलेस मॉड्यूल और एनआईसी से एडब्ल्यूएस में होस्टिंग माइग्रेशन पूरा हो गया. आईसीएच पोर्टल ने महत्वपूर्ण प्रगति की है. राज्य के प्रतिनिधियों के साथ सहयोगात्मक प्रयासों के परिणामस्वरूप राज्य प्रणालियों के एकीकरण के लिए एक व्यापक योजना बनाई गई, जो आवश्यक एपीआई के विकास द्वारा समर्थित है और एफएफओ के पोर्टल के साथ पहले राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश को एकीकृत करके अवधारणा का प्रमाण सफलतापूर्वक चला रही है. टीम ने संपूर्ण निर्देशिका बनाने के लिए फिल्मी और गैर-फिल्मी संसाधनों के डेटा की क्राउडसोर्सिंग को भी लागू किया. सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से और हितधारकों तक पहुंचकर इसका विज्ञापन किया गया. नियमित हितधारक जुड़ाव और विभागों के बीच समन्वय ने निरंतर प्रतिक्रिया और पुनरावृत्त सुधारों को सुविधाजनक बनाया. इन प्रयासों ने सामूहिक रूप से पोर्टल की व्यापक कार्यान्वयन के लिए तत्परता को बढ़ाया और यह सुनिश्चित किया कि यह अपने उपयोगकर्ताओं की बदलती आवश्यकताओं को पूरा कर सके.

घ) अंतर्राष्ट्रीय पहुँच और बाज़ार में उपस्थिति, कान्स (मार्चे डू फ़िल्म), ईएफएम, टीआईएफएफ, बुसान, साओ पाउलो, मॉस्को और टोरंटो में सक्रिय प्रतिनिधित्व और क्यूरेटेड प्रोग्रामिंग पर. उल्लेखनीय परिणाम : कान्स में प्रोत्साहन/सह-निर्माण पर क्यूरेटेड सत्र और ईएफएम में 50

Campaigns, Graphic Design/Print works, etc. with an overall revenue generation of ₹ 31.64 Cr.

5.3 India Cine Hub (erstwhile Film Facilitation Office w.e.f. 24.09.24)

5.3.1 Overview of the Indian Cine Hub

With a cohesive ecosystem of Nodal Officers, in Key Central Government Ministries/Departments and across 28 states and 8 union territories, the ICH offers as an Online Single Window Permission Facilitation Mechanism for both international and domestic filmmakers. It is guided by the renewed MoU dated 15th June 2022 executed between Ministry of I&B and NFDC for establishing the FFO/ ICH. On 1st January 2023, the functions of the FFO were taken over by Invest India, India's National Investment Promotion Agency with a view to leverage Invest India's institutional expertise in promotion and outreach and effective till 31st July, 2025.

5.3.2 Activities

ICH scaled its mandate to position India as a competitive global filming destination by building a paperless single-window intake, piloting state integrations, delivering high-impact international outreach, and operationalising producer facilitation tools. This year has been particularly productive, with a significant number of international and domestic projects being facilitated.

Key outcomes include

a) Create a national single-window for film and live-event approvals that reduces approval timelines and administrative friction and enable cross-border co-productions, support state film offices to harmonise incentives and integrate with the national portal and grow India's market access through curated international engagements and festival programming.

b) Phase-1 portal go-live (multiple live modules), visa & customs facilitation dialogues, targeted state onboarding, and a strengthened India presence at major markets and festivals. These measures improved ease-of-doing-business for productions, accelerated cross-border cooperation, and established a pipeline of pilots to mobilise co-productions and investment.

c) Paperless modules for National Permission for International Projects, official Co-Production status, Common State Application Form, ASI & Railways permissions, Incentives Approval. Security audit etc. and hosting migration from NIC to AWS completed. ICH portal has made significant progress. Collaborative efforts with state representatives resulted in a comprehensive plan for state systems integration, supported by the development of essential APIs and successfully running a proof of concept by integrating Andhra Pradesh as the first state with the FFO's portal. The team also implemented crowdsourcing of the Filmic and Non-Filmic resources data to build an exhaustive directory. The same was advertised through social media handles and by reaching out to the stakeholders. Regular stakeholder engagement and cross-departmental coordination facilitated continuous feedback and iterative improvements resulting in better process flows and ridding the system of bugs. These efforts collectively enhanced the portal's readiness for broader implementation and ensured it meets the evolving needs of its users.

d) On International outreach & market presence, active representation and curated programming at Cannes (Marche du Film), EFM, TIFF, Busan, Sao Paulo, Moscow and toronto. Notable outcomes : curated sessions on incentives/co-production at Cannes and 50+ strategic

से अधिक रणनीतिक बैठकें. कान्स में तीन प्रोत्साहित भारतीय फ़िल्में प्रदर्शित हुईं, जिनमें एक ग्रैंड प्रिक्स विजेता भी शामिल है.

फिल्म बाज़ार 2024 में 10 देशों और 14 भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों की मेजबानी की गई और आईएफएफआई ने प्रायोजक जुड़ाव और साझेदार दृश्यता ढाँचों का विस्तार किया.

क्षेत्रीय वेबिनार और गोलमेज सम्मेलन (स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत-ऑस्ट्रेलिया सह-निर्माण वेबिनार, जिसमें वेबिनार में 200 से अधिक लोग शामिल हुए) आयोजित किए गए, और राज्य भागीदारों और फिल्म के साथ लक्षित बूटकैंप शुरू किए गए.

परियोजनाओं को सुविधा प्रदान की गई :

वित्त वर्ष 2016-17 से, भारत में 49 देशों में 310 अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की शूटिंग की अनुमति दी गई है, जिनमें अमेरिका (76 फिल्में), ब्रिटेन (49) और बांग्लादेश (29) सबसे अधिक योगदानकर्ता रहे हैं. यह एक वैश्विक फिल्मांकन स्थल के रूप में भारत की बढ़ती पहचान को दर्शाता है.

आईसीएच ने प्रणाली एकीकरण और शासन सुधारों में उल्लेखनीय प्रगति की है. वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू किए गये परियोजनाएं इस प्रकार :

meetings at EFM. Three incentivized Indian films featured at Cannes, including a Grand Prix winner.

In Film Bazaar 2024 hosted delegates from 10 countries and 14 Indian states and IFFI expanded sponsor engagement and partner visibility frameworks.

Delivered sector webinars and round tables (India–Australia co-production webinar with Screen Australia with webinar attendance more than 200), and launched targeted bootcamps with state partners and film

Projects Facilitated :

Since FY 2016–17, 310 international films have been granted shooting permissions in India across 49 countries, with the USA (76 films), UK (49), and Bangladesh (29) being top contributors. This reflects India's growing recognition as a global filming destination.

ICH has made significant strides in system integration and governance reforms. Projects undertaken during the FY are as under :

	शीर्षक	Title	प्रकार	Type
1	सांता.कॉम	Santa.com	एनिमेशन	Animation
2	द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल	The Diary of a Young Girl	लघु फिल्म	Short Film
3	ठग लाइफ़	Thug Life	फीचर फिल्म	Feature Film
4	पास्ट टेन्स	Past Tense	फीचर फिल्म	Feature Film
5	हैप्पी बैड्डी	Heppy Baddy	फीचर फिल्म	Feature Film
6	कोल्लम	Kollam	फीचर फिल्म	Feature Film
7	लायनेस	Lioness	फीचर फिल्म	Feature Film
8	सफ़ेद	Safed	फीचर फिल्म	Feature Film
9	अल चिले	Al Chile	फीचर फिल्म	Documentary
10	कोको एंड नट	Coco and Nut	फीचर फिल्म	Feature Film
11	शोधू कुठे तुला	Shodhu Kuthe Tula	फीचर फिल्म	Feature Film
12	मदर	Mother	फीचर फिल्म	Feature Film
13	अय्याश 4 (अ फ्रेंड इन नीड)	Ayash 4 (A friend in need)	फीचर फिल्म	Feature Film
14	रियल कश्मीर	Real Kashmir	फीचर फिल्म	Feature Film
15	मुद्रा – डांसिंग टू द इनविज़िबल स्ट्रिंग्स (सह-निर्माण)	Mudra – Dancing to the invisible strings (Co–pro)	वृत्तचित्र	Documentary
16	बॉलीवेड	Bollywed	रियलिटी टीवी / शो	Reality TV / Show
17	थियोडोर	Theodore	फीचर फिल्म	Feature Film
18	दिल्ली क्राइम सीज़न 3	Delhi Crime Season 3	वेब सीरीज	Web Series
19	मुंबई हीट	Mumbai Heat	फीचर फिल्म	Feature Film
20	शिकार	Shikaar	फीचर फिल्म	Feature Film
21	जो दिल में है	Jo Dil Mai Hai	फीचर फिल्म	Feature Film
22	ऑफसाइड ज़िंदगी की	offside Zindagi Ki	फीचर फिल्म	Feature Film
23	बोरबाद	Borbaad	फीचर फिल्म	Feature Film
24	द इंस्पायर्ड अनएम्प्लॉयड – द लिस्ट	The Inspired Unemployed – The List	रियलिटी टीवी / शो	Reality TV / Show
25	द डिस्टेंट नीर	The Distant Near	फीचर फिल्म	Feature Film

	शीर्षक	Title	प्रकार	Type
26	एस्ट्रो स्टेशन	Astro Station	एनिमेशन वेब सीरीज	Animation Web Series
27	द लॉन्ग जर्नी होम	The Long Journey Home	फीचर फिल्म	Feature Film
28	सोलमेट	Soulmate	फीचर फिल्म	Feature Film
29	पैरिडोलिया	Pareidolia	फीचर फिल्म	Feature Film
30	द ईयर ऑफ वंडर्स	The Year of Wonders	फीचर फिल्म	Feature Film
31	सागा	Saga	फीचर फिल्म	Feature Film
32	वर्ल्ड गेम्स	World Games	रियलिटी टीवी / शो	Reality TV / Show
33	90 डेज़ फिआंस – द अदर वे	90 Days Fiance – The Other Way	रियलिटी टीवी / शो	Reality TV / Show
34	जेम्स	Gems	फीचर फिल्म	Feature Film
35	अकाल द अनक्वांकर्ड	Akaal the Unconquered	फीचर फिल्म	Feature Film
36	विज़ार्ड ऑफ पॉज़ 7	Wizard of Paws 7	वृत्तचित्र	Documentary
37	डेनियल	Daniel	फीचर फिल्म	Feature Film
38	पिनोकियो एंड फ्रेंड्स 2 (सह-निर्माण)	Pinocchio and Friends 2 (Co-production)	एनिमेशन टीवी शो	Animation TV Show
39	अंगुलीमाल	Angulimal	वेब शो	Web Show
40	विच डिटेक्टिव्स	Witch Detectives (Co-production)	एनिमेशन टीवी शो श्रृंखला	Animation TV Show Series
41	पिनोकियो एंड फ्रेंड्स 1 (सह-निर्माण)	Pinocchio and Friends 1 (Co-production)	एनिमेशन टीवी शो	Animation TV Show
42	कोरोलेक ऑफ माई लव	Korolek of My Love	फीचर फिल्म	Feature Film
43	शो टाइम (सह-निर्माण)	Showtime (Co-production)	एनिमेशन टीवी शो श्रृंखला	Animation TV Show Series
44	मैटीज़ इन इंडिया	Matties in India	फीचर फिल्म	Feature Film
45	मंकी हिल्स	Monkey Hills	फीचर फिल्म	Feature Film
46	फ्रॉस्टबाइट	Frostbite	फीचर फिल्म	Feature Film
47	कोहिनूर (सह-निर्माण)	Kohinoor (Co–pro)	फीचर फिल्म	Feature Film
48	लकड़बग्घा 2 : द मंकी बिज़नेस	Lakadbaggha 2 : The Monkey Business	फीचर फिल्म	Feature Film
49	मोक्ष	Moksh	फीचर फिल्म	Feature Film
50	बर्थडे केक	Birthday Cake	फीचर फिल्म	Feature Film
51	अमेज़िंग रेस – फ़िनलैंड	Amazing Race – Finland	रियलिटी टीवी शो / सीरीज़	Reality TV Show / Series
52	खोज	Khoj	फीचर फिल्म	Feature Film
53	मैरेज एग्रीमेंट	Marriage Agreement	फीचर फिल्म	Feature Film
54	समोसा – आय लव यू डैड्डा	Samosa – I Love You Dadda	फीचर फिल्म	Feature Film
55	डायरेक्टर	Director	एवी कमर्शियल	AV Commercial
56	फिटटूस	Fittoos	फीचर फिल्म	Feature Film
57	ज़ीरो / ज़हीरो (as pronounced)	Zhero	फीचर फिल्म	Feature Film
58	प्लैनेट ऑफ मैनिमल्स	Planet of Manimals	फीचर फिल्म	Feature Film
59	डार्क रेड	Dark Red	फीचर फिल्म	Feature Film
60	जैकब कार्डोसॉ	Jacob Cardoso	फीचर फिल्म	Feature Film
61	ज़्यूस	Zeus	फीचर फिल्म	Feature Film

	शीर्षक	Title	प्रकार	Type
62	लकड़बग्घा 2 (सह-निर्माण)	Lakadbaggha 2 (Co–pro)	फीचर फिल्म	Feature Film
63	लकी झूल्स (सह-निर्माण)	Lucky Jhools (Co–pro)	फीचर फिल्म	Feature Film
64	सुख नगर	Sukh Nagar	फीचर फिल्म	Feature Film
65	लॉस्ट एंड फाउंड	Lost & Found	फीचर फिल्म	Feature Film
66	मेलोडी एंड मोमोन (सह-निर्माण)	Melody and Momon (Co–pro)	टीवी शो / सीरीज़	TV Show Series

5.4 कौशल विकास एवं प्रशिक्षण

5.4.1 कंपनी अपने कौशल एवं प्रतिभा विकास पहलों के माध्यम से शिक्षा जगत और उद्योग जगत के बीच की खाई को पाटने के लिए सक्रिय रूप से कार्यरत है. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) को राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) द्वारा एक पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था के रूप में मान्यता दी गई है, जिसे कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का समर्थन प्राप्त है. कंपनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों के लिए तकनीकी और व्यावसायिक रूप से कुशल कार्यबल विकसित करने के लिए समर्पित है, और मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र में कौशल विकास, मूल्यांकन और प्रमाणन के उच्च मानकों को प्राप्त करने का प्रयास कर रही है. आपकी कंपनी सुसंगत और स्वीकार्य मानकों को सुनिश्चित करने के लिए संबद्धता, मान्यता, परीक्षा और प्रमाणन की प्रक्रियाओं की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है और 2024-25 में मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र में प्रशिक्षण और कौशल विकास को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है :

- नेटफ्लिक्स और पर्ल अकादमी के सहयोग से वॉयसबॉक्स कार्यक्रम ने सात शहरों में कार्यशालाएँ आयोजित कीं, जिनमें लैंगिक समावेशिता पर विशेष ध्यान देते हुए 210 वॉयस-ओवर कलाकारों को प्रशिक्षित किया गया.
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा समर्थित प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए, इनोवेटिव फिल्म अकादमी में 12 महीने की अवधि के लिए बेंगलुरु स्थानांतरित हुए पूर्वोत्तर समुदाय और जम्मू-कश्मीर (किश्तवाड़ ज़िला) के 104 छात्रों के लिए 3D एनीमेशन और वीएफएक्स प्रशिक्षण कार्यक्रम में आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा किया.
- हमारा लक्ष्य कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के 2,820 उम्मीदवारों को पाँच व्यवसायों, अर्थात् डिजिटल स्टिल फ़ोटोग्राफ़ी, डिजिटल वीडियो एडिटिंग, चीफ कैमरा असिस्टेंस, 3D एनीमेशन (टीवी और फ़िल्म निर्माण), और विज़ुअल कम्युनिकेशन (स्टेटिक और मोशन ग्राफ़िक्स) में प्रशिक्षित करना है.
- एनएसक्यूएफ से संबद्ध पाँच जॉब ट्रेडों में 50 से अधिक प्रशिक्षकों को शामिल करने और प्रशिक्षित करने के लिए पाँच 10-दिवसीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम आयोजित किए गए.
- स्किल 7 टैलेंट डिवीजन में परियोजनाओं की मूल्यांकन प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए चार मूल्यांकन एजेंसियों को पैनल में शामिल किया गया.

5.4.2 कंपनी 2005 से चेन्नई में फिल्म निर्माण से संबंधित विभिन्न तकनीकी ट्रेडों में प्रशिक्षण भी आयोजित कर रही है और 18,000 से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित और नियोजित किया है. स्किल इंडिया मिशन के तहत आपकी कंपनी दक्षिणी राज्यों में बेरोजगार युवाओं के लिए विभिन्न मीडिया-संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जहां इसने एनीमेशन, कैमरा, संपादन, मल्टीमीडिया, फोटोग्राफी और ऑडियो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अल्पकालिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान किए हैं और इन अधिकांश युवा प्रशिक्षणार्थीयों को उद्योग में रोजगार मिला है.

5.4 Skill Development & Training

5.4.1 Your Company has been actively working to bridge the gap between academia and industry through its Skill and Talent Development initiatives. Your Company has been recognized as an Awarding Body by the National Council for Vocational Education and Training (NCVET), supported by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Your company is dedicated to developing a technically and professionally skilled workforce for both national and international markets, striving to achieve high standards in skilling, assessment, and certification within the Media and Entertainment sector. Your Company is committed to planning and executing processes for affiliation, accreditation, examination, and certification to ensure consistent and acceptable standards and has undertaken significant initiatives in 2024-25 to enhance training and skill development in the Media and Entertainment sector as mentioned hereunder :

- The VoiceBox Program, in collaboration with Netflix and Pearl Academy, provided workshops across seven cities, upskilling 210 voice-over artists with a strong focus on gender inclusivity.
- Completed a residential Training Program in 3D Animation and VFX Training Program for 104 students from North East Community and Jammu & Kashmir (Kishtwar district) relocated for the duration of 12 months to Bengaluru, Innovative Film Academy to pursue the training being supported by the Ministry of Information and Broadcasting.
- We have the target to train 2,820 candidates from the Ministry of Skill Development & Entrepreneurship (MSDE) across five job trades namely Digital Still Photography, Digital Video Editing, Chief Camera Assistance, 3D Animation (TV & Filmmaking), and Visual Communication (Static & Motion Graphics).
- Conducted five 10-day Training of Trainer (TOT) programs to onboard and train over 50 trainers in five NSQF- aligned job trades.
- Empanelled four Assessment Agencies to enhance evaluation process of the Projects in Skill 7 talent Division.

5.4.2 Your Company has been conducting training in various technical trades pertaining to film making in Chennai since 2005 and has trained more than 18,000 candidates. Under the Skill India Mission your Company is conducting various media-related training programme for the unemployed youth in the southern states where it has imparted short-term training and vocational courses in the sphere of Animation, Camera, Editing, Multimedia, Photography and Audio Engineering and most of these youth who have undergone these trainings have found employment in the industry.

तमिलनाडु दिव्यांग कल्याण विभाग के सहयोग से दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण सक्रिय रूप से चलाया जा रहा है ताकि मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में रोज़गार क्षमता बढ़ाई जा सके और समावेशी विकास को बढ़ावा दिया जा सके. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 250 दिव्यांग उम्मीदवारों को एफसीपी और एवीआईडी का उपयोग करके फिल्म और वीडियो संपादन, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (डीएसपी), मल्टीमीडिया, 3D एनिमेशन और ऑडियो इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित करने के लिए कार्यभार सौपा गया है.

टीएएचडीसीओ (तमिलनाडु आदि द्रविड़र आवास एवं विकास निगम) से प्राधिकरण के तहत, एनएफडीसी ने मल्टीमीडिया, डिजिटल फ़ोटोग्राफ़ी और सोशल मीडिया जंपस्टार्ट पर केंद्रित अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं. यह चेन्नई के नंदनम और सैदापेट छात्रावासों में शुरू की गई एक पायलट परियोजना है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कॉलेज छात्रों को लक्षित करना है.

इस पहल ने कम प्रतिनिधित्व वाले युवाओं को बाज़ार-तैयार डिजिटल कौशल से सशक्त बनाने की दिशा में एक अग्रणी कदम उठाया गया.

तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत डॉ. धर्मम्बल राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की 39 छात्राओं के लिए एक मल्टीमीडिया इंटर्नशिप कार्यक्रम लागू किया गया है.

इस कार्यक्रम ने व्यावहारिक अनुभव और वास्तविक दुनिया के मल्टीमीडिया उत्पादन परिवेशों का प्रदर्शन प्रदान किया, जिससे शैक्षणिक शिक्षा और उद्योग अनुप्रयोग के बीच की खाई को पाटा जा सका.

कंपनी रचनात्मकता को बढ़ावा देकर, उद्योग-संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करके और रणनीतिक साझेदारियाँ बनाकर, मीडिया और मनोरंजन उद्योग में कौशल और प्रतिभा विकास के लिए एक समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. आपकी कंपनी उद्योग की भविष्य की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए पूरी तरह तैयार है.

5.5 भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार (एनएफएआई)

5.5.1 भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार का अवलोकन

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार की स्थापना सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत फरवरी 1964 में पुणे में एक स्वतंत्र मीडिया इकाई के रूप में की गई. भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार सरकार की इस अनुभूति का परिणाम है कि फिल्में किताबों और अन्य ऐतिहासिक दस्तावेजों की तरह ही मूल्यवान हैं और देश की फिल्म विरासत को भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित करने की जरूरत है. भारतीय सिनेमा की विरासत को प्राप्त करने और संरक्षित करने के प्राथमिक चार्टर के अलावा, यह सुनिश्चित करना भी पुरालेख के घोषित उद्देश्यों में से एक है कि भारतीय सिनेमा की सांस्कृतिक उपस्थिति दुनिया भर में अधिक दिखाई दे.

प्रत्येक समाज की गतिशील छवि विरासत महत्वपूर्ण है और उसकी सांस्कृतिक विरासत का बहुत हिस्सा है. अधिकांश देशों में चलती-फिरती छवि विरासत के संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है. जोकि यूनेस्को जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, सदस्य देशों द्वारा दिया जा रहा समर्थन इस गतिविधि के महत्व का प्रमाण है. भारत में एनएफएआई एकमात्र संगठन है जिसे भारत की समृद्ध और विविध सिनेमाई विरासत को प्राप्त करने और संरक्षित करने का काम सौंपा गया है.

01.01.2023 से सभी गतिविधियाँ एनएफडीसी को हस्तांतरित कर दी गई हैं.

एनएफडीसी-एनएफएआई के लक्ष्य और उद्देश्य इस प्रकार :

1. राष्ट्रीय सिनेमा की विरासत का पता लगाना, प्राप्त करना और भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित करना तथा विश्व सिनेमा का एक प्रतिनिधि संग्रह तैयार करना;

2. फिल्म से संबंधित डेटा को वर्गीकृत और दस्तावेजीकरण करना, सिनेमा पर शोध करना और प्रोत्साहित करना और उन्हें प्रकाशित और वितरित करना;

Skill Development Training for Differently Abled Candidates has been actively conducted with support from the Tamil Nadu Differently Abled Welfare Department to enhance employability and promote inclusive growth in the media and entertainment sector. A an assignment was received for the FY 2024–25 to train 250 differently abled candidates in the domains namely Film & Video Editing using FCP and AVID, Digital Signal Processing (DSP), Multimedia, 3D Animation and Audio Engineering

Under authorization from TAHDCO (Tamil Nadu Adi Dravidar Housing and Development Corporation), NFDC launched short-term skill training programs focused on Multimedia, Digital Photography & Social Media Jumpstart. It is a pilot project initiated at Nandanam and Saidapet hostels in Chennai, targeting SC/ST college students.

This initiative marked a pioneering step in empowering underrepresented youth with market-ready digital skills.

A Multimedia Internship Program for 39 students from Dr. Dharmambal Government Polytechnic College for Women, under the Department of Technical Education has been implemented.

This program provided hands-on experience and exposure to real-world multimedia production environments, bridging the gap between academic learning and industry application.

Your Company is committed to create a thriving ecosystem for skill and talent development in the Media and Entertainment Industry, by fostering creativity, offering industry-relevant training, and building strategic partnerships. Your Company is well-positioned to significantly contribute to the industry's future success.

5.5 National Film Archive of India (NFAI)

5.5.1 Overview of National Film Archive of India

The National Film Archive of India was established as a independent media unit under the Ministry of Information and Broadcasting in February 1964 in Pune. The National Film Archive of India is the outcome of the Government's realization that films are as valuable as books and other historical documents and that the country's film heritage needs to be preserved for posterity In addition to the primary charter of acquiring and preserving the heritage of Indian Cinema, it is also one of the declared objectives of the Archive to ensure that the cultural presence of the Indian Cinema is made more visible across the globe.

The moving image heritage of every society is important and is very much part of its cultural heritage is accorded top priority in most countries. The support being extended by international organizations like UNESCO for safeguarding moving image heritage, member countries is a testimony to the importance of the activity. In India, NFDC-NFAI is the only organization entrusted with the task of acquiring and preserving India's rich and varied cinematic heritage.

As of 01.01.2023, all activities have been transferred to NFDC.

The aims and objectives of NFDC-NFAI are :

1. to trace, acquire and preserve for posterity the heritage of National cinema and build up a representative collection of World Cinema;

2. to classify and document data related to film, undertake and encourage research on cinema and publish and distribute them;

3. देश में फिल्म संस्कृति के प्रसार के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करना और विदेशों में भारतीय सिनेमा की सांस्कृतिक उपस्थिति सुनिश्चित करना.

5.5.2 फ़िल्म संग्रह

1964 में, साधारण शुरुआत के साथ, तत्कालीन एनएफएआई को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे के परिसर में छोटे शेड में सेल्युलाइड 35 मिमी और 16 मिमी में सैकड़ों फिल्म रीलों के भंडार के साथ रखा गया था. एनएफडीसी-एनएफएआई आज संरचना और अनुभव में इतना विकसित हो गया है कि इसे दुनिया के अग्रणी फिल्म अभिलेखागारों में गिना जाता है. अपने प्रारंभिक वर्षों में इसने भारतीय सिनेमा की नींव में जो कुछ बचा था उसे खोजने, हासिल करने और बचाने के अत्यंत कठिन कार्य का सफलतापूर्वक सामना किया. और आज, सीमित संसाधनों के बावजूद, यह इस काम को जारी रख रहा है और दुनिया के सबसे लोकप्रिय और विपुल फिल्म उद्योग की हालिया और समकालीन प्रस्तुतियों का अधिग्रहण और संरक्षण भी कर रहा है.

यह सब अभिलेख स्थापित करने में सरकार की पहल, इसके संस्थापकों की कड़ी मेहनत और समर्पण और फिल्म उद्योग के कई दिग्गजों और फिल्म संरक्षण की आवश्यकता में विश्वास करने वाले अन्य शुभचिंतकों की भूमिका के कारण संभव हुआ है.

एनएफडीसी-एनएफएआई के फिल्म संग्रह के खजाने में डीजी फाल्के और बाबूराव पेंटर के बचे हुए टुकड़े, हिमांशु राय और फ्रांज ओस्टेन आदि की मूक फिल्में शामिल हैं. 1930 और 1940 के दशक की महान फिल्म कंपनियों और स्टूडियो की फिल्मों की एक प्रतिनिधि संख्या जैसे प्रभात फ़िल्म कंपनी, न्यू थिएटर्स, बॉम्बे टॉकीज़, श्री भारत लक्ष्मी पिक्चर्स, मिनर्वा मूवीटोन, वाडिया के रूप में मूवीटोन, जेमिनी, विजय वाहिनी और अन्य. 1940 के दशक के उत्तरार्ध में स्टूडियो सिस्टम के पतन के बाद उभरे महान स्वतंत्र बैनरों जैसे कि मेहबूब खान, राज कपूर, बिमल रॉय, गुरु दत्त, ए.आर. कारदार, एल.वी. प्रसाद और बी नागी रेड्डी आदि द्वारा बनाए गए बैनरों की संग्रह में हिस्सेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, मुख्यधारा सिनेमा के सत्यजीत रे, मृणाल सेन, ऋत्विक जैसे नए भारतीय सिनेमा के लेखकों की प्रमुख कृतियों की उत्कृष्ट फिल्में घटक उदाहरणों के साथ-साथ,, अडूर गोपालकृष्णन, श्याम बेनेगल, मणि कौल, जी. अरविंदन, कुमार साहनी, जॉन अब्राहम, जानू बरुआ, गिरीश कासरवल्ली और अन्य संग्रह द्वारा संरक्षित हैं. संग्रह निर्माताओं और वितरकों तक निरंतर पहुँच के प्रयासों के माध्यम से अपने संग्रह का विस्तार जारी रखे हुए है, और महत्वपूर्ण फिल्म सामग्री–विशेष रूप से मूल कैमरा निगेटिव, रिलीज़ प्रिंट और अन्य जीवित एनालॉग तत्वों–को जमा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है. एनएफडीसी-एनएफएआई के समय पर हस्तक्षेप के बिना, 2000 के दशक की शुरुआत में बनी कई फिल्मों को स्थायी नुकसान का सामना करना पड़ सकता था.

एनएफडीसी-एनएफएआई के फिल्म भंडारण भंडारों में वर्तमान में 20,000 से अधिक भारतीय और विदेशी फिल्में एनालॉग फिल्म प्रारूप में संग्रहित हैं. कुछ फिल्में कई प्रतियों और प्रारूपों में उपलब्ध हैं, जबकि अन्य दुर्लभ, एकल-प्रति फिल्मों के रूप में संग्रह में मौजूद हैं. ये भंडारण भंडार चौबीसों घंटे संचालित होते हैं और तापमान एवं सापेक्ष आर्द्रता के अभिलेखीय मानकों के अनुसार बनाए रखे जाते हैं, जिससे एनालॉग फिल्म सामग्री का दीर्घकालिक संरक्षण सुनिश्चित होता है.

आज, एनएफडीसी-एनएफएआई का फिल्म संग्रह 27 अत्याधुनिक, तापमान और आर्द्रता-नियंत्रित वॉल्ट में रखा गया है. इसमें एक सुसज्जित फिल्म संरक्षण अनुभाग है जो नियमित आधार पर फिल्म सामग्री की जांच करने के लिए अंतरराष्ट्रीय संरक्षण मानकों का पालन करता है. एनएफडीसी-एनएफएआई डीवीडी, वीएचएस और अन्य फिल्मी सामग्री के विशाल संग्रह के साथ-साथ फिल्मों के एक बड़े संग्रह का दावा करता है.

5.5.3 भंडारण एवं संरक्षण

सेल्युलाइड फिल्म सामग्री को 24x7 अनुरक्षित वातावरण में संग्रहित किया जाता है. लगभग 15 °C का तापमान और 50% की सापेक्ष आर्द्रता

3. to act as a center for dissemination of film culture in the country and to ensure the cultural presence of Indian cinema abroad.

5.5.2 The Film Collection

In 1964, the erstwhile NFAI made a modest beginning, housed in a small shed on the premises of the Film & Television Institute of India, Pune, with deposits of hundreds of film reels in celluloid 35mm and 16mm. today, The NFDC-NFAI has grown in structure and experience, to be counted among the leading film archives of the world. In its early years, it successfully faced the extremely difficult task of hunting, acquiring and salvaging what had survived of the foundations of Indian cinema. Despite limited resources, it continues this work today, acquiring and preserving recent and contemporary productions from the world's most popular and prolific film industry.

All this has been possible due to the government's initiative in setting up the archive, the hard work and dedication of its founders, and the role of several stalwarts of the film industry and other well-wishers who believed in the need for Film Preservation.

Amongst the treasures of the NFDC-NFAI's film collection are the surviving fragments of D.G. Phalke and Baburao Painter, the silent films of Himanshu Rai and Franz Osten, and a representative number of films from the great film companies and studios of the 1930s and 1940s, such as the Prabhat Film Company, New Theatres, Bombay Talkies, Shri Bharat Laxmi Pictures, Minerva Movietone, Wadia Movietone, Gemini, Vijaya Vauhini, and others. Equally important are the archive's holdings of the great independent banners which emerged after the collapse of the studio system in the late 1940s, such as those created by Mehboob Khan, Raj Kapoor, Bimal Roy, Guru Dutt, A.R. Kardar, L.V. Prasad, and B. Nagi Reddi. Alongside examples of mainstream cinema, the archive also preserves major works of the auteurs of new Indian cinema, such as Satyajit Ray, Mrinal Sen, Ritwik Ghatak, Adoor Gopalakrishnan, Shyam Benegal, Mani Kaul, G. Aravindan, Kumar Shahani, John Abraham, Janu Barua, Girish Kasaravalli, and others. The archive continues to expand its collection through ongoing outreach efforts to producers and distributors, encouraging the deposit of vital film materials–particularly Original Camera Negatives, Release Prints, and other surviving analogue elements. Without NFDC–NFAI's timely intervention, many films produced as recently as the early 2000s could face permanent loss.

NFDC–NFAI's film storage vaults currently house more than 20,000 Indian and foreign films in analogue film format. While some titles exist in multiple copies and formats, others survive as rare, single-copy films within the collection. The storage vaults operate 24/7 and are maintained according to archival standards for temperature and relative humidity, ensuring the long-term preservation of analogue film material.

Today, the Film collection of NFDC-NFAI is housed in 27 state-of-the-art, temperature and humidity-controlled vaults. It has a well-equipped Film Preservation Section which follows international preservation standards to check the film material on routine basis. The NFDC-NFAI boasts of a large collection of films, along with huge collection of DVDs, VHS, and other filmic material.

5.5.3 Storage and Preservation

The celluloid film material is stored in 24x7 maintained environment. The temperature is kept at about 10 to

जो बी एंड डब्ल्यू फिल्मों को संरक्षित करने के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त है. लगभग 3-4 डिग्री सेल्सियस का तापमान और 30-35% की सापेक्ष आर्द्रता जो रंगीन फिल्म सामग्री को संरक्षित करने के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त है.

एनएफडीसी-एनएफएआई ने अपने संरक्षण अवसंरचना विस्तार के तीसरे चरण के तहत अतिरिक्त भंडारण तिजोरियों का निर्माण किया है. ये नई तिजोरियाँ जल्द ही चालू हो जाएँगी और इन्हें अतिरिक्त श्वेत-श्याम और रंगीन फिल्म सामग्रियों को रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिन्हें ठंडी और शुष्क भंडारण स्थितियों की आवश्यकता होती है. इसके अलावा, सुरक्षित डिजिटल संरक्षण की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए डिजिटल प्रारूपों में फिल्मों के लिए समर्पित तिजोरियाँ भी विकसित की जा रही हैं. हालाँकि छोटे लेकिन अमूल्य नाइट्रेट फिल्म संग्रह को सुगमता और संरक्षण के लिए सुरक्षा आधारित फिल्म में स्थानांतरित कर दिया गया है, एफआईएएफ दर्शन के अनुरूप, मूल नाइट्रेट सामग्रियों को यथासंभव सर्वोत्तम सीमा तक बनाए रखा और संरक्षित किया जा रहा है.

पुरालेख देश के विभिन्न हिस्सों से नाइट्रेट सामग्री, एसीटेट फिल्म सामग्री और भारतीय फिल्मों के मूल निगेटिव्स की खोज भी जारी रखता है.

5.5.4 अनुसंधान एवं प्रलेखन केंद्र/स्टील, कागज और पोस्टर संग्रह

एनएफडीसी-एनएफएआई के अनुसंधान और दस्तावेज़ीकरण अनुभाग में भारतीय सिनेमा के हर काल से संबंधित सामग्री का संग्रह है. अनुभाग ने वर्ष में 3,852 स्थिर तस्वीरें, सभी अद्वितीय तस्वीरों के प्रिंट, विभिन्न आकारों के 2,464 फिल्म पोस्टर, 1,996 गीत पुस्तिकाएं और 4,051 स्लाइड हैं. मूल सामग्री को संभालने से बचने के लिए एनएफडीसी-एनएफएआई ने अपने फोटो और पेपर संग्रह को डिजिटल कर दिया है. प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने के लिए संग्रह में एक डेटाबेस उपलब्ध है जो शोधकर्ताओं, लेखकों आदि को उपलब्ध कराया जाता है. यह अनुभाग दान और सहायक सामग्री स्वीकार करता है. एनएफडीसी-एनएफएआई अनुसंधान और प्रकाशन उद्देश्यों के लिए अनुसंधान विद्वानों, पत्रकारों, उत्सव आयोजकों को स्टिल/फोटोग्राफ/पोस्टर/गीत पुस्तिकाएं और प्रेस क्लिप प्रदान करता है, जो सॉफ्ट कॉपी प्रदान करता है. इसके अतिरिक्त, अनुभाग ने वर्ष 2024-2025 में लगभग 84 गीत पुस्तिकाओं, 1,102 दीवार पोस्टरों, 382 तस्वीरों और 184 दस्तावेजों का डिजिटलीकरण किया.

अनुसंधान फेलोशिप

अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में, संस्थान अपने अनुसंधान फेलोशिप के माध्यम से अनुसंधान कार्य का समर्थन करना जारी रखता है. वर्ष 2024 में 12 शोध अध्ययन, 6 मोनोग्राफ और 2 दृश्य-श्रव्य इतिहास परियोजनाएं प्रदान की गई हैं.

12 °C with a relative humidity of 35 to 40%, which is ideally suited to preserve B&W films. For color films, the temperature is about 3-4 °C with a relative humidity of 30-35%.

NFDC–NFAI has constructed additional storage vaults as part of Phase 3 of its preservation infrastructure expansion. These new vaults will soon be operational and are designed to accommodate additional black-and-white and colour film materials that require cool and dry storage conditions. In addition, dedicated vaults for films in digital formats are also being developed to support the growing need for secure digital preservation. Although the small but invaluable nitrate film collection has been transferred to safety base film for accessibility and preservation, in keeping with FIAF philosophy, the original nitrate materials are being retained and preserved to the best extent possible.

The Archive also continues to hunt for nitrate material, acetate film material, and original negatives of Indian films from different parts of the country.

5.5.4 Research & Documentation Centre/ Stills, Paper and Poster Collections

The Research and Documentation Section of NFDC-NFAI houses a collection of material relating to every period of Indian cinema. The section has collected 3,852 still photographs, prints of all unique photographs, and 2,464 film posters of various sizes, 1,996 song booklets & 4,051 Slides in the year 2024-25. NFDC-NFAI has digitized its photos and posters collection to avoid handling of the original material. This section accepts donations and ancillary material. The NFDC-NFAI supplies stills / photographs / posters / song booklets & press clips provided soft copies to research scholars, journalists, festival organizers for research and publication purposes. Additionally, the section digitized approximately 84 song booklets, 1,102 wall posters, 382 photos and 184 documents in the year 2024-25.

Research Fellowship

With respect to research activities, the institution continues to support research work through its research fellowships. 12 research studies, 6 monographs and 2 audio-visual history projects have been awarded in the year 2024.

	उम्मीदवार का नाम	Name of the Candidate	विषय	Topic
1	गोपालन मुल्लिक	Gopalan Mullik	कला, विशेष रूप से सिनेमा को माध्यम बनाकर, व्यक्तियों द्वारा झेली जाने वाली संचार बाधाओं में 'पूर्ण शब्द' की बहाली	Restoration of 'Full Word' to Communication Blockages Suffered by Individuals With The Help of Art, Cinema Being Its Chosen Medium
2	इप्सिता बराट	Ipsita Barat	अन्वेषी अग्रदूत : 20वीं सदी के मध्य के बांग्ला सिनेमा में महिला निर्देशकों के विदेशी पदचिह्नों का पता लगाना	Enquiring Pioneers : Tracing The Foreign Footsteps of Women Directors in Mid-20th Century Bengali Cinema
3	मोहम्मद अफ़ज़ल पी	Muhammed Afzal P	प्रारंभिक मलयालम सिनेमा में मेलोड्रामा, रोमांस और यूटोपियन आकांक्षा	Melodrama, Romance and Utopian Desire in Early Malayalam Cinema
4	निशा सूरज	Nisha Sooraj	द्वितीय विभाजन की सिनेमाई पुनर्कल्पना का पाठन; भारतीय सिनेमा में विगत तीन दशकों में 1984 के विनाशकारी anti-Sikh दंगों का निरूपण	Reading The Cinematic Re-imagination of Second Partition; The Calamitous 1984 Anti-Sikh Riots in Indian Cinema Over The Last Three Decades
5	राजेश देवराज	Rajesh Devraj	बाबूराव पेंटर : एक फिल्मी विरासत के टुकड़े	Baburao Painter : Fragments of A Film Legacy
6	सत्येंद्र कुमार प्रसाद	Satyendra Kumar Prasad	बॉम्बे बी-ग्रेड सिनेमा का अन्वेषण : अश्लीलता की सांस्कृतिक गतिशीलताओं का अनावरण, 1990–2010	Exploring Bombay B-grade Cinema : Unveiling The Cultural Dynamics of Sleaze, 1990-2010

	उम्मीदवार का नाम	Name of the Candidate	विषय	Topic
7	सौरप्रवो चटर्जी / चटर्जी	Sourapravo Chatterjee	हॉल्स ऑफ फ़ेम : बंगाल में एकल-स्क्रीन सिनेमाघरों के सामाजिक-सांस्कृतिक इतिहास का मानचित्रण	Halls of Fame : Mapping A Socio-cultural History of The Single-screen Theatres in Bengal
8	स्वीकृति डोवराह	Swikrita Dowerah	सिनेमाई स्थान का दावा : असमिया सिनेमा में महिला फिल्मकारों के कार्य में दृश्य और कथात्मक ट्रोप्स का अध्ययन	Claiming The Cinematic Space : Examining The Visual and Narrative Tropes in The Work of Women Filmmakers in Assamese Cinema
9	विद्या मुकुंदन	Vidya Mukundan	भारतीय सिनेमा में परिधानों का इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास के दृश्य अभिलेख के रूप में : एक अध्ययन	The History of Costumes in Indian Cinema as A Visual Record of Cultural History : A Study

प्रबंध Monograph				
	उम्मीदवार का नाम	Name of the Candidate	विषय	Topic
1	एम. शंकर	M. Shankar	ए. विंसेंट	A. Vincent
2	मैधिली एम. एस.	Mydhily M. S.	शीला के जीवन और करियर पर एक पड़ताल, 1960 से 2020 के दशक तक	An Inquiry Into Life and Career of Sheela, 1960s-2020s
3	सुदर्शन यादव	Sudarshan Yadav	श्री प्रकाश	Shri Prakash

शोध फेलोशिप के अलावा, संस्थान अपने शोध सामग्री तक निर्देशित पहुँच प्रदान करके विजिटिंग रिसर्च स्कॉलर्स, इतिहासकारों, शिक्षाविदों और छात्रों की शोध गतिविधियों का समर्थन करना जारी रखता है. इसमें वन फिल्म एट ए टाइम (2023, शाई हेरेडिया द्वारा संपादित और आर्सेनल - इंस्टीट्यूट फॉर फिल्म एंड वीडियो आर्ट द्वारा प्रकाशित) जैसे प्रकाशन शामिल हैं.

5.5.5 पुस्तकालय

एनएफडीसी-एनएफएआई पुस्तक लाइब्रेरी एशिया में सिनेमा से संबंधित सबसे बड़े पुस्तकालयों में से एक है. एनएफडीसी-एनएफएआई बुक लाइब्रेरी में दुनिया भर से सिनेमा पर लगभग 32,803 किताबें हैं. इसमें सिनेमा पर विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित 100 से अधिक पत्रिकाएँ हैं और साथ ही केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से प्राप्त 45,049 फिल्म स्क्रिप्ट भी उपलब्ध हैं. भारत और विदेश से शोधकर्ता और विद्वान भारत की फिल्म विरासत की इस संपदा से परामर्श करने के लिए एनएफडीसी-एनएफएआई का दौरा करते हैं. ये अभिलेखों के संग्रह का एक मूल्यवान हिस्सा हैं क्योंकि कई फ़िल्में अब अप्राप्य हैं और हमेशा के लिए लुप्त हो गई हैं. संदर्भ और अध्ययन के लिए उपलब्ध अन्य महत्वपूर्ण सामग्रियों में 20 के दशक के सेंसर रिकॉर्ड और 30 के दशक के बाद की भारतीय फिल्म पत्रिकाओं के बाउंड संस्करण शामिल हैं. इन रिकॉर्ड्स को डिजिटल कर दिया गया है और व्यापक प्रसार के लिए एनएफडीसी-एनएफएआई वेबसाइट के माध्यम से पहुंच योग्य है. पुस्तकालय छात्रों, शोध कर्मियों, पत्रकारों और सिनेमा में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सेवाएं प्रदान करता है. अधिकांश पुरानी पत्रिकाएँ, दुर्लभ पुस्तकें और लिपियाँ डिजिटलीकृत हो चुकी हैं.

प्रदर्शन

- एनएफडीसी-एनएफएआई ने वार्षिक पुणे पुस्तक मेले में सक्रिय रूप से भाग लिया, एक समर्पित मंडप के माध्यम से अपनी उपस्थिति प्रदर्शित की. इस कार्यक्रम में, एनएफडीसी-एनएफएआई ने पोस्टर, पोस्टकार्ड, मग और डीवीडी सहित एनएफएआई प्रकाशनों और व्यापारिक वस्तुओं की एक विविध श्रृंखला प्रदर्शित की. 4 अक्टूबर से 8 दिसंबर, 2024 तक आयोजित इस मेले ने एनएफडीसी-एनएफएआई को उपस्थित लोगों के साथ जुड़ने के लिए एक उत्कृष्ट मंच प्रदान किया.

5.5.6 क्यूरेशन और एक्सेस गतिविधियाँ

एनएफडीसी-एनएफएआई फिल्म सर्किल के सदस्यों की मासिक स्क्रीनिंग (सदस्यता शुल्क 1770 रुपये है) के माध्यम से संग्रह के संग्रह से सामग्री का प्रदर्शन जारी रखता है. इसके अलावा, एनएफएचएम के तहत डिजिटल रूप से बहाल की गई फिल्मों को एनएमआईसी और आईएचसी में प्रदर्शित किए जाने के अलावा संग्रह के परिसर में

In addition to the research fellowships, the institution continues to support the research activities of visiting research scholars, historians, academics and students by providing guided access to its material. This includes publications such as One Film At A Time (2023, Edited by Shai Heredia and Published by Arsenal – Institute for Film and Video Art).

5.5.5 Library

The NFDC-NFAI book library is one of the biggest libraries pertaining to cinema in Asia. The NFDC-NFAI Book Library holds about 32,803 books on cinema from across the globe. It has more than 100 periodicals on Cinema published in various languages as well as 45,049 film scripts received from the Central Board of Film Certification (CBFC) are also available. Researchers and scholars from India and abroad visit to NFDC-NFAI to consult this wealth of India's film heritage. These form a valuable part of archive's collection since many of the films are now untraceable and lost forever. Censor records going back to the 20s and bound volumes of Indian film magazines from the 30s onwards are among the other important materials available for reference and study. These records have been digitized and are accessible through NFDC-NFAI website for wider dissemination. The library extends services to students, research workers, journalists and anyone interested in Cinema. Most of the old periodicals, rare books and scripts are digitized.

Exhibitions

- NFDC-NFAI actively participated in the annual Pune Book Fair, showcasing its presence through a dedicated pavilion. At this event, NFDC-NFAI exhibited a diverse range of NFAI publications and merchandise, including posters, postcards, mugs, and DVDs. The fair, which took place from October 04th to December 08th, 2024, provided an excellent platform for NFDC-NFAI to engage with attendees.

5.5.6 Curation and Access Activities

NFDC-NFAI continues its showcase of material from the archive's collection through monthly screenings of the Film Circle members (Membership fees is Rs 1770). In addition to this, the films that have been digitally restored under NFHM are screened at the premises of the archive in addition to being screened at NMIC and IHC. Films

भी दिखाया जाता है. फिल्मों को आईएफएफआई, एमआईएफएफ, एमएएमआई और आईएफएफके सहित फिल्म समारोहों के लिए विशेष रूप से क्यूरेट किया जाता है.

अभिलेखागार के साथ सार्वजनिक सहभागिता बढ़ाने के अन्य तरीकों में विम वेंडर्स रेट्रोस्पेक्टिव, राज कपूर फिल्म महोत्सव, जश्न-ए-अदब सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि शामिल थे.

इसके अलावा, संग्रह के फिल्मों के साथ जनता का जुड़ाव बढ़ाने के लिए 35 मिमी/16 मिमी फिल्म प्रारूप और डिजिटल प्रारूप दोनों में संग्रह की फिल्मों की सार्वजनिक स्क्रीनिंग आयोजित की जाती है. आपकी कंपनी ने फिल्म्स डिवीज़न आर्काइव से कीमती फिल्में दिखाने के लिए फिल्म्स डिवीज़न स्क्रीनिंग नाम की मंथली स्क्रीनिंग की एक नई पहल शुरू की है. फिल्मों को विशेष रूप से फिल्म प्रेमियों, विद्वानों, छात्रों और अन्य लोगों की अभिलेखागार के संग्रह से जुड़ाव बढ़ाने के इरादे से क्यूरेट किया गया है.

इसके अलावा, हम एक किताब, भावमुद्रा – भारतीय सिनेमा में नृत्य के प्रकाशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसमें मूक युग से लेकर नई सहस्राब्दी की शुरुआत तक भारतीय सिनेमा में नृत्य की गहन शोध की गई छवियों का संकलन किया गया है. हम एनएफडीसी-एनएफएआई के संग्रह में मूक फिल्मों की एक पुस्तिका के प्रकाशन की भी योजना बना रहे हैं.

5.5.7 फिल्म संस्कृति का प्रसार

एनएफडीसी-एनएफएआई का एक उद्देश्य यह है कि यह पूरे भारत में फिल्म संस्कृति के प्रसार में सक्रिय रूप से संलग्न है. इस उद्देश्य से, हमने अध्ययन-अनुसंधान और मनोरंजन उद्देश्यों के लिए अन्य अभिलेखागारों से खरीद या विनिमय करके बड़ी संख्या में विदेशी और भारतीय फिल्में हासिल की हैं. इन्हें नियमित रूप से एनएफडीसी-एनएफएआई के अपने परिसर में शोधकर्ताओं, फिल्म निर्माताओं, फिल्म सर्कल के सदस्यों और अन्य लोगों को दिखाया जाता है, और इसके शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए फिल्म और टीवी संस्थान को भी उधार दिया जाता है. एनएफडीसी-एनएफएआई पूरे देश में फिल्म सोसायटी और शैक्षिक और सांस्कृतिक संगठनों को अक्सर अपने संग्रह से भारतीय और विदेशी दोनों देखने/डुप्लिकेट प्रतियां संयुक्त स्क्रीनिंग कार्यक्रमों के लिए उधार देता है. इसके अलावा एनएफडीसी-एनएफएआई भारत और विदेश में आयोजित कई फिल्म समारोहों का समर्थन करता है.

महामारी और संरचनात्मक बदलावों के कारण कई वर्षों के अंतराल के बाद, प्रतिष्ठित फिल्म प्रशंसा (एफए) पाठ्यक्रम 2024 में अपने ऑफ़लाइन प्रारूप में सफलतापूर्वक फिर से शुरू किया गया. एनएफडीसी-एनएफएआई और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एफटीआईआई) द्वारा संयुक्त रूप से संचालित, यह पाठ्यक्रम पुणे में एनएफडीसी-एनएफएआई चरण 2 परिसर में आयोजित किया गया था और इसमें देश भर के महत्वाकांक्षी सिनेप्रेमियों, विद्वानों, शिक्षकों और मीडिया पेशेवरों की भागीदारी देखी गई थी. एफए कोर्स भारत में सबसे लंबे समय से चलने वाले और सबसे सम्मानित फिल्म साक्षरता कार्यक्रमों में से एक है, जिसका उद्देश्य सिनेमा की भाषा और सौंदर्यशास्त्र की गहरी समझ विकसित करना है. 2024 संस्करण में वरिष्ठ संकाय, फिल्म निर्माताओं और फिल्म इतिहासकारों के नेतृत्व में व्याख्यान, स्क्रीनिंग और चर्चाएँ शामिल थीं. दुर्लभ आर्काइव फिल्मों की क्यूरेटेड स्क्रीनिंग ने पार्टिसिपेंट्स को भारत की सिनेमाई विरासत से सीधे जुड़ने और उसे समझने का एक खास मौका दिया.

5.5.8 सोशल मीडिया आउटरीच

अगली पीढ़ी के लिए फिल्मों को संग्रहित और संरक्षित करने के मिशन के साथ-साथ, फिल्म साक्षरता भी एनएफडीसी-एनएफएआई के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है. हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म आर्काइव के संग्रह से सामग्री को अतिरिक्त संदर्भ के साथ प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. मूक युग से लेकर अब तक और विभिन्न भाषाओं में बनी फिल्मों से फिल्म प्रचार सामग्री तक जनता की पहुँच बनाने के अलावा, हम नए अधिग्रहणों और एनएफडीसी-एनएफएआई रिसर्च फ़ेलोशिप जैसे कार्यक्रमों के बारे में जनता को सूचित करने के लिए भी प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करते हैं. हम फिल्म संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए भी अपने प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करते हैं. हम एनएफडीसी-एनएफएआईके संग्रह से सावधानीपूर्वक क्यूरेट की गई सामग्री के प्रकाशन के साथ अनुयायियों के वफादार समुदाय बनाने में सफल रहे हैं. हम आर्काइव के संग्रह के साथ जनता की सहभागिता बढ़ाने के लिए प्लेटफ़ॉर्म पर नियमित रूप से क्विज़ भी आयोजित करते हैं.

are also specially curated for film festivals including IFFI, MIFF, MAMI and IFFK.

Other ways of increasing public engagement with the archive included holding Wim Wenders retrospective, Raj Kapoor Film Festival, Jashn-e-Adab Cultural event, etc.

Besides this, public screenings of films from the collection in both 35 mm/16 mm film format and digital format are held to increase the engagement of the public with films in the archive's collection. Your Company has taken a new initiative of monthly screening called Films Division screenings to showcase valuable films from the Films Division archive. The films are specially curated with the intention of increasing the engagement of film lovers, scholars, students and others with the archive's collection.

In addition to this, we are awaiting the publication of a book, Bhavamudra : Dance in Indian Cinema, that has compiled a selection of deeply researched images of dance in Indian cinema from the silent era to the beginning of the new millennium. We are also planning a publication of a handbook of the silent films in the collection of NFDC-NFAI.

5.5.7 Dissemination of Film Culture

One of the objectives of the NFDC-NFAI is to actively engage in disseminating film culture throughout India. to this end, we have acquired a large number of foreign and Indian films through purchase or exchange from other archives for study, research, and entertainment purposes. These films are regularly shown at the NFDC-NFAI premises to researchers, filmmakers, Film Circle Members, and others. They are also loaned to the Film & Television Institute of India (FTII) for its academic programs. Additionally, the NFDC-NFAI frequently loans films from its collection to many film festivals conducted in India and abroad.

After a gap of several years due to the pandemic and structural transitions, the prestigious Film Appreciation (FA) Course was successfully restarted in its offline format in 2024. Jointly conducted by NFDC-NFAI and the Film and Television Institute of India (FTII), the course was held at the NFDC-NFAI phase 2 campus in Pune and witnessed participation from aspiring cinephiles, scholars, teachers, and media professionals from across the country. The FA Course is one of the longest-running and most respected film literacy programmes in India, aimed at developing a deeper understanding of the language and aesthetics of cinema. The 2024 edition featured lectures, screenings, and discussions led by senior faculty, filmmakers, and film historians. Curated screenings of rare archival films offered participants a unique opportunity to interact with and understand India's cinematic legacy firsthand.

5.5.8 Social Media Outreach

Along with the mission of archiving and preserving films for the next generations, Film Literacy is also among the major goals of the NFDC-NFAI. Our social media platforms play an important role in showcasing material from the archive's collection with added context. In addition to giving public access to film publicity material from the silent era onwards and from films made in different languages, we also use the platforms to inform the public about new acquisitions and programmes such as the NFDC-NFAI Research Fellowship. We also use our platforms to spread awareness about film preservation. We have succeeded in creating loyal communities of followers with the publishing of carefully curated material from the collection of NFDC-NFAI. We also hold regular quizzes on the platforms to increase public engagement with the archive's collection.

5.5.9 अन्य गतिविधितां

- एनएफडीसी-एनएफएआई के कर्मियों ने सक्षम प्राधिकारी के साथ बैंकॉक स्थित थाई फिल्म आर्काइव में आयोजित FIAF कॉन्ग्रेस 2024 में सहभागिता की.

- वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट के "क्रिएट इन इंडिया चैलेंज" के अंतर्गत एनएफडीसी-एनएफएआई को राष्ट्रीय स्तरीय फिल्म पोस्टर-निर्माण प्रतियोगिता आयोजित करने का दायित्व सौंपा गया. इस पहल का उद्देश्य युवा एवं पेशेवर कलाकारों को भारत की फिल्म विरासत से जोड़ना तथा क्लासिक भारतीय फिल्मों को मूल पोस्टर डिज़ाइनों के माध्यम से पुनःव्याख्यायित करने के लिए प्रेरित करना था. सार्वजनिक सहभागिता एवं फिल्म साक्षरता पहलों के तहत, एनएफडीसी-एनएफएआई ने इस प्रतियोगिता का आयोजन के सहयोग से किया. प्रतियोगिता दो श्रेणियों–हैंड-पेंटेड और डिजिटल–में आयोजित की गई, जिससे प्रतिभागियों को पारंपरिक एवं आधुनिक दृश्य अभिव्यक्ति के रूपों का अन्वेषण करने का अवसर मिला. इस चैलेंज को देशभर से 300 से अधिक प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं, जिनमें छात्रों, स्वतंत्र कलाकारों एवं पेशेवरों के प्रस्तुतिकरण शामिल थे. चयनित पोस्टरों को एनएफडीसी-एनएफएआई के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डिजिटल रूप से प्रदर्शित किया गया, जहां इस अभियान को सिनेप्रेमियों, कलाकारों और उद्योग से जुड़े पेशेवरों द्वारा व्यापक सराहना मिली.

  अपने आउटरीच एवं शैक्षणिक अभिवक्तिकरण प्रयासों के तहत, एनएफडीसी-एनएफएआई नियमित रूप से स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थियों, व्यक्तियों तथा सांस्कृतिक संगठनों के प्रतिनिधियों के लिए मार्गदर्शित भ्रमण आयोजित करता है. इन दौरों के माध्यम से प्रतिभागियों को अभिलेखागार परिचालन के महत्वपूर्ण पहलुओं की समझ प्रदान की जाती है तथा समुदाय में फिल्म संरक्षण एवं अभिलेखन के महत्व के प्रति सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य पूरा किया जाता है.

5.5.9 Other activities

- NFDC-NFAI staff attended FIAF Congress 2024 in Bangkok at Thai Film Archive along with competent authority.

- Under the Create in India Challenge of the World Audio Visual and Entertainment Summit (WAVES), NFDC-NFAI was entrusted with the task of hosting a national-level film poster-making competition. The objective was to engage young and professional artists with India's cinematic heritage by inviting them to reinterpret classic Indian films through original poster designs. As part of its public engagement and film literacy initiatives, NFDC-NFAI organized the competition in collaboration with Image Nation Street Art. The contest was held in two categories : Hand-Painted and Digital, allowing participants to explore both traditional and modern forms of visual expression. The challenge received over 300 entries from across the country, including submissions from students, independent artists, and professionals. Selected posters were showcased digitally on NFDC-NFAI's official social media platforms, where the campaign was widely appreciated by cinephiles, artists, and industry professionals.

  As part of its outreach and educational advocacy efforts, NFDC–NFAI regularly offers guided tours to school and college students, individuals, and representatives from cultural organizations. These visits provide valuable insights into archival operations and aim to raise public awareness about the importance of film preservation and archiving within the community.

5.5.10 एनएफडीसी-एनएफएआई इंफ्रास्ट्रक्चर

जयकर बंगले में एक डिजिटल लाइब्रेरी और विशेष रूप से इसकी फिल्म होल्डिंग्स के लिए डिज़ाइन किए गए तीन स्टोरेज वॉल्ट शामिल हैं. यह ऐतिहासिक और विद्वतापूर्ण अनुसंधान और फिल्मों की सराहना को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है. फेज-1 और फेज 2-कोथरुड में मौजूद तीन थिएटरों का उपयोग अभिलेखीय स्क्रीनिंग और व्यक्तियों या संगठनों द्वारा किराए पर लेने के लिए किया जाता है. शुल्क के लिए, लॉ कॉलेज रोड पर मुख्य थिएटर (330-सीट) और पूर्वावलोकन थिएटर (30-सीट), और इसके फेज 2 भवन में मुख्य थिएटर (200-सीट) संरक्षकों को फिल्म देखने में अधिक मनोरंजक अनुभव प्रदान करने के लिए अपने कमरे और प्रक्षेपण सुविधाओं का उपयोग प्रदान करता है. दोनों थिएटर 4K और 2K क्रिस्टी प्रोजेक्टर से लैस हैं. फेज-1 मुख्य थिएटर के दोनों थिएटरों में 35 मिमी चेंज ओवर प्रोजेक्टर हैं. प्रीव्यू थिएटर में 8 मिमी और 16 मिमी प्रक्षेपण सुविधाएं भी हैं.

एनएफडीसी-एनएफएआई के फेज-2 में 16 फिल्म वॉल्ट सहित चार मंजिला इमारत और 8 नाइट्रेट वॉल्ट वाली एक अतिरिक्त इमारत शामिल है. इन्हें निर्धारित अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार तापमान और सापेक्ष आर्द्रता के साथ जलवायु-नियंत्रित वाल्टों में संग्रहित किया जाता है. प्रत्येक वॉल्ट में लगभग 6000 रीलें हैं, जो 200 शीर्षकों के करीब है.

5.5.10 NFDC-NFAI Infrastructure

NFDC-NFAI has two theaters including a Preview Theatre, a book library, a digital library at Jayakar Bungalow and three storage vaults designed specifically for its film holdings. It provides various services to facilitate historic and scholarly research and appreciation of films. The three theaters on-site at Phase-1 and Phase 2-Kothrud are used for archival screenings and for individuals or organizations to rent. For a fee, both the main theater (330-seat) and the preview theater (30-seat) at Law College Road, and the main theater (200-seat) at its Phase 2 building provide patrons the use of their rooms and projection facilities to provide a more enjoyable experience in viewing films. Both the theaters are equipped with 4K and 2K Christie Projectors. Both theaters of Phase-1 main theater have 35mm change over projectors. Preview theater also has 8mm and 16mm projection facilities.

The Phase-2 of NFDC-NFAI comprises of a four-storey building including 16 film vaults, and an additional building with 8 nitrate vaults. They are stored in climate-controlled vaults with temperature and relative humidity according to the prescribed international standards. Each vault houses about 6000 reels, which is close to 200 titles.

5.5.11 वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एनएफडीसी-एनएफएआई वित्तीय विवरण

5.5.11 NFDC-NFAI Financial Details for FY 2024-25

₹ लाखो में
₹ in lakhs

	लेखा प्रमुख	Account Head	मंत्रालय से प्राप्त धनराशि रु. Fund Received from Ministry in Rs.
1	सहायता अनुदान	Grant in Aid	2,68,89,998
2	फिल्मी सामग्री का विकास, संचार और प्रसार (डीसीडीएफसी)-एनएफडीसी-एनएफएआई अभिलेखीय फिल्म एवं फिल्म सामग्री का अधिग्रहण	Development, Communication & Dissemination of Filmic Content (DCDFC)-NFDC-NFAI Acquisition of archival film & film material	1,45,00,000
	कुल	**Total**	**4,13,89,998**

5.5.12 राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन (एनएफएचएम)

राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन (एनएफएचएम), भारत सरकार का एक प्रतिष्ठित मिशन, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा नवंबर 2016 में स्थापित किया गया था. मिशन का उद्देश्य भारत की फिल्म विरासत का संरक्षण, संरक्षण, डिजिटलीकरण और बहाली करना है. कुल लागत 544.82 करोड़ मंत्रालय द्वारा एनएफएचएम को 2021- 22 से 2024-25 की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी गई है. योजना योजना के कार्यान्वयन का दायित्व नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया, पुणे को दिया गया है. मिशन को वैश्विक मानकों के अनुसार लागू करने के लिए निर्माताओं, प्रोडक्शन हाउस, सामग्री मालिकों, विभिन्न फिल्म संघों के प्रतिनिधियों और फिल्म इतिहासकारों सहित उद्योग के प्रमुख खिलाड़ियों के साथ परामर्श किया गया.

एनएफएचएम की स्थापना के बाद से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन (एनएफएचएम) के तहत गठित उच्च-स्तरीय समिति की कुल नौ बैठकें आयोजित की गई. एनएफएचएम परियोजना के संबंध में तकनीकी सलाह लेने के लिए एक तकनीकी समिति भी गठित की गई थी.

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इस परियोजना के लिए मंत्रालय से प्राप्त धनराशि इस प्रकार है :

5.5.12 National Film Heritage Mission (NFHM)

National Film Heritage Mission (NFHM), a prestigious mission of Government of India project was approved in November 2014 by the Ministry of Information and Broadcasting. The mission aims at preservation, conservation, digitization, and restoration of film heritage of India. Total cost ₹ 544.82 Crores for the period of 2021- 22 to 2024-25 has been approved by the ministry for the continuation of NFHM. Implementation of the plan scheme is given to NFDC- National Film Archive of India, Pune. Consultations were held with key players of the industry, including producers, production houses, content owners, representatives of various film associations and film historians to implement the mission as per global standards.

Total nine meetings of the High-Level Committee constituted under National Film Heritage Mission (NFHM) were held under the Chairmanship of Secretary, Ministry of Information and Broadcasting since the inception of NFHM. A Technical Committee was also set-up to seek technical advice in respect of the NFHM project.

The Fund received from Ministry for this project during the FY 2024-25 is as under :

₹ लाखो में
₹ in lakhs

	व्यय (ईएफसी दस्तावेज़ के अनुसार)	Expenditure (As per EFC Document)	वित्तीय वर्ष 2024-25	कुल ₹ में.
			FY 2024-25	Total in ₹
1	1200 फीचर फिल्मों का 2K डिजिटलीकरण	2K Digitalization of 1200 Feature Films	7,55,45,597	23,46,90,443
2	1660 लघु फिल्मों का 2K डिजिटलीकरण	2K Digitalization of 1660 Short Films	7,55,45,597	23,46,90,445
3	1145 फ़ीचर फ़िल्मों के लिए 2K पुनर्स्थापना	2K Restoration for 1145 Feature Films.	38,15,92,221	112,94,62,051
4	1108 लघु फ़िल्मों के लिए 2K पुनर्स्थापना	2K Restoration for 1108 Short Films.	25,98,06,518	70,16,99,269
5	प्रशासनिक व्यय	Administrative Expenditure	13,70,41,999	39,87,27,713
6	वाल्टों का निर्माण	Construction of Vaults	24,66,00,000	89,09,06,765
7	132000 फिल्म रीलों का निवारक संरक्षण	Preventive conservation of 132000 film reels	13,24,96,338	57,64,79,183
	कुल	**Total**	**130,86,28,270**	**416,66,55,869**

वित्त वर्ष 2024-25 में एनएफएचएम की उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

(i) मिशन का पहला उद्देश्य, फिल्म संग्रह आकलन पूरा हो गया है. इसमें भौतिक और रासायनिक स्थिति के आधार पर 150,000 फिल्म रीलों का वर्गीकरण शामिल था. आरएफआईडी आधारित एसेट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर का एएमसी भी अगस्त 2024 में पूरा हुआ है.

(ii) 'एनएफएआई में फिल्म सामग्री का निवारक संरक्षण' परियोजना 19 जनवरी 2023 को शुरू की गई थी. निवारक संरक्षण के अंतर्गत, फिल्म संरक्षण में दुनिया के अग्रणी विशेषज्ञ, एल'इमेजिन रिट्रोवाटा के सहयोग से 69,038 सेल्युलॉइड रील तैयार की गई हैं. संरक्षण उपचार के अंतर्गत, प्रत्येक सेल्युलॉइड रील का विश्लेषण किया जाता है और उसकी स्थिति के अनुसार विशिष्ट उपचार किया जाता है, जैसे कि मैन्युअल मरम्मत, रासायनिक सुखाने, पुनः धुलाई और पुनर्जलीकरण.

(iii) अगस्त 2020 में, फिल्म सामग्री का डिजिटलीकरण शुरू हुआ. अप्रैल 24 - मार्च 2025 के दौरान, 2k और 4k रिज़ॉल्यूशन में 1400 से अधिक फिल्मों का डिजिटलीकरण किया गया है. ये फिल्में, मुख्य रूप से 35 मिमी और 16 मिमी फिल्म प्रारूपों में, अत्याधुनिक अभिलेखीय फिल्म स्कैनर एरिस्कैन एक्सटी पर स्कैन की जा रही हैं. एनएफडीसी-एनएफएआई में 4 ऐसे चित्र स्कैनर स्थापित हैं. ये स्कैनर प्रत्येक फिल्म को फ्रेम दर फ्रेम डिजिटाइज़ करते हैं, एनालॉग प्रारूप को डिजिटल में परिवर्तित करते हैं. प्रत्येक स्कैन किए गए फ्रेम को डीपीएक्स प्रारूप में संग्रहीत किया जाता है. सेल्युलॉइड फिल्म पर ऑप्टिकल साउंडट्रैक को स्कैन करने के लिए, दो डीएफटी सोंडोर रेजोनेंस ऑडियो स्कैनर का उपयोग किया जाता है. स्कैन किया गया ऑडियो डब्ल्यूएवी फ़ॉर्मेट में स्टोर किया जाता है.

The achievement of NFHM in FY 2024-25 is as follows :

(i) The first objective of mission, Film Collection Assessment is completed. It entailed categorization of 150,000 film reels based on physical and chemical condition. AMC of the RFID based Asset tracking software also completed in Aug 2024.

(ii) The 'Preventive Conservation of film content at NFAI' project was commenced on 19th January 2023. Under Preventive Conservation, 69,038 celluloid reels have been completed in collaboration with L'Immagine Ritrovata, the world's foremost expert in film conservation. Under conservation treatment, each celluloid reel is analyzed and undergoes specific treatment, depending upon its condition, such as manual repair, chemical desiccation, rewash, and rehydration.

(iii) In August 2020, the digitization of film content commenced. During April 24 - March 2025, more than 1400 films have been digitized in 2k and 4k resolution. These films, primarily in 35mm and 16mm film formats, are being scanned on the state-of-the-art archival film scanner ARRISCAN XT. There are 4 such picture scanners installed at NFDC-NFAI. These scanners digitize each film frame by frame, converting the analog format to digital. Each scanned frame is stored in the DPX format. to scan the optical soundtrack on the celluloid film, two DFT Sondor Resonance audio scanners are utilized. The scanned audio is stored in the WAV format.

(iv) दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म बहाली परियोजना दिसंबर 2022 में शुरू हुई. 24 अप्रैल से मार्च 2025 के दौरान, 2k और 4k रिज़ॉल्यूशन में 600 से अधिक फिल्मों को बहाल किया गया है, जिनमें से 400 से अधिक फिल्में फीचर फिल्में हैं. सेल्युलाइड रीलों के डिजिटलीकरण के बाद, फिल्मों को डिजिटल रूप से बहाल किया जाता है. इस प्रक्रिया के तहत, प्रत्येक फ्रेम को सावधानीपूर्वक बहाल किया जाता है, जहां समय-प्रेरित कलाकृतियों जैसे कि खरोंच, रंग फीका पड़ना, गंदगी, धूल, शोर क्लिक और पॉप तक सीमित नही है, फिल्म निर्माताओं के मूल दृष्टिकोण को बदले बिना. इसके बाद रंग ग्रेडिंग होती है, जहां रंग फीका पड़ने की समस्या से निपटने और फिल्म के मूल रंगों को बहाल करने के लिए केंद्रित प्रयास किए जाते हैं. इसके साथ ही, फिल्म का ऑडियो भी डिजिटल रूप से बहाल किया जाता है.

(v) धूल-मुक्त, कम आर्द्रता और कम तापमान की स्थिति बनाए रखने के लिए एनएफडीसी-एनएफएआई परिसर, पुणे में पुनर्स्थापित सामग्री के संरक्षण के लिए अभिलेखीय सुविधा की रचना निर्माणाधीन है.

(vi) एनएफएचएम की स्थापना के प्रारम्भिक वर्षों में संरक्षण, परिरक्षण और संग्रह के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यशालाएं और पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं.

भारतीय सिनेमा, जो अब सौ से अधिक वर्षों से अस्तित्व में है, विश्व सिनेमा के मंदिर में एक बहुत ही अद्वितीय स्थान रखता है. भारतीय फिल्मों की पुनर्रचना एक बार फिर वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को इन फिल्मों की महिमा को फिर से जीने का मौका देगी, जिन्होंने दशकों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है.

5.6 वेव्स

निगम का नया कार्यक्षेत्र, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तत्वावधान में विश्व श्रव्य-दृश्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेव्स), भारत के मीडिया और मनोरंजन परिदृश्य को पुनर्परिभाषित करने वाले एक वैश्विक क्रिएटर्स मंच के रूप में उभरा है. माननीय प्रधान मंत्री की परिकल्पना के अनुसार, वेव्स 2025 ने स्वयं को विश्व क्रिएटर्स मंच के रूप में स्थापित किया है और सहयोग के माध्यम से विषय-वस्तु, रचनात्मकता और संस्कृति पर आधारित भारत की ऑरेंज अर्थव्यवस्था के विकास को सुगम बनाएगा. वेव्स-2025 ने भारत को एक वैश्विक रचनात्मक सक्षम भागीदार और फिल्म, डिजिटल विषय-वस्तु, एवीजीसी (एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स), संगीत, लाइव इवेंट और क्रिएटर अर्थव्यवस्था के अन्य तत्वों के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया है.

5.6 मीडिया नियोजन व्यवसाय

आपकी कंपनी भारत सरकार की नोडल एजेंसी है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभियान चलाती है और भारत सरकार के अधीन विभिन्न मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), स्वायत्त निकायों, विभागों और संगठनों की योजनाओं, संदेशों, विज्ञापन और नीतियों के बारे में जागरूकता कार्यक्रमों और सूचनाओं का प्रसार डीएवीपी दरों के अनुसार करती है. पिछले एक दशक से, एनएफडीसी 150 से अधिक मंत्रालयों/विभागों/सरकारी संस्थानों को विभिन्न क्षेत्रों - निर्माण, सोशल मीडिया और प्रचार/मीडिया अभियानों में सेवाएं प्रदान कर रहा है. एनएफडीसी प्रचार/मीडिया अभियानों के माध्यम से सूचना प्रसार के लिए ग्राहकों को सहायता और सुविधा प्रदान करता है. जागरूकता पैदा करने, उपभोक्ताओं/लाभार्थियों का मार्गदर्शन करने और सरकारी पहलों का प्रभावी कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रचार अभियान मोबाइल वैन गतिविधि, टेलीविजन, रेडियो, डिजिटल सिनेमा थिएटर, डिजिटल वेबसाइट एलइडी/एलसीडी स्क्रीन्स आदि डीएवीपी दरों के अनुसार हैं. महामारी के बाद की स्थिति के साथ, मीडिया नियोजन कार्यक्षेत्र आने वाले वर्षों में पुनर्जीवित होने के लिए तैयार है. कुछ नए ग्राहक जुड़े हैं जिससे विभाग का कारोबार धीरे-धीरे बढ़ रहा है. मीडिया प्लानिंग विभाग ने हाल ही में गूगल इंडिया के साथ समझौता किया है जो मीडिया प्लानिंग व्यवसाय को बढ़ाने में हमारी मदद करेगा. वर्टिकल का प्रदर्शन निम्नानुसार दर्शाया गया है :

(iv) The World's largest Film Restoration project commenced in Dec 2022. During April 24 – March 2025, more than 600 films have been restored in 2k and 4k resolution, of which more than 400 films are Feature Films. Post-digitization of celluloid reels, the films are restored digitally. Under this process, each and every frame is restored meticulously where time-induced artifacts such as but not limited to scratches, color fading, dirt, dust, noise clicks, and pops., without altering the original vision of the filmmakers. This is followed by color grading, where concentrated efforts are put into tackling the issue of color fading and restoring the original colors of the film. Simultaneously, the audio of the film is also digitally restored. The final restored film will appear and sound as it did at the time of its release several decades ago.

(v) Construction of archival facility for preservation of material restored is under construction at NFDC-NFAI campus, Pune to maintain dust-free, low humidity, and low temperature conditions.

(vi) Training workshops and courses in field of conservation, preservation, and archiving, have been conducted in early years of inception of NFHM.

Indian Cinema, which has been in existence for more than a hundred years now, holds a very unique place in the pantheon of world cinema. The restoration of Indian films will once again give a chance to the current and future generations to relive the glory of these films which have enamored audiences for decades.

5.6 WAVES

The new vertical of the Corporation The World Audio Visual and Entertainment Summit (WAVES), under the aegis of the Ministry of Information & Broadcasting, has emerged as a Global Creators platform redefining India's Media and Entertainment landscape. Envisioned by the Hon'ble Prime Minister's WAVES 2025 has established itself as the World Creators Forum and would facilitate the growth of India's Orange Economy anchored in Content, Creativity, and Culture through Collaborations. It positioned India as a global creative capable partner and a Global hub for film, digital content, AVGC (Animation, Visual Effects, Gaming & Comics), music, Live events and other elements of the Creator economy.

5.7 Media Planning Business

Your Company is a Nodal agency of Government of India executing Electronic Media campaigns and does dissemination of Awareness Programs and Information about schemes, messages, advertisement and policies of different Ministries, Public Sector Undertaking (PSU's), Autonomous Bodies, Departments and organization under the Govt. of India, as per DAVP rates. Over a decade now, NFDC has been rendering services to more than 150 Ministries/ Departments/ Government Institutions in various verticals – Production, social media & Publicity/ Media Campaigns. NFDC handholds and facilitates the clients for information dissemination through Publicity/ Media Campaigns Publicity Campaigns are as per DAVP rates in Mobile Van Activity, Television, Radio, Digital Cinema Theatres, Digital Website, LED/LCD Screens etc. to create awareness, guide consumers/beneficiaries, and facilitate the effective implementation of Government initiatives. With the post pandemic situation, the media planning vertical is poised to revive in the coming years and some new clients have been associated with your Company. The performance of the vertical is mentioned hereunder :

वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस वर्टिकल का प्रदर्शन निम्नानुसार रहा :

The performance of the vertical in FY 2024-25 is mentioned hereunder :

अभियानों की कुल संख्या	Total no. of Campaigns	90
ग्राहकों की कुल संख्या	Total No. of Clients	19

₹ करोड़ में / ₹ in crore

ग्राहक के अनुसार ब्रेकअप	Client wise Breakup (₹ Cr)	
उपभोक्ता मामले विभाग	Department of Consumer Affairs	5.23
भारतीय वायु सेना	Indian Air Force	5.18
भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, गृह मंत्रालय	Indian Cyber Crime Coordination Centre, Ministry of Home Affairs	13
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	Ministry of New & Renewable Energy	17.25
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट	National Pension System Trust	10.19
अन्य	Others	8.83
कुल टर्नओवर	**Total Turnover**	**59.68**

5.8 सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया व्यवसाय

डिजिटल मीडिया माध्यम है जो एनएफडीसी द्वारा वर्मान समय में अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराए जाने वाले मीडिया मिक्स चैनल्स को सप्लीमेंट करता है. हमने अपने पोर्टफोलियो का विस्तार सिर्फ सोशल मीडिया प्रबंधन सेवाओं की पेशकश से लेकर डिजिटल अभियान, इन्फ्लुएंसर आउटरीच प्रोग्राम, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन (एसईओ) और वेबसाइट विकास तक किया है. एनएफडीसी ने नीचे दिए गए क्लाइंट्स को अपनी डिजिटल मीडिया सर्विस दी है :

1. संस्कृति मंत्रालय/एकेएम - सोशल मीडिया प्रबंधन
2. एआर एंड आईटी प्रभाग (संस्कृति मंत्रालय) - वेबसाइट प्रबंधन
3. प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग - सोशल मीडिया प्रबंधन
4. राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान - सोशल मीडिया प्रबंधन
5. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय - सोशल मीडिया प्रबंधन
6. भारत संचार निगम लिमिटेड - सोशल मीडिया प्रबंधन
7. आयुष मंत्रालय - सोशल मीडिया प्रबंधन एवं जनसंपर्क
8. भारतीय वायु सेना - दिशा प्रकोष्ठ - सोशल मीडिया प्रबंधन एवं विज्ञापन सेवाएँ
9. गृह मंत्रालय के अंतर्गत 14 सी - सोशल मीडिया प्रबंधन एवं जनसंपर्क
10. एनएमडीएफसी- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय - सोशल मीडिया प्रबंधन
11. एनपीएस ट्रस्ट - सोशल मीडिया एवं व्हाट्सएप एवं चैटबॉट प्रबंधन
12. आईएनसीओआईएस - सोशल मीडिया प्रबंधन

5.8 Social Media & Digital Media Business

Digital Media is a medium that supplements the existing channels of media mix offered by your Company to its clients. We have expanded our portfolio from just offering Social Media Management services to executing Digital Campaign, Influencer Outreach Programs, Search Engine Optimization (SEO) and Website Development. During the year, NFDC has provided its digital media services to the below mentioned clients :

1. Ministry of Culture/AKAM - Social Media Management
2. AR&IT Division (Ministry of Culture) – Website Management
3. Department of Administrative Reforms & Public Grievances – Social Media Management
4. National Institute of Electronics & Information Technology – Social Media Management
5. Ministry of Health & Family Welfare – Social Media Management
6. Bharat Sanchar Nigam Limited – Social Media Management
7. Ministry of Ayush- Social Media Management & Public Relation
8. Indian Air Force- Disha Cell- Social Media Management & Advertising Services
9. I4C under Ministry of Home Affairs- Social Media Management & Public Relation
10. NMDFC- Ministry of Minority Affairs- Social Media Management
11. NPS Trust- Social Media & Whatsapp & Chatbot Management
12. INCOIS- Social Media Management

वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस वर्टिकल का प्रदर्शन निम्नानुसार प्रस्तुत है :

The performance of the vertical in FY 2024-25 is mentioned hereunder :

₹ करोड़ में / ₹ in crore

ग्राहक	Client	राशि Amount
संस्कृति मंत्रालय/आजादी का अमृत महोत्सव	Ministry of Culture/AKAM	2.57 Cr
भारतीय वायु सेना – दिशा प्रकोष्ठ	Indian Air Force - Disha Cell	1.30 Cr
भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र	INCOIS	2.07 Cr
अन्य	Others	3.55
कुल	**Total**	**9.49 Cr**

वर्तमान के प्रवृत्तियों सामाजिक आउटरीच सहित और विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा डिजिटल मीडिया को दिए गए महत्व के साथ, डिजिटल मीडिया वर्टिकल में अपार संभावनाएं हैं और निगम के लिए एक प्रमुख राजस्व केंद्र बन सकता है.

5.9 वितरण

यह वर्टिकल विभिन्न रणनीतिक क्षेत्रों में कार्य करता है : घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में नाट्य वितरण, सिंडिकेशन और सामग्री का लाइसेंसिंग, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह और फिल्म बाजार. वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, आपकी कंपनी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए भारतीय सिनेमा को प्रदर्शित करने के लिए आधुनिक, बहु-प्लेटफ़ॉर्म माध्यमों का लाभ उठाकर अपनी पहुँच का सफलतापूर्वक विस्तार किया है. चिल्ड्रन्स फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया (सीएफएसआई) और फिल्म्स डिवीजन की विरासत सामग्री को लाइसेंसिंग सौदों के माध्यम से सक्रिय रूप से मुद्रीकृत किया जाता है और विभिन्न सामग्री प्लेटफार्मों पर प्रस्तुत किया जाता है, जिससे राजस्व स्रोतों में और वृद्धि होती है.

घरेलू बाजार में, स्काईस्क्रीन एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ 24 महीने की अवधि के लिए 142 एनएफडीसी लाइब्रेरी शीर्षकों के लिए एक विशेष लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके अधिकार वैश्विक क्षेत्रों तक फैले हुए हैं. प्रसार भारती और अमेज़न प्राइम वीडियो (सिनेमा ऑफ इंडिया ऐड-ऑन चैनल) के साथ राजस्व-साझाकरण लाइसेंसिंग साझेदारियाँ भी स्थापित की गईं. IN10 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड (एपिक ओन) और कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (सोनी) के साथ निरंतर साझेदारी ने एनएफडीसी के सिंडिकेशन इकोसिस्टम को और मज़बूत किया.

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आपकी कंपनी ने सत्यजीत रे की फिल्म पाथेर पांचाली के लिए स्टिचिंग आई फिल्म म्यूजियम (नीदरलैंड) के साथ तीन साल की अवधि के लिए लाइसेंसिंग समझौता किया. कार्लोटा फिल्म्स, ईडी डिस्ट्रीब्यूशन और माइंड ब्लोइंग फिल्म्स जैसे प्रमुख वितरकों के साथ साझेदारी अभी भी जारी है. इसके अतिरिक्त, एनएफडीसी ने सांस्कृतिक और राजनयिक कार्यक्रमों के लिए एनएफडीसी और अन्य स्वतंत्र प्रस्तुतियों सहित भारतीय सिनेमा की क्यूरेटेड सामग्री के वितरण को सुगम बनाने के लिए दुनिया भर में 50 से अधिक भारतीय मिशनों के साथ समन्वय किया.

कंपनी की फीचर फिल्में, वृत्तचित्र और बच्चों की सामग्री घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न फिल्म समारोहों, संग्रहालयों और फिल्म सोसायटियों में प्रदर्शित की गईं. इसके अलावा, स्कूली बच्चों के लिए गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में एलसीडी स्क्रीनिंग भी आयोजित की गईं.

वित्त वर्ष 2024-25 में विशेष आउटरीच पहलों में मंत्रालय की डीसीडीएफसी योजना के अंतर्गत स्वीकृत आदेशों के अनुसार, सात पूर्वोत्तर राज्यों में बच्चों की फिल्मों का व्यापक प्रदर्शन शामिल था. एनएफडीसी ने पूर्वोत्तर के आठ दूरस्थ जिलों : फेक (नागालैंड), तामेंगलोंग (मणिपुर), चंपई (मिजोरम), चांगलांग (अरुणाचल प्रदेश), ग्यालशिंग (सिक्किम), पेरेन (नागालैंड), साउथ गारो हिल्स (मेघालय) और धलाई (त्रिपुरा) में फिल्म प्रदर्शन आयोजित किए, जिनमें 37,000 से अधिक स्कूली बच्चों तक फिल्म पहुँची. ₹2.00 करोड़ के स्वीकृत बजट में से कुल ₹1.11 करोड़ का उपयोग किया गया.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, एनएफडीसी ने मार्चे डू कान्स (फ्रांस), यूरोपियन फिल्म मार्केट (बर्लिन) और फिल्मार्ट (हांगकांग) जैसे प्रतिष्ठित फिल्म बाजारों में अपनी मजबूत उपस्थिति बनाए रखी. ये प्लेटफ़ॉर्म ब्रांड निर्माण में महत्वपूर्ण रहे हैं और अग्रणी फेस्टिवल क्यूरेटर, वितरकों, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और वैश्विक कंटेंट खरीदारों के साथ सहयोग को बढ़ावा दिया है.

20-28 नवंबर 2024 तक आयोजित 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) में, NFDC ने "गाला प्रीमियर और रेड कार्पेट" खंड के तीसरे संस्करण का सफलतापूर्वक आयोजन किया. 53वें IFFI में शुरू की गई यह प्रतिष्ठित पहल, अप्रकाशित फिल्मों और OTT ओरिजिनल्स की विशेष रेड कार्पेट स्क्रीनिंग के माध्यम से दर्शकों को प्रतिभाओं से जोड़ती

With the recent trend of social outreach and the significance given to Digital Media by various Government Departments, the Digital Media vertical has immense potential and could become a major revenue center for the corporation.

5.9 Distribution

This vertical operates across various strategic segments : Theatrical Distribution, Syndication & Licensing of Content in Domestic & International territories, International Film Festivals, and Film Markets. During the FY 2024–25, your company has successfully expanded its outreach by leveraging modern, multi-platform avenues to showcase Indian cinema to national and international audiences. The legacy content from the Children's Film Society of India (CFSI) and Films Division are actively monetized through licensing deals and pitched to various content platforms, further enhancing revenue streams.

In the domestic market, an exclusive licensing agreement was signed with Skyscreen Entertainment Pvt. Ltd. for 142 NFDC library titles for a 24-month term, with rights extending across global territories. Revenue-sharing licensing partnerships were also established with Prasar Bharati and Amazon Prime Video (Cinemas of India Add-On Channel). Continuing partnerships with IN10 Media Pvt. Ltd. (EPIC ON) and Culver Max Entertainment Pvt. Ltd. (Sony) further contributed to NFDC's syndication ecosystem.

On the international front, your Company secured a licensing deal with Stichting Eye Film Museum (Netherlands) for Satyajit Ray's Pather Panchali for a three-year term. Partnerships with leading distributors such as Carlotta Films, ED Distribution, and Mind Blowing Films remain active. Additionally, NFDC coordinated with over 50 Indian Missions worldwide to facilitate curated content distributions of Indian cinema, including that of NFDC and other independent productions, for cultural and diplomatic events.

The Company's feature films, documentaries, and children's content were showcased at various film festivals, museums, and film societies both domestically and internationally. Also, LCD screenings were conducted in Gujarat, Maharashtra, and Rajasthan for school-going children.

Special outreach initiatives during the FY 2024–25 included extensive exhibition of children's films across seven North Eastern States as per the sanction orders under the DCDFC Scheme of the Ministry. NFDC conducted film screenings in eight remote districts of the North East : Phek (Nagaland), Tamenglong (Manipur), Champai (Mizoram), Changlang (Arunachal Pradesh), Gyalshing (Sikkim), Peren (Nagaland), South Garo Hills (Meghalaya), and Dhalai (Tripura), reaching over 37,000 school children. Against a sanctioned budget of ₹2.00 crore, Total of ₹1.11 crore was utilised.

Internationally, NFDC maintained a strong presence at prestigious film markets such as Marché du Cannes (France), European Film Market (Berlin), and FILMART (Hong Kong). These platforms were pivotal in brand-building, fostering collaborations with A-list festival curators, distributors, international media, and global content buyers.

At the 55th International Film Festival of India (IFFI), held from 20–28 November 2024, NFDC successfully curated the third edition of the "Gala Premieres & Red Carpet" segment. Introduced at 53rd IFFI, this celebrated initiative connects audiences with talent through exclusive red carpet screenings of unreleased films and OTT originals. The segment has grown to become a marquee attraction,

है. यह खंड मुख्यधारा की दृश्यता और कलात्मक अखंडता के संगम पर सिनेमा का जश्न मनाते हुए एक प्रमुख आकर्षण बन गया है.

इस वर्ष के संस्करण में 15 गाला प्रीमियर और लगभग 100 रेड कार्पेट कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें निर्देशकों, कलाकारों और रचनाकारों की सक्रिय भागीदारी रही. श्रेणियों में भारतीय पैनोरमा, अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा, पुनर्स्थापित क्लासिक्स और विशेष फोकस खंड शामिल थे, जिससे एक ऐसा माहौल बना जहाँ स्वतंत्र सिनेमा और सेलिब्रिटी-आधारित कहानी कहने का संगम हुआ. यह पहल आईएफएफआई के समावेशिता, उत्कृष्टता और वैश्विक सांस्कृतिक आदान-प्रदान के मिशन की पुष्टि करती है.

5.10 फिल्म बाज़ार और स्क्रिन राइटर्स लैब

5.10 फिल्म बाज़ार

2007 से राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) द्वारा आयोजित, फिल्म बाजार विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय और दक्षिण एशियाई फिल्म बिरादरी के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया एक मंच है. फिल्म बाजार फिल्म बनाना, फिल्म निर्माण और वितरण के क्षेत्र में दक्षिण एशियाई सामग्री और प्रतिभा की खोज, समर्थन और प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करता है. दुनिया भर के फिल्म खरीदारों और विक्रेताओं का एक अभिसरण बिंदु, फिल्म बाजार का उद्देश्य दक्षिण एशियाई क्षेत्र में विश्व सिनेमा की बिक्री को सुविधाजनक बनाना है. एनएफडीसी फिल्म बाजार भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) के साथ प्रति वर्ष मैरियट रिसोर्ट, गोवा, भारत में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा दक्षिण एशियाई फिल्म बाजार है.

गोवा के मैरियट होटल में 20 से 24 नवंबर 2024 तक आयोजित फिल्म बाज़ार का 18वां संस्करण सिनेमाई उत्कृष्टता और वैश्विक सहयोग का एक ओजस्वी समारोह था. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) द्वारा 2007 में अपनी शुरुआत के बाद से, फिल्म बाज़ार फिल्म निर्माताओं, उद्योग के पेशेवरों और सिनेमा प्रेमियों के लिए एक मंच बन गया है जहाँ वे एक साथ आते हैं, विचारों का आदान-प्रदान करते हैं और फिल्म के माध्यम से कहानी कहने की कला मनाते हैं.

एशिया के प्रमुख फिल्म बाज़ारों में से एक के रूप में, फिल्म बाज़ार निरंतर विकसित हो रहा है, जिसमें उभरते फिल्म निर्माताओं और अनुभवी फिल्म निर्माताओं, दोनों की सम्मोहक कहानियों, आधुनिक कहानी कहने की कला और अभूतपूर्व कृतियों का विविध मिश्रण प्रदर्शित होता है. यह सहयोग, वित्तीय अवसरों और नेटवर्किंग के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में कार्य करता है, जहाँ दुनिया भर से प्रतिनिधि भाग लेते हैं. इस वर्ष, इस आयोजन में 30 देशों के 2332 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसने अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान के केंद्र के रूप में इसकी भूमिका को और पुष्ट किया.

अपनी प्रेरक प्रस्तुतियों और गतिशील संवादों के माध्यम से, फिल्म बाज़ार के 18वें संस्करण ने एक प्रभावशाली बाज़ार के रूप में अपनी स्थिति की पुष्टि की जो रचनात्मक तालमेल को बढ़ावा देता है और सिनेमा की सार्वभौमिक भाषा को बढ़ावा देता है.

एक नई पहल वीएफएक्स और टेक पैवेलियन, जिसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) का समर्थन प्राप्त था, इस आयोजन का एक और मुख्य आकर्षण रहा, जिसने प्रमुख अंतरराष्ट्रीय उद्योग जगत के दिग्गजों को आकर्षित किया. यह पैवेलियन फिल्म निर्माण में बदलाव लाने में तकनीक की भूमिका का प्रमाण था, जिसने अभूतपूर्व नवाचारों के माध्यम से सिनेमाई अनुभवों के भविष्य की एक झलक पेश की. उदाहरण के लिए, नेटफ्लिक्स ने अपना "वॉइसबॉक्स" डबिंग बूथ प्रदर्शित किया, जो एक ऐसा उपकरण है जो वॉयस-ओवर कलाकारों को सशक्त बनाता है और साथ ही कंटेंट निर्माण में समावेशिता को बढ़ावा देता है. यूट्यूब ने जेमिनी लाइव और ड्रीम स्क्रीन जैसे एआई-संचालित उपकरण पेश किए, जिन्हें रचनात्मक प्रक्रिया को बेहतर बनाने और प्रोडक्शन वर्कफ़्लो को सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो कहानी कहने को एक रोमांचक नया आयाम प्रदान करते हैं.

फिल्म निर्माण जगत की दिग्गज कंपनी सोनी ने अपने अत्याधुनिक कैमरे प्रस्तुत किए, जो फिल्म निर्माण के हर चरण में फिल्म निर्माताओं के लिए पेशेवर समाधान प्रदान करते हैं. एक अन्य प्रमुख कंपनी, प्रसार भारती ने

celebrating cinema at the intersection of mainstream visibility and artistic integrity.

This year's edition featured 15 Gala Premieres and nearly 100 Red Carpet events, with active participation from directors, cast, and creators. Categories spanned across Indian Panorama, International Cinema, Restored Classics, and special focus sections, fostering a space where independent cinema meets celebrity-led storytelling. The initiative continues to reaffirm IFFI's mission of inclusivity, excellence, and global cultural exchange.

5.10 Film Bazaar and Screenwriter Lab

Film Bazaar

Your Company is organizing Film Bazaar since 2007 and it is a platform exclusively created to encourage collaboration between the international and South Asian film fraternity. The Bazaar focuses on discovering, supporting and showcasing South Asian content and talent, in the realm of filmmaking, production and distribution. A converging point for film buyers and sellers from all over the world, the Bazaar aims at facilitating sales of world cinema in the South Asian region. NFDC Film Bazaar is the largest South Asian film market organized alongside the International Film Festival of India (IFFI), every year at the Marriott Resort, Goa, India.

The 18th edition of the Film Bazaar, held from 20th - 24th November 2024 at the Marriott, Goa, was a vibrant celebration of cinematic excellence and global collaboration. Since its inception in 2007 by the National Film Development Corporation (NFDC), the Film Bazaar has become an essential platform for filmmakers, industry professionals, and cinema enthusiasts to converge, exchange ideas, and celebrate the art of storytelling through film.

As one of the premier film markets in Asia, the Film Bazaar has continuously evolved, showcasing a diverse mix of compelling narratives, avant-garde storytelling, and groundbreaking works from both emerging filmmakers and seasoned industry veterans. It serves as a pivotal space for collaborations, financing opportunities, and networking, with delegates attending from across the globe. This year, the event saw the participation of 2332 delegates from 30 countries, further reinforcing its role as a hub for international cultural exchange.

Through its inspiring presentations and dynamic interactions, the 18th edition of the Film Bazaar reaffirmed its position as an influential marketplace that fosters creative synergies and promotes the universal language of cinema.

A new initiative VFX & Tech Pavilion, supported by the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI), was another focal point of the event, attracting major international industry players. The pavilion was a testament to the role of technology in transforming filmmaking, offering a glimpse into the future of cinematic experiences through groundbreaking innovations. Netflix, for example, showcased its "Voicebox" dubbing booth, a tool that empowers voice - over artists while promoting inclusivity in content creation. YouTube introduced AI - powered tools like Gemini Live and Dream Screen, designed to enhance the creative process and streamline production workflows, offering an exciting new dimension to storytelling.

Sony, a stalwart in the filmmaking world, presented its state - of - the - art cameras, providing professional - grade solutions for filmmakers at every stage of production. Prasar Bharati, another key player, launched its OTT

अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स लॉन्च किया, जो विविध भारतीय सामग्री को वैश्विक दर्शकों तक पहुँचाने का वादा करता है.

वीएफएक्स और टेक पैवेलियन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ने वैश्विक तकनीकी प्रगति और भारतीय फिल्म निर्माण के बीच तालमेल को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने मीडिया और मनोरंजन के उभरते परिदृश्य पर ज़ोर दिया. अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिग्गजों के योगदान ने फिल्म निर्माण में नवीनतम उपकरणों, तकनीकों और नवाचारों की खोज के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में फिल्म बाजार की स्थिति को और पुष्ट किया.

को प्रोडक्शन मार्केट - को प्रोडक्शन मार्केट का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सह-निर्माण के अवसरों को बढ़ाने के लिए फ़िल्म पेशेवरों को एक साथ लाना था. इस वर्ष, फ़िल्म बाज़ार सलाहकार श्री जेरोम पैलार्ड के मार्गदर्शन में, सह-निर्माण बाज़ार फ़ीचर के लिए चयनित परियोजनाओं का मूल्यांकन मूल्यांकन समिति के सदस्यों द्वारा कई प्रमुख मानदंडों के आधार पर किया गया, जिनमें कहानी की मौलिकता, वैश्विक और स्थानीय अपील, प्रासंगिकता, दर्शकों की सहभागिता, वितरण क्षमता, बिक्री के अवसर, सह-निर्माण की संभावनाएँ और निर्माण योजना शामिल हैं. समिति के सदस्यों में मैरी पियरे वैले, नईम महबूब, बिच-क्वान ट्रान, अन्ना सिएनिक, गौरी शिंदे, हार्दिक मेहता, डोमिनिक वेलिंस्की और मिरियम जोसेफ शामिल थे.

इस वर्ष, हमें दुनिया भर से 180 से अधिक प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं. एक कठोर मूल्यांकन प्रक्रिया और गहन विचार-विमर्श के बाद, 20 परियोजनाओं का चयन किया गया. "द वैम्पायर ऑफ़ शेउंग शुई" को एनएफडीसी और एशिया टीवी फोरम एंड मार्केट (एटीएफ) के बीच एक क्रॉस-एक्सचेंज पहल के तहत पार्टनरशिप के ज़रिए को-प्रोडक्शन मार्केट फ़ीचर में शामिल किया गया था. चयनित परियोजनाओं में से एक, "कोठियाँ - मछुआरे मनुष्य" को एटीएफ के लिए आमंत्रित प्रविष्टि के रूप में भेजा गया है. ये परियोजनाएँ, 12 भाषाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं और आठ देशों - भारत, बांग्लादेश, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, जर्मनी और होंगकाँग से हैं.

फिल्म बाजार ने पहली बार अपने सह-निर्माण बाज़ार फीचर में नकद पुरस्कार शुरू किए हैं, जिसमें शीर्ष तीन परियोजनाओं को पुरस्कृत किया जाएगा. प्रथम पुरस्कार, 10,000 डॉलर का नकद अनुदान, पायल सेठी द्वारा निर्देशित और थानिकाचलम एसए द्वारा निर्मित "कुरिंजी" (द डिसएपियरिंग फ्लावर) को प्रदान किया गया. द्वितीय पुरस्कार, 5,000 डॉलर का नकद अनुदान, संजू सुरेंद्रन द्वारा निर्देशित और प्रमोद शंकर द्वारा निर्मित "कोठियाँ - मछुआरे मनुष्य" को प्रदान किया गया. तृतीय पुरस्कार, 5,000 डॉलर का नकद अनुदान, प्रांजल दुआ द्वारा निर्देशित और बिच - क्वान ट्रान द्वारा निर्मित "ऑल टेन हेड्स ऑफ रावण" को प्रदान किया गया.

वेब-सीरीज़ के लिए सह-निर्माण बाज़ार के पहले संस्करण में 8 देशों से 14 भाषाओं में 38 प्रभावशाली प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं. इन परियोजनाओं ने अपनी अनूठी कथाओं के माध्यम से विविध शैलियों का प्रतिनिधित्व किया. काफी ध्यान और गहन विचार-विमर्श के बाद, वेब-सीरीज़ को फिल्म बाज़ार में प्रस्तुत करने के लिए चुना गया. चयनित श्रृंखलाओं में ड्रामा, रोमांस, पीरियड ड्रामा, कॉमेडी, एक्शन, कमिंग-ऑफ़-एज, एडवेंचर और थ्रिलर सहित कई शैलियाँ शामिल थीं. यह परियोजनाएँ मुख्य रूप से 2 देशों - भारत और यूनाइटेड किंगडम का प्रतिनिधित्व करती थीं, और 7 भाषाओं - हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और फ्रेंच का प्रतिनिधित्व करती थीं.

इस संस्करण के लिए, एनएफडीसी फिल्म बाज़ार ने मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी के सहयोग से 'चौहान की बीएनबी - बेड और बसेरा' नामक एक वेब-सीरीज़ के साथ-साथ एक फीचर फिल्म 'बागी बेचारे' को भी चुना. इस सहयोग के तहत, मुकेश छाबड़ा की टीम इन दोनों परियोजनाओं के लिए निःशुल्क कास्टिंग सेवाएँ प्रदान करेगी.

वर्क इन प्रोग्रेस लैब - कार्य-प्रगति प्रयोगशाला चयनित फिल्म निर्माताओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सलाहकारों के एक प्रतिष्ठित पैनल के समक्ष अपने रफ कट को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करती है, जिसमें एक फिल्म महोत्सव निदेशक, फिल्म निर्माता, फिल्म समीक्षक, फिल्म

platform Waves, which promises to bring diverse Indian content to a global audience.

The international collaboration at the VFX & Tech Pavilion was instrumental in showcasing the synergies between global technological advancements and Indian filmmaking, emphasizing the evolving landscape of media and entertainment. The contributions from international technology giants further affirmed Film Bazaar's standing as a global hub for exploring the latest tools, techniques, and innovations in film production.

Co-Production Market – The Co-Production Market aimed to bring film professionals to enhance opportunities for international co-productions. This year, following the guidance of Film Bazaar Advisor Mr. Jerome Paillard, the projects selected for the Co-Production Market Feature were evaluated by a set of Evaluation Committee Members based on several key criteria, including story originality, global and local appeal, relevance, audience engagement, distribution potential, sales opportunities, Co-Production possibilities, and production planning. The committee members consisted of Marie Pierre Valle, Nayeem Mahbub, Bich - Quan Tran, Anna Ciennik, Gauri Shinde, Hardik Mehta, Dominique Welinski and Miriam Joseph.

This year, we received an overwhelming 180 submissions from around the world. After a rigorous evaluation process and careful deliberation, 20 projects were selected. "The Vampire of Sheung Shui" was included in the Co-Production Market Feature through a partnership between the NFDC and the Asia TV Forum & Market (ATF), as part of a cross-exchange initiative. One of the selected projects Kothiyan - Fishers of Men is sent as an invited entry for the ATF. These projects, representing 12 languages, come from eight countries – India, Bangladesh, USA, UK, Australia, Nepal, Germany and Hong Kong.

For the first time, Film Bazaar introduced cash prizes in its Co-Production Market Feature, awarding the top three projects. The First Prize, a cash grant of $10,000, was awarded to Kurinji (The Disappearing Flower), directed by Payal Sethi and produced by Thanikachalam SA. The Second Prize, a cash grant of $5,000, went to Kothiyan - Fishers of Men, directed by Sanju Surendran and produced by Pramod Sankar. The Third Prize, also a $5,000 cash grant, was awarded to All Ten Heads of Ravana, directed by Pranjal Dua and produced by Bich - Quan Tran.

The first edition of the Co-Production Market for Web-Series received an impressive 38 submissions from 8 countries, representing 14 languages. These projects represented diverse genres through their unique narratives. After much attention and careful consideration, Web-Series were shortlisted to be presented at the Film Bazaar. The selected series covered a wide array of genres including, but not limited to Drama, Romance, Period Drama, Comedy, Action, Coming-of-age, Adventure, and Thriller. These projects mainly represented 2 countries – India and the United Kingdom, representing 7 languages – Hindi, English, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam and French.

For this edition, NFDC Film Bazaar in collaboration with Mukesh Chhabra Casting Company, picked up one of the Web- Series titled 'Chauhan's BNB - Bed and Basera' along with one feature film 'Baghi Bechare'. As a part of this collaboration, Mukesh Chhabra's team will be offering free of cost casting services to these two projects.

Work-in-Progress Lab – The Work-In-Progress Lab offers selected filmmakers the opportunity to screen their rough cut to a distinguished panel of national and international advisors, including a film festival director, film producers,

निर्देशक और संपादक शामिल होते हैं. ये सलाहकार संपादन पर अमूल्य प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं, जिसका उद्देश्य फिल्म निर्माता को एक बेहतरीन अंतिम कट प्राप्त करने में मदद करना है. यह प्रयोगशाला विशेष रूप से अपने रफ कट चरण में फिक्शन फीचर फिल्मों के लिए खुली है, और इस वर्ष के कार्यक्रम के लिए अधिकतम छह फिल्मों का चयन किया जाता है.

व्यूइंग रूम – व्यूइंग रूम ने 2024 की सबसे हाल की भारतीय और दक्षिण एशियाई फ़िल्में प्रस्तुत कीं जो या तो पूरी हो चुकी थीं या संपादन और पोस्ट-प्रोडक्शन के अंतिम चरण में थीं. एनएफडीसी फ़िल्म बाज़ार ने इस बाज़ार में आने वाले खरीदारों, फ़िल्म प्रोग्रामर, वितरकों, विश्व बिक्री एजेंटों और निवेशकों को विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए सॉफ़्टवेयर के माध्यम से फ़िल्में देखने के लिए आमंत्रित किया. असमिया, बंगाली, छत्तीसगढ़ी, ढूंढाड़ी, अंग्रेजी, गद्दी, गालो, गढ़वाली, गुजराती, हरियाणवी, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, खासी, कोकबोरोक, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी/मैतेई, मराठी, मारवाड़ी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, राजस्थानी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, तुलु, उर्दू, रोंगमेई, बोरो, सिक्किम, भूटिया और मार्कोडी सहित 30 से अधिक भाषाओं में भारत के विभिन्न वर्गों से कुल 205 फिल्में प्रस्तुत की गई.

मार्केट स्क्रीनिंग – मार्केट स्क्रीनिंग फिल्म बाजार का एक मंच है जो फिल्म निर्माताओं/निर्माताओं को बाजार में आने वाले अंतरराष्ट्रीय बिक्री एजेंटों, वितरकों, फिल्म महोत्सव प्रोग्रामरों के चुनिंदा दर्शकों को अपनी तैयार फिल्में दिखाने का अवसर देता है. कुल 40 फिल्में प्रदर्शित की गई, जिनमें 10 लघु फिल्में, 3 डॉक्यूमेंट्री फिल्में, 30 फिक्शन फीचर फिल्में 13 नवोदित निर्देशकों सहित शामिल हैं.

कन्ट्री एंड स्टेट पैवेलियन - फिल्म बाज़ार का 2024 संस्करण विविध अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों का एक उल्लेखनीय संगम था, जिसमें 10 देशों और 14 भारतीय राज्यों ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में अपनी ताकत और क्षमताओं का प्रदर्शन किया. देश और राज्य मंडप इस वर्ष के आयोजन की आधारशिला था, जिसने दुनिया भर के प्रतिनिधियों को नेटवर्क बनाने, अंतर्दृष्टि साझा करने और वैश्विक फिल्म उद्योग में अवसरों का पता लगाने का अवसर प्रदान किया.

ऑस्ट्रेलिया, भूटान, बेलारूस, हाँगकाँग, जापान, किर्गिस्तान, रूस, सऊदी अरब, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम सहित देशों ने इस आयोजन की व्यापक अंतरराष्ट्रीय अपील को प्रदर्शित करते हुए प्रतिनिधित्व किया. इन देशों ने अपनी अनूठी फिल्म निर्माण संस्कृतियों और दृष्टिकोणों के साथ, तेजी से विकसित हो रहे उद्योग में सीमा पार सहयोग के महत्व को रेखांकित किया. इसके अलावा, असम, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तराखंड जैसे भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसने भारत के अपने दोलनशील फिल्म निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र और क्षेत्रीय सिनेमा की बढ़ती मान्यता पर जोर दिया.

इन विविध देशों की भागीदारी ने फिल्म बाज़ार की एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय मंच के रूप में भूमिका को उजागर किया जो न केवल संवाद को सुगम बनाता है, बल्कि फिल्म उद्योग के आदान-प्रदान को भी बढ़ावा देता है जो दुनिया भर में सिनेमा के विकास और स्थायित्व के लिए महत्वपूर्ण है. चर्चाओं में फिल्म नीति विकास, फिल्मांकन प्रोत्साहन और फिल्म निर्माण के आर्थिक लाभों सहित कई विषयों पर चर्चा हुई, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि सभी प्रतिभागी, अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय, वैश्विक सिनेमा के भविष्य को आकार देने में योगदान दे सकें.

नॉलेज सीरिज – नॉलेज सीरिज में फिल्म उद्योग के प्रमुख निर्णय निर्माताओं और बाजार चालकों के साथ विशेष रूप से क्यूरेटेड प्रस्तुतियां, व्याख्यान और पैनल चर्चाएं शामिल हैं. बाज़ार के 4 दिनों के दौरान कुल 25 सत्र आयोजित किये गये.

एपिसोडिक कहानी कार्यशाला – बुक टू बॉक्स ऑफिस का उद्देश्य लेखकों और निर्माताओं के बीच विचारों के आदान-प्रदान के लिए फिल्म बाजार में एक बाजार बनाना है, एक ऐसा केंद्र जहां लिखित शब्द को अंततः बड़े पर्दे के लिए अनुकूलित किया जा सके.

film critics, film directors, and editors. These advisors provide invaluable feedback on the edit, aimed at helping the filmmaker achieve a polished final cut. The Lab is exclusively open to fiction feature films in their rough cut stage, with a maximum of six films selected for this year's program.

Viewing Room – Viewing Room presented the most recent Indian and South Asian films of 2024 that were either completed or in the final stages of editing and post-production. NFDC Film Bazaar invited buyers, film programmers, distributors, world sales agents and investors attending this market to view the films via the specially designed software. A Total 205 films were submitted from a cross - section of India in over 30 languages including Assamese, Bengali, Chhattisgarhi, Dhundhari, English, Gaddi, Galo, Garhwali, Gujarati, Haryanvi, Hindi, Kannada, Kashmiri, Khasi, Kokborok, Konkani, Maithili, Malayalam, Manipuri/Meitei, Marathi, Marwari, Nepali, Odia, Punjabi, Rajasthani, Sanskrit, Tamil, Telugu, Tulu, Urdu, Rongmei, Boro, Sikkemese, Bhutia and Markodi.

Market Screenings – Market Screenings is a platform at Film Bazaar that gives an opportunity to filmmakers/producers to showcase their finished films to a select audience of international sales agents, distributors, film festival programmers attending the market. Total of 40 films which includes 10 short films, 3 documentary films, 30 fiction feature films with 13 debut directors.

Country and State Pavilions – The 2024 edition of Film Bazaar was a remarkable confluence of diverse international participants, with 10 countries and 14 Indian states showcasing their strengths and capabilities in the filmmaking domain. The Country and State Pavilion was a cornerstone of this year's event, offering delegates from around the world the opportunity to network, share insights, and explore opportunities in the global film industry.

Countries including Australia, Bhutan, Belarus, Hong Kong, Japan, Kyrgyzstan, Russia, Saudi Arabia, Spain, and the United Kingdom were represented, demonstrating the broad international appeal of the event. These nations, with their unique filmmaking cultures and approaches, underscored the importance of cross - border collaboration in a rapidly evolving industry. In addition, representatives from Indian states such as Assam, Delhi, Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, Tamil Nadu, and Uttarakhand participated, emphasizing India's own vibrant filmmaking ecosystem and the growing recognition of regional cinema.

The participation of these diverse countries highlighted Film Bazaar's role as an international platform that not only facilitates dialogue but also promotes film industry exchanges that are key to the growth and sustainability of cinema worldwide. The discussions covered a wide range of topics, including film policy development, filming incentives, and the economic benefits of film production, ensuring that all participants, both international and local, could contribute to shaping the future of global cinema.

Knowledge Series – Knowledge Series consists of specially curated presentations, lectures and panel discussions with key decision-makers and market drivers of the film industry. Total of 25 sessions were held during the 4 days of the Bazaar.

Episodic Storytelling Workshop – The purpose of Book to Box Office is to create a marketplace at Film Bazaar for the exchange of ideas between authors and producers, a hub where the written word can eventually be adapted for the big screen.

इस साल, बुक टू बॉक्स ऑफिस ने फिल्म बाज़ार में चार दिवसीय पॉप-अप के लिए द स्टोरी इंक के साथ भागीदारी की है, जिसमें क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा क्यूरेटेड मीट-एंड-ग्रीट्स, नेटवर्किंग इवेंट और "बीचसाइड चैट" शामिल होंगे. इसका मुख्य उद्देश्य रचनात्मक लेखकों को अपना काम प्रस्तुत करने और इन कहानियों को मनोरंजन उद्योग के द्वारपालों - हमारे निर्माताओं और प्लेटफ़ॉर्म के प्रमुखों से परिचित कराने के लिए एक मंच प्रदान करना है. बुक टू बॉक्स ऑफिस का उद्देश्य न केवल लेखकों और निर्माताओं के बीच बेहतरीन तालमेल बनाना है, बल्कि वास्तविक सौदों को प्रोत्साहित करना, नैतिक रूप से 'अधिकार' बेचना भी है. प्रतिष्ठित लेखकों, निर्देशकों, निर्माताओं और ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म प्रमुखों के एक समूह को प्रतिष्ठित जूरी में शामिल होने के लिए चुना गया था.

निर्माता कार्यशाला - निर्माता कार्यशाला 2024 एक शानदार सफलता रही, जिसमें दुनिया भर के 16 प्रतिभाशाली निर्माता एक साथ आए. इस वर्ष की कार्यशाला का उद्देश्य प्रतिभागियों को फिल्म उद्योग में सफलता के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और नेटवर्क से लैस करना था. इस कार्यक्रम ने विशेष समूह-आधारित मार्गदर्शन के स्वरूप को आगे बढ़ाया. कार्यशाला के पाँच दिनों में गहन मास्टर कक्षाएं, कार्यशालाएँ, केस स्टडीज़ का प्रदर्शन और यहाँ तक कि व्यक्तिगत मार्गदर्शन सत्र भी आयोजित किए गए.

फ़िल्म बाज़ार 2020 - 2023 की वे फ़िल्में जिनका प्रीमियर 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 में हुआ था या 2024 में होने वाला है. पिछले संस्करणों की कुछ फ़िल्में अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह में प्रदर्शित हो चुकी हैं या प्रदर्शित होने वाली हैं और चुनिंदा देशों में वितरित की गई हैं :

विश्व प्रीमियर : 24 मई 2023 को 76वें कान फ़िल्म समारोह के निर्देशकों के पखवाड़े खंड में आगरा का प्रदर्शन, सिद्धार्थ जटला की इन द बेली ऑफ़ अ टाइगर का विश्व प्रीमियर - 73वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह 2024 (फ़ोरम खंड), शिरकोआ - ईशान शुक्ला की इन लाइज़ वी ट्रस्ट - रॉटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह (आईएफएफआर) 2024 में विश्व प्रीमियर, शुचि तलाटी की गर्ल्स विल बी गर्ल्स - सनडांस फ़िल्म समारोह में विश्व प्रीमियर, वरुण ग्रोवर की अखिल भारतीय रैंकिंग - रॉटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह (आईएफएफआर) में विश्व प्रीमियर 2023, बहादुर - दीवा शाह द्वारा द ब्रेव - सैन सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023, हर्षद नलावडे द्वारा फॉलोअर - रॉटरडैम के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआर) 2023 में विश्व प्रीमियर, जय शंकर द्वारा शिवम्मा - बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में विश्व प्रीमियर, एक जगह अपनी (हमारा अपना स्थान) एकतारा कलेक्टिव द्वारा - टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में विश्व प्रीमियर, पाका (रक्त की नदी) नितिन लुकोसे द्वारा - टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में विश्व प्रीमियर, अजीतपाल सिंह द्वारा माउंटेंस में आग - सनडांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में विश्व प्रीमियर, इरफाना मजूमदार द्वारा शंकर की परियां - लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल 2021 में विश्व प्रीमियर, प्रसून चटर्जी द्वारा दोस्तोजी (दो दोस्त) - बीएफआई लंदन फिल्म फेस्टिवल 2021 में विश्व प्रीमियर., बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में प्रीमियर. पुष्पेंद्र सिंह द्वारा लैला और सत्त गीत (द शेफर्डेस एंड द सेवन सॉन्ग्स) विश्व प्रीमियर - 70वां बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020, (एनकाउंटर सेक्शन), हांगकांग आईएफएफ - यंग सिनेमा प्रतियोगिता (विश्व), जीओनजू आईएफएफ, वैंकूवर आईएफएफ, मॉन्ट्रियल न्यू सिनेमा एफएफ, साओ पाओलो आईएफएफ, अरुण कार्तिक द्वारा नासिर प्रीमियर - टाइगर प्रतियोगिता में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ रॉटरडैम (आईएफएफआर). डेचेन रोडर द्वारा आई, द सॉन्ग फिल्म वर्तमान में फंड जुटाने के चरण में है, लेकिन उनके पहले से मौजूद फ्रांसीसी सह-निर्माता के अलावा एक नॉर्वेजियन सह-निर्माता भी है. सुषमा खाडेपौ द्वारा सबरस (नमक) इस परियोजना में अब एक अमेरिकी निर्माता है और यह एसएफएफआईएलएम वेस्ट्रिज ग्रांट के लिए फाइनलिस्ट भी है. भास्कर हजारिका द्वारा आमिस प्रतीक वत्स द्वारा विश्व प्रीमियर - पिंग्याओ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (PYIFF), 2019, 70वां बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 (पैनोरमा सेक्शन), किसलय फिल्म फेस्टिवल्स द्वारा ऐसे ही (जस्ट लाइक दैट) - विश्व प्रीमियर

This year, Book to Box Office has partnered with The Story Ink for a four-day pop-up at the Film Bazaar, which will include curated meet-and-greets, networking events, and "beachside chats" by experts in the field. The main objective is to provide creative authors a platform to submit their work and introduce these stories to the gatekeepers of the entertainment industry – our producers and heads of platforms. Book to Box Office not only aims for the best union of authors with producers, but also encourages genuine deals, selling 'rights' ethically. A group of esteemed writers, directors, producers, and OTT platform heads were picked to be in the prestigious jury.

Producers' Workshop - Producer Workshop 2024 was a resounding success, bringing together 16 talented producers from around the world. This year's workshop was designed to equip participants with the knowledge, skills, and networks necessary to succeed in the film industry. The program carried forward the format of exclusive group-based mentor support. The five days of the workshop were programmed with intensive master classes, workshops, demonstration of case studies and even one-on-one mentoring post sessions.

Films from Film Bazaar 2020 - 2023 that were Premiered in 2020 – 2021- 2022 - 2023 - 2024 or to be premiered in 2024. Some films from previous editions got screened or are to be screened at the international film festival and got distribution in selected countries :

World Premiere : Agra debuted at the Directors' Fortnight section of the 76th Cannes Film Festival on 24 May 2023, In the Belly of a Tiger by Siddhartha Jatla World Premiere – 73rd Berlin International Film Festival 2024 (Forum section), Schirkoa – In lies we trust by Ishan Shukla - World Premiere at International Film Festival of Rotterdam (IFFR) 2024, Girls will be Girls by Shuchi Talati - World Premiere at Sundance Film Festival, All India Rank by Varun Grover - World Premiere at International Film Festival of Rotterdam (IFFR) 2023, Bahadur – The Brave by Diwa Shah - San Sebastián International Film Festival 2023, Follower by Harshad Nalawade - World Premiere at International Film Festival of Rotterdam (IFFR) 2023, Shivamma by Jai Shankar - World Premiere at Busan International Film Festival 2022, Ek Jagah Apni (A Space of our Own) by Ektara Collective - World Premiere at tokyo International Film Festival 2022, Paka (River of Blood) by Nithin Lukose - World Premiere at toronto International Film Festival 2021, Fire in the Mountains by Ajitpal Singh - World Premiere at Sundance Film Festival 2021, Shankar's Fairies by Irfana Majumdar - World Premiere at Locarno Film Festival 2021, Dostojee (Two Friends) by Prasun Chatterjee - World Premiere at BFI London Film Festival 2021., Pedro by Natesh Hegde - World Premiere at Busan International Film Festival 2021. Laila Aur Satt Geet (The Shepherdess and the Seven Songs) by Pushpendra Singh World premiere - 70th Berlin International Film Festival 2020, (Encounters section), Hong Kong IFF - Young Cinema Competition (World), Jeonju IFF, Vancouver IFF, Montreal New Cinema FF, Sao Paolo IFF, Nasir by Arun Karthick Premiered - International Film Festival of Rotterdam (IFFR) in Tiger Competition. I, the Song by Dechen Roder the film is currently in the fund-raising stage but has a Norwegian co-producer in addition to their already existing French co-producer. Sabras (Salt) by Sushma Khadepau The project now has a US producer and is also a finalist for SFFILM Westridge Grant. Aamis by Bhaskar Hazarika World Premiere - Tribeca Film Festival in 2019. Eeb Allay Ooo! by Prateek Vats World premiere - Pingyao International Film Festival (PYIFF), 2019, 70th Berlin International Film Festival 2020 (Panorama section), Aise Hee (Just Like That) by Kislay Film Festivals - World premiere - Busan

- बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, 2019 और कई अन्य फिल्में. कुलदीप पटेल द्वारा पवई का विश्व प्रीमियर न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म महोत्सव 2022 में हुआ था. (डब्ल्यूआईपी लैब 2020)

पटकथा लेखकों की प्रयोगशाला

यह खंड की स्थापना भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए व्यावसायिक विकास की रूपरेखा प्रदान करने के लिए की गई है जो पहले से ही कार्य क्षेत्र में स्थापित हैं या फिल्म और/या मीडिया अध्ययन के बाद अपने करियर का विकास कर रहे हैं. एनएफडीसी लैब्स परियोजना-आधारित कार्यशालाओं, प्रयोगशालाओं और मास्टर-क्लासों के माध्यम से प्रतिभाशाली लेखकों और निर्देशकों के कामकाजी अभ्यास को गहरा और बढ़ाने का प्रयास करती है. विभिन्न चरणों में स्क्रिप्ट के विकास के लिए प्रयोगशालाएँ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित उद्योग विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में हैं. एनएफडीसी लैब्स स्थापित और उभरते भारतीय फिल्म निर्माताओं दोनों के लिए व्यावसायिक विकास की एक रूपरेखा प्रदान करती है. स्क्रिप्ट डेवलपमेंट लैब्स को 3 भाग के सत्र में व्यवस्थित और सावधानीपूर्वक संकलित किया जाता है, जो किसी प्रोजेक्ट के समग्र रचनात्मक स्क्रिप्ट विकास के लिए एक स्वस्थ परिपक्व अवधि की अनुमति देने के लिए पांच महीने की अवधि में फैला हुआ है. प्रत्येक सत्र एक सप्ताह की अवधि का होता है, जहां प्रतिभागियों को समूह चर्चा के साथ-साथ सलाहकारों के साथ एक-पर-एक सत्र में अपनी स्क्रिप्ट पर चर्चा करने का मौका मिलता है. कुछ स्क्रिप्ट्स जो शुरुआत से ही प्रयोगशाला में विकसित की गई और सफल फिल्मों में बनीं, वे हैं द लंचबॉक्स, दम लगा के हईशा, तितली, लिपस्टिक अंडर माई बुर्का, द गुड रोड, चौरंगा, आइलैंड सिटी, फायर इन द माउंटेंस, इन द बेली ऑफ ए टाइगर, रुज, गोस कोटा मनुह (द वुडकटर) उल्लोझुक्कू, बॉम्बे रोज़, प्रमाण पत्र, आदि.

स्क्रीनराइटर्स लैब 2024 (फीचर) के लिए देशभर से कुल 154 आवेदन प्राप्त हुए. वहीं, स्क्रीनराइटर्स लैब 2024 (वेब सीरीज़) के लिए विभिन्न शैलियों और विषयों से संबंधित कुल 48 आवेदन प्राप्त हुए. कुल आठ परियोजनाओं का चयन SWL 2024 के लिए किया गया, जिनमें (6 फीचर फिल्मों तथा 2 वेब सीरीज़) के लिए शामिल थीं. स्क्रीनराइटर्स लैब 2024 का पहला सत्र भौतिक रूप से आयोजित किया गया, दूसरा सत्र ऑनलाइन आयोजित हुआ, तथा तीसरा और अंतिम सत्र फिल्म बाज़ार, गोवा के आयोजन से 4 दिन पूर्व आयोजित किया गया.

एनएफडीसी लैब्स

यह खंड का उद्देश्य भारतीय फिल्म समुदाय के लिए पेशेवर फिल्म निर्माताओं के लिए प्रशिक्षण, निर्देशन, लेखन, संपादन, छायांकन और निर्माण जैसे मुख्य विषयों में कार्यशालाएँ और मास्टर क्लास प्रदान करना था, ताकि फिल्म क्षेत्र में मध्य-करियर प्रशिक्षण अवसरों के क्षेत्र में अंतर को दूर किया जा सके. 2024 में हमने स्क्रीनराइटर्स लैब का आयोजन किया, जिसमें 8 लेखकों ने 5 महीने तक 3 गहन सत्रों में भाग लिया, जिसमें भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मेंटरों द्वारा स्क्रिप्ट का मार्गदर्शन किया गया.

5.11 समारोह प्रकोष्ठ :

फिल्म महोत्सव निदेशालय (डीएफएफ) की स्थापना 1973 में की गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य अच्छे सिनेमा को बढ़ावा देना. एनएफडीसी के साथ इसके विलय के बाद, पूर्ववर्ती डीएफएफ की गतिविधियां अब एनएफडीसी द्वारा की जा रही हैं. इनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हैं :

(क) अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, भारत

(ख) सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम और विदेशों में मिशनों के माध्यम से भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग का आयोजन;

(ग) भारतीय पैनोरमा का चयन

(घ) विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भाग लेना

(ड़) भारत सरकार की ओर से विशेष फिल्म प्रदर्शनी और

(च) प्रिंट संग्रह एवं दस्तावेज़ीकरण.

यह गतिविधियां भारत और क्षेत्र के अन्य देशों के बीच विचारों, संस्कृति और अनुभवों के आदान-प्रदान करने हेतु सिनेमा का अनूठा मंच प्रदान करती हैं. यह भारतीय सिनेमा को एक सशक्त मंच भी प्रदान करता है तथा भारतीय फिल्मों के लिए व्यावसायिक अवसरों को बढ़ावा देता है. देश के भीतर, वैश्विक सिनेमा में नवीनतम ट्रेंड्स को आम जनता, फिल्म उद्योग और छात्रों के लिए सुलभ बनाया जाता है.

International Film Festival, 2019 and many more Films. Powai by Kuldip Patel had its World Premiere at New York Indian Film Festival 2022. (WIP Lab 2020)

Screenwriters' Lab

This segment has been established to provide a framework of professional development for Indian filmmakers already established in the work field or developing their careers following Film and/or Media studies. NFDC Labs seeks to deepen and enhance the working practice of talented writers and directors, through project-based workshops, labs, and master-classes. The labs are under the mentorship of Internationally acclaimed Industry experts for the development of scripts at different stages. NFDC Labs provides a framework of professional development for both established and emerging Indian filmmakers. The Script Development Labs are organized and carefully compiled in a 3 part session, spread over a period of five months to allow a healthy gestation period for the overall creative script development of a project. Each session is of one-week duration, where participants get to discuss their scripts over group discussions as well as one-on-one sessions with the mentors. Some of the scripts that were developed at the lab since its inception and got made into successful films are The Lunchbox, Dum Laga Ke Haisha, Titli, Lipstick Under My Burkha, The Good Road, Chauranga, Island City, Fire in the Mountains, In the Belly of a Tiger, Ruj, Gos Kota Manuh (The Woodcutter), Ulluzhoku, Bombay Rose, Praman Patra, etc.

Screenwriters' Lab 2024 Features received a Total of 154 applications from all over the country. Whereas, a Total of 48 applications were received for the Screenwriters' Lab 2024 Web Series consisting of varied genres and topics. A Total of eight projects were selected to be a part of SWL 2024 (6 for features & 2 for Web Series). First Session for Screenwriters' Lab 2024 were held physically and second session of the lab was held on online and the third and final session was held 4 days prior to Film Bazaar in Goa.

NFDC Labs

This segment delivers training for professional filmmakers, providing workshops and master classes in core disciplines like directing, writing, editing, cinematography and producing to address the gap in the area of mid-career training opportunities in the film sector. In 2024 we conducted the Screenwriters' Lab in which 8 writers went through the intense 3 sessions for 5 months in which the scripts were mentored by the Indian and International Mentors.

5.11 Festivals Cell :

Directorate of Film Festivals (DFF) was set up in 1973 with the prime objective of promoting good cinema. Upon its merger with NFDC, the activities of erstwhile DFF are now being undertaken by NFDC and these includes :

a) the International Film Festival of India (IFFI);

(b) cultural exchange programme and organising screening of Indian films through the missions abroad;

(c) the selection of Indian Panorama

(d) participation in international film festivals abroad;

(e) special film expositions on behalf of the Government of India; and

(f) print collection and documentation.

These activities provide a unique platform for exchange of ideas, culture and experiences between India and other countries in the field of cinema. It also provides a powerful platform for Indian cinema and fosters commercial opportunities for Indian films. Within the country, the latest trends in global cinema are made accessible to the general public, film industry and students.

अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह, भारत

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ईफ्फी का 55वां संस्करण 20 से 28 नवंबर, 2024 तक गोवा में आयोजित किया गया था. वार्षिक फिल्म महोत्सव ने कला, फिल्म और संस्कृति की एकजुट ऊर्जा और भावना को एकत्रित करते हुए सबसे बड़े दिग्गजों को एक छत के नीचे लाया. थीम "सबका मनोरंजन" (सभी के लिए मनोरंजन) थी, जो समावेशिता के विचार को बढ़ावा देती थी. फोकस का देश ऑस्ट्रेलिया था. मोहम्मद रफी, तपन सिन्हा, अक्किनेनी नागेश्वर राव और राज कपूर की जन्म शताब्दी मनाई गई. ईफ्फी को दुनिया भर के 114 देशों से 1811 प्रविष्टियां प्राप्त हुईं और 81 देशों की कुल 278 फिल्में दिखाई गईं जिनमें 94 भारतीय और 182 विदेशी फिल्में शामिल थीं. कुल 16 फीचर फिल्म वर्ल्ड प्रीमियर, 3 अंतर्राष्ट्रीय, 44 एशियाई और 103 भारतीय. अलग-अलग क्यूरेटेड सेक्शन जैसे द फेस्टिवल्स, राइजिंग स्टार्स (उभरते ऑटर्स), मैकाब्रे ड्रीम्स (हॉरर), डॉक्यू-मोंटेज, एक्सेसिबल फिल्में, एक्सपेरिमेंटल फिल्में, आदि. फिल्म हेरिटेज मिशन के तहत एनएफएआई द्वारा पुनर्स्थापित 7 क्लासिक्स की स्क्रीनिंग की गई वर्ष का भारतीय फिल्म व्यक्तित्व विक्रांत मैसी को दिया गया. प्रसिद्ध फिल्म निर्माताओं, छायाकारों, संगीतकारों और अभिनेताओं की लगभग 20 मास्टरक्लास और चर्चाएँ आयोजित की गईं. "इफिएस्टा" का पहला संस्करण आयोजित किया गया, जो एक मनोरंजन का तमाशा था, जो फिल्म, संगीत, नृत्य, भोजन, कला और इंटरैक्टिव अनुभवों के जादू के माध्यम से समुदायों को एक साथ लाता था. सीबीसी द्वारा भारतीय सिनेमा की यात्रा पर इंटरैक्टिव प्रदर्शनी की सुविधा प्रदान की गई थी. ज़ोमैटो द्वारा डिस्ट्रिक्ट ने 21-24 नवंबर तक हर शाम भोजन और प्रदर्शन के लिए स्टालों के साथ एक मनोरंजन क्षेत्र स्थापित किया. कल के क्रिएटिव माइंड्स का दायरा फिल्म निर्माण के 10 ट्रेडों में 75 प्रतिभागियों से बढ़कर 13 फिल्म निर्माण के 100 प्रतिभागियों के चयन तक हो गया. 2023 में 16 से ज़्यादा, 29 महिला पार्टिसिपेंट्स के सिलेक्शन के साथ, इस एडिशन में सीएमओटी में हिस्सा लेने वाली महिलाओं की सबसे ज़्यादा संख्या रही. सीएमओटी के पहले तीन एडिशन के पांच टॉप एल्युमनाई को "सीएमओटी चैंपियंस" के तौर पर सम्मानित किया गया. 55वें आईएफएफआई के छात्र कार्यक्रम में एफटीआईआई, एसआरएफटीआई, एफटीआई अरुणाचल प्रदेश, आईआईएमसी, अन्य राज्य सरकार और निजी संस्थानों के 279 छात्र शामिल थे. युवा फिल्म निर्माता कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम और मिजोरम के 66 छात्रों/युवा फिल्म निर्माताओं का चयन किया गया था. एफटीआईआई के पहले पाँच बैचों और एसआरएफटीआई के पहले दो बैचों के पूर्व छात्रों को एक भव्य समारोह में सम्मानित किया गया, जिसमें भारतीय फिल्म उद्योग की दिग्गज हस्तियों और दोनों संस्थानों के प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया.

भारतीय पैनोरमा

इंडियन पैनोरमा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, भारत (आईएफएफआई) का एक प्रमुख घटक है, जिसके तहत फिल्म कला को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ समकालीन भारतीय फिल्मों का चयन किया जाता है. इसे 1978 में सिनेमाई कला की मदद से भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत के साथ-साथ भारतीय फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए शानदार आईएफएफआई छत्रछाया के हिस्से के रूप में पेश किया गया था. अपनी स्थापना के पश्चात, भारतीय पैनोरमा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्मों को प्रदर्शित करने के लिए पूरी तरह समर्पित रहा है.

भारतीय पैनोरमा का प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न श्रेणियों के तहत इन फिल्मों की गैर-लाभकारी स्क्रीनिंग के माध्यम से फिल्म कला को बढ़ावा देने के लिए सिनेमाई, विषयगत और सौंदर्य उत्कृष्टता की फीचर और गैर-फीचर फिल्मों का चयन करना है जैसे – भारत और विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, भारतीय मिशनों द्वारा विदेशों में विशेष स्क्रीनिंग आदि. भारतीय पैनोरमा में पिछले 1 वर्ष की 25 फीचर और 20 गैर-फीचर फिल्में शामिल हैं जो सिनेमेटिक, विषयगत और सौंदर्य संबंधी उत्कृष्टता से विख्यात हैं. भारतीय पैनोरमा 2024 सिनेमाई, विषयगत और सौंदर्यपरक उत्कृष्टता के लिए विशिष्ट था और इसमें 384 प्रस्तुतियों में से चुनी गई मुख्यधारा सिनेमा की 5 फ़िल्मों सहित 25 फ़ीचर फ़िल्में और 262 प्रस्तुतियों में से 20 गैर-फ़ीचर फ़िल्में शामिल थीं. रणदीप हुड्डा द्वारा निर्देशित हिंदी फ़िल्म स्वातंत्र्य वीर सावरकर ने इस खंड की शुरुआत की. हर्ष सांगानी द्वारा निर्देशित घर जैसा कुछ (लद्दाखी) इस खंड की पहली गैर-फ़ीचर फ़िल्म थी. "भारतीय फ़ीचर फ़िल्म के सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक" के लिए एक नया पुरस्कार शुरू किया गया.

International Film Festival of India (IFFI)

The 55th edition of the International Film Festival of India, IFFI, was held in Goa from November 20 to 28, 2024. The annual film festival brought biggest stalwarts under one roof cumulating the cohesive energy and spirit of art, films and culture. Theme was "Sabka Manoranjan" (Entertainment for All), promoting the idea of inclusivity. The Country of Focus was Australia. The Birth Centenary of Mohammed Rafi, Tapan Sinha, Akkineni Nageswara Rao, and Raj Kapoor was celebrated. IFFI received 1811 entries from 114 countries across the globe and 278 Total films from 81 countries including 94 Indian and 182 foreign films were screened. A Total of 16 feature film World Premieres, 3 International, 44 Asian and 103 Indian. The different curated sections like From The Festivals, Rising Stars (Emerging Auteurs), Macabre Dreams (Horror), Docu-montage, Accessible films, Experimental Films, etc. 7 classics restored by NFAI under Film Heritage Mission were screened. The prestigious Satyajit Ray Lifetime Achievement Award for Excellence in Cinema Award was awarded to Veteran Australian filmmaker Phillip Noyce. The Indian film personality of the year was given to Vikrant Massey. About 20 Masterclasses and discussions featuring renowned filmmakers, cinematographers, music composers, and actors were conducted. First edition of "IFFIESTA" organised, which was an entertainment extravaganza that brought communities together through the magic of film, music, dance, food, art, and interactive experiences. Interactive Exhibition on Journey of Indian Cinema by CBC was facilitated. District by Zomato set up an entertainment arena with stalls for Food and performances every evening from 21-24th November. The scope of Creative Minds of tomorrow expanded from 75 participants in 10 trades of filmmaking to selection of 100 participants from 13 trades of filmmaking. With selection of 29 women participants, up from 16 in 2023, the edition market the highest number of women participating at CMOT. Five top alumni from the first three editions of CMOT were honoured as "CMOT Champions". The Student Programme of 55th IFFI comprised 279 students from FTII, SRFTI, FTI Arunachal Pradesh, IIMC, other State Govt. and Pvt institutes and 66 students/young filmmakers from Arunachal Pradesh, Manipur, Nagaland, Assam, Tripura, Meghalaya, Sikkim and Mizoram were selected to participate in the Young Filmmaker program. Alumni from the first five batches of FTII and the first two batches of SRFTI were honored in a grand ceremony attended by luminaries of the Indian film industry and key stakeholders from both institutions.

Indian Panorama

Indian Panorama is a flagship component of the International Film Festival of India (IFFI), under which the best of contemporary Indian films are selected for the promotion of film art. It was introduced in 1978 as part of the stupendous IFFI umbrella to promote Indian Films along with India's rich culture and heritage with the help of cinematic art. Since its inception, the Indian Panorama has been completely devoted to showcasing the best Indian films of the year.

The primary aim of the Indian Panorama is to select the feature and non-feature films of cinematic, thematic and aesthetic excellence for the promotion of film art through the non-profit screening of these films under different categories such as : International Film Festivals in India and abroad, special screenings abroad by Indian Missions, etc. In the Indian Panorama 2024 was distinguished by cinematic, thematic and aesthetic excellence and included 25 feature films including 5 from mainstream cinema being selected from 384 submissions and 20 non-feature films were chosen from 262 submissions. The Hindi film Swatantrya Veer Savarkar, directed by Randeep Hooda, opened the section. Ghar Jaisa Kuch (Ladakhi), directed by Harsh Sangani, was the opening non-feature film. A new award for the "best debut director of an Indian feature film" was introduced.

5.12 भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय

भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय उस शाश्वत जादू को श्रद्धांजलि है जिसने विभिन्न पीढ़ियों के दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है. एनएमआईसी भारत का एकमात्र व्यापक सिनेमा संग्रहालय है जो अपनी ऐतिहासिक कलाकृतियों, तकनीकी उपकरणों, मनमोहक प्रदर्शनों और इंटरैक्टिव प्रदर्शनियों की मदद से आगंतुकों को कहानी कहने के अंदाज़ में भारतीय सिनेमा के एक सदी से भी ज़्यादा के रोमांचक सफ़र पर ले जाता है.

यह संग्रहालय संस्कृति, समाज और सामान्य रूप से हमारे जीवन को आकार देने में सिनेमा की महत्वपूर्ण भूमिका का प्रमाण है. सिनेमा में विविध प्रकार की भावनाओं को जगाने, मनोरम कहानियाँ सुनाने और समाज के मूल्यों, आकांक्षाओं और चुनौतियों का आईना दिखाने की क्षमता है.

अप्रैल 2024 और मार्च 2025 के बीच, भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय (एनएमआईसी) और एनएफडीसी ने विविध प्रकार की फ़िल्म स्क्रीनिंग, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विशेष समारोह आयोजित किए. क्रॉनिकल्स ऑफ टाइमलेस ट्रेजर्स श्रृंखला प्यासा, शोले, कागज के फूल, मम्मो, दोगी, भूमिका और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जैसी प्रतिष्ठित फिल्मों की मासिक स्क्रीनिंग के साथ जारी रही. विशेष फिल्म कार्यक्रमों में स्वतंत्रता दिवस पर लापता लेडीज, कारगिल विजय दिवस के लिए एलओसी : कारगिल और संग्रहालय की वर्षगांठ के दौरान पप्पू की पगडंडी शामिल थे.

पूरे वर्ष के दौरान, एनएमआईसी ने बेलारूस, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, चिली सहित कई देशों के साथ मिलकर फिल्म समारोहों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया. संग्रहालय दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस और खेल दिवस पर इंटरैक्टिव कार्यक्रमों के साथ सांस्कृतिक और राष्ट्रीय समारोह मनाए गए. दिसंबर में राज कपूर की शताब्दी को स्क्रीनिंग और सांस्कृतिक प्रदर्शनों के साथ विशेष श्रद्धांजलि दी गई. जनवरी में, एनएमआईसी ने अपनी छठी वर्षगांठ एक चित्रकला प्रतियोगिता, 'कालिया मर्दन' पर एक मूक फिल्म प्रदर्शन और बच्चों की फिल्म 'पप्पू की पगडंडी' की स्क्रीनिंग के साथ मनाई.

ऑस्ट्रिया, जापान, न्यूज़ीलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और रूस जैसे देशों के गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिनिधिमंडलों ने एनएमआईसी का दौरा किया, जिससे वैश्विक सांस्कृतिक संबंध और मज़बूत हुए. प्रमुख लॉन्चों में अभिनेता अनूप सोनी और श्रुति प्रकाश द्वारा ऑडियो गाइडेड टूर का उद्घाटन, और फरवरी 2025 में एनएफडीसी की फिल्म 'छड़' का प्रीमियर शामिल था, जिसने एनएफडीसी और एनएमआईसी के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष के समापन पर प्रकाश डाला.

5.13 प्रिव्यू थिएटर

कंपनी ने तमिलनाडु सरकार के सहयोग से निर्माण कंपनियों, सीबीएफसी, फिल्म उद्योग संघों, दूतावासों, शैक्षणिक संस्थानों, कॉर्पोरेट कार्यालयों आदि के लिए फिल्मों की स्क्रीनिंग के लिए चेन्नई में एक अत्याधुनिक प्रिव्यू थिएटर और होम थिएटर की स्थापना की है. हम विभिन्न सरकारी/गैर-सरकारी ग्राहकों को फिल्मों के प्रदर्शन के लिए इस 100 सीटों वाले प्रीव्यू थिएटर को किराये पर देते हैं.

एनएफडीसी के साथ 01.01.2023 से प्रभावी विलय के बाद, दिल्ली में सिरी फोर्ट और महादेव स्टूडियो तथा मुंबई में फिल्म प्रभाग जैसे पूर्ववर्ती महोत्सव निदेशालय के थिएटर भी प्रीव्यू थिएटर और अन्य कार्यों के लिए किराये पर उपलब्ध हैं, जिससे राजस्व सृजन में सहायता मिलेगी.

5.14 अंतर्राष्ट्रीय प्रचार

भारत की 17 देशों के साथ सह-निर्माण संधियाँ हैं और कुछ अन्य पाइपलाइन में हैं. इनके साथ-साथ ऑडियोविजुअल प्रोत्साहन योजनाओं के साथ, भारत वैश्विक फिल्म उद्योग के साथ सार्थक सहयोग और संबंध बनाने की दिशा में लाभ की स्थिति में है.

वर्ष 2024-25 के लिए, कान्स, वेनिस, टोरंटो और बर्लिन जैसे फिल्म समारोहों और मार्केट्स के साथ कई वर्षों से विकसित संबंधों को मजबूत

5.12 National Museum of Indian Cinema

The National Museum of Indian Cinema is a tribute to the everlasting magic that has enchanted audiences across generations. NMIC is the only comprehensive cinema museum in India that takes visitors on an absorbing journey of more than a century of Indian Cinema in a storytelling mode with the help of its historic artifacts, technical equipment, immersive exhibits and interactive display.

The museum serves as a testament to the significant role that cinema plays in shaping culture, society, and our lives in general. Cinema has the power to evoke a wide range of emotions, tell captivating stories, and provide a mirror to society's values, aspirations, and challenges.

Between April 2024 and March 2025, the National Museum of Indian Cinema (NMIC) and NFDC hosted a diverse range of film screenings, cultural events, international collaborations, and special celebrations. The Chronicles of Timeless Treasures series continued with monthly screenings of iconic films such as Pyaasa, Sholay, Kaagaz Ke Phool, Mammo, Doghi, Bhumika, and Dr. Babasaheb Ambedkar, among others. Special film events included Laapata Ladies on Independence Day, LOC : Kargil for Kargil Vijay Diwas, and Pappu Ki Pagdandi during the museum's anniversary.

Throughout the year, NMIC collaborated with several countries including Belarus, Argentina, Indonesia, Thailand, Sri Lanka, Chile organizing film festivals and cultural showcases. Cultural and National celebrations were observed with interactive programs on Museum Day, Independence Day, Republic Day, National Space Day, and Sports Day. December saw a special tribute to Raj Kapoor's centenary with screenings and cultural performances. In January, NMIC marked its 6th anniversary with a drawing competition, a silent film performance on 'Kaliya Mardan', and a children's film screening of 'Pappu Ki Pugdandi'.

Dignitaries and delegations from countries like Austria, Japan, New Zealand, UAE and Russia visited NMIC, reinforcing global cultural ties. Key launches included the Audio Guided tour inaugurated by actor Anup Soni and Shruti Prakash, along with the NFDC film premiere of 'Chhaad' in February 2025, highlighting the conclusion of a landmark year for NFDC and NMIC.

5.13 Preview Theatre

Your Company in collaboration with the Government of Tamil Nadu has established a state-of-the-art Preview Theatre and Home Theatre in Chennai for screening of films for production companies, CBFC, film industry associations, embassies, educational institutions, corporate offices, etc. having 100-seaters Preview Theatre on-hire for the exhibition of films to various government/non-government clients.

Pursuant to the merger w.e.f. 01.01.2023 with NFDC, the theaters of the erstwhile Directorate of Festival like Sri Fort and Mahadev Studio in Delhi and Film Division in Mumbai, are also available on-hire for Preview Theatres and other functions thereby instrumental for revenue generation.

5.14 International Promotions

India has co-production treaties with 17 countries and there are a few more in the pipeline. With the Audiovisual Incentive Schemes in place alongside these, India is in a position of advantage towards forming meaningful collaborations and connections with the global film industry.

For the year 2024-25, the focus is to consolidate and build upon the relationship fostered over several years,

करने और आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है. इसके अलावा, एनेसी इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल, मलेशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल, सैन सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, गेम्सकॉम (जर्मनी), बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, एमआईपीसीओएम कान्स, टीआईएफएफसीओएम टोक्यो, रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, एटीएफएम सिंगापुर, फोकस लंदन, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ रॉटरडैम, यूरोपियन फिल्म मार्केट, गेम डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस, सैन फ्रांसिस्को, हाँगकाँग फिल्ममार्ट में भागीदारी.

फिल्मों की स्क्रीनिंग

कान फिल्म महोत्सव 2024 में निम्नलिखित फिल्मों की बाज़ार स्क्रीनिंग आयोजित की गई- बासन (द वेसल) (निर्देशक : जितंक गुर्जर) (हिंदी), अब तो सब भगवान भरोसे (फॉर हेवन्स सेक) (निर्देशक : शिलादित्य बोरा) (हिंदी), संगी गाय (निर्देशक : न्यागो एटे) (न्यीशी), तारा, द लॉस्ट स्टार (निर्देशक : समतेन भूटिया) (नेपाली), रिटर्न ऑफ द जंगल (निर्देशक : वैभव कुमारेश) (हिंदी)

टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (टीआईएफएफ) में, एनएफडीसी द्वारा निर्मित "तारा एंड आकाश" की बाज़ार स्क्रीनिंग आयोजित की गई. साथ ही, आपकी कंपनी ने "आवारा" के 4K पुनर्स्थापित संस्करण की स्क्रीनिंग की, जिसका जीर्णोद्धार एनएफएआई-एनएफडीसी द्वारा किया गया है.

यूरोपियन फिल्म मार्केट 2025 में, दीप्ति पिल्ले सिवन द्वारा निर्मित एनएफडीसी द्वारा निर्मित "अचप्पाज़ एल्बम" की बाज़ार स्क्रीनिंग आयोजित की गई.

एनएफडीसी ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और ब्राज़ील स्थित भारतीय मिशनों के साथ मिलकर साओ पाउलो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में निम्नलिखित फ़िल्में प्रदर्शित कीं :

I. सत्यजीत रे रेट्रोस्पेक्टिव - पाथेर पांचाली (1955), अपराजितो (1956), अपुर संसार (1959), चारुलता (1964), महानगर (1963), नायक (1966), और कापुरुष (1965)

II. भारत पर स्पॉटलाइट- और, श्रीमयी सिंह द्वारा टुवार्ड्स हैप्पी एलीज़, पायल कपाड़िया द्वारा ऑल वी इमेजिन एज लाइट, सुमन घोष द्वारा स्कैवेंजर ऑफ ड्रीम्स, सुभद्रा महाजन द्वारा सेकंड चांस, करण तेजपाल द्वारा चोरी, दिबाकर दास रॉय द्वारा दिल्ली डार्क, सिद्दार्थ जटला द्वारा इन द बेली ऑफ ए टाइगर, करण तेजपाल द्वारा चोरी, राहुल चित्तेला द्वारा गुलमोहर, राम रेड्डी द्वारा द फैबल, पी एस द्वारा कोट्टुककली विनोथराज, शिरकोआ : इन द लाइज़ वी ट्रस्ट, ईशान शुक्ला द्वारा

मुख्य महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत सत्र

- कान फिल्म महोत्सव 2024 में, "प्रचुर प्रोत्साहन और निर्बाध सुविधाएँ - आइए, भारत में सृजन करें" विषय पर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया गया. पैनल चर्चा में भारत में फिल्म निर्माण के लिए प्रोत्साहन (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और राज्यों दोनों द्वारा), भारत के साथ सह-निर्माण के अवसरों और भारत में उपलब्ध एनिमेशन एवं दृश्य प्रभावों सहित उच्च-स्तरीय पोस्ट-प्रोडक्शन सुविधाओं पर प्रकाश डाला गया. इसका नेतृत्व सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू ने किया और इसमें फिल्म निर्माता श्री रिची मेहता, निर्माता सुश्री बिच क्वान ट्रान शामिल थीं. इसका संचालन सुश्री अनुपमा चोपड़ा ने किया.
- फोकस लंदन में, भारत सरकार द्वारा वर्तमान में दी जा रही प्रोत्साहन योजनाओं पर एक घंटे की प्रस्तुति
- मिपकोम में, एसईपीसी को "द ग्रेट इंडियन कंटेंट पुश" नामक पैनल चर्चा के लिए सहायता प्रदान की गई.
- फोकस लंदन में, भारत सरकार द्वारा वर्तमान में दी जा रही प्रोत्साहन योजनाओं पर एक घंटे की प्रस्तुति;
- कान्स फिल्म महोत्सव 2024 में, आपकी कंपनी ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 के आधिकारिक पोस्टर और ट्रेलर तथा विश्व दृश्य-श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन के उद्घाटन संस्करण के "सेव द डेट" पोस्टर का आयोजन किया.

with film festivals and markets such as Cannes, Venice, toronto and Berlin. Apart from this, participation at the Annecy International Animation Film Festival, Malaysia International Film Festival, Locarno Film Festival, San Sebastian International Film Festival, GAMESCOM (Germany), Busan International Film Festival, MIPCOM Cannes, TIFFCOM tokyo, Red Sea International Film Festival, ATFM Singapore, Focus London, International Film Festival of Rotterdam, European Film Market, Game Developers Conference, San Francisco, Hong Kong Filmart.

Screening of Films

Market screening of the following films was facilitated at Cannes Film Festival 2024- Baasan (The Vessel) (Director : Jitank Gurjar) (Hindi), Ab to Sab Bhagwaan Bharose (For Heaven's Sake) (Director : Shiladitya Bora) (Hindi), Sangi Gai (Director : Nyago Ete) (Nyishi), Tara, the lost Star Director : Samten Bhutia (Nepali), Return of the Jungle (Director : Vaibhav Kumaresh) (Hindi)

At toronto International Film Festival (TIFF), the market screening of NFDC production "Tara & Aakash" was facilitated. Also, your Company screened the 4K restored version of "Awaara" of which restoration has carried out by NFAI-NFDC.

At European Film Market 2025, market screening of NFDC production "Achappa's Album", by Deepti Pillay Sivan was organized.

NFDC along with the Ministry of Information and Broadcasting and Indian Missions in Brazil screened the following films at Sao Paulo International Film Festival :

I. Satyajit Ray retrospective- Pather Panchali (1955), Aparajito (1956), Apur Sansar (1959), Charulata (1964), Mahanagar (1963), Nayak (1966), and Kapurush (1965)

II. Spotlight on India- And, towards Happy Alleys by Sreemoyee Singh, All We Imagine as Light by Payal Kapadia, Scavenger of Dreams by Suman Ghosh, Second Chance by Subhadra Mahajan, Stolen by Karan Tejpal, Dilli Dark by Dibakar Das Roy, In the Belly of a Tiger by Siddartha Jatla, Stolen by Karan Tejpal, Gulmohar by Rahul Chittella, The Fable by Raam Reddy, Kottukkaali by P S Vinothraj, Schirkoa : In the Lies We Trust by Ishan Shukla

Sessions as part of Main Festival Programming

- At Cannes Film Festival 2024, a panel discussion on "Abundant Incentives and Seamless Facilitations - Come, Create in India" was organised. The panel discussion focused on giving a spotlight to the incentives for film production in India (both by the Ministry of Information and Broadcasting and States), co-production opportunities with India and top-notch post-production, including Animation and Visual Effects, facilities on offer in India. It was led by Shri. Sanjay Jaju, Secretary, Ministry of Information and Broadcasting, and featured Mr. Richie Mehta, filmmaker, Ms. Bich Quan Tran, Producer, and it was moderated by Ms. Anupama Chopra.
- At Focus London, an hour-long presentation on incentive schemes currently being offered by the Government of India
- At MIPCOM, support was provided to SEPC for a panel discussion "The Great Indian Content Push"
- At Cannes Film Festival 2024, your Company facilitated the official poster and trailer of the International Film Festival of India 2024 and Save The Date poster of the inaugural edition of the World Audio Visual and Entertainment Summit.

- पूर्वोत्तर भारत से 50 फिल्म निर्माताओं और छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, रॉटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लिया.

- फिल्म निर्माता सुश्री शुभद्रा महाजन, जिनकी फिल्म को फिल्म प्रमोशन फंड (एफपीएफ) के माध्यम से बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में चुना गया था, श्री प्रद्युम्न पाटिल और श्री अभिरूप बसु, जिनकी लघु फिल्मों को ओडेंस फिल्म महोत्सव 2024 के लिए आधिकारिक रूप से चुना गया था, ने संबंधित महोत्सवों में भाग लिया.

निकट भविष्य में, आपका निगम उन बाजारों में भाग लेने और अपना विस्तार करने का इरादा रखता है जहाँ भारतीय सिनेमा के व्यापक प्रशंसक हैं या जहाँ भारतीय सिनेमा के भौगोलिक सीमाओं से परे जाने की संभावना है, इसके अलावा युवा भारतीय फिल्म निर्माताओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करना और विश्व सिनेमा जगत से जुड़ने और भारत के समृद्ध सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए सार्थक हस्तक्षेप आयोजित करना.

5.15 रणनीती तथा योजना

ऑनलाइन एनलिस्टमेंट एप्लिकेशन – प्रोडक्शन

एनएफडीसी ने विभिन्न मंत्रालयों तथा उनके विभागों के अपने ग्राहकों को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करने के लिए विज्ञापन तथा मीडिया जगत के श्रेष्ठतम प्रोफेशनल्स के साथ भागीदारी की है. कार्यनिष्पादन प्रक्रिया की एक विशेषता यह है कि प्रोडक्शन तथा सोशल मीडिया में सर्वथा उपयुक्त क्रिएटिव एजेंसियों का चुनाव किया जाता है जिनमें आवश्यक कौशल हो और ग्राहक की आवश्यकता को समझने की क्षमता हो. यह सब एनएफडीसी के ऑनलाइन एनलिस्टमेंट एप्लिकेशन की वजह से संभव हो पाता है. इससे एनएफडीसी इस क्षेत्र की एमएसएमई कंपनियों को सहायता देने का मार्ग भी बन जाता है.

वर्ष के दौरान कुल 415 एजेंसियां विभिन्न वर्गों के अंतर्गत, जैसे एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्शन हाउसेस, ग्राफिक डिजाइन, सोशल मीडिया एजेंसीज, इंपेक्ट, इवेंट तथा रिसर्च एजेसियां सूचीबद्ध की गई. नीचे उन श्रेणियों की सूची दी जा रही है जिनके अंतर्गत एजेंसियों को सूचीबद्ध किया गया है :

- A delegation from North East India of 50 filmmakers and students attended Busan International Film Festival, International Film Festival of Rotterdam and Berlin International Film Festival.

- Filmmaker Ms. Shubhadra Mahajan, whose film was selected at Busan International Film Festival through the Film Promotion Fund (FPF) along with Mr. Pradyumna Patil and Mr. Abhiroop Basu, whose short films made the official selection at the Odense Film Festival 2024 attended the respective festivals.

In the near future, your Corporation intends to participate and expand its footprint in the markets where Indian cinema has rich following or where there is a potential for Indian cinema to go beyond geographical boundaries, apart from giving a platform to young Indian filmmakers to showcase their craft on international level and organize meaningful interventions to connect with the world cine fraternity and promote the rich cinema of India.

5.15 Strategy & Planning

Online Enlistment Application – for Production

NFDC has partnered with professionals in the advertising and media industries to deliver optimum results for its clients in the various Ministries and their departments. One of the key elements of the execution process is to identify suitable creative agencies in Production & Social Media with the required competence and domain knowledge to meet the client's requirements. This has been made possible and easier from the NFDC Online Enlistment Application. This also gives NFDC a way to help out the MSME companies in this sector.

A Total of 415 agencies have enlisted during the year under various categories like Advertising, Production Houses, Graphic Design and Print, Social Media Agencies, Impact, Event & Research agencies and the categories under which the agencies are enlisted with your Company are mentioned below :

	श्रेणी	Category	कुल Total
1	प्रोडक्शन हाउस	Production Houses	235
2	एडवर्टाइजिंग एजेंसियां	Advertising Agency	53
3	इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियां	Event Management Agency	54
4	डिजिटल मीडिया एजेंसियां	Digital Media Agency	45
5	ग्राफिक डिजाइन/प्रिंट	Graphic Design Studios / Print	15
6	इंपेक्ट असेसमेंट/मीडिया मॉनिटरिंग/पीआर	Impact Assessment/Media Monitoring/Public Relation	9
7	थिएटर ग्रुप	Theatre Group	4
	कुल	**Grand Total**	**415**

5.16 सिने आर्टिस्ट वेलफेयर फंड ऑफ इंडिया

स्व. लॉर्ड रिचर्ड एटनबरो द्वारा निर्मित फिल्म 'गांधी' से प्राप्त आय के एक हिस्से से 1991 में सिने आर्टिस्ट्स वेलफेयर फंड ऑफ इंडिया की स्थापना की गई. ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य 50 साल से अधिक आयु के उन फिल्म कलाकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जो किन्हीं कारणों से दुर्दिन झेल रहे हैं और जिन्हें आर्थिक मदद की जरूरत है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ट्रस्ट ने हर महीने रू. 1500 की वित्तीय सहायता दी, जो गत वर्ष रू. 60,40,000 की तुलना में रू. 71,99,750 है.

	31.03.2025 तक	31.03.2024 तक
फंड से दी गई आर्थिक सहायता	390 पेंन्शनर्स	405 पेंन्शनर्स

5.16 Cine Artistes Welfare Fund of India

The Trust 'Cine Artistes Welfare Fund of India' was formed out of a portion of profit earned from the film "Gandhi", in the year 1991 by Late Richard Attenborough. The main objective of the Trust is to give financial assistance to cine artistes above 50 years who have fallen on bad days and need financial support. During the FY 2024-25 Trust given monthly financial support of Rs. 1500 and which amounts to Rs. 71, 99, 750 in comparison to Rs. 60,40,000 in the previous year.

	As on 31.03.2025	As on 31.03.2024
Financial Assistance from the Fund	390 Pensioners	405 Pensioners

6. मानव संसाधन विकास

6.1 श्रमशक्ति

इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी में 47 कर्मचारी हैं जिनमें 22 कार्यकारी अधिकारी और 25 गैर-कार्यकारी हैं.

6.2 रिक्तियों का आरक्षण

श्रेणी Group	31 मार्च को कुल संख्या Total strength As on 31st March		31 मार्च को अ.जा की संख्या No of SCs As on 31st March		31 मार्च को अ.ज की संख्या No of STs As on 31st March		31 मार्च को ओबीसी की संख्या No of OBCs As on 31st March		31 मार्च को पीएच की संख्या No of PH As on 31st March		31 मार्च को भूतपूर्व सैनिकों की संख्या No of Ex-Serviceman As on 31st March	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
A	22*	19	4	5	0	0	3	3	0	0	0	0
B	06	07	1	2	0	0	1	1	0	1	0	0
C	19	21	5	6	0	0	6	6	1	1	0	0
D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**47**	**47**	**10**	**13**	**0**	**0**	**10**	**10**	**1**	**2**	**0**	**0**

उपरोक्त विवरण में दीर्घकालिक 3 संविदा कर्मचारियों (क) को जोड़ा जा रहा है

6.3 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

वर्ष के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत कोई भी कर्मचारी/ श्रमिक स्वेच्छा सेवानिवृत्त नहीं हुआ है

6.4 औद्योगिक संबंध

वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध स्नेहपूर्ण बने रहे. कर्मचारियों की शिकायतों पर आपसी विचार-विमर्श किया गया और जहां तक संभव हुआ उनका समाधान किया गया.

7. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ एमओयू

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ कोई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं

8. राजभाषा कार्यान्वयन

वर्ष के दौरान कंपनी में राजभाषा अधिनियम, उसके नियमों और राजभाषा विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा हिंदी के प्रगतिशील उपयोग के संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों को लागू किया गया. कंपनी में हिंदी के उपयोग और भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी वर्ष 2024 के वार्षिक कार्यक्रम को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा के लिए तिमाही राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गई. 14 सितम्बर 2024 से 28 सितम्बर 2024 तक निगम मुख्यालय तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी पखवाड़ा आयोजित किया गया. हिंदी पखवाड़े के दौरान हिंदी कार्यशालाएं और हिंदी निबंध, हिंदी सामान्य ज्ञान एवं अनुवाद जैसी हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनमें कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. पहले तीन विजेताओं को नकद पुरस्कार एवं प्रशंसा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया तथा उर्वरित 14 प्रतिभागियों को उल्लेखनीय पुरस्कार तथा प्रतिभागिता प्रमाणपत्र से सम्मानित किया गया.

9. ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी समावेशन आदि

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (एम), के प्रावधानों के अनुरूप कंपनी के अधिनियम (अकाउंट्स) 2014 के साथ पढ़ा जाय, ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी समावेशन जाने आदि कंपनी पर लागू नहीं होते.

6. Human Resource Development

6.1 Manpower

Your company has 47 employees consisting of 22 executives and 25 Non-Executives at the close of this financial year.

6.2 Reservation of Vacancies

*The long term 3 contractual employees (A) are being added in the above statement

6.3 Voluntary Retirement Scheme :

During the year no employees/ workers has voluntarily retired under Voluntary Retirement Scheme

6.4 Industrial Relations

The industrial relations during the year remain cordial. Grievances of the employees were discussed mutually and as far as possible settled.

7. MOU With Ministry of Information & Broadcasting

No Memorandum of Understanding has been signed with the Ministry of Information & Broadcasting, GoI, for the F.Y. 2024-25.

8. Official Language Implementation

The official Language Act, along with the Rules thereof and orders issued from time to time by the Department of official Language, Ministry of Information and Broadcasting and the Department of Public Enterprises regarding progressive use of Hindi, were implemented in the Company during the year. Quarterly meetings of the official Language implementation Committee were held regularly to review the use of Hindi in the Company and steps taken to implement the Annual program for the year 2024 issued by the Department of official Language, Ministry of Home Affairs, and Government of India. Hindi Fortnight was organized from 14th September 2024 to 28th September 2024 at the Headquarters' and subordinate offices of the corporation. of the Corporation. During the Hindi fortnight, Hindi workshops and Hindi competitions like Hindi Essay, Hindi General Knowledge and Translation competition were organized, in which employees enthusiastically participated. First three winners were awarded with cash prizes and appreciation certificates. Remaining 14 participants were given consolation prizes and participation certificates.

9. Reportion Conservation of Energy, Technology Absorption, Etc.

Information under the provisions of Section 134 (3) (m) of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Accounts) Rules, 2014 regarding Conservation of Energy, Technology Absorption are not applicable to the Company.

10. सतर्कता मामले

सतर्कता मामलों की निगरानी के लिए उप महाप्रबंधक स्तर के एक अधिकारी को नामित किया गया है. रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान सतर्कता मामलों से संबंधित आवधिक रिपोर्ट नियमित रूप से मंत्रालय को भेजी गई थी. वर्ष 2023-24 के दौरान शून्य सतर्कता शिकायत प्राप्त हुई थी और पिछले वर्ष की एक शिकायत का परिणाम निकाला गया है.

11. राष्ट्रपतिक निर्देश

वर्ष के दौरान कोई राष्ट्रपतिक निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है.

12. धोखाधड़ी की सूचना देना

वर्ष के दौरान कंपनी पर या कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं देखी अथवा रिपोर्ट की गई है.

13. निदेशक मंडल तथा मंडल की बैठकें

कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है और उनका पारिश्रमिक भी वही नियत करती है. अत : निदेशकों की नियुक्ति, योग्यता, उनके पारिश्रमिक, सकारात्मक प्रवृत्तियों, निदेशक की स्वतंत्रता तथा सेक्शन 178 के उप सेक्शन (3) के अंतर्गत आने वाले अन्य मामलों के संबंध में कंपनी की कोई नीति नहीं है.

31.03.25 तक, एनएफडीसी के बोर्ड में श्री पृथुल कुमार, संयुक्त सचिव (प्रसारण-II), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय शामिल थे, जिन्हें 19.06.2024 से कार्यात्मक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और वे कंपनी के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे और दो गैर-कार्यकारी सरकारी निदेशक, श्री दीपक नारायण, अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और श्रीमती वृंदा मनोहर देसाई, संयुक्त सचिव (फिल्म्स), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय शामिल थे. कार्यात्मक निदेशकों के तीन पद और स्वतंत्र निदेशकों के तीन पद रिक्त थे.

रिपोर्ट की तिथि के अनुसार, एनएफडीसी के बोर्ड में चार निदेशक हैं, अर्थात् भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) अधिकारी श्री प्रकाश मगदूम को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में पांच साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जा रहा है, जो कार्यभार संभालने की तिथि से प्रभावी है अर्थात 5 मई, 2025. इस आदेश के अनुसार, कंपनी के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे कार्यात्मक निदेशक श्री पृथुल कुमार को उनकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार 5 मई, 2025 से एनएफडीसी के प्रबंध निदेशक के पद से मुक्त कर दिया गया है. इसके अलावा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या एम-13013/41/2021-US(FILMS) दिनांक 11 जून, 2025 के अनुसार, एनएफडीसी के प्रबंध निदेशक श्री प्रकाश मगदूम को अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से एनएफडीसी के बोर्ड में कार्यात्मक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.

इसके अतिरिक्त, ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक (वित्त) श्री राजेश कुमार को कंपनी के निदेशक (वित्त) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए या सेवानिवृत्ति की तिथि तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाता है. तदनुसार, श्री कुमार ने 7 अगस्त, 2025 को निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यभार पुनः ग्रहण कर लिया है और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या M-13013/41/2021-US(FILMS) दिनांक 19 अगस्त, 2025 के अनुसार, श्री राजेश कुमार, निदेशक (वित्त) को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक एनएफडीसी के बोर्ड में कार्यात्मक निदेशक नियुक्त किया जाता है.

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव (फिल्म) डॉ. अजय नागभूषण एमएन को 29 अप्रैल, 2025 से तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक कंपनी के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित निदेशक नियुक्त किया जाता है. वे सुश्री वृंदा मनोहर देसाई के स्थान पर कार्य निदेशक नियुक्त किए जाते हैं.

कार्यात्मक निदेशकों का एक पद और स्वतंत्र निदेशकों के तीन पद रिक्त हैं. कंपनी की अपने निदेशकों की नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं है क्योंकि सभी निदेशक मंडल की नियुक्ति भारत सरकार के माननीय राष्ट्रपति द्वारा की जाती है.

10. Vigilance Matters

An officer in the rank of Deputy General Manager has been nominated to oversee the vigilance matters. During the year under report periodical reports relating to vigilance matters were sent to Ministry regularly. There was Nil vigilance complaints received during the year 2024-25 and Nil complaint of the previous year has been concluded.

11. Presidential Directives

No Presidential Directives have been received during the year.

12. Fraud Reporting

No fraud on or by the company has been noticed/reported during the year.

13. Board of Directors And Change In Composition

The Company's Directors are appointed and their remuneration is fixed by the Government of India. Hence the Company has no policy on appointment of Directors and their remuneration including criteria for determining qualification, positive attitudes, independence of a director and other matters provided under sub-section (3) of Section 178.

As on 31.03.25, the Board of NFDC consisted of Shri Prithul Kumar, Joint Secretary (Broadcasting -II), Ministry of I&B appointed as Functional Director w.e.f. 19.06.2024 and holding additional charge of Managing Director of the Company and two non-executive Government Directors, namely Shri Deepak Narain, Additional Secretary and Financial Advisor, Ministry of I&B and Smt. Vrunda Manohar Desai, Joint Secretary (Films), Ministry of I&B. The three positions of functional Directors and three positions of Independent Directors were vacant.

As on the date of report, the Board of NFDC consists of four Directors namely Shri Prakash Magdum, an Indian Information Service (IIS) officer, being appointed as the Managing Director of National Film Development Corporation Limited for a period of five years w.e.f the date of assumption of charge i.e. 5th May, 2025. Pursuant to this order, Shri Prithul Kumar, functional Director holding additional charge of Managing Director, the Company was relieved w.e.f. 5th May, 2025, from the post of MD, NFDC as per his terms of appointment. Further vide Ministry of Information & Broadcasting's Order No. M-13013/41/2021-US(FILMS) dated 11th June, 2025, Shri Prakash Magdum, Managing Director, NFDC, was appointed as Functional Director on the Board of NFDC with immediate effect till further orders.

Further, Shri Rajesh Kumar, Executive Director (Finance), Bridge and Roof Company (India) Ltd. is appointed to the post of Director (Finance) of the Company for a period of five years from the date of assumption of charge of the post or till the date of superannuation or until further orders, whichever is the earliest. Accordingly, Shri Kumar has resumed the charge on 7th August, 2025, F/N as Director (Finance) and vide Ministry of Information & Broadcasting's Order No. M-13013/41/2021-US(FILMS) dated 19th August, 2025 Shri Rajesh Kumar, Director (Finance) is appointed as Functional Director on the Board of NFDC with immediate effect till further order.

Dr. Ajay Nagabhushan M N, Joint Secretary (Films), Ministry of Information and Broadcasting is appointed as the Government Nominee Director on the Board of the Company with immediate effect from 29th April, 2025 till further orders vice Ms Vrunda Manohar Desai.

The one position of functional Directors and three positions of Independent Directors are vacant. The Company has no role in the appointment of its Directors since all Board of Directors are appointed by the Hon'ble President of India, Government of India.

14. लेखा परीक्षक

भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अधीन मेसर्स कर्णावत एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, को वित्तवर्ष 2024-25 के लिये निगम के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया.

14.1 सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर प्रबंधन की टिप्पणियां

लेखा परीक्षकों ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के खातों का लेखा परीक्षण किया है. आवश्यक अनुबंध और रिपोर्ट के साथ ऑडिट किए गए खाते इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं. कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के खातों पर योग्य रिपोर्ट दी है.

14.1.1 लेखाकारों की रिपोर्ट पर टिप्पणियां

क्वालिफाइड ओपिनियन का आधार :

पैरा (क)

₹ 9,170.87 (शुद्ध प्रावधान) के कुल व्यापार प्राप्तियों में ₹ 8983.89 की राशि शामिल है, जो सरकारी विभाग/एजेंसियों से संबंधित है, जिनमें से ₹ 4,605.30 तीन वर्षों से बकाया हैं. कुल सरकारी देय राशि ₹ 1676.73 में से जोकि 3 वर्षों से बकाया है वह सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा उनके मीडिया इकाइयों से बकाया है, जो एनएफडीसी का प्रशासनिक मंत्रालय है. एनएफडीसी की महत्वपूर्ण लेखा नीति के अनुसार, प्रबंधन की राय में सरकारी देय राशि के लिए प्रावधान उस सीमा तक किया जाता है, जिसे वसूली योग्य नहीं माना जाता है. सरकार से बकाया वसूल किए जाने की उम्मीद है और इसलिए प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है.

पैरा (ख)

कंपनी ने 3 वर्ष से अधिक समय से बकाया व्यापार देय राशि को वापस नहीं लिखा है क्योंकि यह सरकारी देनदारों से संबंधित प्राप्य के विरुद्ध लंबित देय हैं. कार्यादेशों के अनुसार, जैसा कि विक्रेताओं द्वारा सहमति व्यक्त की गई है, भुगतान शेष ग्राहकों से वसूली के अधीन हैं.

पैरा (ग)

ग्राहक-वार/परियोजन-वार सूची प्रदान की गई है और ऐसा कोई अग्रिम नहीं है जिसके लिए प्रावधान करने की आवश्यकता हो.

पैरा (घ)

एमएसएमई अधिनियम, 2006 की धारा 15 के अनुसार, खरीदार को उसके और आपूर्तिकर्ता के बीच लिखित रूप से सहमत होने की तिथि पर या उससे पहले भुगतान करना होगा या, नियत दिन से पहले जहां इस संबंध में कोई समझौता नहीं है. कार्यादेशों के अनुसार, जैसा कि विक्रेताओं द्वारा सहमति व्यक्त की गई है, भुगतान अंतिम ग्राहकों से वसूली के अधीन हैं. तदनुसार, अंतिम ग्राहकों से प्राप्तियों की वसूली न होने के कारण विक्रेताओं को भुगतान देय नहीं हो पाया है. इसलिए वर्ष के अंत में 31 मार्च 2025 तक भुगतान न की गई राशि पर कोई ब्याज भुगतान या देय नहीं है.

मामलों के उत्तर

(क) कंपनी ने विविध देनदारों, ऋणों और अग्रिमों के संबंध में शेष राशि की पुष्टि के लिए पत्र भेजे हैं, साथ ही 31 दिसंबर 2024 तक खातों की पुस्तकों में बकाया जमाराशियों की भी पुष्टि की है. कुछ पक्षों से जवाब मिले हैं. विविध देनदारों, ऋणों और अग्रिमों के लिए खातों की पुस्तकों में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं जो तीन साल से अधिक समय से बकाया हैं और पिछले वर्षों से विधिवत आगे बढ़ाए गए हैं. इसके अलावा, टीवी मार्केटिंग देनदारों और बकाया राशि के अन्य मामलों के संबंध में वसूली के लिए कानूनी मामले दायर किए गए हैं, जहाँ भी आवश्यक हो. वर्तमान देनदारियाँ मुख्य रूप से मीडिया व्यवसाय के कारण हैं. अधिकांश बकाया राशि बाद में चुका दी गई है.

14. Auditors

The Comptroller and Auditor General of India appointed M/s. KARNAVAT & CO., Chartered Accountants, Mumbai as Auditors of the Company for the FY 2024-25 under Section 139 of the Companies Act, 2013.

14.1 Management Comments on Statutory Auditors' Report

The auditors have audited the Accounts of the Company for the year ended March 31, 2025. The audited accounts with required annexure and reports are annexed to this report. The Statutory Auditors of the Company have given a qualified report on the accounts of the Company for the financial year 2024-25.

14.1.1 Comments on The Auditors Report

Reply to the Basis for Qualified Opinion :

PARA (a)

The Total trade receivables of ₹ 9,170.87 Lakhs (Net of Provision) includes a sum of ₹ 8983.89 Lakhs pertaining to Government Department/ agencies of which ₹ 4,605.30 Lakhs are outstanding more than 3 years. of the Total Government dues outstanding for more than three years ₹ 1676.73 lakhs is due from the Ministry of Information & Broadcasting & Media units of Ministry of Information & Broadcasting, which is NFDC's administrative Ministry. As per the Significant Accounting Policy of NFDC, provision towards Government dues are made to the extent considered not recoverable in the opinion of the Management. The dues from the Government are expected to be recovered and hence provision is not considered necessary.

PARA (b)

The Company has not written back the trade payables outstanding for more than 3 years as the same are pending payables against the corresponding receivable from the government debtors. As per the work orders, as agreed by the vendors, the payments are subject to realization from the end customers.

PARA (c)

The Customer wise/Project wise list has been provided and there are no such advances which need provision to be made.

PARA (d)

As per section 15 of MSME Act, 2006, the buyer shall make payment therefore on or before the date agreed upon between him and the supplier in writing or, where there is no agreement in this behalf, before the appointed day. As per the work orders, as agreed by the vendors, the payments are subject to realization from the end customers. Accordingly, due to non-realization of receivables from the end customers, the payments to the vendors have not become due. Hence as on 31st March 2025, there is no interest paid or payable on the amounts unpaid as at the year end.

Reply to Emphasis of Matter

(a) The Company has sent letters seeking confirmation of balances in respect of Sundry Debtors, Loans and Advances, as well as Deposit outstanding in the Books of Accounts as on 31.12.2024. Reponses have been received from some of the parties. Adequate provisions have been made in the Books of Accounts for Sundry Debtors, Loans and Advances that are outstanding for more than 3 years and have been carried forward from previous years. Further, legal cases have been filed for recovery in respect of TV Marketing Debtors and other cases of outstanding dues wherever required. The Current Liabilities are mainly on account of Media Business. Most of the dues have been cleared subsequently.

(ख) मामले की जांच की गई है और आवश्यक कदम उठाए गए हैं.

14.2 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा लेखाओं की समीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने 29.10.2025 के पत्र के माध्यम से, 2013 की धारा 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आपकी कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ए) के तहत अपनी "शून्य" टिप्पणियां दी हैं.

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आपकी कंपनी के वित्तीय विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट में अन्यत्र आपकी कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ रखे जा रहे हैं.

15. सूचना का अधिकार एक्ट, 2005

एनएफडीसी में सूचना का अधिकार एक्ट 2005 लागू करने के लिए पर्याप्त आवश्यक कार्यवाही की गई है. आरटीआई संबंधी आवेदन पत्रों को देखने और उन पर की जा रही आगे की कार्यवाही पर निगरानी के लिए समुचित व्यवस्था है. आरटीआई मशीनरी का प्रतिनिधित्व 31.03.2025 तक किया गया है जोकि निम्नानुसार है :

1. मुख्य जन सूचना अधिकारी
   श्री पी पी मठ, उप महाप्रबंधक, (कार्मिक एवं प्रशासन)
2. अपीलीय प्राधिकारी
   सुश्री सुमोना मजूमदार, उप महाप्रबंधक (कम्पनी सचिव एवं विधि)

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 58 (अट्ठावन) आरटीआई आवेदन और 13 (तेरह) आरटीआई अपीलें प्राप्त हुईं और 31.03.2025 तक शून्य आरटीआई आवेदन और उनकी अपीलें लंबित थीं.

16. सतर्कता तंत्र

बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रदान करने के लिए एनएफडीसी ने धोखाधड़ी के मामलों की रोकथाम के लिए नीति निर्धारित की है. इस नीति का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था उपलब्ध कराना है जिससे धोखेबाजी से बचाव एवं उसका पता लगाना संभव हो सके, किसी तरह की धोखेबाजी की आशंका हो तो उसे रिपोर्ट किया जा सके और सामने आए मामलों से निपटा जा सके. विभागाध्यक्ष, महाप्रबंधक तथा क्षेत्रीय प्रबंधकों को इस धोखाधड़ी निरोधी नीति का नोडल अधिकारी बनाया गया है. वे नीतिनुसार सभी कार्यवाहियां नियोजित करते हैं.

इसके अलावा, बोर्ड ने अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कंपनी की व्हिसल ब्लोअर नीति को मंजूरी दे दी है और अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता या नैतिक नीति के उल्लंघन के बारे में वास्तविक चिंताओं या शिकायतों की रिपोर्टिंग के लिए एक चैनल खोल दिया है.

17. लेखा परीक्षण समिति

कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति वित्तीय वर्ष के दौरान निष्क्रिय रही. लेखा परीक्षा समिति की भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ निदेशक मंडल द्वारा निभाई गईं. आंतरिक लेखा परीक्षक और सांविधिक लेखा परीक्षक सभी बोर्ड बैठकों में स्थायी आमंत्रित सदस्य होते हैं. आवश्यकतानुसार वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों को भी सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया जाता है.

18. जोखिम प्रबंधन नीति

निदेशक मंडल बिजनेस के आंतरिक और वाह्य जोखिमों की समय समय पर समीक्षा करते रहते हैं जिससे कि समय रहते सुरक्षात्मक कदम उठाये जा सकें. आंतरिक कमजोरियों तथा विभिन्न वाह्य खतरों की समीक्षा के लिये निदेशक मंडल के सामने रिपोर्ट पेश की जाती है.

(b) The matter have been examined and necessary steps have been initiated.

14.2 Review of accounts by Comptroller & Auditor General of India (C&AG)

The Comptroller & Auditor General of India, through letter dated 29.10.2025, has decided not to conduct the Supplementary Audit of the audited Financial Statements of your Company for the year ended 31st March 2025 under Section 143(6)(a) of the Companies Act, 2013 and given their “NIL” comments under Section 143(6)(a) of the Companies Act, 2013.

The financial statements of your Company for the year ended 31st March 2025 are being placed with the report of Statutory Auditors of your Company elsewhere in this Annual Report.

15. Right to Information Act, 2005

RTI Machinery is in place in NFDC to attend to RTI applications and follow-ups. Necessary action has been taken by the Company towards implementation of Right to Information (RTI) Act 2005 in NFDC. The RTI machinery is represented as on 31.03.2025 as mentioned hereunder :

1. Chief Public Information Officer
   Mr P P Math, Deputy General Manager (Personnel & Administration)
2. Appellate Authority
   Ms Sumona Majumdar, Deputy General Manager (Company Secretary & Legal)

Total 58 (Fifty Eight) RTI applications and 13 (Thirteen) RTI Appeals were received during FY 2024-25 and Nil RTI application and Appeals thereof were pending as on 31.03.2025.

16. Vigil Mechanism

In order to practice better Corporate Governance, NFDC has adopted a Policy for Prevention of Fraud. The objective of the policy is to provide a system for the detection and prevention of fraud, reporting of any fraud that is detected or suspected, and for fair dealing of matters pertaining to fraud. The Heads of Departments, General Managers, and Regional Managers are designated as the Nodal Officers for this Fraud Policy and will co-ordinate all activities as per the Policy.

Further, the Board has approved the Whistle Blower Policy of the Company to ensure more transparency and opened a channel for reporting genuine concerns or grievances about unethical behaviour, actual or suspected fraud or violation of the Company's code of conduct or ethics policy.

17. Audit Committee

In absence of Independent Directors on the Board of the Company, the Audit Committee of Board remained defunct during the financial year. The roles and responsibilities of the Audit Committee were discharged by the Board of Directors. Internal Auditors and Statutory Auditors are standing invitees in all Board Meetings. Senior functional executives are also invited as and when required to provide inputs.

18. Risk Management Policy

The Board of Directors review internal & external risks of the business periodically so as to take timely corrective action. In order to review its internal weaknesses and various external threats periodically, reports are placed before the Board of Directors.

19. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

कृपया अनुलग्नक II देखें

20. महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर हुए यौन उत्पीड़न संबंधी प्रकटीकरण (प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन, एंड रिड्रेसल एक्ट 2013)

इसके संबंध में कंपनी की नीति निर्धारित है. महिला कर्मचारीगणों की शिकायतों के निवारण के लिए निगम की आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया था.

वर्ष 2024-25 के दौरान यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतें प्राप्त होने तथा उनका निपटारा किये जाने का विवरण प्रकार है :

प्राप्त शिकायतों की संख्या	कुछ नहीं
शिकायतों का निपटारा	लागू नहीं

21. कॉर्पोरेट गवर्नेंस

अपने प्रतिदिन के कार्यकलापों में पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा एवं जवाबदेही बनाये रखने के लिए कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की श्रेष्ठतम नीतियों का निरंतर अनुसरण करती है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इन नीतियों को संलग्न (अनुलग्नक I) में प्रमुखता के साथ दर्शाया गया है.

कॉरपोरेट गवर्नेंस सर्टिफिकेट में अवलोकन का उत्तर इस प्रकार है :

(क) अवलोकन का उत्तर (1)

एनएफडीसी के एओए के अनुच्छेद 78(2) में यह प्रावधान है कि "निदेशक मंडल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सहित सभी निदेशकों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी." अत :, एनएफडीसी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति डीपीई/प्रशासनिक मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से होती है और कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति में कंपनी की कोई भूमिका नहीं होती है. 31.03.24 तक बोर्ड में दो गैर-कार्यात्मक आधिकारिक निदेशक या सरकार द्वारा नामित निदेशक, श्री पृथुल कुमार, संयुक्त सचिव (फिल्म्स) जो प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे है तथा सुश्री यतिंदर प्रसाद, संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, एमआईएंडबी शामिल थे. स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति और बोर्ड समितियों के लिए निदेशकों की न्यूनतम अपेक्षित संख्या के कारण, यह समितियां वर्ष के दौरान निष्क्रिय रहीं. रिपोर्टिंग की तिथि तक बोर्ड में निम्नलिखित शामिल हैं :

(ख) अवलोकन का उत्तर (2)

सीपीएसई 2010 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दिशा-निर्देशों के पैरा 3.3.1 के अनुसार, "बोर्ड की बैठक हर तीन महीने में कम से कम एक बार होगी और हर साल कम से कम चार ऐसी बैठकें आयोजित की जाएगी. इसके अलावा, किसी भी दो बैठकों के बीच का समय अंतराल तीन महीने से अधिक नहीं होना चाहिए." CPSEs 2010 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की गाइडलाइंस के पैरा 3.3.1 के अनुसार, "बोर्ड हर तीन महीने में कम से कम एक बार मीटिंग करेगा और हर साल कम से कम चार ऐसी मीटिंग होंगी. इसके अलावा, किन्हीं दो मीटिंग के बीच तीन महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए." बोर्ड की 196वीं मीटिंग 27 अगस्त, 2024 को और 197वीं मीटिंग 30 दिसंबर, 2024 को हुई थी. कंपनी के पूरे ऑपरेशन और बिज़नेस मामले फंक्शनल डायरेक्टर्स की गैरमौजूदगी में सरकार के नॉमिनी डायरेक्टर्स द्वारा चलाए जा रहे थे और जैसे ही कंपनी के FY 2023-24 के प्रोविजनल अकाउंट्स तैयार हुए, निर्देश के अनुसार 27 अगस्त 2024 को बोर्ड मीटिंग हुई. कंपनी को FY 2023-24 के ऑडिटेड अकाउंट्स पर C&AG के कमेंट्स 26 दिसंबर, 2024 को मिले, बोर्ड मीटिंग 30 दिसंबर, 2024 को हुई.

(ग) अवलोकन का उत्तर (3)

यह अवलोकन गलत है कि लेखा परीक्षा समिति और पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया गया है। एनएफडीसी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति डीपीई/प्रशासनिक मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से होती है और कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति में कंपनी की कोई भूमिका नहीं होती है। सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दिशानिर्देश 2010 के अनुसार लेखा परीक्षा समिति और पारिश्रमिक समिति की संरचना और

19. Corporate Social Responsibility

Please see Annexure II

20. Disclosure Under The Sexual Harrassment of Women At Workplace (Prevention, Prohibition And Redressal) Act, 2013.

The Company has a policy in this regard. The Internal Complaints Committee (ICC) of the Corporation had been constituted for redressal of grievances of women staff members.

The following is a summary of sexual harassment complaints received and disposed of during the year 2024-25 :

No. of complaints received	Nil
No. of complaints disposed of	Not Applicable

21. Corporate Governance

The Company consistently endeavors to adopt the best practices of Corporate Governance to ensure transparency, integrity and accountability in its functioning. The Corporate Governance Report highlighting these endeavors is enclosed herewith (Annexure-I).

The reply to the observations mentioned in the Corporate Governance Certificate are as under :

(a) Reply to observation (1)

Article 78(2) of AOA of NFDC provides that "All Directors including the Chairman of the Board of Directors and the Managing Director shall be appointed by the President." Therefore, the appointment of Directors on the Board of NFDC, is through DPE / Administrative Ministry, GoI and the Company has no role in the appointment of Directors on the Board of the Company. The Board consisted of two Government Nominee Directors and Shri Prithul Kumar, Joint Secretary (Broadcasting-II), holding the Additional charge of Managing Director of the Company. The appointment of Independent directors on the Board of NFDC is under consideration with the Administrative Ministry.

(b) Reply to observation (2)

As per Para 3.3.1 of the Guidelines for Corporate Governance for CPSEs 2010 "The Board shall meet at least once in every three months and at least four such meetings shall be held every year. Further, the time gap between any two meetings should not be more than three months." The 196th Meeting of the Board was held on 27th August, 2024 and the 197th meeting was held on 30th December, 2024. The overall operations and business affairs of the Company were being conducted by the Government Nominee directors in the absence of functional directors and as soon as the provisional Accounts of FY 2023-24 of the Company were ready, the Board meeting was held on 27th August 2024 as per direction. The C&AG comments were received on the audited Accounts of FY 2023-24 by the Company on 26th December, 2024, the Board meeting was held on 30th December, 2024.

(c) Reply to observation (3)

The observation is incorrect that the Audit Committee and Remuneration Committee are not formed. The appointment of Directors on the Board of NFDC is through DPE/ Administrative Ministry, GoI and the Company has no role in the appointment of the Directors on the Board of the Company. There is a requirement of Independent Directors for composition and working of the Audit

कामकाज के लिए स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता है और वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, कार्यात्मक निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, उल्लिखित समितियां निष्क्रिय रहीं और कोई भी बोर्ड समिति की बैठक आयोजित नहीं की जा सकी। एनएफडीसी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति होने पर, सभी बोर्ड स्तरीय समितियां कार्यात्मक हो जाएंगी। वित्त वर्ष 2025-26 में दो कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति के साथ कंपनी लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन कर रही है।

22. जमा

कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों 2(31), 73 तथा 74 के अंतर्गत जनता से मियादी जमा आमंत्रित नहीं की.

23. स्वतंत्र निदेशकों द्वारा दी गई घोषणा पर निवेदन

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कंपनी को बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की आवश्यकता नहीं है. हालाँकि, डीपीई के दिनांक 14.05.2010 के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या होनी चाहिए. कंपनी के बोर्ड में अंतिम स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल 26.02.2023 को समाप्त हो गया. स्वतंत्रता की घोषणा से संबंधित आवश्यक अनुपालन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद किया जाएगा.

24. सूक्ष्म और लघु उद्यमों से की गई खरीद

सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत सरकार द्वारा अधिसूचित की गई थी, जो निर्धारित करती है कि वस्तुओं और सेवाओं की कुल वार्षिक खरीद का 20% सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/सीपीएसयू द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) से किया जाएगा. इस प्रतिशत के भीतर, एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से उप-कुल 4% खरीद की जानी है. वर्ष 2024-25 के दौरान खरीद का कुल मूल्य ₹ 260.05 करोड़ है और एमएसई से प्राप्त कुल मूल्य में से ₹ 87.82 करोड़ है. इनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति द्वारा पार्टी ₹ 0 करोड़ और महिला उद्यमियों से ₹ 14.58 करोड़ की खरीद की गई.

25. भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं, यदि कोई हों, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती हैं, जो वित्तीय वर्ष के अंत और रिपोर्ट की तारीख के बीच हुई हैं

जिस वित्तीय वर्ष का वित्तीय विवरण संबंधित है उसकी समाप्ति और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाला कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन या प्रतिबद्धता नहीं हुई.

26. वित्तीय विवरणों या बोर्ड की रिपोर्ट का स्वैच्छिक पुनरीक्षण

प्रबंधन ने स्वेच्छा से वित्तीय विवरणों या बोर्ड की रिपोर्ट को संशोधित नहीं किया है.

27. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता, परिचालन और रणनीतिक लक्ष्यों की उपलब्धि पर समय पर प्रतिक्रिया, नीतियों, प्रक्रियाओं, नियमों और विनियमों का अनुपालन, संपत्तियों की सुरक्षा और संसाधनों के किफायती और कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी में एक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तैयार की गई है.

Committee and Remuneration Committee as per the Guidelines for Corporate Governance for CPSEs 2010 and during FY 2024-25, in the absence of functional directors and the Independent Directors, the mentioned Committees remained defunct and no level Board Committee meeting could be held. Upon appointment of Independent Directors on the Board of NFDC, all the Board level Committees will become functional. In interim in FY 2025-26 with the appointment two functional directors the Company is reconstituting Audit Committee.

22. Deposit

The Company has not invited deposits from Public under Section 2(31), 73 and 74 of the Companies Act, 2013.

23. Statement On Declaration Given By Independent Directors

The company is not required to have independent directors on the board as per the Companies Act, 2013. However, under the Guidelines of Corporate Governance of DPE dated 14.05.2010 the Company should have a requisite number of independent directors on Board. The tenure of the last Independent Directors on the Board of the Company ceased on 26.02.2023. The necessary compliance pertaining to the declaration of Independence shall be done once the administrative ministry appoints Independent Directors.

24 Procurement Made From Micro And Small Enterprises

Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) was notified by the Government under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 which stipulates that 20% of Total annual procurement of goods and services shall be made by all Central Ministries /Departments /CPSUs from Micro & Small Enterprises (MSEs). Within this percentage, a sub-Total of 4% procurement is to be made from MSEs owned by SC/ST entrepreneurs. The Total value of procurement during the year 2024-25 is ₹ 260.05 Crore and out of the Total value procured from MSE is ₹ 87.82 Cr. Out of these, the party from SC/ST were ₹ Nil Crore and procurement from women entrepreneurs was ₹ 14.58 Crore.

25. Material Changes And Commitments, If Any, Affecting The Financial Position of The Company Which Have Occurred Between The End of The Financial Year to Which The Financial Statements Relate And The Date of The Report :

No material changes and commitments affecting the financial position of the Company occurred between the end of the financial year to which the financial statement relates and at the date of this report.

26. Voluntary Revision of Financial Statements or Board's Report

The management has not voluntarily revised the financial statements or Boards report.

27. Adequacy of Internal Financial Control System

An internal control system is formulated in the Company to ensure reliability of financial reporting, timely feedback on the achievement of operational and strategic goals, compliance with policies, procedures, rules and regulations, safeguarding of assets and economical and efficient use of resources.

आंतरिक लेखा परीक्षक कंपनी द्वारा नियुक्त एक चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म है, आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता की निगरानी करता है. आंतरिक लेखापरीक्षा गतिविधि का दायरा आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के पत्र में अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है. बोर्ड की कार्यकारी लेखा परीक्षा समिति की गैर-मौजूदगी में, बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स नियमित रूप से बैठक करते है तथा बोर्ड मीटिंग में इंटरनल ऑडिटर द्वारा जमा की गई इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट की समीक्षा करते है.

28. संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्था

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने अपने किसी भी संबंधित पक्ष के साथ कोई महत्वपूर्ण लेन-देन नहीं किया था. कंपनी के प्रमुख संबंधित पक्ष लेनदेन आम तौर पर इसकी सहायक कंपनी के साथ होते हैं, जो एक सरकारी कंपनी भी है. सभी संबंधित पक्ष लेन-देन व्यापार के सामान्य क्रम में थे और समर्थन के आधार पर बातचीत की गई थी और इस वार्षिक रिपोर्ट के एक अलग खंड के रूप में संलग्न वित्तीय विवरण का हिस्सा है. उनका उद्देश्य कंपनी के हितों को आगे बढ़ाना था. तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एच) के तहत फॉर्म एओसी-2 में आवश्यक संबंधित पार्टी लेनदेन का प्रकटीकरण लागू नहीं होता है.

29. राष्ट्रीय निधि में योगदान

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा विभिन्न करों/ब्याज के रूप में केंद्र और राज्य दोनों के राष्ट्रीय निधि में योगदान/प्रावधान पिछले वर्ष के ₹ 1295.64 लाख की तुलना में ₹ 2375 लाख था.

30. नियामकों/अदालतों/न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और वास्तविक आदेश जो गोईंग कन्सर्न स्थिति और भविष्य में कंपनी के संचालन को प्रभावित करते हैं

नियामकों/अदालतों/न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण और वास्तविक आदेश पारित नहीं किया गया है, जो गोईंग कन्सर्न स्थिति और भविष्य में कंपनी के संचालन को प्रभावित करते है.

31. कर्मचारियों का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के तहत रिपोर्ट किए जाने वाले कर्मचारियों की श्रेणी में आने वाला कोई भी कर्मचारी कंपनी में नहीं था, कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) और 5(3) के साथ पढ़ें.

32. आभार

निदेशक मंडल कंपनी के व्यावसायिक भागीदारों को उनके सहयोग और संस्था में उनके विश्वास के प्रति आभारी हैं और पूरी आशा करता है कि भविष्य में ऐसा ही निरंतर पारस्परिक सहयोग जारी रहेगा. निदेशक मंडल अपने रिकॉर्ड में निगम के निदेशक मंडल से बाहर जाने वाले निदेशकों के प्रति उनके उल्लेखनीय बहुमूल्य योगदान के लिये अपनी गहरी सराहना दर्ज करता है.भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से जो समर्थन और मार्गदर्शन मिलता रहा है, उसके प्रति भी निदेशक मंडल आभार प्रकट करता है, विशेषकर सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय, कंपनी के संचालन और विकासात्मक योजनाओं के लिये आभारी है. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत सरकार, लेखामंडल के अध्यक्ष एवं सदस्यों, वैधानिक लेखा परीक्षकों, आंतरिक लेखा परीक्षकों तथा बैंकों, संरक्षकोंऔर कंपनी ग्राहकों के प्रति निदेशक मंडल आभार प्रदर्शित करता है. निदेशक मंडल राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम परिवार के सभी सदस्यों के प्रति उनके उत्साहपूर्ण, समर्पित कार्यों के लिये गहरी कृतज्ञता भी दर्ज करता है. रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी की सुचारु क्रियाशीलता के लिये उनके द्वारा दिया गया सहयोग बहमूल्य था.

निदेशक मंडल की ओर से

	प्रकाश मगदूम	राजेश कुमार
स्थान : मुंबई	प्रबंध निदेशक	निदेशक (वित्त)
दिनांक : 5.12.2025	DIN No. 11128316	DIN No. 11233385

The internal auditor, a Chartered Accountant firm appointed by the Company, monitors the effectiveness of internal controls. The scope of internal audit activity is well defined in the letter of appointment of internal auditors. In the absence functional audit committee of Board, the Board of Directors met regularly and reviewed the reports of internal audit submitted by the internal auditor in the Board Meeting.

28. Contracts or Arrangements With Related Parties

During the period under review, the Company had not entered into any material transaction with any of its related parties. The Company's major related party transactions are generally with its subsidiary, which is also a government company. All related party transactions were in the ordinary course of business and were negotiated on an arm's length basis and forms part of financial statement, attached as a separate section of this Annual Report. They were intended to further the Company's interests. Accordingly, the disclosure of Related Party Transactions as required under Section 134(3)(h) of the Companies Act, 2013 in Form AOC-2 is not applicable.

29. Contribution to National Exchequer

During the year under review, the contribution / provision made by the company in the form of various taxes / interest to the National Exchequer, both Central and State, was of ₹ 2375 Lakhs as against ₹ 1295.64 lakhs in the previous year.

30. Significant And Material Orders Passed By Regulators/ Courts/ Tribunals Impacting The Going Concern Status And Company's Operations In Future

There are no significant and material order passed by regulators/ courts/ tribunals impacting the going concern status and your Company's operations in future.

31. Particulars of The Employees

There was no employee in the Company falling under the category of employees required to be reported under Section 197(12) of the Companies Act, 2013, read with Rules 5(2) and 5(3) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014.

32. Acknowledgements

The Board thanks the Company's business partners for their support and confidence in NFDC and we look forward to sustaining and building this mutually supportive relationship in the future. The Board also gratefully acknowledges the support and guidance received from the Government of India, and various Ministries of the Government of India, particularly the Ministry of Information and Broadcasting, in the Company's operations. The Directors also express their grateful appreciation to the Department of Public Enterprises, Comptroller and Auditor General of India, Statutory Auditors, Internal Auditors, Bankers, patrons, Clients, service providers of the Company, and the public at large. The Board records its deep appreciation for the enthusiastic and dedicated work of the employees of NFDC. Their outstanding team effort was invaluable for the smooth functioning of the Company during the year under report.

For and on behalf of the Board of Directors

	Prakash Magdum	Rajesh Kumar
Place : Mumbai	Managing Director	Director (Finance)
Date : 5.12.2025	DIN No. 11128316	DIN No. 11233385

अनुलग्नक – I

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, जो कि भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (डीपीई) भारी उद्योग मंत्रालय तथा पब्लिक एंटरप्राइजेज, भारत सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों का पालन करता है.

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर संक्षिप्त रिपोर्ट इस प्रकार है :

1. कोड ऑफ कार्पोरेट गवर्नेंस पर कंपनी की धारणा

कंपनी उन अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए प्रतिबद्ध है जिसे समुचित पारदर्शी प्रणाली और उन प्रथाओं का सहारा है जिनसे इसके सभी हिस्सेदारों के हितों का संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा सुनिश्चित होती रहे.

एनएफडीसी एक प्रतियोगी, ग्राहक के प्रति मैत्रीभाव रखने वाली और विकासोन्मुखी संस्था के रूप में कार्य करने के लिये प्रतिबद्ध है जो देश-विदेश में स्वस्थ सिनेमा का उन्नयन करे. साथ ही यह अपने सभी ग्राहकों को मैत्रीपूर्ण तथा श्रेष्ठतम सेवाएं पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने के लिये भी प्रतिबद्ध है. कंपनी ने हमेशा अच्छे कॉरपोरेट गवर्नेंस पर ध्यान केंद्रित किया है, जो अपने शेयरधारकों के लिए स्थायी कॉर्पोरेट विकास और दीर्घकालिक मूल्य निर्माण का एक प्रमुख चालक है. कंपनी का मानना है कि उसे अपने श्रमशक्ति और पूंजीगत संसाधनों का लाभ उठाना चाहिए ताकि अवसरों को हकीकत में तब्दील किया जा सके, कॉर्पोरेट दृष्टि के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके और सभी स्तरों पर गतिशीलता और उद्यमिता को जगाया जा सके. इन सबसे ऊपर, कॉर्पोरेट प्रशासन को व्यक्तिगत हितों को कॉर्पोरेट लक्ष्यों के साथ संतुलित करना चाहिए और औचित्य, इक्विटी, निष्पक्ष खेल और न्याय की भावना के स्वीकृत मानदंडों के भीतर काम करना चाहिए. उत्तरदायित्व और पारदर्शिता निर्णय लेने में सुधार करने और ऐसे निर्णयों के पीछे के तर्क को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण चालक हैं, जो बदले में हितधारक विश्वास पैदा करते हैं.

2. निदेशक मंडल

(क) बोर्ड की संरचना

एनएफडीसी के निदेशक मंडल में आठ सदस्य हैं. इनमें से तीन कार्यकारी निदेशक हैं. शेष पांच में से दो भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा तीन गैर सरकारी निदेशक हैं. विगत में नियुक्त बोर्ड के अध्यक्ष गैर-सरकारी निदेशक और फिल्म उद्योग से प्रतिष्ठित व्यक्ति रह चुके है. निदेशक मंडल में नियुक्ति विस्तृत अनुभव, ज्ञान एवं कार्य कुशलता के आधार पर की जाती है.

31 मार्च 2025 को कंपनी के बोर्ड की संरचना इस प्रकार थी :

श्री पृथुल कुमार	संयुक्त सचिव (प्रसारण-II), एमआईएंडबी कार्यात्मक निदेशक (प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार)
श्री दीपक नारायण	अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (सरकार द्वारा नामित निदेशक)
श्रीमती वृंदा मनोहर देसाई	संयुक्त सचिव (फिल्म्स),सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (सरकार द्वारा नामित निदेशक)

बोर्ड के पिछले अध्यक्ष का कार्यकाल 15.01.2015 को समाप्त हो गया, तत्पशचात भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष का कोई नामांकन नहीं किया गया है. 31.03.2025 तक कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के पद रिक्त थे.

Annexure – I

Corporate Governance Report For The Financial Year 2024-25

A Public Sector Enterprise of Government of India, NFDC follows the extant Guidelines on Corporate Governance issued by Department of Public Enterprises (DPE), Ministry of Finance, Government of India.

A Brief report on Corporate Governance is given below :

1. Company's Philosophy On Code of Corporate Governance.

Your Company is committed to good Corporate Governance supported by transparent systems and practice to protect, promote and safeguard the interests of all its stakeholders.

NFDC is committed to act as a competitive, client-friendly and development-oriented organization for promotion of good cinema in the country and abroad. It is also committed to providing client friendly best services to all its customers in a transparent manner. The Company has always focused on good corporate governance, which is a key driver of sustainable corporate growth and long-term value creation for its shareholders. The Company believes, it must leverage its human and capital resources to translate opportunities into reality, create awareness of corporate vision and spark dynamism and entrepreneurship at all levels. Above all, corporate governance must balance individual interest with corporate goals and operate within accepted norms of propriety, equity, fair play and a sense of justice. Accountability and transparency are key drivers to improve decision-making and the rationale behind such decisions, which in turn creates stakeholder confidence.

2. Board of Directors

(a) Composition of Board :

The composition of the Board of Directors of NFDC is 8 (Eight) members out of which three are Functional Directors and five are Non-Executive Directors, of whom two are nominees of the Government of India and three are Non-official Directors. The Chairman of the board appointed is a non-official director and an eminent personality from the film industry. The Board of Directors has a wide range of experience, knowledge, and skills.

The composition of the Board as on 31st March 2025 is as follows :

Shri Prithul Kumar	JS (Broadcasting-II), MI&B Functional Director (holding additional charge of Managing Director)
Shri Deepak Narain	Additional Secretary & Financial Advisor, MI&B (Government Nominee Director)
Smt. Vrunda Manohar Desai	Joint Secretary (Films), Ministry of I&B (Government Nominee Director)

The tenure of the last Chairman of the Board ceased on 15.01.2015. Thereafter, no nomination of the Chairman of the Board has been made by the Hon'ble President of India. The positions of Functional Directors and Independent Directors were vacant as on 31.03.2025.

(ख) बैठक और उपस्थिति

i. वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान हुई बोर्ड मीटिंग्स का विवरण

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान चार बोर्ड मीटिंग्स 27.08.2024, 30.12.2024 तथा 28.03.2025 को हुई.

बोर्ड के पास कंपनी के संबंध में सभी आवश्यक सूचनाएं तथा जानकारियां उपलब्ध हैं जिनसे निदेशक मंडल और विभिन्न समितियों को सुविज्ञ तथा प्रभावशाली निर्णय लेने में सहूलियत हुई.

ii. वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड मीटिंग्स में निदेशकों की उपस्थिति, पिछली आम सभा में उपस्थिति, अन्य निदेशकीय उत्तरदायित्वों की संख्या (अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों/समितियों में निदेशकों की सदस्यता) आदि का विवरण निम्नानुसार हैं :

(b) Meeting and attendance

(i) Details of Board Meeting held during the Financial Year 2024-25

During the Financial year 2024-25 three Board Meetings were held, namely on 27.08.2024, 30.12.2024 and 28.03.2025.

The Board has complete access to all the relevant information within the Company enabling the Board of Directors and its Committees thereof to make informed and prudent decisions.

(ii) Details of Number of Board Meetings attended by Directors, attendance at last AGM, number of other directorship / committee memberships held by Directors during the year 2024-25 are as under :

	निदेशक का नाम	पद	बोर्ड मीटिंग		03.11.2024 को हुई पिछली ए जी एम में उपस्थिति	अन्य निदेशकों की संख्या	अन्य कमिटी मेंबर्स की संख्या	
			कार्यकाल में हुईं	उपस्थित रहे			चेयरमैन के तौर पर	सदस्य के तौर पर
1.	श्री पृथुल कुमार @	प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)	3	3	हां	कुछ नहीं	कुछ नहीं	1
2.	सुश्री यतिन्दर प्रसाद #	सरकार द्वारा नामित निदेशक	0	नहीं	नहीं	1	कुछ नहीं	1
3	श्री दीपक नारायण #	सरकार द्वारा नामित निदेशक	3	3	हां	कुछ नहीं	1	कुछ नहीं
4	सुश्री वृंदा मनोहर देसाई $	सरकार द्वारा नामित निदेशक	3	2	हां	कुछ नहीं	कुछ नहीं	1

	Name of Director	Designation	Board Meeting		Attendances at Last AGM held on 31.12.2024	No. of other Directorships	No. of other Committee Memberships	
			Held during the tenure	Attended			As Chairman	As Member
1.	Shri Prithul Kumar@	Managing Director (Additional charge)	3	3	Yes	Nil	Nil	1
2.	Smt Yatinder Prasad #	Government Nominee Director	0	NA	NA	1	Nil	1
3.	Shri Deepak Narain#	Government Nominee Director	3	3	Yes	Nil	1	Nil
4.	Smt. Vrunda Manohar Desai $	Government Nominee Director	3	2	Yes	Nil	Nil	1

श्री दीपक नारायण, अतिरिक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, सूचना प्रसारण मंत्रलयको 10 अप्रैल 2024 से एनएफडीसी के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक नियुक्त किया गया. यह पद सुश्री यतिंदर प्रसाद, संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, सूचना प्रसारण मंत्रालय की जगह लिया गया.

$ श्रीमती वृंदा मनोहर देसाई, संयुक्त सचिव (फिल्म्स) मंत्रालय 4 जून 2024 से एनएफडीसी के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक नियुक्त किया गया.

@ श्री पृथुल कुमार, संयुक्त सचिव (ब्रॉडकास्टिंग –II) को 19 जून, 2024 से कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया.

Shri Deepak Narain, Additional Secretary and Financial Advisor, Ministry of I&B was appointed as Government Nominee Director on the Board of NFDC w.e.f. 10th April' 24 vice Ms Yatinder Prasad, Joint Secretary & Financial Advisor, MI&B.

$ Smt. Vrunda Manohar Desai, Joint Secretary (Films) Ministry of I&B was appointed as Government Nominee Director on the Board of NFDC w.e.f. 4th June' 24.

@ Shri Prithul Kumar, JS(Broadcasting –II) was appointed functional director w.e.f. 19th June, 2024

(iii) नए निदेशकों कि की संक्षिप्त प्रोफ़ाइल

श्री दीपक नारायण, अतिरिक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार, सूचना प्रसारण मंत्रालय, 1993 बैच के इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विस (आईए एवं एएस) ऑफिसर हैं, जिन्हें ऑफिस ऑफ़ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली और भारत सरकार, दोनों में विभिन्न कार्यों का बहुत समृध्द अनुभव है.

सुश्री वृंदा मनोहर देसाई, संयुक्त सचिव (फिल्म्स), सूचना प्रसारण मंत्रालय, 2003 बैच की इंडियन रेवेन्यू सर्विस (इनकम टैक्स) (आईआरएस-आईटी) ऑफिसर हैं, जिन्हें बहुत व्यापक अनुभव है.

(iii) Brief Profile of new Directors

Shri Deepak Narain, Additional Secretary and Financial Advisor, Ministry of Information and Broadcasting, is an Indian Audit & Accounts Service (IA&AS) Officer of the 1993 batch with vast and rich experience in various assignments, both in the office of the Comptroller & Auditor General of India, New Delhi, as well as in the Government of India.

Smt. Vrunda Manohar Desai, Joint Secretary (Films), Ministry of Information and Broadcasting, is an Indian Revenue Service (Income Tax) (IRS-IT) officer of the 2003 batch with vast experience.

3. निदेशक मंडल की समितियां

3.1 निदेशक मंडल द्वारा गठित समितियां इस प्रकार है :

- लेखा परीक्षण समिति
- कार्मिक उप-समिति
- पारिश्रमिक समिति
- कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति

3.1.1 लेखा परीक्षण समिति

i. 31 मार्च 2025 को लेखा परीक्षण समिति का गठन इस प्रकार था :

बोर्ड ने 28.08.2023 को आयोजित अपनी बैठक में लेखा परीक्षण समिति का पुनर्गठन किया. लेखा परीक्षण समिति में कम से कम तीन निदेशक होने चाहिए, जिसमें स्वतंत्र निदेशक बहुमत में होंगे और लेखा परीक्षण समिति के अध्यक्ष सहित अधिकांश सदस्य वित्तीय विवरणों को पढ़ने और समझने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति होंगे. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार तथा निदेशक (वित्त) इस समिति के सदस्य होंगे. वित्तीय ज्ञान रखने वाले स्वतंत्र निदेशकों में से एक को निदेशक मंडल द्वारा लेखा परीक्षण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा.

ii. वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं रहा, निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति निष्क्रिय रही, तथा समिति की कोई बैठक भी नहीं हुई.

iii. लेखापरीक्षा समिति के कर्तव्यों का निर्वहन कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा किया गया.

iv. आंतरिक लेखा परीक्षक और सांविधिक लेखा परीक्षक उन सभी बैठकों में अपने इनपुट के लिए स्थायी आमंत्रित हैं, जहाँ लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में रखे जाने वाले मामलों को बोर्ड के समक्ष रखा जाता है. वरिष्ठ कार्यात्मक अधिकारियों को भी समिति को इनपुट प्रदान करने के लिए आवश्यकतानुसार आमंत्रित किया जाता है.

3.1.2 कार्मिक उप-समिति

3.1.3 पर्सनल सब-कमेटी को 11.07.2024 को पुनर्गठित किया गया तथा 31.03.25 तक, कमेटी में श्री पृथुल कुमार, संयुक्त सचिव (ब्रॉडकास्टिंग-II), सूचना प्रसारण मंत्रालय को कार्यकारी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया और वे कंपनी के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त भार संभाल रहे थे, तथा दो नॉन-एग्जीक्यूटिव सरकारी डायरेक्टर थे, जिनके नाम श्री दीपक नारायण, अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, सूचना प्रसारण मंत्रालय और श्रीमती वृंदा मनोहर देसाई, संयुक्त सचिव (फिल्म्स), सूचना प्रसारण मंत्रालय थे. पर्सनल सब-कमेटी के टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस में डिप्टी मैनेजर लेवल और उससे ऊपर के अधिकारियों के प्रमोशन, वेलफेयर के मुद्दों और पर्सनल से जुड़े दूसरे पॉलिसी मामलों पर विचार करना शामिल है. वर्ष 2024-25 के दौरान, 3 (तीन) पर्सनल सब-कमेटी मीटिंग हुईं. बैठक की तारीखें 11.07.2024, 18.07.2024 और 23.08.2024 हैं.

3.1.3 पारिश्रमिक समिति

FY 2024-25 में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय के विचाराधीन थी. पारिश्रमिक समिति की संदर्भ परिभाषा वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय वेतन पूल और निर्धारित सीमा के भीतर अधिकारियों और गैर-संघीय पर्यवेक्षकों के बीच इसके वितरण के लिए नीति तय करना. वर्ष 2024-25 के दौरान समिति निष्क्रिय बनी रही पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक नहीं हुई.

3. Committees of The Board of Directors

3.1 The Committees constituted by the Board are as follows :

- Audit Committee
- Personnel Sub-Committee
- Remuneration Committee
- Corporate Social Responsibility Committee

3.1.1 Audit Committee

(i) The composition of the Audit Committee as on 31st March 2025 :

The Board reconstituted the Audit Committee in its meeting held on 28.08.2023. The Audit Committee consists of minimum three Directors with independent Directors forming the majority and majority of the members of the Audit Committee including its Chairperson shall be persons with the ability to read and understand financial statements. The Additional Secretary & Financial Adviser, M/o I & B and Director (Finance) will be member of the Committee. One of the Independent Directors having Financial knowledge shall be appointed as Chairperson of the Audit Committee by the Board.

(ii) During FY 2024-25 there being no independent Directors on the Board, the Audit Committee of the Board remained defunct, with no meeting of the Committee being held.

(iii) The duties of the Audit Committee were discharged by the Board of the Company.

(iv) The Internal Auditors and Statutory Auditors are standing invitees for their input in all meetings where matters required to be placed in the Audit Committee meetings are placed before the Board. Senior functional executives are also invited as and when required to provide inputs to the Committee.

3.1.2 Personnel Sub-Committee

3.1.3 The Personnel Sub-Committee was reconstituted on 11.07.2024 and as on 31.03.25, the Committee consisted of Shri Prithul Kumar, Joint Secretary (Broadcasting -II), Ministry of I&B appointed as Functional Director and holding additional charge of Managing Director of the Company and two non-executive Government Directors, namely Shri Deepak Narain, Additional Secretary and Financial Advisor, Ministry of I&B and Smt. Vrunda Manohar Desai, Joint Secretary (Films), Ministry of I&B. The terms of reference of the Personnel Sub-Committee is to consider the promotion of officers from Deputy Manager level and above, Welfare issues and other policy matters related to personnel. During the year 2024-25, 3 (three) Personnel Sub-Committee Meeting were held. The dates of the meeting are 11.07.2024, 18.07.2024 and 23.08.2024.

3.1.4 Remuneration Committee

The appointment of Independent Directors was under consideration of the Administrative Ministry in FY 2024-25. The terms of reference of the Remuneration Committee is to decide the annual bonus/variable pay pool and policy for its distribution across the executives and non-unionized supervisors within the prescribed limits. During FY 2024-25, the Committee remained defunct and no Remuneration Committee Meeting was held.

3.1.4 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

बोर्ड ने 28 अगस्त, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में सीएसआर समिति को विघटित करने का निर्णय लिया क्योंकि कंपनी पर प्रावधान लागू होने के बाद से कंपनी का सीएसआर खर्च लगातार 50.00 लाख रुपये से कम रहा है. इसलिए, सीएसआर खर्च, निगरानी और उसके तहत अनुपालन कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा देख रेख की जाती है.

4. लेखा परीक्षण योग्यता

कंपनी हमेशा अयोग्य वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने का प्रयास करती है; हालाँकि, वैधानिक लेखा परीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण पर अपनी रिपोर्ट में योग्य राय दी है. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के खातों पर वैधानिक लेखा परीक्षकों की योग्य राय के लिए प्रबंधन का जवाब निदेशकों की रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है. इसके अलावा, सी एंड एजी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के वित्तीय विवरण पर कोई टिप्पणी नहीं दी है.

5. बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण

वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए में वर्तमान में कंपनी अपने नवनियुक्त निदेशकों को औपचारिक प्रशिक्षण प्रदान करने में असमर्थ है, हालांकि बोर्ड के निदेशकों को कंपनी के व्यवसाय मॉडल, संचालन के क्षेत्र आदि का परिचय प्रदान किया गया है. निदेशक डीपीई द्वारा आयोजित मौजूदा और नवनियुक्त निदेशकों के क्षमता निर्माण के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम में भाग लेते हैं. कंपनी के पास एनएफडीसी के निदेशक मंडल के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण नीति है.

6. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक

6.1 सरकारी कंपनी होने के नाते, कार्यात्मक निदेशक का पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है. सरकारी नामित निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान किसी भी निदेशक को पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया.

6.2 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के कार्यकारी निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक का विवरण निदेशकों की रिपोर्ट के अनुबंध – III में वार्षिक विवरण के सार में प्रदान किया गया है.

7. वार्षिक आम सभा

7.1 कंपनी की पिछली तीन वार्षिक आम बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गईं :

3.1.5 Corporate Social Responsibility Committee

The Board, in its meeting held on August 28, 2023, decided to dissolve the CSR Committee as the Company's CSR spending has consistently remained below ₹ 50.00 Lakhs since the provisions became applicable on the Company. Therefore, the CSR spending, monitoring, and compliance thereunder were taken care by the Board of Directors of the Company.

4. Audit Qualification

It is always the company's endeavor to present unqualified financial statement; however, the Statutory Auditors have given qualified opinion in their report on the financial statement of the Company for the financial year 2024-25. Management reply to the Statutory Auditors' Qualified opinion, Emphasis Matters on the Accounts of the company for the financial year ended 31st March, 2025 is furnished in the Directors' Report. Additionally, the C&AG has given NIL comments on the financial statement of FY 2024-25.

5. Training of Board Members

The directors on board of the Company have been provided with an introduction to the Company's business model, area of operations, etc. Directors attend the Orientation Program for capacity building for existing and newly appointed directors organized by DPE from time to time. The Company has a Board approved "Training Policy for Board of Directors of NFDC".

6. Remuneration of Directors And Key Managerial Personnel

6.1 Being a Government Company, the remuneration of functional directors is decided by the Government of India. Government Nominee Directors and Independent Directors are not paid any remuneration. None of the Directors were paid any remuneration during the financial year 2024-25.

6.2 Details of the remuneration of functional directors and Key Managerial Personnel of the company during the year under review are provided in the extract of the Annual Return in Annexure –III of the Directors' Report.

7. Annual General Meeting

7.1 The last three Annual General Meetings of the Company were held as under :

	वर्ष	स्थान	दिनांक तथ समय	क्या कोई विशेष प्रस्ताव पास किया गया
47वीं	2021-22	6 ठी मंज़िल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बि., नेहरू सेंटर, डॉ. ए.बी.रोड, वर्ली, मुंबई, महाराष्ट्र-400018 पर स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में	27.12.2022 दोपहर 3.00	नहीं
48वीं	2022-23	कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में, एनएफडीसी- एफडी कॉप्लेक्स-24, डॉ. गोपालराव देशमुख मार्ग, मुम्बई, महाराष्ट्र – 400026 पर स्थित है	03.11.2023 दोपहर 3.00	नहीं
49वीं	2023-24	कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में, एनएफडीसी- एफडी कॉप्लेक्स-24, डॉ. गोपालराव देशमुख मार्ग, मुम्बई, महाराष्ट्र – 400026 पर स्थित है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से	31.12.2024 दोपहर 4.00	नहीं

No	Year	Location	Date & Time	Whether any special resolution passed
47th	2021-22	At the Registered Office of the Company situated at 6th Floor, Discovery Building, Nehru Centre, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai, Maharashtra-400018 through Video Conferencing	27.12.2022 3.00 P.M	No
48th	2022-23	At the Registered Office of the Company situated at NFDC-FD Complex, 24, Dr. Gopalrao Deshmukh Marg, Mumbai, Maharashtra – 400026	03.11.2023 3.00 P.M	No
49th	2023-24	At the Registered Office of the Company situated at NFDC-FD Complex, 24, Dr. Gopalrao Deshmukh Marg, Mumbai, Maharashtra – 400026 through Video Conferencing	31.12.2024 4.00 P.M	No

7.2 इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड की 50वीं वार्षिक आम बैठक, शुक्रवार, 5 दिसंबर, 2025 को 16:30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से, निम्नलिखित व्यवसाय करने के लिए कम समय के नोटिस पर आयोजित की जाएगी :

8. आचार संहिता

कंपनी ने कंपनी के उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुरूप भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों के संदर्भ में कंपनी के मामलों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए "बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यापार आचरण और नैतिकता का कोड" लागू किया है. इसके अनुसरण में बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने वित्तीय वर्ष के अंत से 30 दिनों के भीतर वार्षिक आधार पर कोड के अनुपालन की पुष्टि की है और इसे बोर्ड के समक्ष रखा गया है. अनुपालन का प्रमाण पत्र निदेशकों की रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में संलग्न है. इसके अलावा, कंपनी ने धोखाधड़ी रोकथाम पर एक नीति तैयार की है.

9. व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी

कंपनी ने "धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए नीति" के अलावा "व्हिसल ब्लोअर नीति" को मंजूरी दे दी है, जो धोखाधड़ी का पता लगाने, रोकथाम और रिपोर्टिंग के लिए प्रयास करती है. यह नीति किसी भी संदेहास्पद धोखाधड़ी जिसमें कोई कर्मचारी, स्टेकहोल्डर, सलाहकार, वेंडर, उधार लेने या देने वाला, ठेकेदार, कंपनी के साथ बिजनस करने वाली बाहरी एजेंसियां, ऐसी एजेंसियों के कर्मचारी और/अथवा कोई अन्य पार्टी जिसके कंपनी के साथ बिजनस संबंध हो, संलग्न पाये जाने पर लागू होती है.

10. संपर्क साधन

10.1 वैबसाइट

कंपनी की वेबसाइट https ://www.nfdcindia.com निवेशकों और सभी हितधारकों के लिए जानकारी देती है. कंपनी के वार्षिक वित्तीय विवरण उपयोगकर्ता के अनुकूल और डाउनलोड करने योग्य वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.

10.2 आधिकारिक समाचार विज्ञप्ति

कंपनी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में आधिकारिक समाचार विज्ञप्ति के माध्यम से हितधारकों के साथ संवाद करती है.

निदेशक मंडल की ओर से

	प्रकाश मगदूम	राजेश कुमार
स्थान – मुंबई	प्रबंध निदेशक	निदेशक (वित्त)
दिनांक – 5.12.2025	DIN No. 11128316	DIN No. 11233385

7.2 NOTICE is hereby given that the 50th Annual General Meeting of National Film Development Corporation Limited will be held at shorter notice on Friday, the 5th day of December, 2025 at 16:30 Hrs at the Registered Office of the company through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM), to transact the following business :

8. Code of Conduct

The company has implemented “Code of Business Conduct and Ethics for Board Members and Senior Management” in terms of guidelines on corporate governance in Central Public Sector Enterprises (CPSEs) issued by the Government of India, in alignment with the Company’s mission and objectives and aims at enhancing ethical and transparent process in managing the affairs of the Company. Pursuant to this, the Board members and Senior management personnel have affirmed compliance with the code on an annual basis within 30 days from the end of FY and same was placed before board. The certificate of Compliance is enclosed as an Addendum to the Directors’ Report. Further, the Company has formulated a policy on Fraud Prevention.

9. Whistle Blower Policy

The Company has the Board approved “Whistle Blower Policy”. In addition, the Company has a “Policy for Prevention of Frauds”, which endeavors to detect, prevent and report fraud. This policy applies to any fraud or suspected fraud involving employees as well as the stakeholders, consultants, vendors, lenders, borrowers, contractors, outside agencies doing business with the Company, employees of such agencies, and/or any other parties with a business relationship with the Company.

10. Means of Communication

10.1 Website

The company’s website https ://www.nfdcindia.com hosts information for investors and all stakeholders. The Annual Financial statements of the company are available on the website in a user-friendly and downloadable form.

10.2 Official News Releases

The company communicates with stakeholders by way of official news releases in electronic and print media.

For and on behalf of the Board of Directors

	Prakash Magdum	Rajesh Kumar
Place : Mumbai	Managing Director	Director (Finance)
Date : 5.12.2025	DIN No. 11128316	DIN No. 11233385

अनुलग्नक – II

कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर बोर्ड की रिपोर्ट

1. कम्पनी के सीएसआर नीति पर संक्षिप्त :

   दिनांक 04.07.2019 को आयोजित सीएसआर समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार तथा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित, निम्नलिखित गतिविधियों को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति में शामिल किया गया है :

   i) अकाल, निर्धनता और कुपोषण का उन्मूलन, 'निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता को बढ़ावा देना और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान;

   ii) विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ाने सहित शिक्षा को बढ़ावा देना, विशेषकर बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों तथा आजीविका वृद्धि परियोजनाओं में व्यावसायिक कौशल बढ़ाना;

   iii) लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं और अनाथों के लिए घरों और छात्रावासों की स्थापना करना; वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर और ऐसी अन्य सुविधाएं स्थापित करना और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों के सामने आने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय;

   iv) गंगा नदी के पुनरूध्दार के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा कोष में योगदान सहित पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना, पर्यावरण संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि वनीकरण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मिट्टी, हवा और पानी की गुणवत्ता बनाए रखना;

   v) राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण भवनों की पुनर्स्थापना और ऐतिहासिक महत्व और कला के कार्यों सहित सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना; पारंपरिक कला और हस्तशिल्प का प्रचार और विकास;

   vi) सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के लाभ के लिए उपाय;

   vii) ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेल और ओलंपिक खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण;

   viii) प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य कोष में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास और राहत और कल्याण के लिए योगदान

   ix) केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित शैक्षणिक संस्थानों के भीतर स्थित प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटरों को प्रदान किए गए योगदान या निधि;

   x) ग्रामीण विकास परियोजनाएं

   xi) झुग्गी क्षेत्र के विकास

2. सीएसआर समिति का गठन

   कंपनी में सीएसआर समिति नहीं है और सीएसआर समिति की भूमिका और जिम्मेदारियों का निर्वहन कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है.

Annexure – II

Annexure to the Board's Report on Corporate Social Responsibility Activities of the Company

1. Brief outline on CSR Policy of the Company.

   As per decision taken in the meeting of CSR Committee held on 04.07.2019, and approved by the Board of Directors, the following activities are included in the Corporate Social Responsibility Policy :

   i) Eradicating hunger, poverty and malnutrition, "promoting health care including preventive health care" and sanitation including contribution to the Swacch Bharat Kosh set up by the Central Government for the promotion of sanitation and making available safe drinking water;

   ii) Promoting education, including special education and employment enhancing vocation skills especially among children, women, elderly and the differently abled and livelihood enhancement projects;

   iii) Promoting gender equality, empowering women, setting up homes and hostels for women and orphans; setting up old age homes, day care centers and such other facilities for senior citizens and measures for reducing inequalities faced by socially and economically backward groups;

   iv) Ensuring environmental sustainability, ecological balance, protection of flora and fauna, animal welfare, agroforestry, conservation of natural resources and maintaining quality of soil, air and water including contribution to the Clean Ganga Fund set-up by the Central Government for rejuvenation of river Ganga;

   v) Protection of national heritage, art and culture including restoration of buildings and sites of historical importance and works of art; setting up public libraries; promotion and development of traditional art and handicrafts;

   vi) Measures for the benefit of armed forces veterans, war widows and their dependents;

   vii) Training to promote rural sports, nationally recognised sports, Paralympic sports and Olympic sports;

   viii) Contribution to the prime minister's national relief fund or any other fund set up by the central govt. for socio-economic development and relief and welfare of the schedule caste, tribes, other backward classes, minorities and women;

   ix) Contributions or funds provided to technology incubators located within academic institutions, which are approved by the central government;

   x) Rural development projects;

   xi) Slum area development.

2. Composition of CSR Committee :

   The Company does not have CSR Committee and the Role and Responsibilities of the CSR Committee are discharged by the Board of Directors of the Company.

निदेशक का नाम	निदेशक का पदनाम/स्वरूप	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठक	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों में भाग लिया
कुछ नहीं		लागू नहीं	
कुछ नहीं		लागू नहीं	
कुछ नहीं		लागू नहीं	

Name of Director	Designation / Nature of Directorship	Number of meetings of CSR Committee held during the year	Number of meetings of CSR Committee attended during the year
NIL		Not Applicable	
NIL		Not Applicable	
NIL		Not Applicable	

3.	वेब-लिंक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति का गठन, सीएसआर नीति और सीएसआर कंपनी की बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का खुलासा वेबसाइट पर किया जाता है.	http ://nfdcindia.com/pdf/Corporate Social Responsibility.pdf
3.	Provide the web-link where composition of CSR committee, CSR Policy and CSR projects approved by the board are disclosed on the website of the company.	http ://nfdcindia.com/pdf/Corporate Social Responsibility.pdf
4.	कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें 2014, के नियम, यदि लागू हो	लागू नहीं
4.	Provide the details of Impact assessment of CSR projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8 of the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014, if applicable	Not Applicable
5.	नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के समायोजन के लिए यदि कोई हो	लागू नहीं
5.	Details of the amount available for set off in pursuance of sub-rule (3) of rule 7 of the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 and amount required for set off for the financial year, if any	Not Applicable

	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्त वर्ष से समायोजन के लिए उपलब्ध राशि (₹)	वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि
1		लागू नहीं	
2		लागू नहीं	
3		लागू नहीं	
	कुल		

	Financial Year	Amount available for set-off from preceding financial years (in Rs)	Amount required to be set-off for the financial year, if any (in Rs)
1		Not Applicable	
2		Not Applicable	
3		Not Applicable	
	Total		

6.	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ	₹ 33,532,020
6.	Average net profit of the company as per section 135(5)	₹ 33,532,020
7.	(क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	₹ 6,70,640
7.	(a) Two percent of average net profit of the company as per section 135(5) :	₹ 6,70,640
	(ख) पिछले वित्तीय वर्षों के कार्यक्रमों या शून्य गतिविधियों से अथवा सीएसआर परियोजनाओं से उत्पन्न अधिशेष	कुछ नहीं
	(b) Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years.	NIL
	(ग) वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन हेतु आवश्यक राशि यदि कोई हो	कुछ नहीं
	(c) Amount required to be set off for the financial year, if any	NIL
	(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क+7ख+7ग)	कुछ नहीं
	(d) Total CSR obligation for the financial year (7a+7b-7c)	NIL
8.	(क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च या खर्च न की गई सीएसआर राशि :	–
8.	(a) CSR amount spent or unspent for the financial year :	–

अव्ययित राशि में ₹

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई राशि	खर्च न की गई				
	धारा 135(6) के अनुसार सीएसआर खाते में खर्च न की गई राशि हस्तांतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे उपनियम के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड को स्थानातरित राशि		
	राशि	स्थानांतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	स्थानांतरण की तिथि
671000	लागू नहीं	लागू नहीं	कुछ नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

Amount Unspent in ₹

Total Amount Spent for the Financial Year. (in Rs.)	Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per section 135(6).		Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to section 135(5).		
	Amount	Date of transfer.	Name of the Fund	Amount.	Date of transfer.
671000	NA	NA	NIL	NA	NA

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं हेतु खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	परियोजना का नाम	अधिनियम के अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/ नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आबंटित राशि	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए सीएसआर खाते में हस्तांतरित अव्ययित राशि(रुपये में)	कार्यान्वयन का प्रकार - प्रत्यक्ष (हां/ नहीं)	कार्यान्वयन का प्रकार – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर रजिस्ट्रेशन क्रमांक
1.									कुछ नहीं			
2.									कुछ नहीं			
3.									कुछ नहीं			
	कुल											

(b) Details of CSR amount spent against ongoing projects for the financial year :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Name of the Project	Item from the list of activities in Schedule VII to the Act.	Local area (Yes/ No).	Location of the project.		Project duration.	Amount allocated for the project (in ₹)	Amount spent in the current financial Year (in ₹)	Amount transferred to Unspent CSR Account for the project as per Section 135(6) (in ₹)	Mode of Implem-entation Direct (Yes/ No).	Mode of Implementation – Through Implementing Agency	
				State	District						Name	CSR Regis-tration number.
1.									NIL			
2.									NIL			
3.									NIL			
	Total											

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं के अलावा खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र.	परियोजना का नाम	अधिनियम के अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का प्रकार - प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन का प्रकार - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर रजिस्ट्रेशन क्रमांक
1.						कुछ नहीं			
2.						कुछ नहीं			
3.						कुछ नहीं			
	कुल								

(c) Details of CSR amount spent against other than ongoing projects for the financial year :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
No.	Name of the Project	Item from the list of activities in schedule VII to the Act	Local area (Yes/No)	Location of the project		Amount spent for the project (in ₹)	Mode of implementation - Direct (Yes/No)	Mode of implementation - Through implementing agency	
				State	District			Name	CSR registration number
1.							NIL		
2.							NIL		
3.							NIL		
	Total								

(घ)	प्रशासनिक लागत में खर्च की गई राशि	शून्य
(ड़)	प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो	शून्य
(च)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8ख+8ग+8घ+8ड़)	₹ 671000
(छ)	समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो	₹ 360

(d)	Amount spent in Administrative Overheads	NIL
(e)	Amount spent on Impact Assessment, if applicable	NIL
(f)	Total amount spent for the Financial Year (8b+8c+8d+8e)	₹ 671000
(g)	Excess amount for set off, if any	₹ 360

	विवरण	राशि (रुपये में)
i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	6,70,640
ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	6,71,000
iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	शून्य
iv)	सीएसआर परियोजनाओं या पिछले वित्तीय वर्षों के कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	शून्य

	Particular	Amount (in ₹)
i)	Two percent of average net profit of the company as per section 135(5)	6,70,640
ii)	Total amount spent for the Financial Year	6,71,000
iii)	Excess amount spent for the financial year [(ii)-(i)]	NIL
iv)	Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years, if any	NIL
v)	Amount available for set off in succeeding financial years [(iii)-(iv)]	NIL

9.

(क) पिछले तीन वित्तीय वर्ष में खर्च न की गई सीएसआर राशि का विवरण :

	पिछले वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के अनुसार सीएसआर खाते में खर्च न की गई राशि हस्तांतरित कुल राशि	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(5) के दूसरे उपनियम के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड को स्थानातरित राशि			परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (रुपये में)
				निधि का नाम	राशि (रुपये में)	स्थानांतरण की तिथि	
1.		कुछ नहीं					
2.		कुछ नहीं					
3.		कुछ नहीं					
	कुल						

9.

(a) Details of Unspent CSR amount for the preceding three financial years :

	Preceding Financial Year.	Amount transferred to Unspent CSR Account under section 135 (6) (in ₹)	Amount spent in the reporting Financial Year (in ₹)	Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per section 135(6), if any			Amount remaining to be spent in succeeding financial years. (in ₹)
				Name of the Fund	Amount (in ₹)	Date of transfer	
1.		NA					
2.		NA					
3.		NA					
	Total						

9.

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) में जारी परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	प्रोजेक्ट आईडी कुल	प्रोजेक्ट का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें प्रोजेक्ट की शुरूआत हुई	प्रोजेक्ट अवधि	परियोजना के लिए आबंटित कुल राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में प्रोजेक्ट पर व्यय की गई राशि	वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (रुपये में)	परियोजना की स्थिति - पूर्ण/ जारी
1.						कुछ नहीं		
2.						कुछ नहीं		
3.						कुछ नहीं		
	कुल							

9.

(b) Details of CSR amount spent in the financial year for ongoing projects of the preceding financial year(s) :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Project ID	Name of the Project	Financial Year in which the project was commenced	Project duration	Total amount allocated for the project (in ₹)	Amount spent on the project in the reporting Financial Year (in ₹)	Cumulative amount spent at the end of reporting Financial Year. (in ₹)	Status of the project - Completed /Ongoing
1					NA	NIL		
2					NA	NIL		
3					NA	NIL		
	Total							

10.	वित्तीय वर्ष में पूंजी संपत्ति के अधिग्रहण पर सृजन के मामले में, संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें. खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से सृजित या अर्जित किया गया	लागू नहीं
(क)	पूंजी संपत्ति के सृजन या अधिग्रहण की तिथि	शून्य
(ख)	पूंजीगत संपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि	शून्य
(ग)	संस्था या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम से ऐसी पूंजी संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि.	शून्य
(घ)	सृजित या अर्जित की गई पूंजीगत संपत्ति (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) का विवरण प्रदान करें.	शून्य
11.	कारण निर्दिष्ट करें, धारा 135(5) के अनुसार यदि कंपनी औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में असफल रही है	लागू नहीं

10.	In case of creation on acquisition of capital asset, furnish the details relating to the asset so created or acquired through CSR spent in the financial year.	NA
(a)	Date of creation or acquisition of the capital asset(s)	NIL
(b)	Amount of CSR spent for creation or acquisition of capital asset.	NIL
(c)	Details of the entity or public authority or beneficiary under whose name such capital asset is registered, their address etc.	NIL
(d)	Provide details of the capital asset(s) created or acquired (including complete address and location of the capital asset)	NIL
11.	Specify the reason(s), if the company has failed to spend two percent of the average net profit as per Section 135(5)	NA

निदेशक मंडल की ओर से

	प्रकाश मगदूम	राजेश कुमार
स्थान : मुंबई	प्रबंध निदेशक	निदेशक (वित्त)
दिनांक : 5.12.2025	DIN No. 11128316	DIN No. 11233385

For and on behalf of the Board of Directors

	Prakash Magdum	Rajesh Kumar
Place : Mumbai	Managing Director	Director (Finance)
Date : 5.12.2025	DIN No. 11128316	DIN No. 11233385

अनुलग्नक – III

फॉर्म नं- एम जी टी – 9
वार्षिक रिटर्न का उद्धरण

31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के कंपनी के वित्तीय परिणामों का सार संक्षेप

[कंपनी के अधिनियम 2013 तथा कंपनी के (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 12 (1) नियम 2014] के अनुवर्ती.

i. पंजीकरण एवं अन्य विवरण :

I	सीआईएन	CIN	यू92100एमएच1975जीओआई022994	U92100MH1975GOI022994
ii	पंजीकरण की तारीख	Registration Date	01.05.1975	01.05.1975
iii	कंपनी का नाम	Name of the Company	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड	National Film Development Corporation Limited
iv	कंपनी की कैटेगरी-सब कैटेगरी	Category / Sub-Category of the Company	सरकारी कंपनी	Private Company/ Government Company
V	पंजीकृत कार्यालय का पता तथा संपर्क के अन्य विवरण	Address of the registered Office and contact details	एनएफडीसी-एफडी कॉम्प्लेक्स, 24, डॉ. गोपालराव देशमुख मार्ग, मुंबई – 400 026, महाराष्ट्र टेलीफोन :+91 22 35248444 Email :nfdc@nfdcindia.com	NFDC-FD Complex, 24, Dr. Gopalrao Deshmukh Marg, Mumbai, Maharashtra - 400026 Telephone : +91 22 35248444 Email :nfdc@nfdcindia.com
vi	क्या यह लिस्टेड कंपनी है	Whether listed company	नहीं	No
vii	रजिस्ट्रार तथा ट्रांसफर एजेंट (यदि कोई हो तो) का पता	Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any	कोई नहीं	NA

ii. कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधि

कंपनी की वे सब व्यावसायिक गतिविधियां जिनसे 10% प्रतिशत या अधिक योगदान आता हो, इस प्रकार हैं :

	मुख्य उत्पाद/सेवा का नाम तथा उसका विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल उत्पाद का प्रतिशत
1	सेवा परियोजनाएँ		41.26 %
2	संरक्षण और पुनर्स्थापन		27.23 %
3	मीडिया अभियान		17.81 %

ii. सब्सिडियरी एवं असोसिएट कंपनियों में होल्डिंग्स का विवरण

	कंपनी का नाम तथा पता	सीआईएन/जीएलएन	शेयर्स का प्रतिशत
	सब्सिडियरी कंपनी {सेक्शन 2(87)(ii)}		
1	कोई नहीं		

Annexure – III

FORM NO. MGT-9
Extract of Annual Return

As on the financial year ended on 31st March 2025

[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

I. Registration And Other Details :

I	सीआईएन	CIN	यू92100एमएच1975जीओआई022994	U92100MH1975GOI022994
ii	पंजीकरण की तारीख	Registration Date	01.05.1975	01.05.1975
iii	कंपनी का नाम	Name of the Company	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड	National Film Development Corporation Limited
iv	कंपनी की कैटेगरी-सब कैटेगरी	Category / Sub-Category of the Company	सरकारी कंपनी	Private Company/ Government Company
V	पंजीकृत कार्यालय का पता तथा संपर्क के अन्य विवरण	Address of the registered Office and contact details	एनएफडीसी-एफडी कॉम्प्लेक्स, 24, डॉ. गोपालराव देशमुख मार्ग, मुंबई – 400 026, महाराष्ट्र टेलीफोन :+91 22 35248444 Email :nfdc@nfdcindia.com	NFDC-FD Complex, 24, Dr. Gopalrao Deshmukh Marg, Mumbai, Maharashtra - 400026 Telephone : +91 22 35248444 Email :nfdc@nfdcindia.com
vi	क्या यह लिस्टेड कंपनी है	Whether listed company	नहीं	No
vii	रजिस्ट्रार तथा ट्रांसफर एजेंट (यदि कोई हो तो) का पता	Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any	कोई नहीं	NA

II. Principal Business Activities of The Company

All the business activities contributing 10 % or more of the Total turnover of the company shall be stated :

	Name and Description of main products / services	NIC Code of the Product/ service	% to Total turnover of the company
1	Service Projects		41.26 %
2	Preservation and Restoration		27.23 %
3	Media Campaign		17.81 %

III. Particulars of Holding, Subsidiary And Associate Companies

	Name and address of the company	CIN/GLN	% of shares held
	Subsidiary Company {Section 2(87)(ii)}		
1	Nil		

IV. (क) शेयर होल्डिंग पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रेकअप)

i. श्रेणीवार शेयर होल्डिंग

IV. (A) Share Holding Pattern (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

i. Category-wise Share Holding

	शेयरहोल्डर्स की श्रेणी	Category of Shareholders	वर्ष के प्रारंभ में शेयरों की संख्या No. of Shares held at the beginning of the year				वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या No. of Shares held at the end of the year				वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन % Change during the year
			डीमेट Demat	फिजिकल Physical	कुल Total	कुल शेयर्स का प्रतिशत % of Total Shares	डीमेट Demat	फिजिकल Physical	कुल Total	कुल शेयर्स का प्रतिशत % of Total Shares	
A.	प्रमोटर्स	Promoter									
1)	भारतीय	Indian									
a)	व्यक्ति/ एचयूएफ	Individual/ HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	केंद्र सरकार	Central Govt.	0	4539985	4539985	100	0	4539985	4539985	100	100
c)	राज्य सरकार	State Govt(s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	निकाय/निगम	Bodies Corp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	बैंकर्स/एफ आई	Banks / FI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	कोई अन्य	Any Other	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	सब टोटल (क) (1)	**Sub-Total(A) (1) :-**	**0**	**4539985**	**4539985**	**100**	**0**	**4539985**	**4539985**	**100**	**100**
2)	विदेशी	Foreign									
g)	एन आर आई व्यक्ति	NRIs-Individuals	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	अन्य व्यक्ति	Other-Individuals	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i)	बॉडीज कॉर्प	Bodies Corp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
j)	बैंकर्स/एफ आई	Banks / FI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k)	कोई अन्य	Any Other….	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	सब टोटल (क) (2)	**Sub-Total(A) (2) :**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	सब टोटल क =क(1)+क(2)	**Total of A= A(1)+A(2) :**	**-**	**4539985**	**4539985**	**100**	**-**	**4539985**	**4539985**	**100**	**100**
B.	पब्लिक शेयरहोल्डिंग	Public Shareholding									
1.	संस्थाएं	Institutions									
a)	म्यूचुअल फंड्स	Mutual Funds	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	बैंक्स/एफ आई	Banks / FI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	केंद्र सरकार	Central Govt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	राज्य सरकार	State Govt.(s)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	वेंचर कैपिटल फंड्स	Venture Capital Funds	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	बीमा कंपनियां	Insurance Companies	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	शेयरहोल्डर्स की श्रेणी	Category of Shareholders	वर्ष के प्रारंभ में शेयरों की संख्या No. of Shares held at the beginning of the year				वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या No. of Shares held at the end of the year				वर्ष के दौरान हुए परिवर्तन % Change during the year
			डीमेट Demat	फिजिकल Physical	कुल Total	कुल शेयर्स का प्रतिशत % of Total Shares	डीमेट Demat	फिजिकल Physical	कुल Total	कुल शेयर्स का प्रतिशत % of Total Shares	
g)	एफआईआईएस	FIIs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
h)	विदेशी वेंचर कैपिटल फंड्स	Foreign Venture Capital Funds	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i)	अन्य (उल्लेख करें)	Others (specify)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	सब टोटल (ख) (1)	**Sub-Total (B) (1)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2 गैर संस्थाएं	2. Non Institutions									
a)	निकाय निगम	Bodies Corp.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(i)	भारतीय	Indian	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ii)	विदेशी	Overseas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	व्यक्तिगत	Individuals	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(i)	व्यक्तिगत शेयरहोल्डर्स जिनकी शेयरकैपिटल होल्डिंग्स नाममात्र-₹ एक लाख तक की हों	Individual shareholders holding nominal share capital upto Rs. 1 lakh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ii)	व्यक्तिगत शेयरहोल्डर्स जिनकी शेयरकैपिटल होल्डिंग्स ₹ एक लाख से अधिक की हों	Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs 1 lakh	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	अन्य (उल्लेख करें)	Others (Specify)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	सब टोटल (ख) (2)	Sub-Total(B) (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल पब्लिक शेयरहोल्डिंग्स (ख)=(ख)(1)+(ख)(2)	Total Public Shareholding (B)=(B)(1)+(B)(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ग.कस्टोडियन द्वारा जीडीआर एवं एडीआर के लिए रखे गये शेयर्स की संख्या	C. Shares held by Custodian for GDRs and ADRs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल योग (क+ख+ग)	**Grand Total (A+B+C)**	**0**	**4539985**	**4539985**	**100**	**0**	**4539985**	**4539985**	**100**	**100**

(ख) प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग

(B) Shareholding of Promoters

	शेयरहोल्डर का नाम	Shareholder's Name	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता Shareholding at the beginning of the year			वर्ष के अंत में शेयरधारिता Shareholding at the end of the year			वर्ष के दौरान शेयरहोल्डिंग में हुए परिवर्तन का प्रतिशत % change in shareholding during the year
			शेयर्स की संख्या No. of shares	कंपनी के कुल शेयर्स का प्रतिशत % of Total Shares of the company	कुल शेयरों में से गिरवी/ भारग्रस्त शेयरों का प्रतिशत % of Shares Pledged / encumbered to Total shares	शेयर्स की संख्या No. of shares	कंपनी के कुल शेयर्स का प्रतिशत % of Total Shares of the company	कुल शेयरों में से गिरवी/ भारग्रस्त शेयरों का प्रतिशत % of Shares Pledged / encumbered to Total shares	
1	भारत के राष्ट्रपति	President of India	4539983	100	0	4539983	100	0	–
2	श्रीमती वृंदा मनोहर देसाई, संयुक्त सचिव (फिल्म्स)	Smt Vrunda Manohar Desai, JS (Films)	1	0	0	0	0	0	–
3	श्री. पृथुल कुमार, प्रबंध निदेशक, एनएफडीसी	Shri Prithul Kumar, MD, NFDC	1	0	0	0	0	0	–
4	डॉ. अजय नागभूषण एम एन, संयुक्त सचिव संयुक्त सचिव (फिल्म्स)	Dr. Ajay Nagbhushan M N, JS (Films)	0	0	0	1	0	0	–
5	श्री प्रकाश मगदूम, प्रबंध निदेशक, एनएफडीसी	Shri Prakash Magdum, MD, NFDC	0	0	0	1	0	0	–

(ग) प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग में परिवर्तन (अगर परिवर्तन हो तो कृपया वैसा उल्लेख करें)

(C) Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)

	विवरण	Particulars	वर्ष के प्रारंभ में शेयरहोल्डिंग Shareholding at the beginning of the year		वर्ष के दौरान लेन-देन Transaction during the year			वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग Cumulative Shareholding during the year	
			शेयर्स की संख्या No. of shares	कंपनी के कुल शेयर्स का प्रतिशत % of total shares of the company	तारीख Date	शेयर होल्डिंग में वृद्धि/कमी Increase/ Decrease in share holding	कारण Reason	शेयर्स की संख्या No. of shares	कंपनी के कुल शेयर्स का प्रतिशत % of total shares of the company
1	वर्ष के प्रारंभ में	At the beginning of the year	4539985	100				4539985	100
2	अलॉटमेंट	Allotment			–	0	–	–	–
3	वर्ष के अंत में	At the end of the year	4539985	100				4539985	100

(घ) सर्वोच्च दस शेयरहोल्डर्स की शेयरहोल्डिंग्स का पैटर्न (निदेशकों, प्रमोटर्स तथा जी डी आर्स होल्डर्स को छोड़ कर)

(D) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs)

	विवरण	Particulars	वर्ष के प्रारंभ में शेयरहोल्डिंग Shareholding at the beginning of the year		वर्ष के दौरान लेन-देन Transaction during the year			वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग Cumulative Shareholding during the year	
			शेयर्स की संख्या No. of shares	कंपनी के कुल शेयर्स का प्रतिशत % of total shares of the company	तारीख Date	शेयर होल्डिंग में वृद्धि/कमी Increase/ Decrease in share holding	कारण Reason	शेयर्स की संख्या No. of shares	कंपनी के कुल शेयर्स का प्रतिशत % of total shares of the company
1	वर्ष के प्रारंभ में	At the beginning of the year	0	0				0	0
2	अलॉटमेंट	Allotment			–	0	–	–	–
3	वर्ष के अंत में	At the end of the year	0	0				0	0

(ङ) निदेशकों तथा महत्वपूर्ण प्रबंधन कर्मचारियों का शेयरहोल्डिंग्स :

(E) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel :

	विवरण	Particulars	वर्ष के प्रारंभ में शेयरहोल्डिंग Shareholding at the beginning of the year		वर्ष के दौरान लेन-देन Transaction during the year			वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग Cumulative Shareholding during the year	
			शेयर्स की संख्या No. of shares	कंपनी के कुल शेयर्स का प्रतिशत % of total shares of the company	तारीख Date	शेयर होल्डिंग में वृद्धि/कमी Increase/ Decrease in share holding	कारण Reason	शेयर्स की संख्या No. of shares	कंपनी के कुल शेयर्स का प्रतिशत % of total shares of the company
1	श्रीमती वृंदा मनोहर देसाई, जेएस (फिल्म्स)	Smt Vrunda Manohar Desai, JS (Films)	1	0	5.12.2025	Decrease	Transfer	0	0
2	श्री. पृथुल कुमार, एमडी, एनएफडीसी	Shri Prithul Kumar, MD, NFDC	1	0	5.12.2025	,,	,,	0	0
3	डॉ. अजय नागभूषण एम एन, संयुक्त सचिव संयुक्त सचिव (फिल्म्स)	Dr. Ajay Nagbhushan M N, JS (Films)	0	0	5.12.2025	Increase	,,	1	0
4	श्री प्रकाश मगदूम, प्रबंध निदेशक, एनएफडीसी	Shri Prakash Magdum, MD, NFDC	0	0	5.12.2025	,,	,,	1	0

V. देनदारियां

कंपनी की देनदारियां जिनमें ब्याज, बकाया, उपार्जित किंतु भुगतान के लिए देय नहीं, शामिल हों.

V. Indebtedness

Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment

₹ लाखो में
₹ in lakhs

विवरण	Particulars	सुरक्षित ऋण-जमाओं को छोड़ कर Secured Loans excluding deposits	असुरक्षित ऋण Unsecured Loans	जमाएं Deposits	कुल कर्जदारी Total Indebtedness
वित्तवर्ष के प्रारंभ में देनदारी	Indebtedness at the beginning of the financial year				
i) मूल राशि	i) Principal Amount				
ii) देय ब्याज किंतु अदा नहीं किया गया.	ii) Interest due but not paid				
iii) ब्याज की जमा राशि किंतु अदा नहीं की गई	iii) Interest accrued but not due				
कुल (i+ii+iii)	Total (i+ii+iii)	NIL	NIL	NIL	NIL
वित्तवर्ष के दौरान देनदारियों में परिवर्तन	Change in Indebtedness during the financial year				
• जोड़	• Addition				
• कमी	• Reduction				
कुल परिवर्तन	Net Change	NIL	NIL	NIL	NIL
वित्तवर्ष के अंत में देनदारी	Indebtedness at the end of the financial year				
i) मूल राशि	i) Principal Amount				
ii) देय ब्याज किंतु अदा नहीं किया गया.	ii) Interest due but not paid				
iii) ब्याज की जमा राशि किंतु अदा नहीं की गई	iii) Interest accrued but not due				
कुल (i+ii+iii)	**Total (i+ii+iii)**	**NIL**	**NIL**	**NIL**	**NIL**

VI. निदेशकों एवं अन्य प्रबंधकीय कर्मचारियों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों एवं/अथवा प्रबंधकों को पारिश्रमिक

VI. Remuneration of Directors And Key Managerial Personnel

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager

₹ लाखो में
₹ in lakhs

	पारिश्रमिक का विवरण	Particulars of Remuneration	प्रबंध निदेशक/डब्ल्यूटीडी का नाम Name of MD/WTD/Manager			कुल राशि Total Amount
1.			प्रबंध निदेशक MD	डब्ल्यूटीडी WTD	प्रबंधक Manager	
2.			Mr Prithul Kumar श्री पृथुल कुमार			
3.	सकल वेतन	Gross salary				
(a)	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (1) के प्रावधानों के अनुरूप वेतन,	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income tax Act, 1961	–	–	–	–
(b)	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (2) के प्रावधानों के अनुरूप अनुलाभों का मूल्य	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income Tax Act, 1961	–	–	–	–

	पारिश्रमिक का विवरण	Particulars of Remuneration	प्रबंध निदेशक/डब्ल्यूटीडी का नाम Name of MD/WTD/Manager			कुल राशि Total Amount
(c)	(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (3) के प्रावधानों के अनुरूप, वेतन के बदले मिलने वाले लाभ	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income Tax Act,1961	–	–	–	
4.	स्टॉक विकल्प	Stock Option	–	–	–	–
5.	स्वॅट इक्विटी	Sweat Equity	–	–	–	–
6.	कमीशन	Commission	–	–	–	–
	- लाभ के प्रतिशत के रूप में	- as % of profit	–	–	–	
	- अन्य (उल्लेख करें)	- others, specify…	–	–	–	
7.	अन्य (कृपया उल्लेख करें)	Others, please specify	–	–	–	–
8.	कुल (क)	Total(A)	NIL	NIL	NIL	NIL
	नियम के अनुसार सीलिंग	Ceiling as per the Act	NA*			

* दिनांक 5.6.2015 के एमसीए अधिसूचना द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 लागू नहीं होगी

* Section 197 of Companies Act, 2013 shall not apply vide MCA notification dated 5.6.2015

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक :

B. Remuneration to other directors :

₹ लाखो में
₹ in lakhs

	पारिश्रमिक का विवरण	Particulars of Remuneration	निदेशकों के नाम Name of Director		कुल Total
1	स्वतंत्र निदेशक	Independent Directors	–		
	• स्वतंत्र निदेशक बोर्ड/कमिटी की बैठकों में भाग लेने की फीस	• Fee for attending board/committee meetings – Sitting Fees		–	–
	• कमीशन	• Commission		–	–
	• अन्य (उल्लेख करें)	• Others, please specify		–	–
	कुल(1)	Total(1)	–	–	
2.	अन्य गैर कार्यकारी निदेशक कमीशन	Other Non-Executive Directors			
	• स्वतंत्र निदेशक बोर्ड/कमिटी की बैठकों में भाग लेने की फीस	• Fee for attending board/committee meetings		–	–
	• कमीशन	• Commission		–	–
	• अन्य (उल्लेख करें)	• Others, please specify		–	–
	कुल(2)	Total(2)	–	–	–
	कुल(1) (ख)=(1+2)	Total(B)=(1+2)	–	–	–
	प्रबंधक वर्ग का कुल वेतन	Total Managerial Remuneration	NIL	NIL	NIL
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के तहत गणना किए गए मुनाफे का 1%)	Ceiling as per the Act (@ 1 % of profits calculated under Section 198 of the Companies Act, 2013)	NA*		

* दिनांक 5.6.2015 के एमसीए अधिसूचना द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 लागू नहीं होगी

* Section 197 of Companies Act, 2013 shall not apply vide MCA notification dated 5.6.2015

ग. प्रबंध निदेशक, प्रबंधकों एवं डब्ल्यू टी डी को छोड़ कर अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारियों को पारिश्रमिक

C. Remuneration to Key Managerial Personnel Other Than MD/MANAGER/WTD

₹ लाखो में
₹ in lakhs

	पारिश्रमिक का विवरण / Particulars of Remuneration		प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी / Key Managerial Personnel			कुल / Total
			सीईओ CEO	सीएस CS	सीएफओ CFO	
				सुश्री सुमोना मजूमदार Ms Sumona Majumdar		
1	कुल वेतन	Gross salary				
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (1) के प्रावधानों के अनुरूप वेतन	(a) Salary as per provisions contained insection17(1) of the Income tax Act, 1961	–	20.55	–	20.55
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (2) के प्रावधानों के अनुरूप अनुलाभों का मूल्य	(b) Value of perquisites u/s 17(2) Income Tax Act, 1961	–	3.54	–	3.54
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (3) के प्रावधानों के अनुरूप, वेतन के बदले मिलने वाले लाभ	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income Tax Act,1961	–	–	–	–
2	स्टॉक ऑप्शन	Stock Option	–	–	–	–
3	स्वेट इक्विटी	Sweat Equity	–	–	–	–
4	कमीशन	Commission	–	–	–	–
	- लाभ के प्रतिशत के रूप में	- as % of profit	–	–	–	–
5	अन्य (कृपया उल्लेख करें)	Others, please specify	–	–	–	–
	कुल	**Total**	**–**	**24.09**	**–**	**24.09**

VII. दोषों का दंड/सजा/अधिरोपित समझौता

VII. Penalties / Punishment/ Compounding of offences

प्रकार / Type	कंपनी अधिनियम की धारा / Section of the companies Act	संक्षिप्त विवरण / Brief description	दंड/सजा/अधिरोपित समझौता फीस का विवरण / Details of Penalty/ Punishment/Compounding fees imposed	प्राधिकरण (आरडी/एन सीएलटी/कोर्ट) / Authority [RD/ NCLT/Court]	अगर कोई अपील की गई हो तो उसका विवरण / Appeal made. If any (give details)
वर्ष के दौरान कंपनी या इसके निदेशकों या चूक करने वाले अन्य अधिकारियों, यदि कोई हो, के विरुद्ध कंपनी अधिनियम की किसी भी धारा के उल्लंघन के लिए कोई दंड/दंड/अपराध का प्रशमन नहीं था.					
There were no penalty/punishment/compounding of offences for breach of any section of Companies Act against the company or its Directors or other officers in default, if any, during the year.					

निदेशक मंडल की ओर से

स्थान : मुंबई
दिनांक : 5.12.2025

प्रकाश मगदूम
प्रबंध निदेशक
DIN No. 11128316

राजेश कुमार
निदेशक (वित्त)
DIN No. 11233385

For and on behalf of the Board of Directors

Place : Mumbai
Date : 5.12.2025

Prakash Magdum
Managing Director
DIN No. 11128316

Rajesh Kumar
Director (Finance)
DIN No. 11233385

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

कंपनी

नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NFDC), सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, की स्थापना देश में "उत्तम सिनेमा आंदोलन" को बढ़ावा देने हेतु अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने और मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग के लिए प्रतिभा-स्रोत को पोषित एवं विकसित करने के लिए की गई थी. संगठन का मुख्य फोकस भारतीय फिल्म उद्योग के समग्र और कुशल विकास को सुनिश्चित करना, इसकी समृद्ध विरासत का संरक्षण करना तथा केंद्र सरकार के समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों के अनुरूप योजना बनाना और प्रोत्साहन देना है. दिसंबर 2020 में लिए गए कैबिनेट निर्णय के परिणामस्वरूप सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की चार फिल्म मीडिया इकाइयाँ – फिल्म्स डिवीजन, निदेशालय फिल्म महोत्सव, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार और पूर्ववर्ती बाल फिल्म सोसायटी ऑफ इंडिया – 01.01.2023 से NFDC में विलय कर दी गई हैं. इस विलय के साथ NFDC का पोर्टफोलियो विस्तृत हुआ है, गतिविधियों और संसाधनों का समन्वय और अभिसरण हुआ है, जिससे प्रत्येक मीडिया इकाई के उद्देश्यों की पूर्ति में सामंजस्य और दक्षता सुनिश्चित हुई है.

हमारा मुख्य उद्देश्य भारतीय सिनेमा के घरेलू एवं वैश्विक स्तर पर सराहना और उत्सव के लिए एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है, जो उत्कृष्टता को बढ़ावा दे और विभिन्न भारतीय भाषाओं में निर्मित फिल्मों का समर्थन कर सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करे. कॉर्पोरेशन ने अपने विज़न और मिशन को सफलतापूर्वक लागू करते हुए 25 भारतीय भाषाओं में 340 से अधिक फिल्मों का वित्तपोषण एवं निर्माण किया है, जिन्हें अकादमी पुरस्कार (गांधी), राष्ट्रीय पुरस्कार तथा राज्य पुरस्कार सहित कई अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं.

(i) उद्योग संरचना और विकास

भारत का फिल्म उद्योग दुनिया के सबसे बड़े और जीवंत उद्योगों में से एक बना हुआ है, जिसमें फीचर फिल्में, डॉक्यूमेंट्री, एनीमेशन और डिजिटल सामग्री शामिल हैं. भारतीय मीडिया एवं मनोरंजन (M&E) क्षेत्र के 2025 में 7.2% की वृद्धि के साथ ₹2.7 ट्रिलियन तक पहुँचने और 2027 तक ₹3.1 ट्रिलियन तक विस्तारित होने का अनुमान है. 2024 में डिजिटल मीडिया M&E का सबसे बड़ा खंड बनकर उभरा, जिसने कुल क्षेत्रीय राजस्व में 41% से अधिक योगदान दिया, और 2026 तक यह विज्ञापन राजस्व में ₹1 ट्रिलियन को पार करने वाला पहला खंड बनने की संभावना है. लाइव इवेंट्स, फिल्म्ड एंटरटेनमेंट और आउट-ऑफ-होम (OOH) मीडिया इस वृद्धि में मजबूत योगदान दे रहे हैं. ऑनलाइन गेमिंग तेजी से बढ़ रहा है, हालांकि नियामक और प्रतिस्पर्धात्मक चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं. एनीमेशन, VFX, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) क्षेत्र भविष्य में प्रमुख विकास चालक के रूप में देखा जा रहा है, विशेषकर वैश्विक मांग और प्रगतिशील तकनीक के साथ. OTT राजस्व 2028 तक 14.9% CAGR के साथ तीव्र वृद्धि करने की संभावना है, जो बढ़ती पैठ, विशेषकर कनेक्टेड टीवी पर आधारित है. भारत एक वैश्विक कंटेंट पॉवरहाउस बनकर उभरा है, जिसने 2024 में लगभग 200,000 घंटे की मूल सामग्री का निर्माण किया, जिसमें 1,600 फिल्में शामिल हैं. उद्योग नए मील के पत्थर हासिल कर रहा है और परिपक्व चरण में प्रवेश कर चुका है. भारतीय सिनेमा न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बना रहा है. इस वर्ष भारतीय सिनेमा ने वैश्विक दर्शकों को आकर्षित किया और भारतीय कथाओं तथा संस्कृति में वैश्विक रुचि बढ़ी. यह उपलब्धि भारत के मनोरंजन क्षेत्र में बढ़ते योगदान को दर्शाती है. विश्व सिनेमा पर इस उभरती प्रभाव के मद्देनजर, NFDC की भूमिका परियोजनाओं के वित्तपोषण और युवा फिल्म निर्माताओं को मंच, मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण है. OTT प्लेटफॉर्म उन फिल्मों को प्रदर्शित करने का माध्यम बन गए हैं, जिन्हें पारंपरिक बाजार में स्थान पाना कठिन होता है, और यह युवा प्रतिभाओं को अपनी कला प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है.

Management Discussion and Analysis Report

The Company

National Film Development Corporation Limited (NFDC), a Central Public Sector Undertaking under the aegis of the Ministry of Information and Broadcasting was established to develop an ecology for promoting good cinema movement in the country and nurturing and developing a talent pool for the Media and entertainment Industry. The Organizational focus lies in planning, promoting and preserving the rich heritage and ensuring an integrated and efficient development of the Indian Film Industry in accordance with the mandate of the Central Government from time to time. Consequent to Cabinet decision of December 2020, the four film media units, namely Films Division, Directorate of Film Festivals, National Film Archives of India and erstwhile Children's Film Society of India of Ministry of Information and Broadcasting have been merged with the National Film Development Corporation Ltd. (NFDC) w.e.f. 01.01.2023. With the merger the portfolio of NFDC has enhanced and led to the convergence of activities and resources and better coordination, thereby ensuring synergy and efficiency in achieving the mandate of each media unit.

Our primary focus is to promote and develop an ecosystem for the domestic and global appreciation and celebration of Indian cinema, and we aim to foster excellence in Cinema and promote the diversity of its culture by supporting and encouraging films made in various Indian languages. The Corporation has demonstrated its efficacy in successfully implementing its Vision and Mission statements by funding and producing over 340 films in 25 Indian languages, which have won several international accolades including the Academy Awards (Gandhi), National and State Awards.

(i) Industry Structure and Developments

India's film industry continues to be one of the largest and most vibrant in the world, spanning feature films, documentaries, animation, and digital content. The Indian Media and Entertainment (M&E) sector is projected to grow by 7.2% in 2025, reaching ₹ 2.7 trillion, and further expanding to ₹ 3.1 trillion by 2027. Digital media emerged as the largest M&E segment in 2024, contributing over 41% of Total sector revenues, and is expected to be the first to cross ₹ 1 trillion in advertising revenues by 2026. Live events, filmed entertainment, and out-of-home (OOH) media are contributing strongly to growth. Online gaming is expanding rapidly, though regulatory and competitive challenges remain. The Animation, VFX, Gaming and Comics (AVGC) sector is seen as a key future growth driver, especially with rising global demand and advancing tech. OTT revenues are expected to grow sharply with a 14.9% CAGR by 2028, driven by rising penetration, especially on connected TVs. India is a global content powerhouse, producing approximately 200,000 hours of original content in 2024, including 1,600 films. The industry is achieving new milestones and has entered a mature phase and Indian Cinema is making waves not only in India but globally. Indian Cinema has during the year has been able to captivate its impressive presence in globally and there is a global interest in Indian stories and culture. This accomplishment demonstrates India's increasing contribution to the entertainment field. Given this emerging influence on world cinema, NFDC has a significant role to play in financing projects and extending support to young filmmakers by giving them the platform, and mentors for hand-holding and guiding them with the trade nuances and crafts. OTT platforms have evolved as platform to showcase those films that often struggle to find a place in the market, offering young talent a chance to exhibit their skills. With the rapid integration of new technologies into

मनोरंजन उद्योग में नई तकनीकों के तेजी से समावेश के साथ, एनीमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स और ग्राफिक्स (AVGC) क्षेत्र में अपार संभावनाएँ हैं. भारतीय M&E उपभोक्ता आधार व्यापक है, जो गुणवत्ता सामग्री के लिए भुगतान करने को तैयार है और तकनीकी प्रयोग के लिए खुले हैं. इसे ध्यान में रखते हुए NFDC एनिमेटेड फिल्मों और उच्च स्तर के VFX, ग्राफिक्स एवं एनीमेशन परियोजनाओं के उत्पादन पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है. विलय के बाद, कंपनी उद्योग में अपनी स्थिति को पुनः स्थापित कर रही है और अपने कंटेंट की बेहतर पहुंच के लिए नए युग के प्लेटफॉर्मों में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है. FY 2024-25 में परिचालन से सकल राजस्व ₹38,774.74 लाख रहा, जो पिछले वर्ष के ₹28,754.33 लाख की तुलना में 34.85% की वृद्धि है.

(ii) विश्लेषण

कॉर्पोरेशन की शक्तियाँ

फिल्म निर्माण

NFDC के पास 25 भाषाओं में 340 से अधिक फिल्मों की समृद्ध विरासत है, जिसमें वैश्विक स्तर पर प्रशंसित "गांधी" जैसी फिल्में भी शामिल हैं, जिसने 8 ऑस्कर पुरस्कार जीते. NFDC की कलात्मक उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता इसके 33 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, 8 राष्ट्रीय पुरस्कार और एक गोल्डन पीकॉक द्वारा प्रदर्शित होती है. DCDFC योजना के माध्यम से, NFDC नई प्रतिभाओं का पोषण करता है, प्रथम फीचर फिल्में, बच्चों की फिल्में, डॉक्यूमेंट्री और एनीमेशन पूर्ण रूप से निर्मित करके उन्हें मंच प्रदान करता है, साथ ही भारतीय और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ उच्च गुणवत्ता वाली परियोजनाओं का सह-निर्माण भी करता है. 2024-25 में इसकी विविध परियोजनाएँ–क्षेत्रीय फीचर फिल्में, डॉक्यूमेंट्री, एनीमेशन और बच्चों का सिनेमा–संस्कृतिक रूप से समृद्ध, बहुभाषी और समावेशी भारतीय कहानी कहने में NFDC की महत्वपूर्ण भूमिका को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं.

वितरण

यह NFDC का एक मजबूत स्तंभ है, जो भारत के सबसे समृद्ध अभिलेखीय संग्रह का लाभ उठाता है–फिल्म्स डिवीजन और CFSI से 5,000 से अधिक डॉक्यूमेंट्री, 250 बच्चों की फिल्में और 120 फीचर फिल्में, जो स्वतंत्र और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण सिनेमा के प्रचार-प्रसार के लिए उपलब्ध हैं. इसकी ताकत इसके बहु-प्लेटफ़ॉर्म पहुँच में निहित है, जिसमें थिएट्रिकल, टेलीविजन, डिजिटल, DTH और इन-फ्लाइट एंटरटेनमेंट शामिल हैं, जिससे व्यापक पहुंच सुनिश्चित होती है. यह खंड सांस्कृतिक विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेषकर उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में बच्चों की फिल्मों को पहुँचाने में. इसके बढ़ते वैश्विक साझेदारियाँ–Amazon, Sony, IN10 Media, WAVES के साथ लाइसेंसिंग समझौते और Criterion, MUBI तथा Carlotta के साथ जारी सहयोग–मजबूत मोनेटाइजेशन क्षमता और अंतरराष्ट्रीय दृश्यता प्रदर्शित करती हैं. प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सवों में पुरस्कार जीतना NFDC की वैश्विक स्थिति और भारत की सिनेमा विरासत के संरक्षण एवं प्रचार के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है.

फिल्म बाज़ार

फिल्म बाज़ार की सबसे बड़ी ताकत इसका दक्षिण एशिया का प्रमुख फिल्म बाजार होने का दर्जा है, जो अद्वितीय वैश्विक कनेक्टिविटी और उद्योग तक पहुंच प्रदान करता है. 30 देशों के 2,332 प्रतिनिधियों तक इसके विस्तार ने इसके बढ़ते प्रभाव को दर्शाया है. को-प्रोडक्शन मार्केट, वर्क-इन-प्रोग्रेस लैब, व्यूइंग रूम, मार्केट स्क्रीनिंग्स और नॉलेज सीरीज जैसी विविध प्लेटफ़ॉर्मों के माध्यम से यह फिल्म निर्माताओं का हर चरण में समर्थन करता है. VFX एवं टेक पवेलियन की शुरुआत इसे फिल्म नवाचार के अग्रणी केंद्र में स्थापित करती है. देशों, भारतीय राज्यों, वैश्विक स्टूडियो और तकनीकी नेताओं की मजबूत भागीदारी इसकी विश्वसनीयता को और बढ़ाती है. प्रशिक्षण लैब्स, कार्यशालाओं और सीमा-पार सहयोगों के माध्यम से, फिल्म बाज़ार प्रतिभा की खोज, सह-निर्माण के अवसर और रचनात्मक प्रगति के लिए एक प्रेरक मंच बना हुआ है.

कमीशन प्रोडक्शन

NFDC ने स्वयं को भारत सरकार के लिए एक भरोसेमंद, एकीकृत मीडिया सेवा प्रदाता के रूप में स्थापित किया है, जो अपनी विश्वसनीयता, दक्षता और विभिन्न प्लेटफ़ॉर्मों पर उच्च गुणवत्ता वाले संचार समाधान प्रदान करने की क्षमता के लिए जाना जाता है. इसके व्यवस्थित प्रक्रियाओं और दूरदर्शी दृष्टिकोण के कारण यह विभिन्न मंत्रालयों से व्यावसायिक अवसर सुरक्षित करने और बनाए

the entertainment industry, the Animation, visual effects and graphics (AVGC) sector hold immense potential. The Indian M&E consumer base is substantial, seeking for content but willing to pay only for quality, and open to experimenting with technology. Bearing this in mind NFDC is focusing more on producing Animated films, and project featuring substantial VFX, Graphics, Animation effects. Post-Merger your company is reaffirming its stature in the Industry and making remarkable contributions towards new age platforms for better outreach of its content. The Gross Revenue from Operations for the FY 2024-25 was ₹ 38774.74 Lakhs compared to ₹ 28754.33 Lakhs in the previous year which is 34.85% growth compared to previous year.

(ii) Analysis

Strengths of the Corporation

Film Production

Backed by a rich legacy of over 340 films in 25 languages, including globally celebrated works like Gandhi, winner of 8 Oscars. NFDC's commitment to artistic excellence is reflected in its 33 international awards, 8 National Awards and a Golden Peacock. Through the DCDFC scheme, NFDC nurtures new talent by fully producing debut feature films, children's films, documentaries and animations, while also co-producing high-quality projects with Indian and international partners. Its diverse slate in 2024-25–spanning regional feature films, documentaries, animation and children's cinema–demonstrates its role as a vital catalyst for culturally rich, multilingual and inclusive Indian storytelling.

Distribution

This is a powerful pillar of NFDC, leveraging one of India's richest archival repositories–over 5,000 documentaries, 250 children's films and 120 feature films from Films Division and CFSI which are available for promotion of independent and culturally significant cinema. Its strength lies in its multi-platform reach across theatrical, television, digital, DTH and in-flight entertainment, ensuring wide accessibility. The vertical plays a key role in cultural outreach, bringing children's films to underserved regions in the North-East. Its growing global partnerships–licensing deals with Amazon, Sony, IN10 Media, WAVES, and continuing collaborations with Criterion, MUBI and Carlotta–demonstrate strong monetization capabilities and international visibility. Acclaimed festival wins further solidify NFDC's global standing and commitment to preserving and disseminating India's cinematic heritage.

Film Bazaar

Film Bazaar's greatest strength lies in its role as South Asia's foremost film market, offering unmatched global connectivity and industry access. Its growth to 2332 delegates from 30 countries reflects its expanding influence. With diverse platforms such as the Co-Production Market, Work-in-Progress Lab, Viewing Room, Market Screenings and Knowledge Series, it supports filmmakers at every stage. The introduction of the VFX & Tech Pavilion positions it at the cutting edge of film innovation. Strong participation from countries, Indian states, global studios and tech leaders enhances its credibility. Through training labs, workshops and cross-border collaborations, Film Bazaar remains a catalyst for talent discovery, co-production opportunities and creative advancement.

Commissioned Production

NFDC has established itself as a trusted, integrated media services provider for the Government of India, known for its credibility, efficiency and ability to deliver high-quality communication solutions across platforms. Its systematic processes and forward-looking approach enable it to secure and retain business from a wide range of ministries. By offering a

रखने में सक्षम है. NFDC 360-डिग्री सेवा का व्यापक पैकेज प्रदान करता है, जिसमें वर्चुअल इवेंट्स, प्रदर्शनियाँ, कॉफ़ी टेबल बुक्स, नुक्कड़ नाटक, इमर्सिव वीडियो और ऑन-ग्राउंड एक्टिवेशन शामिल हैं, जिससे प्रभावशाली और द्विपक्षीय सरकारी संचार सुनिश्चित होता है. महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रमों का सफल निष्पादन, पुरस्कार विजेता रचनात्मक परियोजनाएँ और लगभग 100 मंत्रालयों को 233 परियोजनाओं के माध्यम से सेवा प्रदान करना इसकी मजबूत क्षमताओं, विश्वसनीयता और सरकारी संचार में बढ़ते प्रभाव को रेखांकित करता है.

इंडिया सिने हब

इंडिया सिने हब का भूमिका एक राष्ट्रीय, पेपरलेस सिंगल-विंडो फ़ैसिलिटेशन सिस्टम के रूप में है, जिसने भारत में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रोडक्शन के लिए फिल्मांकन की प्रक्रिया को काफी सुगम बनाया है. 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों तथा प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों में फैले एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से, ICH निर्बाध अनुमतियाँ, समन्वित प्रोत्साहन और कुशल विभागीय समन्वय सुनिश्चित करता है. इसके उन्नत डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर में कई लाइव मॉड्यूल, API-आधारित राज्य एकीकरण, AWS माइग्रेशन और क्राउडसोर्सेड संसाधन निर्देशिकाएँ शामिल हैं, जो इसकी मजबूत तकनीकी क्षमता को दर्शाती हैं. Cannes, EFM, TIFF, Busan और अन्य वैश्विक बाजारों में ICH की प्रभावशाली अंतरराष्ट्रीय पहुंच भारत को एक प्रतिस्पर्धी फिल्मांकन गंतव्य के रूप में स्थापित करती है. निरंतर स्टेकहोल्डर जुड़ाव, निर्माता समर्थन उपकरण, क्षमता निर्माण कार्यक्रम और 310 अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं की सुविधा इसके सह-निर्माण, निवेश और भारत के फिल्मांकन पारिस्थितिकी तंत्र में वैश्विक विश्वास को बढ़ाने में प्रभावशीलता को और रेखांकित करते हैं.

फेस्टिवल सेल

अच्छे सिनेमा को बढ़ावा देने में हमारी समृद्ध विरासत पूर्व निदेशालय फिल्म महोत्सव के कार्यों के समेकन के बाद और विस्तारित हुई है. अब हम IFFI, इंडियन पैनोरमा, अंतरराष्ट्रीय भागीदारी, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, विशेष फिल्म प्रदर्शनियाँ और अभिलेखीय दस्तावेजीकरण सहित कई प्रतिष्ठित गतिविधियों का संचालन करते हैं, जिससे भारत को एक वैश्विक सांस्कृतिक राजदूत के रूप में स्थापित किया जाता है. IFFI, एशिया के सबसे प्रभावशाली फिल्म महोत्सवों में से एक के माध्यम से, हम विश्व सिनेमा को भारत में लाते हैं, कलात्मक संवाद को प्रोत्साहित करते हैं और भारतीय फिल्मों के लिए व्यावसायिक अवसर सृजित करते हैं. हमारी कठोर क्यूरेशन, बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय सहभागिता, पुनर्स्थापित क्लासिक्स, CMOT जैसी प्रतिभा विकास पहल और व्यापक छात्र कार्यक्रम हमारी रचनात्मकता, समावेशिता और सिनेमाई उत्कृष्टता के लिए प्रेरक भूमिका को उजागर करते हैं.

अंतरराष्ट्रीय प्रचार और विशेष परियोजनाएँ

अंतरराष्ट्रीय प्रचार और विशेष परियोजनाएँ मजबूत वैश्विक पहुंच दिखाती हैं, जिससे भारत को 16 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों और बाजारों, जैसे कि बर्लिन, कान, टोरंटो, बुसान और टोक्यो में प्रमुख स्थान पर प्रस्तुत किया जाता है. ये पहलें भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करती हैं और इसे "सुत्रधार ऑफ द वर्ल्ड " के रूप में पहचान दिलाती हैं. DCDFC योजना के तहत विभिन्न देशों में भारतीय फिल्म महोत्सवों को सफलतापूर्वक सक्षम करना और कान एवं टोरंटो में मार्केट स्क्रीनिंग की सुविधा प्रदान करना भारत की सिनेमाई उपस्थिति को और मजबूत करता है. भारत पर्व और IFFI, फिल्म बाज़ार और WAVES के वैश्विक लॉन्च जैसे उच्च प्रभाव वाले कार्यक्रम भारत के ब्रांड को सुदृढ़ करते हैं. विस्तारित "क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमॉरो" कार्यक्रम देशभर में उभरती प्रतिभाओं का पोषण करता है और भारत की रचनात्मक पाइपलाइन को मजबूत करता है.

कौशल और प्रतिभा

NFDC को नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग (NCVET) द्वारा पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का समर्थन प्राप्त है. कंपनी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए तकनीकी और पेशेवर रूप से कुशल कार्यबल विकसित करने के लिए समर्पित है और मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र में कौशल, मूल्यांकन और प्रमाणन में उच्च मानक प्राप्त करने का प्रयास करती है. NFDC अपने स्थिर और स्वीकार्य मानकों को सुनिश्चित करने के लिए संबद्धता, मान्यता, परीक्षा और प्रमाणन प्रक्रियाओं की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है. NFDC की स्किल और टैलेंट वर्टिकल ने 2024-25 में मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में प्रशिक्षण और कौशल विकास को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण पहलें की हैं.

comprehensive 360-degree service bouquet; including virtual events, exhibitions, coffee table books, nukkad nataks, immersive videos and on-ground activations, NFDC ensures impactful, two-way government communication. Successful execution of major national events, award-winning creative projects, and servicing nearly 100 ministries with 233 projects underscore its robust capabilities, reliability and growing influence in government communications.

India Cine Hub

Its role as a national, paperless single-window facilitation system that significantly improved ease of filming in India for both domestic and international productions. With an integrated ecosystem spanning 28 states and 8 Union Territories and key central ministries, ICH ensures seamless permissions, harmonised incentives and efficient cross-department coordination. Its upgraded digital infrastructure with multiple live modules, API-based state integration, AWS migration and crowdsourced resource directories demonstrates strong technological capability. ICH's robust international outreach at Cannes, EFM, TIFF, Busan and other global markets strengthens India's position as a competitive filming destination. Consistent stakeholder engagement, producer support tools, capacity-building programmes and facilitation of 310 international projects further highlight It's effectiveness in driving co-productions, investments and global confidence in India's filming ecosystem.

Festival Cell

Our rich legacy of promoting good cinema has expanded further with the mandate after integrating the functions of the former Directorate of Film Festivals. We now manage a wide spectrum of prestigious activities, including IFFI, Indian Panorama, international participation, cultural exchanges, special film expositions, and archival documentation; positioning India as a global cultural ambassador. Through IFFI, one of Asia's most influential film festivals, we bring world cinema to India, foster artistic dialogue, and create commercial opportunities for Indian films. Our rigorous curation, large-scale international engagement, restored classics, talent development initiatives like CMOT and extensive student programmes highlight our role as a catalyst for creativity, inclusivity and cinematic excellence.

International Promotions and Special Projects

International Promotions and Special Projects demonstrate strong global outreach by positioning India prominently at 16 major international film festivals and markets, including Berlin, Cannes, toronto, Busan, and tokyo. These initiatives effectively showcase India's creative economy and reinforce its identity as the "Sutradhara of the World." The division successfully enabled Indian film festivals in multiple countries under the DCDFC Scheme, expanding cultural diplomacy. Its facilitation of market screenings at Cannes and toronto further amplified India's cinematic presence. High-impact events like Bharat Parva and the global launches of IFFI, Film Bazaar and WAVES strengthen India's brand. The expanded Creative Minds of tomorrow program nurtures emerging talent nationwide, enhancing India's creative pipeline.

Skill and Talent

NFDC has been recognized as an Awarding Body by the National Council for Vocational Education and Training (NCVET), supported by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. The company is dedicated to developing a technically and professionally skilled workforce for both national and international markets, striving to achieve high standards in skilling, assessment, and certification within the Media and Entertainment sector. NFDC is committed to planning and executing processes for affiliation, accreditation, examination, and certification to ensure consistent and acceptable standards. The Skill and Talent Vertical at NFDC has undertaken significant initiatives in 2024-25 to enhance training and skill development in the Media and Entertainment sector through its initiatives.

वेव्स

वेव्स का पहला संस्करण अत्यधिक संभावनाओं वाला है और NFDC वेव्सबाज़ार के माध्यम से व्यवसाय पर बड़ा प्रभाव लाने की क्षमता रखता है. उम्मीद है कि इस पहल के तहत कई समझौते (MoUs) किए जाएंगे. वेव्स की प्रमुख विशेषता इसका बहु-प्लेटफ़ॉर्म इकोसिस्टम होगा, जिसमें Create in India Challenge (CIC), WAVES Bazaar, WaveX और Creatosphere शामिल हैं. वेव्स के लिए नोडल संस्था के रूप में, NFDC अपने संस्थागत तंत्र और क्षेत्रीय पहुंच का लाभ उठाते हुए भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था के प्रयासों में एक केंद्रीय प्रेरक शक्ति के रूप में उभरने का प्रयास करेगा.

नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया

NFDC–NFAI भारत की प्रमुख संस्था है जो देश की सिनेमाई विरासत के संरक्षण और सुरक्षा के लिए समर्पित है, जिसे छह दशकों के अभिलेखीय अनुभव और वैश्विक मान्यता का समर्थन प्राप्त है. यह दुनिया के सबसे समृद्ध फिल्म संग्रहों में से एक है, जिसमें 20,000 से अधिक शीर्षक, दुर्लभ साइलेंट-एरा कृतियाँ, स्टूडियो-एरा क्लासिक्स और भारत के प्रमुख निर्देशक कलाकारों की उत्कृष्ट कृतियाँ शामिल हैं. इसका अत्याधुनिक संरक्षण इन्फ्रास्ट्रक्चर, 27 जलवायु-नियंत्रित वॉल्ट्स, उन्नत 2K/4K डिजिटाइजेशन सुविधाएँ, फिल्म स्कैनर और नाइट्रेट-विशिष्ट वॉल्ट्स अंतरराष्ट्रीय मानकों पर अभिलेखीय देखभाल सुनिश्चित करते हैं. एक मजबूत अनुसंधान एवं दस्तावेज़ीकरण केंद्र, एशिया की सबसे बड़ी सिनेमा पुस्तकालय, चयनित स्क्रीनिंग और अनुसंधान फेलोशिप इसके मिशन को और सुदृढ़ करते हैं. नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन के माध्यम से यह दुनिया के सबसे बड़े फिल्म पुनर्स्थापन कार्यक्रम का नेतृत्व करता है, जिससे भारत की मूविंग-इमेज विरासत के संरक्षण और प्रसार के प्रति प्रतिबद्धता पुनः पुष्टि होती है.

अवसर और चुनौतियाँ

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या M-14011/2/2020-DO(FA) दिनांक 5 जनवरी 2021 के माध्यम से सूचित किया था कि कैबिनेट ने 23 दिसंबर 2020 की बैठक में चार फिल्म मीडिया इकाइयों–फिल्म्स डिवीजन, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया, नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया और डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स–को नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NFDC) के साथ विलय करने का निर्णय लिया. विलय के बाद, आपकी कंपनी एक मीडिया हाउस और भारत सरकार की विभिन्न नीतियों को लागू करने वाली नोडल एजेंसी के रूप में विकसित हुई है. वैश्विक सामग्री की बढ़ती मांग, सीमा-पार सह-निर्माण और एनीमेशन/VFX आउटसोर्सिंग भारत के लिए प्रमुख अवसर प्रस्तुत करती हैं. भारत द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक प्रोत्साहन, कुशल मानव संसाधन और विश्व स्तरीय अवसंरचना प्रदान करने के कारण, अधिक अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं को आकर्षित करने की संभावनाएँ मजबूत हैं. फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भारतीय फिल्म उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जहाँ दर्शकों के व्यवहार में बदलाव, अंतरराष्ट्रीय लिंक का विस्तार और तेज़ गति से तकनीकी परिवर्तन हो रहा है. इस संदर्भ में फिल्म निर्माण एक तेजी से विकसित होने वाला क्षेत्र बन रहा है. यह परिदृश्य महत्वपूर्ण अवसरों के साथ-साथ जटिल चुनौतियाँ भी प्रस्तुत करता है. आपकी कंपनी सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण सिनेमा का समर्थन करते हुए स्थिरता और व्यापक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण के साथ इन परिवर्तनों को नेविगेट करने के लिए प्रतिबद्ध है.

अवसर

सालों के दौरान, ऐसे नए विकास क्षेत्रों का उदय हुआ है जो NFDC की क्षमताओं और कार्यक्षेत्र के अनुरूप हैं. भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता लगातार कहानियों का एक समृद्ध भंडार बनी हुई है. क्षेत्रीय और स्वदेशी भाषा की सिनेमा की रचनात्मक और व्यावसायिक संभावनाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती मान्यता मिल रही है. यह खंड मुख्यधारा के सर्किट में कम प्रतिनिधित्व वाला है, फिर भी इसमें अपार कलात्मक मूल्य निहित है. इतिहास में क्षेत्रीय आवाज़ों को बढ़ावा देने और कम-ज्ञात भाषाओं में फिल्में बनाने के कारण NFDC इस क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए अनूठी स्थिति में है. रणनीतिक सरकारी समर्थन और संरचित उत्पादन मॉडलों के साथ, क्षेत्रीय सिनेमा आने वाले समय में एक प्रमुख फोकस क्षेत्र बना रहेगा.

फिल्म बाज़ार जैसी NFDC की पहल के माध्यम से फिल्म मार्केट संस्कृति का विकास अंतरराष्ट्रीय सहयोग के नए द्वार खोल रहा है. हाल की सह-निर्माण परियोजनाएँ जैसे Tara और Akash, Lioness और Bhaguni यह दर्शाती हैं कि विदेशी निर्माताओं, सांस्कृतिक संस्थानों और फंडिंग एजेंसियों के साथ संरेखित होने की संभावनाएँ कितनी हैं. ये साझेदारियाँ सामग्री विकास, वित्तपोषण,

WAVES

The first edition of WAVES has huge potential and NFDC would bring huge business impact through the WAVES Bazaar and it is expected many MoUs will be entered. A hallmark of WAVES will be its multi-platform ecosystem, comprising of Create in India Challenge (CIC), WAVES Bazaar, WaveX & Creatosphere. As the nodal entity for WAVES, NFDC will leverage its institutional mechanisms and sectoral reach to emerge as a central driver of India's creative economy efforts.

The National Film Archive of India

NFDC–NFAI is India's premier institution for preserving and safeguarding the country's cinematic legacy, backed by six decades of archival expertise and global recognition. It holds one of the world's richest film collections, comprising over 20,000 titles, rare silent-era works, studio-era classics, and masterpieces of India's auteurs. Its state-of-the-art preservation infrastructure, 27 climate-controlled vaults, advanced 2K/4K digitization facilities, film scanners, and nitrate-specific vaults, ensures archival care at international standards. A strong Research & Documentation Centre, Asia's largest cinema library, curated screenings, and research fellowships further strengthen its mandate. Through the National Film Heritage Mission, it leads the world's largest restoration programme, reaffirming India's commitment to protecting and disseminating moving-image heritage.

Opportunities & Threats :

The Ministry of Information & Broadcasting vide its office Memorandum No.M-14011/2/2020-DO(FA) dated 5th January 2021 had informed that the Cabinet in the meeting held on 23rd December 2020 has decided to merge four Film Media Units namely- Films Division, Children's Film Society of India, National Film Archive of India and Directorate of Film Festivals with National Film Development Corporation Ltd. Post-merger your company has evolved as media house and nodal agency of GoI for implementation of various government policies on the sector. The growing demand for global content, cross-border co-productions, and animation/VFX outsourcing presents a major opportunity for India. With India offering competitive incentives, skilled manpower, and world-class infrastructure, the potential to attract more international projects is strong. On the film production front, the Indian film industry is at an inflection point, with a shift in audience behaviour, expanding international linkages, and fast-paced technological disruption, film production as a sector is evolving rapidly. This landscape presents both significant opportunities and complex challenges. Your company remains committed to navigating these changes with a strategic approach that aligns with its mandate to support culturally significant cinema while ensuring sustainability and outreach.

Opportunities

Over the years, new growth areas have emerged that align closely with NFDC's strengths and mandate. India's linguistic and cultural diversity continues to be a rich reservoir of stories. There is a growing recognition both nationally and internationally of the creative and commercial potential of regional and indigenous language cinema. This segment remains underrepresented in mainstream circuits, yet offers immense artistic value. NFDC is uniquely positioned to lead this space, having historically championed regional voices and produced films in lesser-known languages. With strategic government support and curated production models, regional cinema is expected to remain a major focus area.

The development of film market culture particularly through NFDC's own initiative, Film Bazaar has opened new gateways for international collaborations. Recent co-productions such as Tara and Akash, Lioness, and Bhaguni reflect the potential of aligning with foreign producers, cultural institutions, and funding agencies. These partnerships offer mutual benefits in terms

तकनीकी पहुँच और वैश्विक वितरण के संदर्भ में पारस्परिक लाभ प्रदान करती हैं. आगे चलकर, NFDC का इरादा अंतरराष्ट्रीय फिल्म फंड्स, फेस्टिवल और पर्यटन बोर्ड के साथ अपने जुड़ाव को गहरा करना है ताकि भारतीय सिनेमा की वैश्विक उपस्थिति का विस्तार हो सके.

गुणवत्तापूर्ण बाल-सामग्री के निर्माण पर पुनः ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जो मुख्यधारा के निर्माताओं द्वारा बॉक्स ऑफिस की सीमित आय के कारण अक्सर नजरअंदाज की जाती है. NFDC ने इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभाई है, जैसे परियोजनाएँ Achappa's Album और Adventures of Chirkut & Co, जो सांस्कृतिक रूप से जड़ों से जुड़ी कथाओं को बाल-केंद्रित दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती हैं. थिएटर रिलीज़ और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म दोनों के लिए विचारशील, अर्थपूर्ण और शैक्षिक बाल सिनेमा के लिए एक उभरता हुआ अवसर मौजूद है.

मीडिया और मनोरंजन में एनीमेशन का भविष्य महत्वपूर्ण तकनीकी एकीकरण द्वारा चित्रित होता है, विशेषकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ऑगमेंटेड/वर्चुअल रियलिटी (AR/VR) के माध्यम से, जिससे उत्पादन क्षमता, हाइपर-रियलिज़्म और इंटरैक्टिव स्टोरीटेलिंग में वृद्धि होती है. वैश्विक बाजार तेजी से बढ़ रहा है, और भारत एनीमेशन और विज़ुअल इफेक्ट्स (VFX) के लिए एक प्रमुख वैश्विक केंद्र के रूप में उभर रहा है. आपकी कंपनी तकनीकी नवाचार और डिजिटल आर्काइविंग को अपनाते हुए नई मीडिया तकनीकों जैसे कि सहायक एनीमेशन और मोशन कैप्चर तकनीकों के माध्यम से उत्पादन दक्षता और कथा गहराई को बढ़ा रही है.

चुनौतियाँ

जहाँ पर्यावरण अवसरों से भरपूर है, वहीं आपकी कंपनी को कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म और बड़े निजी स्टूडियो के उदय ने उत्पादन परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया है. ये खिलाड़ी विशाल बजट, त्वरित निर्णय-निर्माण और आक्रामक प्रतिभा अधिग्रहण रणनीतियाँ लाते हैं. उनका क्षेत्रीय सामग्री और इंडी-शैली की सिनेमा में प्रवेश सीधे एनएफडीसी के क्षेत्र से मेल खाता है, जिससे एक प्रतिस्पर्धी परिदृश्य बनता है, जहाँ राज्य-प्रायोजित परियोजनाएँ अक्सर धीमी समयसीमा और बजट सीमाओं के कारण पिछड़ जाती हैं. सरकारी वित्त पोषित निकाय होने के नाते, हमें कड़े दिशानिर्देशों का पालन करना होता है, जिससे निजी क्षेत्र के वित्तपोषण की लचीलापन और गति से मेल खाना कठिन हो जाता है. उत्पादन लागत में वृद्धि, प्रतिभा शुल्क में वृद्धि और तकनीकी लागतों में बढ़ोतरी मौजूदा बजट पर दबाव डालती है. एक तेजी से डिजिटल हो रहे वातावरण में, बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है. मजबूत डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी और सामग्री के लीक या पाइरेसी का जोखिम विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय सह-निर्माण और OTT साझेदारियों के संदर्भ में बढ़ती चिंता का विषय है.

कमजोरियाँ

फिल्म निर्माण एक उच्च-जोखिम, पूंजी-गहन व्यवसाय है, जिसे दर्शकों की प्रतिक्रिया और वित्तीय रिटर्न में महत्वपूर्ण अनिश्चितता की विशेषता है. प्रमुख जोखिमों को वित्तीय, उत्पादन, बाजार और संचालन संबंधी क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है. सरकारी और निजी पक्षों से लंबित बकाया राशि एक चुनौती है, और कंपनी इस संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई कर रही है.

(iii) खंडवार प्रदर्शन

प्रमोशनल/फेस्टिवल विंग के रूप में कार्य करने वाला सेवा प्रोजेक्ट राजस्व में प्रमुख योगदानकर्ता रहा, जिसने ₹15,999.84 लाख का योगदान दिया. इसके बाद कंपनी की संरक्षण शाखा ने ₹10,559.64 लाख का योगदान दिया. मीडिया अभियान खंड ने ₹6,907.26 लाख का योगदान दिया, जबकि फिल्म निर्माण और वितरण ने FY 2024-25 में ₹5,308 लाख का योगदान किया.

(iv) जोखिम प्रबंधन

कंपनी का मुख्य व्यवसाय क्षेत्र फिल्म निर्माण है और इस अवधि के दौरान कंपनी ने अपना ध्यान डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, कमीशन प्रोडक्शन आदि में भी विस्तृत किया है.

(v) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उसकी पर्याप्तता

कंपनी ने आंतरिक लेखा परीक्षा गतिविधियों को संचालित करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों को आंतरिक लेखा परीक्षक (Internal Auditors) के रूप में नियुक्त किया है. आंतरिक लेखा परीक्षा की प्रक्रिया को इस प्रकार

of content development, financing, technology access, and global distribution. Going forward, NFDC intends to deepen its engagement with international film funds, festivals, and tourism boards to expand the global footprint of Indian cinema.

There is renewed attention toward producing quality children's content a genre often overlooked by mainstream producers due to limited box-office returns. NFDC has taken a lead in this direction with projects such as Achappa's Album and Adventures of Chirkut & Co, both of which represent culturally rooted narratives told through a child-centric lens. There's an emerging space for thoughtful, meaningful, and educational children's cinema both for theatrical releases and digital platforms.

The future of animation in media and entertainment is characterized by significant technological integration, particularly with Artificial Intelligence (AI) and Augmented/Virtual Reality (AR/VR), resulting in increased efficiency, hyper-realism, and interactive storytelling. The global market is expanding rapidly, with India emerging as a major global hub for animation and visual effects (VFX). Your Company is embracing the technological Innovation and Digital Archiving. The new media technologies including -assisted animation, and motion capture techniques to enhance production efficiency and storytelling depth.

Threats

While the environment is ripe with opportunities, your Company faces with significant challenges on account of the rise of streaming platforms and large private studios has reshaped the production landscape. These players bring substantial budgets, fast-track decision-making, and aggressive talent acquisition strategies. Their foray into regional content and indie-style cinema directly overlaps with NFDC's domain, creating a competitive landscape where state-funded projects are often sidelined due to slower timelines and budgetary constraints. Being a government-funded body, we have to adhere to strict guidelines, making it difficult to match the flexibility and speed of private sector financing. Cost escalation in production, rising talent fees, and increasing technological costs strain existing budgets. In an increasingly digital environment, protecting intellectual property rights is crucial. The absence of robust digital rights management infrastructure and the risk of content leaks or piracy remains a growing concern particularly in the context of international co-productions and OTT partnerships.

Weakness

Film production is a high-risk, capital-intensive business characterized by significant uncertainty in audience reception and financial returns. The primary risks can be categorized into financial, production, market, and operational areas. The long outstanding dues from both the government and private parties is a challenge and company is taking action in this regard.

(iii) Segment wise performance

The Service Project, constituting the promotional/ Festival wing has been the major contributor to the revenue, contributing ₹ 15999.84 Lakhs, followed by the Preservation arm of your Company, contributing ₹ 10559.64 Lakhs. The Media Campaign vertical contributed ₹ 6907.26 Lakhs followed by film production and distribution contributing ₹ 5308 Lakhs in FY 2024-25.

(iv) Risk Management

The Company's core area of business is film production and over the period company has diversified its focus into Digital and Social Media Platform and Commission Production, etc.

(v) Internal Control System and their Adequacy

The Company has appointed Chartered Accountant firms as Internal Auditors to carry out the Internal Audit activities. The Internal Audit process is designed to review

डिज़ाइन किया गया है कि यह आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता की समीक्षा करे और कंपनी के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करने वाले सिस्टम की जांच करे. आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को बोर्ड द्वारा समीक्षा की गई है.

(vi) संचालन प्रदर्शन के संदर्भ में वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी की कुल आय (Topline) ₹39,561.32 लाख रही, जो पिछले वर्ष के ₹29,553.90 लाख की तुलना में 33.86% की वृद्धि दर्शाती है. वित्त वर्ष 2024-25 में करपूर्व लाभ (PBT) ₹557.80 लाख रहा, जबकि पिछले वर्ष यह ₹1,497.31 लाख था. इसी तरह, वित्त वर्ष 2024-25 में शुद्ध लाभ (PAT) ₹556.42 लाख रहा, जबकि पिछले वर्ष यह ₹1,091.01 लाख था. कंपनी इस वर्ष संचयी हानियों को समेकित करने में सफल रही है. इस वर्ष बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 के लाभ से अदा किए गए इक्विटी शेयर पूंजी पर 4.19% की दर से अंतिम लाभांश की सिफारिश की है, अर्थात् ₹4.194 प्रति शेयर, जो कुल ₹190.39 लाख बनता है.

(vii) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ ₹335.32 लाख रहा, जो पिछले वर्ष ₹(182.74) लाख था. वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, आपकी कंपनी को कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के अनुसार पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2% CSR योगदान देना आवश्यक था, जो ₹6.71 लाख बनता है. यह CSR योगदान ₹6.71 लाख वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (The Prime Minister National Relief Fund) में किया गया है.

(viii) दृष्टिकोण

आपकी कंपनी को भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था का एक केंद्रीय स्तंभ बनने की स्थिति में रखा गया है. निरंतर डिजिटलीकरण, राज्य स्तरीय गहन एकीकरण और सह-निर्माण साझेदारियों के विस्तार के साथ, व्यापक पहुँच और पारदर्शी प्रोत्साहन तंत्र भारत के ब्रांड को एक प्रमुख वैश्विक फिल्मिंग गंतव्य के रूप में और सुदृढ़ करेंगे. फिल्म निर्माण के क्षेत्र में चुनौतियों के बावजूद दृष्टिकोण सकारात्मक है और एनएफडीसी अपने क्षेत्रीय सामग्री स्लेट को मजबूत करने के लिए तैयार है, जिसमें उत्तर-पूर्वी भारतीय भाषाओं, जनजातीय बोलियों और अल्प-प्रतिनिधित्व वाली समुदायों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. वैश्विक साझेदारों को आकर्षित करने के लिए स्पष्ट SOPs, जोखिम-साझा करने वाले ढांचे और परिणाम-आधारित मूल्यांकन तंत्र के साथ सह-निर्माण पाइपलाइन को संस्थागत बनाया जाएगा. सार्वजनिक वित्तपोषित परियोजनाओं की व्यवहार्यता और स्केलेबिलिटी का परीक्षण करने के लिए चयनित परियोजनाओं पर AI और वर्चुअल प्रोडक्शन तकनीकों का पायलट किया जाएगा. वितरण नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा, विशेष रूप से फेस्टिवल सर्किट, सरकारी सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम और हाइब्रिड रिलीज़ मॉडल के माध्यम से, जो थिएटर और क्यूरेटेड OTT प्लेटफ़ॉर्म का संयोजन करते हैं. प्रतिभा विकास को प्रोत्साहित करने के लिए राइटिंग लैब्स, मेंटरिंग प्रोग्राम और पिच फोरम स्थापित किए जाएंगे, जो ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के उभरते फिल्म निर्माताओं पर केंद्रित होंगे.

परिवर्तन का एक प्रमुख क्षेत्र क्षमता निर्माण होगा, जिसमें आंतरिक कार्यबल में तकनीकी उन्नयन के साथ कौशल को अद्यतन करना और विक्रेताओं के बीच न्यूनतम मानव हस्तक्षेप सुनिश्चित करना शामिल है. प्रक्रिया सरलीकरण, कार्यप्रवाह का डिजिटलीकरण और ग्रीन फिल्म निर्माण, अनुपालन, और अंतरराष्ट्रीय उत्पादन मानकों में पेशेवरों के लक्षित कौशल विकास की योजना बनाई गई है. सरकारी आदेश और आपकी कंपनी पर विश्वास के साथ, हम नए व्यावसायिक समर्थन मॉडल शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.

निदेशक मंडल की ओर से

	प्रकाश मगदूम	राजेश कुमार
स्थान : मुंबई	प्रबंध निदेशक	निदेशक (वित्त)
दिनांक : 5.12.2025	DIN No. 11128316	DIN No. 11233385

the adequacy of internal control and checks the systems covering all significant areas of the company and the Internal Auditors' Report has been reviewed by the Board.

(vi) Discussion on financial performance with respect to operational performance

The topline of the Company during FY 2024-25 has increased to ₹ 39561.32 Lakhs compared to ₹ 29,553.90 Lakhs, which is an increase of 33.86% over previous year. The PBT earned was ₹ 557.80 Lakhs in FY 2024-25 in compared to ₹ 1497.31 Lakhs in previous year. The PAT of FY 2024-25 is ₹ 556.42 Lakhs compared to ₹ 1091.01 Lakhs in the previous year. Your Company has been able to subsume the accumulated losses this year. This year Board has recommended a final dividend at the rate of 4.19% on the paid-up Equity Share Capital i.e. ₹ 4.194 per share amounting to ₹ 190.39 lakhs, out of profit of financial year 2024-25.

(vii) Corporate Social Responsibility

The average Net Profit as per Sec 135(5) of the Companies Act, 2013 for FY 2024-25 is ₹ 335.32 Lakhs and compared to ₹ (182.74) Lakhs in the previous year. Your Company during FY 2024-25 is required to make a CSR contribution of 2% of the average net profit of the preceding three years as per Sec 135(5) of the Companies Act 2013 which amount to ₹ 6.71 Lakhs. The said CSR contribution of ₹ 6.71 Lakhs has been made to The Prime Minister National Relief Fund during FY 2024-25.

(viii) Outlook

Your Company is positioned to become a central pillar of India's creative economy. With continued digitization, deeper state integration, and expansion of co-production partnerships. Enhanced outreach and a transparent incentive mechanism will further solidify India's brand as a premier global filming destination. On the film production front despite the challenges, the outlook is positive and NFDC is set to strengthen its regional content slate, with an emphasis on North-East Indian languages, tribal dialects, and underrepresented communities. Institutionalize co-production pipelines with clear SOPs, risk-sharing frameworks, and outcome-based evaluation mechanisms to attract global partners. Pilot AI and virtual production technologies on select projects to test feasibility and scalability for public-funded productions. Expand distribution footprints, especially through festival circuits, government cultural exchange programmes, and hybrid release models that combine theatrical with curated OTT platforms. Facilitate talent development by setting up writing labs, mentoring programs, and pitch forums focused on emerging filmmakers from rural and semi-urban areas.

A key area of transformation will be capacity building, both within the internal workforce by upgrading the skill to keep pace with technology upgradation and among vendors for minimum human interference in a flow. Process simplification, digitization of workflow, and targeted skilling of professionals in green filmmaking, compliance, and international production standards are planned. With a government mandate and faith in your company, we are moving forward to initiate new business support models.

For and on behalf of the Board of Directors

	Prakash Magdum	Rajesh Kumar
Place : Mumbai	Managing Director	Director (Finance)
Date : 5.12.2025	DIN No. 11128316	DIN No. 11233385

कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्यगण
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड

हमने 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड ("द कंपनी") द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की उन शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जिनकी अपेक्षा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के (सीपीएसई) लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है.

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन का दायित्व है. हमारे द्वारा किया गया परीक्षण कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित है. यह न तो लेखा परीक्षण है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों के प्रति प्रकट की गई राय है.

हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है सिवाय निम्नलिखित मामलों के :

1. 31 मार्च 2025 को बोर्ड की संरचना में केवल 2 सरकारी नामित निदेशक शामिल थे तथा बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे.

2. पहली बोर्ड बैठक 27 अगस्त, 2024 को आयोजित की गई, अर्थात वित्तीय वर्ष की शुरुआत से 90 दिनों से अधिक का अंतराल होने के बाद यह पहली बैठक हुई. दूसरी बोर्ड बैठक 30 दिसंबर, 2024 को आयोजित की गई, अर्थात दोनों बोर्ड बैठकों के बीच अंतराल 90 दिनों से अधिक रहा.

3. स्वतंत्र निदेशकों तथा बोर्ड में अन्य निदेशकों की पर्याप्त संख्या के अभाव के कारण, अनिवार्य समितियां जैसे लेखा परीक्षा समिति तथा पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया गया है.

डीके दुबे एंड एसोसिएट्स एलएलपी
के लिए
कंपनी सचिव
शुक्ति ओझा
साझेदार
सीओपी – 13596

यूडीआईएन – F010341G001102014
दिनांक – 28.08.2025
स्थान – नई दिल्ली

Corporate Governance Certificate

To
The Members,
National Film Development Corporation Limited

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by National Film Development Corporation Limited (the "Company"), for the year ended March 31, 2025 as stipulated in Guidelines on Corporate Governance issued by Department of Public Enterprises for Central Public Sector Enterprises (CPSEs).

The Compliance of Conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination has been limited to review of the procedures and implementation thereof, adopted by the company, for ensuring the compliance with the conditions of corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion of financial statements of the company.

In our opinion and to the best of our information and explanation given to us, we certify that the company has complied with the conditions of corporate Governance as stipulated in Guidelines on corporate Governance issued by Department of public Enterprises for Central Public Sector Enterprises (CPSEs) except in the following case :

1. The composition of board as on 31 March 2025 consisted only 2 Government nominee directors and there were no independent directors on board.

2. 1st Board meeting was held on 27th August, 2024, i. e. the first board meeting has been held with the gap of more than 90 days from the financial year beginning and 2nd Board meeting was held on 30th December, 2024, i. e. the gap between the two Board meetings is more than 90 days.

3. Due to absence of independent directors and sufficient number of other directors on board, the mandatory committees viz. Audit Committee and Remuneration Committee are not formed.

For DK Dubey & Associates LLP
Company Secretaries
Shukti Ojha
Partner
COP – 13596

UDIN – F010341G001102014
Date – 28.08.2025
Place – New Delhi

आचार संहिता प्रमाणपत्र – आचार संहिता-अनुपालन पुष्टीकरण

यह पुष्टि की जाती है कि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड ने बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों के लिए एनएफडीसी लिमिटेड की व्यावसायिक आचरण और नैतिक संहिता निर्धारित की है और कोड कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है. बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए उक्त संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है.

निदेशक मंडल की ओर से

स्थान : मुंबई
दिनांक : 12.11.2025

प्रकाश मगदूम
प्रबंध निदेशक

Code of Conduct – Compliance Affirmation

This is to confirm that National Film Development Corporation Limited has laid down a NFDC Ltd. Code of Business Conduct and Ethics for Board Members and Senior Management officers and the code is posted on the company website. The board and Senior Management have affirmed compliance with the said Code for the financial year ended 31st March, 2025.

For and on behalf of the Board of Directors

Place : Mumbai
Date : 12.11.2025

Prakash Magdum
Managing Director

दिनांक 31 मार्च 2025 का तुलन पत्र
Balance Sheet as on 31st March 2025

₹ लाखो में | ₹ in lakhs

विवरण	Particulars	टिप्पणी Notes	31.03.2025 को As at 31.03.2025	31.03.2024 को As at 31.03.2024
इक्विटी और देयताएं	**Equity And Liabilities**			
अंशधारकों की निधि	**Shareholders' Funds**			
(क) अंश पूंजी	(a) Share Capital	3	4,539.99	4,539.99
(ख) संचय एवं अधिशेष	(b) Reserves and Surplus	4	219.79	-336.63
गैर चालू देयताएं	**Non-Current Liabilities**			
(क) अन्य दीर्घकालिक देयताएं	(a) Other Long-Term Liabilities	5	16,120.28	17,053.28
(ख) दीर्घकालिक प्रावधान	(b) Long-Term Provisions	6	747.98	706.91
चालू देयताएं	**Current Liabilities**			
(क) व्यापारिक देय	(a) Trade Payables	7		
सूक्ष्म उद्यम और लघू उद्यम का कुल बकाया	Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises		1,407.44	1,903.76
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises		8,112.18	7,081.39
(ख) अन्य चालू देयताएं	(b) Other Current Liabilities	8	14,250.69	6,159.09
(ग) अल्पकालिक प्रावधान	(c) Short-Term Provisions	9	190.51	126.17
कुल	**Total**		**45,588.86**	**37,233.96**
परिसम्पत्तियां	**Assets**			
गैर चालू परिसम्पत्तियां	**Non-Current Assets**			
(क) सम्पत्ति, संयंत्र, उपकरण और अवास्तविक परिसम्पत्तियां	(a) Property, Plant & Equipment and Intangible assets			
सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण	Property, Plant & Equipment	10	261.21	265.89
अवास्तविक परिसम्पत्तियां	Intangible Assets	10	17.84	22.41
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	Intangible assets under development	10	110.71	–
(ख) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां	(b) Deferred Tax Assets	11	959.99	890.27
(ग) दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम	(c) Long-Term Loans and Advances	12	–	–
(घ) अन्य गैर - चालू परिसम्पत्तियां	(d) Other Non Current Assets	13	3,666.90	36.06
चालू परिसम्पत्तियां	**Current Assets**			
(क) सम्पत्ति सूची	(a) Inventories	14	0.15	0.15
(ख) व्यापारिक प्राप्तियाँ	(b) Trade Receivables	15	9,170.87	7,058.63
(घ) नकद और नकद समतुल्य	(c) Cash and Cash Equivalents	16	20,754.77	17,053.17
(घ) अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम	(d) Short-Term Loans and Advances	17	9,580.70	8,240.56
(ड़) अन्य चालू परिसम्पत्तियां	(e) Other Current Assets	18	1,065.72	3,666.82
कुल	**Total**		**45,588.86**	**37,233.96**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	**Significant Accounting Policies**	**2**		

टिप्पणी संख्या 1 से 67 तक वित्तीय विवरण के अभिन्न अंग है
समदिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
निदेशक मंडल की ओर से

Notes 1 to 67 are Integral part of Financial Statements
As per our report of even date
For and on behalf of Board of Directors

कर्णावत एंड कं की ओर से
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
(एफआरएन 104863W)

For KARNAVAT & CO.
Chartered Accountants
(FRN 104863W)

प्रकाश मगदूम
प्रबंध निदेशक
डीआईएन नं : 11128316

Prakash Magdum
Managing Director
DIN No. : 11128316

राजेश कुमार
निदेशक (वित्त)
डीआईएन नं : 11233385

Rajesh Kumar
Director Finance
DIN No. : 11233385

(विरल जोशी)
पार्टनर
एम. नं. 137686

(Viral Joshi)
Partner
M.No. 137686

सुमोना मजूमदार
कम्पनी सचिव
स.क्र. एफसीएस 8043

Sumona Majumdar
Company Secretary
M.No. FCS 8043

स्थान : मुंबई
दिनांक : 14.10.2025
यू डीआईएन UDIN : 25137686BMIOXM7239

Place : Mumbai
Dated : 14.10.2025

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ एवं हानि का विवरण
Statement of Profit and Loss for the year ended 31st March 2025

₹ लाखो में ₹ in lakhs

विवरण	Particulars	टिप्पणी Notes	वर्ष समाप्त 2024–25 Year Ended 2024–25	वर्ष समाप्त 2023–24 Year Ended 2023–24
आय	**Income**			
प्रचलन से आय	Revenue from Operations	19	38,774.74	28,754.33
अन्य आय	Other Income	20	786.58	799.57
कुल आय	**Total Income**		**39,561.32**	**29,553.90**
व्यय	**Expenses**			
प्रचलित व्यय	Operating Expenditure	21	35,760.28	25,590.51
सम्पत्ति सूची में (वृध्दि)/कमी	(Increase)/Decrease in Inventory	22	–	–
कार्मिक लाभ व्यय	Employee Benefits Expenses	23	1,178.78	893.85
मूल्य -हास एवं परिशोधन	Depreciation and Amortisation	24	58.54	59.70
अन्य व्यय	Other Expenses	25	2,005.92	1,512.53
कुल व्यय	**Total Expenses**		**39,003.52**	**28,056.59**
कर पूर्व लाभ/(हानि)	**Profit/(Loss) Before Tax**		**557.80**	**1,497.31**
घटाइये : असाधारण मदें	Less : Tax Expense			
चालू कर	Current Tax		94.00	–
आस्थगित कर	Deferred Tax		-69.71	405.68
MAT क्रेडिट पात्रता	MAT Credit Entitlement		-93.22	–
पिछले वर्ष का कर समायोजन	Earlier Year Tax Adjustments		70.31	0.62
कर पश्चात लाभ/(हानि)	**Profit/(Loss) After Tax**		**556.42**	**1,091.01**
प्रति इक्विटी शेयर आय :	Earnings Per Equity Share :	47		
(1) मूल	(1) Basic		12.26	24.03
(2) तनुकृत	(2) Diluted		12.26	24.03

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां **Significant Accounting Policies** **2**

टिप्पणी संख्या 1 से 67 तक वित्तीय विवरण के अभिन्न अंग है
समदिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
निदेशक मंडल की ओर से

Notes 1 to 67 are Integral part of Financial Statements
As per our report of even date
For and on behalf of Board of Directors

कर्णावत एंड कं की ओर से
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
(एफआरएन 104863W)

For KARNAVAT & CO.
Chartered Accountants
(FRN 104863W)

(विरल जोशी)
पार्टनर
एम. नं. 137686

(Viral Joshi)
Partner
M.No. 137686

प्रकाश मगदूम
प्रबंध निदेशक
डीआईएन नं : 11128316

Prakash Magdum
Managing Director
DIN No. : 11128316

राजेश कुमार
निदेशक (वित्त)
डीआईएन नं : 11233385

Rajesh Kumar
Director Finance
DIN No. : 11233385

सुमोना मजूमदार
कम्पनी सचिव
स.क्र. एफसीएस 8043

Sumona Majumdar
Company Secretary
M.No. FCS 8043

स्थान : मुंबई
दिनांक : 14.10.2025
यू डीआईएन UDIN : 25137686BMIOXM7239

Place : Mumbai
Dated : 14.10.2025

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष का रोकड़ प्रवाह का विवरण
Cash Flow Statement for the year ended 31st March, 2025

₹ लाखो में ₹ in lakhs

विवरण	Particulars	वर्ष समाप्त 2024–25 Year Ended 2024-25		वर्ष समाप्त 2023–24 Year Ended 2023-24	
I. प्रचलन गतिविधियों में रोकड़ प्रवाह	**I. Cash Flows From Operating Activities**				
कराधान के पहले शुध्द लाभ	Net Profit Before Taxation		557.80		1,497.31
समंजन हेतु	Adjustments for				
सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण की बिक्री पर हानि/(लाभ)	Loss / (Profit) on Sale of Property, Plant and Equipment	-8.91		-2.61	
मूल्य -हास और हानि	Depreciation & Impairment Expenses	58.54		59.70	
संदिग्ध ऋणों/ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	Provision for Doubtful Debts/Loan/ Advance	0.68		30.19	
विविध शेष बट्टे खाते में	Sundry Balance written off	0.82		77.58	
जमा शेष वापिस	Credit Balance Written Back	-23.49		-83.87	
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	Provision for Employee Benefits	134.03		83.25	
व्याज आय	Interest Income	-574.61		-344.07	
ब्याज आय की प्रतिपूर्ति	Reimbursement of Interest Income	193.52		206.60	
उप-कुल (क)	**Sub-Total (a)**		**-219.42**		**26.77**
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के पहले प्रचलित रोकड़	Operating Cash Profit Before Working Capital Changes		338.38		1,524.08
समंजन हेतु	Adjustments for				
सम्पत्ति सूची में (वृध्दि)/कमी	(Increase)/Decrease in Inventories	–		-0.15	
विविध देनदारों में (वृध्दि)/कमी	(Increase) / Decrease in Sundry Debtors	-2,113.74		-167.69	
अन्य चालू परिसम्पत्तियों में (वृध्दि)/कमी	(Increase)/Decrease in Other Non Current Assets	-243.73		-151.29	
अल्पावधिक ऋण एवं अग्रिमों में (वृध्दि)/कमी	(Increase)/Decrease in Short Term Loans & Advances	-1,446.12		128.52	
अन्य चालू परिसम्पत्तियों में (वृध्दि)/कमी	(Increase)/Decrease in Other Current Assets	98.26		-150.01	
विविध लेनदारों में (वृध्दि)/कमी	Increase/ (Decrease) in Sundry Creditors	557.96		4,102.92	
दीर्घ कालिक देयताएं में वृध्दि/(कमी)	Increase/ (Decrease) in Long Term Liabilities	-1,025.96		9,249.21	
अल्पावधिक देयताएं में (वृध्दि)/कमी	Increase/ (Decrease) in Short Term Liabilities	8,061.94		-897.10	
उप-कुल (ख)	**Sub-Total (b)**		**3,888.61**		**12,114.41**
प्रचलनों द्वारा उत्पन्न रोकड़	Cash Generated From Operations		4,226.99		13,638.49
आयकर भुगतान (कुल रिफंड)	Income Tax Paid (Net of Refund)		128.89		-784.61
प्रचलन गतिविधियों से शुध्द रोकड़ (क)	Net Cash From Operating Activities (A)		4,355.88		12,853.88
II. निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह	**II. Cash Flows From Investing Activities**				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद	Purchases of Property, Plant and Equipment		-162.43		-63.55
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री	Sale of Property, Plant and Equipment		11.34		4.59
सावधि जमा परिपक्व/(बनाई गई)	Fixed Deposits Matured / (Made)		-884.28		1,232.63

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष का रोकड़ प्रवाह का विवरण
Cash Flow Statement for the year ended 31st March, 2025

₹ लाखो में ₹ in lakhs

विवरण	Particulars	वर्ष समाप्त 2024–25 Year Ended 2024-25		वर्ष समाप्त 2023–24 Year Ended 2023-24	
व्याज आय	Interest Income		381.09		137.47
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त शुध्द रोकड़ (ख)	**Net Cash Used In Investing Activities (B)**		-654.28		1,311.14
III. वित्तीय गतिविधियों में रोकड़ प्रवाह	**III. Cash Flows From Financing Activities**		–		
वित्तीय गतिविधियों से शुध्द रोकड़ (ग)	**Net Cash From Financing ActivitieS (C)**		–		–
रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्यों पर शुध्द वृध्दि (क + ख + ग)	**Net Increase In Cash And Cash Equivalents (A + B + C)**		3,701.60		14,165.02
रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्यों का प्रारम्भिक शेष	**Opening Balance of Cash And Cash Equivalents**		17,053.17		2,888.15
रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्यों का अंतिम शेष	**Closing Balance of Cash And Cash Equivalents**		**20,754.77**		**17,053.17**
रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्यों के पूरक	**Component of Cash And Cash Equivalents**				
बैंक में शेष	Balances with Banks				
संचित खाते में	In Saving Account		10,631.89		11,727.33
चालू खाते में	In Current Account		669.06		703.24
सावधि जमा 3 महिने से कम की मूल परिपक्वता के साथ	Fixed Deposits with original maturity of less than 3 months		9,453.59		4,621.89
रोकड़ बाकी	Cash on Hand		0.23		0.71
कुल रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य (टिप्पणी सं 16)	**Total Cash And Cash Equivalents (Note No.16)**		**20,754.77**		**17,053.17**

टिप्पणी :-

1. भुगतान किए गए प्रत्यक्ष करों को परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न माना जाता है और उन्हें निवेश और वित्तपोषण गतिविधि के बीच विभाजित नहीं किया जाता है.
2. पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के समूहों के साथ पुष्टि करने के लिए जब भी आवश्यक हो, फिर से समूहीकृत किया गया है.
3. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े बहिर्वाह को दर्शाते हैं.

Notes :-

1. Direct Taxes paid are treated as arising from operating activities and not bifurcated between investment and financing activity.
2. Previous year figures have been regrouped whenever necessary to confirm with current year's groupings.
3. Figures in bracket represents outflow

समदिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
निदेशक मंडल की ओर से

As per our report of even date
For and on behalf of Board of Directors

कर्णावत एंड कं की ओर से
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
(एफआरएन 104863W)

For KARNAVAT & CO.
Chartered Accountants
(FRN 104863W)

(विरल जोशी)
पार्टनर
एम. नं. 137686

(Viral Joshi)
Partner
M.No. 137686

प्रकाश मगदूम
प्रबंध निदेशक
डीआईएन नं : 11128316

Prakash Magdum
Managing Director
DIN No. : 11128316

राजेश कुमार
निदेशक (वित्त)
डीआईएन नं : 11233385

Rajesh Kumar
Director Finance
DIN No. : 11233385

सुमोना मजूमदार
कम्पनी सचिव
स.क्र. एफसीएस 8043

Sumona Majumdar
Company Secretary
M.No. FCS 8043

स्थान : मुंबई
दिनांक : 14.10.2025
यू डीआईएन UDIN : 25137686BMIOXM7239

Place : Mumbai
Dated : 14.10.2025

लेखाओं पर टिप्पणियां

टिप्पणी : 1. कॉर्पोरेट सूचना

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) (एनएफडीसी) भारत स्थित कंपनी है जिसकी स्थापना कंपनी के अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत की गयी है. निगम विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्में बनाता है तथा कम्पनी फीचर एवं ऑडियो–विज्युअल फिल्में तथा मीडिया अभियान तथा एफएफओ सहित फिल्मों का निर्माण, वितरण, विकास, बढावा और संरक्षण देने में कार्यरत है. निगम का मुख्यालय मुंबई में है तथा नई दिल्ली और चेन्नई में क्षेत्रीय कार्यालय हैं.

निगम की स्थापना केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर सुनिश्चित की जाने वाली आर्थिक नीतियों एवं उद्देश्यों के अंतर्गत फिल्म उद्योग का योजनाबद्ध तरीके से समग्र विकास तथा प्रभावशाली उन्नयन करने के लिये की गई थी. बाद के वर्षों में निगम ने 20 भारतीय भाषाओं में 327 से भी अधिक फिल्मों का निर्माण किया अथवा उन्हें आर्थिक सहयोग प्रदान किया.

टिप्पणी : 2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

क. लेखाओं का आधार तथा अनुमानों का उपयोग.

i. वित्तीय विवरणों को हिस्टॉरिकल कॉस्ट कन्वेंशन के अंतर्गत, अकाउंटिंग के एक्युरल आधार तथा भारत में लागू लेखा सिद्धांतों, कंपनी (लेखा मानकों) द्वारा अधिसूचित अनिवार्य लेखा मानकों तथा तत्संबंधी कंपनी अधिनियम 2013 (द एक्ट) के उपनियम 133, जिसे कंपनी के (लेखाओं) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाय, के उन प्रावधानों के साथ सभी तथ्यों के अनुपालन करते हुए तैयार किया गया है.

ii. सामान्यत : स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के समनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने में यह अपेक्षित है कि प्रबंधन उस पर अनुमान और कल्पना करे कि रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियां तथा देयताएं और आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण, वित्तीय विवरण की तारीख और प्रचालनों के परिणाम रिपोर्टाधीन वर्ष के अंत में हैं. यद्यपि ये अनुमान प्रबंधन की वर्तमान घटनाओं एवं क्रियाओं के संबंध में अच्छी जानकारी पर आधारित है फिर भी वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं.

ख. राजस्व तथा तत्संबंधी व्यय की मान्यता

राजस्व को इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावना है कि आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेगा और राजस्व को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है. राजस्व को मान्यता देने से पहले निम्नलिखित विशिष्ट मान्यता मानदंडों को भी पूरा किया जाना चाहिए.

लागत का परिशोधन – फिल्म्स, प्रिंट्स, टीवी अधिकार, स्वकीय फिल्मों का निर्माण, अधिगृहीत फिल्में तथा फिल्मों के सहनिर्माण में कॉर्पोरेशन का अंश. निम्नलिखित तरीके से किया जाता है :

ख.1 वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले यदि फिल्म वाणिज्यिक आधार पर प्रदर्शन के लिये रिलीज की जाती है तो उस फिल्म की संपूर्ण निर्माण/अधिग्रहण लागत को लाभ/हानि के विवरण में चार्ज किया जाता है. अगर फिल्म पूरी हो गई है लेकिन वर्ष के दौरान रिलीज के लिये तैयार नहीं हुई है तो उस की संपूर्ण लागत/अधिग्रहण को विस्तृत सूची में दर्शाया जाता है.

ख.2 भारतीय टीवी धारावाहिकों की निर्माण लागत/अधिगृहीत कार्यक्रमों और फिल्मों के खरीदे गये टीवी अधिकारों के पूर्ण रूप से की लागत को उसी वित्तीय वर्ष में चार्ज किया जाता है जिस वर्ष में उन फिल्मों/धारावाहिकों का पहला प्रदर्शन होता है अथवा अधिकार समाप्त होते हैं, इनमें से जो पहले हो.

ख.3 कंपनी द्वारा खरीदे गये टीवी अधिकारों के लिये ऐसी स्थिति में जहां टीवी पर फिल्म प्रदर्शित नहीं हुई और उनके लिये भुगतान किया जा चुका है तो उस भुगतान राशि को अग्रिम के रूप में माना जाता है. चूंकि वास्तविक देयता तो करार की शर्तों के अनुसार टेलीकास्ट होने पर लागू होती हैं इसलिए उनके भुगतान न किये अधिगृहीत मूल्य के लिये कोई प्रावधान नहीं किया जाता है.

Notes on Accounts

Note : 1. Corporate Information

National Film Development Corporation Limited ("the Company") (NFDC) is a Government Company domiciled in India and incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956. The Company is engaged in production, distribution, development, promotion and preservation of films, including feature and audio-visual films, media campaigns and Film Facilitation Office. The Company has its Head Office in Mumbai and Regional Offices at New Delhi and Chennai.

The Company was set up with the objective to plan, promote and organize an integrated and efficient development of the film industry in accordance with the national economic policy and objectives laid down by the Central Government from time to time. Over the years, NFDC has funded/produced more than 327 films in twenty Indian languages.

Note : 2. Significant Accounting Policies

A. Basis of Accounting and use of Estimates

i. Financial statements are prepared under the historical cost convention, on accrual basis of accounting in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rule, 2014.

ii. The preparation of financial statements, in conformity with generally accepted accounting principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent liabilities at the date of the financial statements and the Revenue and Expenditure of operations during the end of the reporting period. Although these estimates are based upon the management's best knowledge of current events and actions, actual results could differ from these estimates.

B. Recognition of Revenue and related expenses

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the company and the revenue can be reliably measured. The following specific recognition criteria must also be met before revenue is recognized.

Amortization of cost of Films, prints, TV rights, own production of films, taken over films and Corporation's share in co-production of films is done in following manner :

B.1. Where the film is ready for release for exhibition on Commercial basis before the close of the financial year, the entire cost of production/acquisition of the films is charged to the Statement of Profit and Loss. Where the film is completed but not ready for release during the year, the entire cost of production/acquisition is shown as inventory.

B.2 Cost of production of Indian Television serials/acquired programme and films purchased for TV rights are charged off in the financial year in which the first telecast of such films/serials takes place or in the financial year, in which the rights expired, whichever is earlier.

B.3 Rights in films for distribution through Television acquired by the Company wherein no telecast is made are accounted as advance to the extent of the amounts paid thereof. No provision is made for the unpaid acquisition price thereof, since actual liability shall arise only in the event of telecast as per terms of the agreement.

ख.4 फिल्म निर्माण/सिनेमा उपकरण खरीद/सिनेमागृह निर्माण आदि के गैर निष्पादन ऋणों के ब्याज को प्रबंधन द्वारा वसूली योग्य माना हो, उस सीमा तक आय में लिया जाता है और जब तक वह मूल राशि के बराबर न हो जाय और उसके आगे कोई जमा नहीं दिखाई जाती जब तक कि वह वास्तविक रूप से वसूल न हो जाय.

ख.5 विभिन्न मंत्रालयों/ग्राहकों की ओर से प्रदर्शित मीडिया कैंपेंस के सिलसिले में हुए आय और व्यय को उसी वर्ष में परिस्वीकृत किया जाता है जिस वर्ष में संबंधित विज्ञापन अथवा कमर्शियल स्पॉट जनता के लिये प्रदर्शित अथवा ब्रॉडकास्ट किये गये हों और जिनके संबंध में एजेंसी को चैनल/सिनेमाघर/वेबसाइट से सफलतापूर्वक टेलीकास्ट/ब्रॉडकास्ट की सूचना मिल गई हो. वित्तीय वर्ष में प्रारंभ किये गये कैंपेन जो अगले वित्तीय वर्ष में पूरे हुए हों उन्हें क्रमानुसार वित्तीय वर्ष में ही उस वर्ष में टेलीकास्ट/ब्रॉडकास्ट किये गये विज्ञापनों अथवा व्यापारिक स्पॉट्स के आधार पर ही परिस्वीकृत किया जाता है.

ख.6 विभिन्न मंत्रालयों/ग्राहकों की ओर से वर्ष के दौरान लिये गये गैर फीचर फिल्म के आय व्यय को तब तक मान्य नहीं किया जाता जब तक ग्राहक उन्हें स्वीकार न कर लें या ग्राहकों की ओर से उन्हें स्वीकार कर लेने जैसी कोई कार्रवाई न कर दी जाय.

ख.7 विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण करने के लिये भारत सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त हुआ तथा इनमें से वर्ष के अंत तक प्राप्त व्यय आस्थगित सरकारी अनुदान के अंतर्गत देयताओं के अंतर्गत दर्शाया गया है. विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण का वास्तविक व्यय सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित सीमा तक तथा इन फिल्मों के सीधे व्ययों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन के अनुसार संपत्ति सूची में दर्शाया जाता है किंतु इन फिल्मों में खर्च की गई शेष राशि के परंतु, जिसे सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है उसे 'क्षेत्रीय फिल्म निर्माण के लिये अग्रिम' में दर्शाया गया है. प्राप्त राशि तथा संबंधित फिल्मों के निर्माण पर व्यय फिल्म के रिलीज होने पर क्रमश : आय और व्यय में दर्शाया गया है. फिल्म के रिलीज के लिये तैयार हो जाने पर निगम अपनी आय के लिये कुल निर्माण लागत का 5 प्रतिशत अपने कमीशन के रूप में चार्ज करता है.

ख.8 सेवा परियोजनाओं से प्राप्त आय को वस्तुत : आधार पर मान्य किया जाता है.

ख.9 कपनी को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से फिल्म फेसिलिटेशन ऑफिस (एफएफओ) कार्यालय स्थापित करने के लिए फंड मिले हैं. कंपनी को फिल्म फेसिलिटेशन ऑफिस (एफएफओ) स्थापित करने के लिए हुए खर्च पर 5 प्रतिशत की दर से क्षतिपूर्ति दी जाएगी. कंपनी ने खर्च पर आधारित राजस्व तथा सर्विस चार्ज मिला कर लेखा प्रस्तुत किया तथा उसे राजस्व की मद के अंतर्गत दर्ज किया. विवरण के लाभ/मद में कुल खर्च संचालन व्यय में दर्शाया गया. मंत्रालय की ओर से प्राप्त फंड को तुलन पत्र में कुल आधार पर अन्य दीर्घकालीन दायित्वों के अंतर्गत दर्शाया गया है. तथा मंत्रालय से प्राप्त अन्य फंड लघुकालीन ऋण एवं अग्रिमों के अंतर्गत दर्शाया गया है.

ख.10 राजस्व के अन्य मदों को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहां तक यह संभावना है कि आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेगा और राजस्व को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है.

ग. इन्वेंटरी

फिल्मों के स्टॉक का मूल्यांकन लागत या प्राप्ति योग्य मूल्य जो भी कम हो, पर किया जाता है. डीवीडी/वीसीडी और कैसेट की लागत का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है.

घ. नकद और नकद समकक्ष

नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजनों के लिए नकदी और नकदी समकक्ष में बैंक में और हाथ में नकदी और लेखा मानक संख्या 3 'नकदी प्रवाह' के अनुसार तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक निवेश शामिल हैं.

B.4 Interest on loans for Films and Purchase of Equipment / Construction of theatres is accrued and accounted in the income only to the extent equal to principal amount and no further credits are recognized thereafter unless the same is actually realized.

B.5 Revenue and Expense in respect of Media Campaigns released on behalf of various ministries / clients are recognized in the year in which the related advertisement or commercial spots are telecast / broadcast / appear before the public and in respect of which necessary intimation is received by the agency from the channel / theatre / website for successful telecast / broadcast. Campaigns commencing in a financial year and concluding in next financial year are recognized in the respective financial years on the basis of advertisement or commercial spots telecasted / broadcasted during that year.

B.6 Revenue and Expense in respect of Non-Feature Films produced during the year on behalf of various ministries / clients are not recognized until the goods have been formally accepted by the client or the client has done an act adoptingthe transaction.

B.7 The funds received from the Government of India for Film Production in various Indian languages and the expenditure incurred up to year end out of the sameis shown on net basis under other long term liabilities in the Balance Sheet. The actual expenditure incurred on production of films in various Indian languages that are incomplete at the year end and to the extent certified by Chartered Accountants is shown as Inventory. The amount received and the expenditure incurred on production of respective films is shown as Income and Expenditure respectively when the Film is ready for release. The Company accounts for its income by way of Production Fee at 5% of the cost of production of such films when the film is ready for release.

B.8 Income from Service Projects is recognized on Accrual basis.

B.9 The Company has received funds from Ministry of Information and Broadcasting, Government of India for setting up of Film Facilitation Office (FFO). The Company will be paid compensation at the rate of 5% on expenditure incurred for setting up of Film Facilitation Office. The Company has accounted the revenue based on expenditure incurred plus the service charge and disclosed the same under the head revenue from operation and the Total expenses incurred has been disclosed under the head operating expenditure in the Statement of Profit and Loss. The funds received from ministry is shown on net basis under other long term liabilities in the Balance Sheet and any funds receivable from ministry is shown under short term loans and advances.

B.10 Other items of revenue are recognized to the extent it is probable that the economic benefits will flow to the company and the revenue can be reliably measured.

C. Inventories

Stock of films are valued at cost or realizable value whichever is less. Cost of DVDs/VCDs and cassettes are valued at cost.

D. Cash and Cash Equivalents

Cash and Cash Equivalents for the purposes of cash flow statement comprises of cash at bank and in hand and short term investments with an original maturity of three months or less as per Accounting Standard No. 3 'Cash Flows'.

ड़. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा मूल्यह्रास

ग.1 स्थायी परिसंपत्तियों की मूल लागत (सकल ब्लॉक) से संचित मूल्यह्रास को घटा कर दर्शायी गई है. अधिग्रहण की कीमत अथवा निर्माण में परिवहन शुल्क, महसूल, कर, अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक खर्च, स्थापना अथवा निर्माण व्यय, आरोप्य ब्याज और वित्तीय खर्च आदि को तब तक शामिल किया जाता है जब तक कि परिसंपत्तियां निर्दिष्ट उपयोग के लिये बन कर तैयार न हो जाएं.

ग.2 परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में "दरों पर शेष घटाव" पद्धति के अनुसार किया जाता है जब तक कि नीचे कहा न जाय.

ग.3 पट्टे की भूमि का पट्टे की समयावधि तक ही परिशोधन किया जाता है.

ग.4 हेड प्लैंट और मशीनरी के तहत ऑडियो–विज्युअल तकनीकी उपकरण से सम्बंधित मूल्यह्रास सीधी रेखा पधति के आधार पर प्रदान किया जाता है.

ग.5 वास्तविक स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास पूंजी में परिणत मूल्य के 95 प्रतिशत तक लिया जाता है. बाकी का 5 प्रतिशत अधिनियम के अनुरूप अंशोद्धार मूल्य के रूप में रखा जाता है.

ग.6 अवास्तविक संपत्तियों को 5 साल की अवधि में बढ़ाया जाता है.

ग.7 मूल्यह्रास उनकी अनुवृद्धि अथवा बिक्री की तारीख से, जैसा भी केस हो, यथाअनुपात से उपलब्ध कराया गया है.

ग.8 पूर्ण हो चुकी फिल्मों के अधिकारों का मूल्य ₹ 1/- प्रति फिल्म है.

ग.9 किसी विशेष परियोजना के लिए अर्जित परिसंपत्तियों को वसूली के बाद पूंजीकृत किया जाता है.

च. विदेशी मुद्रा में किये गये लेन देन

विदेशी मुद्रा लेनदेन को रिपोर्टिंग मुद्रा में दर्ज किया जाता है, तथा लेनदेन की तिथि पर रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर को विदेशी मुद्रा राशि पर लागू किया जाता है.

विदेशी मुद्रा में किये गये लेन देनों का लेखा रिपोर्टिंग मुद्रा की राशि पर लागू लेन देन की तारीख विनिमय दर के आधार पर किया जाता है. सभी मौद्रिक परिसंपत्तियां और देयताएं तुलनपत्र की तारीख के दिन लागू विनिमय दरों के अनुसार पुनर्व्यक्त की जाती हैं. विनिमय दरों में आने वाले अंतर को लाभ अथवा हानि के विवरण में चार्ज/क्रेडिट कर दिया जाता है. गैर मौद्रिक आइट्म्स जो ऐतिहासिक मूल्य के तौर पर विदेशी मुद्रा में प्रदर्शित किये जाते हैं, वे विनिमय की तारीख को चल रहे विनिमय दरों के अनुसार रिपोर्ट किये जाते हैं.

छ. कर्मचारियों के लाभ

1) परिभाषित अंशदान योजना
कंपनी के कर्मचारियों की भविष्य निधि, जो सरकार के भविष्य निधि फंड तथा कार्मिक कल्याण फंड के अंतर्गत संचालित की जाती है, को परिभाषित अंशदान योजना माना जाता है. इन परिभाषित अंशदान योजनाओं में कंपनी द्वारा दे दिये गये अथवा देय अंशदान उस अवधि में, जब कार्मिक संबंधित सेवा में कार्यरत है, लाभ तथा हानि लेखाओं में 'व्यय'के तौर पर मान्य किये गये हैं. उक्त फंड से फायदा पाने वाले को प्रतिवर्ष दिये जाने वाले ब्याज की दर सरकार द्वारा घोषित की जाती है. विनियोग से मिलने वाले मुनाफे और ब्याज दर के बीच अगर कोई अंतर हो तो उस कमी की भरपाई करने का कंपनी पर कोई नैतिक बंधन नहीं है.

2) परिभाषित हितकारी योजना
ग्रेच्युटी अथवा लंबे समय तक मुआवजा प्राप्त अनुपस्थिति जैसी कंपनी की बाध्यताओं को परिभाषित बेनेफिट योजना माना जाता है. इन परिभाषित हितकारी योजनाओं के अंतर्गत इनका वर्तमान मूल्य 'प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड'के द्वारा 'विशेषज्ञ द्वारा आंके गये मूल्य'के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है जिसमें सेवा की हर अवधि को कार्मिक को लाभ की एक अतिरिक्त यूनिट के हकदार के रूप में मान्य किया जाता है तथा अंतिम

E. Property, plant & equipment, Intangible Assets and Depreciation /Amortization

E.1 Property, plant & equipment are stated at cost of acquisition or construction less accumulated depreciation/amortization and impairment losses. Cost of acquisition or construction is inclusive of freight, duties, and taxes, incidental expenses relating to acquisition, cost of installation/erection, attributable interest and financial cost till such time assets are ready for its intended use.

E.2 Depreciation on assets has been provided on the "Written Down Value" based on useful life of the assets as prescribed under of Schedule II of the Companies Act, 2013 unless otherwise stated below.

E.3 Leasehold land is amortized over the period of lease.

E.4 Depreciation in respect of audio–visual technical equipment's under the head Plant and Machinery has been provided on the Straight Line Method.

E.5 Depreciation on Property, plant & equipment is charged upto 95% of capitalized value, retaining the balance 5% as salvage value as per the Act.

E.6 Intangible assets are amortized over the period of 5 years.

E.7 Depreciation has been provided on pro-rata basis from the date of addition/upto the date of sale as the case may be.

E.8 Rights of Completed films are valued at a nominal value of ₹ 1/- each.

E.9 Assets acquired for a particular project are capitalized net of recovery.

F. Foreign Currency Transactions

Foreign Currency Transactions are recorded in the reporting currency, by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency at the date of the transaction.

Foreign currency monetary items of assets & liabilities are retranslated using exchange rates prevailing at the close of the year and exchange difference arising there from is charged/ credited to the Statement of Profit and Loss. Non-monetary items which are carried in terms of historical cost denominated in a foreign currency are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

G. Employee Benefits

1) Defined Contribution Plan
The Company's Employee's Provident Fund administered through Government Provident Fund and Labour Welfare Fund are considered as Defined Contribution Plans. The Company's contributions paid/payable towards these defined contributions plan are recognized as expense in the Statement of Profit and Loss during the period in which the employee renders the related service. The interest rate payable by the said funds to the beneficiaries every year is being notified by the Government. The Company has no obligation to make good the shortfall, if any between the return from the investment and the interest rate.

2) Defined Benefit Plan
Company's liabilities towards gratuity, long term compensated absences are considered as Defined Benefit Plans. The present value of the obligations under such Defined Benefit Plans are determined based on actuarial valuation using the projected unit credit method, which recognizes each period of service as giving rise

अनुग्रह के लिए हर यूनिट को अलग गिना जाता है. हानि तथा लाभ के विवरण में विशेषज्ञ द्वारा आंके गये लाभ अथवा हानि को तुरंत मान्य कर लिया जाता है. कंपनी के अनुग्रहों को अनुमानित भविष्य रोकड़ प्रवाह की वर्तमान कीमत से मापा जाता है जिसमें डिस्काउन्ट की दर का प्रयोग किया जाता है. डिस्काउन्ट की दर का निर्धारण सरकारी प्रतिभूतियों में तुलनपत्र की तारीख में बाजार की अनुकूलता के संदर्भ से किया जाता है.

ज. खंड रिपोर्टिंग

खंडों की पहचान
कंपनी के परिचालन व्यवसायों को प्रदान किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं की प्रकृति के अनुसार अलग-अलग व्यवस्थित और प्रबंधित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक खंड एक रणनीतिक व्यावसायिक इकाई का प्रतिनिधित्व करता है जो विभिन्न उत्पादों की पेशकश करता है और विभिन्न बाजारों की सेवा करता है.

असंबद्ध मदें
असंबद्ध मदों में आय और व्यय शामिल हैं जो किसी भी व्यावसायिक खंड को आवंटित नहीं किए जाते हैं.

खंड नीतियाँ
कंपनी समग्र रूप से कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए लेखांकन नीतियों के अनुरूप अपनी खंड जानकारी तैयार करती है.

झ. पट्टे

ऐसे पट्टे, जिनमें पट्टाकर्ता पट्टे पर दी गई वस्तु के स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को प्रभावी रूप से बरकरार रखता है, उन्हें परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. संचालित पट्टे के अंतर्गत पट्टों के भुगतान को लाभ तथा हानि के विवरण में पट्टे की शर्तों पर सीधी रेखा के आधार पर मान्य किया जाता है

ञ. प्रतिअंश आय

प्रति इक्विटी शेयर की आय (प्रारंभिक/तनूकृत) को इक्विटी अंशधारकों को वर्ष के लिये शुद्ध लाभ एवं हानि (देय करों को घटा कर) में वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभक्त करके आकलित किया जाता है.

अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को बोनस निर्गम, अधिकार निर्गम में बोनस तत्व, शेयर विभाजन और रिवर्स शेयर विभाजन (शेयरों का समेकन) जैसी घटनाओं के लिए समायोजित किया जाता है, जिससे संसाधनों में संगत परिवर्तन के बिना बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या में परिवर्तन हुआ है.

प्रति शेयर तनु आय की गणना के प्रयोजन के लिए, इक्विटी शेयरधारकों को देय अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि तथा अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी तनु संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है.

ट. कराधान

चालू करों के लिये प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधान के अंतर्गत अभिस्वीकृत लाभ पर विचार करने के बाद किया जाता है.

आस्थगित कर जो खातों तथा करयोग्य लाभ के बीच टाइमिंग डिफरेंस का नतीजा होता है, उसका तुलनपत्र में लेखा बाद में निर्धारित किये गये नियमों तथा कर की दरों अनुरूप कर दिया जाता है. आस्थगित कर संपत्तियां जो हानि को आगे लाये जाने तथा असमाविष्ट मूल्यह्रास से होती हैं उन्हे केवल उस सीमा तक मान्य किया जाता है जहां तक इस बात की वास्तविक सुनिश्चितता होती है कि परिसंपत्ति को भविष्य में वसूल किया जा सकता है.

ठ. परिसंपत्तियों का हानिकरण/क्षति

'परिसंपत्तियों के हानिकरण' के लेखा मानक 28 (ए एस-28) के अनुरूप, जहां कहीं भी कंपनी की संपत्तियों के हानिकरण का संकेत है, कंपनी की परिसंपत्ति की राशि का हर तुलनपत्र में पुनरीक्षण किया गया है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वह आंतरिक अथवा बाह्य कारणोंपर आधारित है. यदि क्षति के कारण

to an additional unit of employee benefit entitlement and measures each unit separately to build up the final obligation. Actuarial gains and losses are recognized immediately in the Statement of Profit and Loss. The obligation is measured at the present value of estimated future cash flows using a discount rate that is determined by reference to market yields at the balance sheet date on Government securities.

H. Segment Reporting

Identification of segments
The Company's operating businesses are organized and managed separately according to the nature of products and services provided, with each segment representing a strategic business unit that offers different products and serves different markets.

Unallocated items
Unallocated items include income and expenses which are not allocated to any business segment.

Segment Policies
The Company prepares its segment information in conformity with the accounting policies for preparing and presenting the Financial Statements of the company as a whole.

I. Leases

Leases, where the lessor effectively retains substantially all the risks and benefits of ownership of the leased item, are classified as operating leases. Lease transactions under operating lease are recognized as an expense or Income in the Statement of Profit and Loss on a straight-line basis over the lease term.

J. Earnings Per Share

Earning per equity share (Basic/Diluted) is calculated by dividing the Net Profit or Loss for the year attributable to Equity Shareholders (after deducting attributable taxes) by the weighted average number of Equity Shares outstanding during the year.

The Weighted average number of equity shares outstanding during the period is adjusted for events such as bonus issue, bonus element in a rights issue, share split, and reverse share split (consolidation of shares) that have changed the number of equity shares outstanding, without a corresponding change in resources.

For the purpose of calculating diluted earnings per share, the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders and the weighted average number of shares outstanding during the period are adjusted for the effects of all dilutive potential equity shares.

K. Taxation

Provision for current tax is made after taking into consideration benefit admissible under the provisions of Income Tax Act, 1961.

Deferred tax resulting "timing differences" between book and taxable profit is accounted for using the tax rates and laws that have been enacted or substantively enacted as on the balance sheet date. Deferred tax asset is recognized and carried forward only to the extent that there is a virtual certainty that the asset will be realized in future.

L. Impairment of Assets

In accordance with Accounting Standard 28 (AS 28) "Impairment of Assets," where there is an indication of impairment of the Company's assets, the carrying amounts of the Company's assets are reviewed at each balance sheet date to determine whether there is any impairment based on internal/external

कोई नुकसान हुआ हो तो उसका उल्लेख लाभ-हानि के विवरण में किया जाता है बशर्ते कि प्रतिप्राप्ति परिसंपत्ति की आगे लाई गई राशि इसकी अनुमानित प्रतिप्राप्ति राशि से अधिक हो. परिसंपत्ति की प्रतिप्राप्ति राशि का अनुमान इसके शुद्ध उच्चतम विक्रय मूल्य तथा उपयोग में आ रही कीमत से लगाया जाता है. उपयोग में आ रही कीमत का अनुमान लगाते समय भविष्य के अनुमानित रोकड़ प्रवाहों के वर्तमान मूल्य का पूंजी के औसतन मूल्य के अनुसार बट्टा-काटा कर दिया जाता है. हानिकरण के बाद परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवन के अनुसार मूल्यह्रास का प्रावधान कर दिया जाता है. इसके पहले की स्वीकृत हानिकरण/क्षति का परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार प्रावधान कर दिया जाता है या उसे पीछे ले लिया जाता है.

factors. An impairment loss, if any, is recognized in the Statement of Profit and Loss, wherever the carrying amount of an asset exceeds its estimated recoverable amount. The recoverable amount of the assets is estimated at its net selling price or its value in use, whichever is higher. In assessing the value in use, the estimated future cash flows are discounted to the present value at the weighted average cost of capital. After impairment, depreciation is provided on the revised carrying amount of the assets over its remaining useful life. Previously recognized impairment loss is further provided or reversed depending on changes in circumstances.

ड. संदेहास्पद कर्जों/अग्रिमों/ऋणों के संबंध में प्रावधान

च.1 3 वर्षों से अधिक समय से बकाया गैर-सरकारी/निजी संस्थाओं से व्यापार प्राप्य (ऋण/अग्रिम सहित) की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और मामले दर मामले के आधार पर आंशिक/पूर्ण प्रावधान तभी किया जाता है जब किसी ऋण की वसूली संदिग्ध हो जाती है या यदि मामला मध्यस्थता या अदालत में है, अंतिम आदेश प्राप्त होने तक ऋणों का प्रावधान नहीं किया जाएगा.

च.2 ऐसे मामलों में जहां राशि प्राप्य है (ऋण/अग्रिम सहित) जब व्यापार प्राप्य देय हो केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक उपक्रमों/स्वतंत्र निकायों/अर्ध-सरकारी संस्थाओं (सरकारी) से व्यापार ह देय राशि की वसूली में कोई संदेह नहीं है तथा रिकवरी निश्चित है. बकाया के किसी भी स्थिति में अशोध्य होने का सवाल ही नहीं उठता आगे जब मामला मध्यस्थता या न्यायालय में हो या जब सरकार द्वारा इकाई बंद हो, ऐसे मामले में, अंतिम आदेश के अनुसार भत्ता दिया जाता है या केवल तब जब सरकार द्वारा इकाई को बंद कर दिया जाता है.

M. Provision for Doubtful debts /Advances / Loans

M1. Receivables (including Loans/Advances) from non-Government/private entities outstanding for over 3 years are periodically reviewed and provision is made when a debt becomes doubtful of recovery. In case the matter is under arbitration or in Court, the provisions for debts shall not be made till the receipt of final order.

M2. In cases where the amount is receivable (including Loans/Advances) from Central Government/State Government/Autonomous Bodies/ PSUs/ Sovereign Bodies/ Semi-Government entities (Government), the recovery is certain and there is no question of dues becoming bad in any condition. Further, if the matter is under arbitration or in Court, in such case, allowance is made as per the final order or only when the entity is closed by the Government.

थ. प्रावधानो तथा आकस्मिक देयताएं

प्रावधानो वे देयताएं हैं जिन्हें जिन्हें सिर्फ विशिष्ट अनुमान स्तर को प्रयुक्त करके आंका जा सकता है. उन्हें हर एक तुलनपत्र की दिनांक पर दर्शाया जाता है तथा चालू प्रबंधन आकलन पर परावर्तित करके समायोजित किया जाता है.

आकस्मिक देयताएं उपयुक्त अनुगृहीत मामलों में प्रकट हो सकती हैं जहां संसाधन की गति की संभावना निश्चित नहीं है अथवा दायित्व राशि का विश्वसनीय आकलन बनाया नहीं गया है.

N. Provisions and Contingencies

Provisions are liabilities that can be measured only by using substantial degree of estimation. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current management estimates.

Contingent liability is disclosed in case of possible obligation where the probability of outflow of resources is not certain or where reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

टिप्पणी : 3. शेयर पूंजी

Note : 3. Share Capital

₹ लाखो में
₹ in lakhs

विवरण	Particulars	31 मार्च 2025 को As at 31 March 2025		31 मार्च 2024 को As at 31 March 2024	
		संख्या Number	राशि ₹ in Lakhs	संख्या Number	राशि ₹ in Lakhs
प्राधिकृत	**Authorised**				
प्रत्येक 100 प्रति के इक्विटी शेयर्स	Equity Shares of ₹ 100/-each	45,40,000.00	4,540.00	45,40,000.00	4,540.00
निर्गमित	**Issued**				
प्रत्येक 100 प्रति के इक्विटी शेयर्स	Equity Shares of ₹ 100/- each	45,39,985.00	4,539.99	45,39,985.00	4,539.99
अनुमोदित और प्रदत्त	**Subscribed & Paid up**				
प्रत्येक 100 प्रति के प्रदत्त इक्विटी शेयर्स	Equity Shares of ₹ 100 each fully Paid	45,39,985.00	4,539.99	45,39,985.00	4,539.99
कुल	**Total**	**45,39,985.00**	**4,539.99**	**45,39,985.00**	**4,539.99**

विवरण	Particulars	31.03.2025 को इक्विटी शेयर्स Equity Shares as at 31.03.2025		31.03.2024 को इक्विटी शेयर्स Equity Shares as at 31.03.2024	
		संख्या Number	राशि ₹ in Lakhs	संख्या Number	राशि ₹ in Lakhs
वर्ष के प्रारम्भ में बकाया शेयर्स	Shares outstanding at the beginning of the year	45,39,985.00	4,539.99	45,39,985.00	4,539.99
वर्ष के दौरान आबंटन	Allotment during the year	–	–	–	–
वर्ष के अंत में बकाया शेयर्स	Shares outstanding at the end of the year	45,39,985.00	4,539.99	45,39,985.00	4,539.99

5% से ज्यादा अंशधारकों का विवरण **Details of Shareholders holding more than 5% of shareholding**

अंशधारक का नाम	Name of Shareholder	31 मार्च 2025 को As at 31 March 2025		31 मार्च 2024 को As at 31 March 2024	
		धारित शेयरों की संख्या No. of Shares held	धारक का प्रतिशत % of Holding	धारित शेयरों की संख्या No. of Shares held	धारक का प्रतिशत % of Holding
"सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली के माध्यम भारत के राष्ट्रपति"	" President of India through Secretary Ministry of I&B, New Delhi "	45,39,983	99.99996%	45,39,983	99.99996%

इक्विटी शेयर्स से संलग्न शर्तें/अधिकार

कम्पनी के पास प्रत्येक ₹ 100/- शेयर्स के सिर्फ एक श्रेणी के इक्विटी शेयर्स है. कम्पनी द्वारा भारती रूपयों में लाभांश की घोषणा तथा भुगतान किया जाता है.

Terms / Rights attached to Equity Shares

The Company has only one class of equity shares having par value of ₹ 100/- per share. The Company declare and pays dividend in Indian Rupees

प्रमोटर की शेयरधारिता का विवरण :
31 मार्च 2025 तक प्रमोटरों के शेयर

Details of Shareholding of Promoter's :
Shares held by promoters as at 31 March 2025

अंशधारक का नाम	Name of Shareholder	शेयर धारित संख्या No. of Shares	कुल शेयरों का% % of Total Shares	"% वर्ष के दौरान परिवर्तन" " % Change during the Year "
"सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली के माध्यम भारत के राष्ट्रपति"	President of India through Secretary Ministry of I&B, New Delhi	45,39,983	99.99996%	–
प्रबंध निदेशक	Managing Director*	1	0.00002%	–
संयुक्त सचिव (फिल्म्स)	Joint Secretary (Films)*	1	0.00002%	–

31 मार्च 2024 तक प्रमोटरों के शेयर

Shares held by promoters as at 31 March 2024

अंशधारक का नाम	Name of Shareholder	शेयर धारित संख्या No. of Shares	कुल शेयरों का% % of Total Shares	"% वर्ष के दौरान परिवर्तन" " % Change during the Year "
"सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली के माध्यम भारत के राष्ट्रपति"	President of India through Secretary Ministry of I&B, New Delhi	45,39,983	99.99996%	–
प्रबंध निदेशक	Managing Director*	1	0.00002%	–
संयुक्त सचिव (फिल्म्स)	Joint Secretary (Films)*	1	0.00002%	–

टिप्पणी :- प्रमोटरों की उपरोक्त सूची प्रबंधन द्वारा प्रकट की गई है और लेखा परीक्षक द्वारा उस पर निर्भर किया गया है.

* उपरोक्त शेयर कंपनी के पूर्व पदाधिकारियों के नाम पर हैं. कंपनी उपरोक्त शेयरों को वर्तमान पदाधिकारियों के नाम पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में है.

Note :- The above list of promoters are disclosed by the management and relied upon by the auditor.

* The above shares are held in the name of Ex-office bearers of the Company. The Company is in the process of transferring the above shares in the names of existing office bearers.

टिप्पणी : 4. संचय और अधिशेष

Note : 4. Reserves And Surplus

₹ लाखो में
₹ in lakhs

विवरण	Particulars	31 मार्च 2025 को As at 31 March 2025	31 मार्च 2024 को As at 31 March 2024
क. पूंजीगत संचय	a. Capital Reserves	0.22	0.22
ख. अन्य संचय	b. Other Reserves		
विशेष संचय (निर्यात)	Special Reserve (Exports)	2.11	2.11
ग. अधिशेष	c. Surplus		
गत वित्तीय विवरण के अनुसार शेष	Balance as Per last financial statement	-338.96	-1,865.40
जोडिए : शुध्द लाभ/(शुध्द हानि) चालू वर्ष के लिए	Add : Net Profit/(Net Loss) for the current year	556.42	1,091.01
जोड़ें : विलय की योजना के अनुसार आरक्षित निधियों के हस्तांतरण पर वृद्धि	Add : Additions on transfer of reserves pursuant to the scheme of Merger	–	435.43
अंतिम शेष	Closing Balance	217.46	-338.96
कुल	**Total**	**219.79**	**-336.63**

टिप्पणी : 5. अन्य दीर्घकालिक देयताएं

Note : 5. Other Long Term Liabilities

₹ लाखो में
₹ in lakhs

विवरण	Particulars	31 मार्च 2025 को As at 31 March 2025	31 मार्च 2024 को As at 31 March 2024
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त अग्रिम	**Advance received from Ministry of Information and Broadcasting**		
(संदर्भ टिप्पणी संख्या – 32)	(Refer Note : 31)		
फिल्म निर्माण के लिए	For Film Production	9,976.57	8,502.85
घटाईये : क्षेत्रीय फिल्मों की सूची	Less : Inventory of Regional Film	1,119.43	100.15
फिल्म निर्माण के लिए आबंटित शेष	As allocated for Film Production	8,857.14	8,402.70
फिल्म मुजीब के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय (भारत) से अग्रिम प्राप्त	Advance received from Ministry of Information and Broadcasting (India) for Film Mujib	627.62	1,290.72
अभिलेखागार और सह-निर्माता से प्राप्त अग्रिम राशि	Advance received for Archieves and from Co producer	2,945.70	31.00
समारोह मंत्रालय द्वारा अग्रिम प्राप्त	Advance received from Ministry for Festivals	111.28	886.71
पुनरुद्धार और संरक्षण मंत्रालय द्वारा अग्रिम प्राप्त	Advance received from Ministry for Restoration and Preservations	–	2,814.31
बैंक बैलेंस के लिए संरक्षक (संदर्भ टिप्पणी संख्या – 26)	Custodian for Bank Balance (Refer Note : 26)	3,211.44	3,031.51
फिल्म सुविधा कार्यालय के लिए अग्रिम	Advance for Film Facilitation Office	–	367.47
अमानतें प्राप्त	Deposits Received	367.10	228.86
कुल	**Total**	**16,120.28**	**17,053.28**

टिप्पणी : 6. दीर्घकालिक प्रावधान

Note : 6. Long Term Provisions

₹ लाखो में
₹ in lakhs

विवरण	Particulars	31 मार्च 2025 को As at 31 March 2025	31 मार्च 2024 को As at 31 March 2024
कार्मिक लाभ के लिए प्रावधान	**Provision for Employee Benefits**		
उपदान	Gratuity	401.24	386.96
छुट्टी का भुगतान	Leave Encashment	346.74	319.95
कुल	**Total**	**747.98**	**706.91**

टिप्पणी : 7. व्यापारिक देय 31.03.2025 तक Note : 7. Trade Payable Ageing Schedule as at 31.03.2025

₹ लाखो में ₹ in lakhs

		Particulars	Less than 1 year	1 - 2 years	2 - 3 years	More than 3 years	Total
(i)	एमएसएमई	MSME	1,022.88	77.04	49.81	257.71	1,407.44
(ii)	अन्य	Others	5,678.86	353.70	43.47	1,950.82	8,026.85
(iii)	विवादित देय एमएसएमई	Disputes dues - MSME	–	–	–	–	–
(iv)	अन्य विवादित देय	Disputes dues - Others	–	–	–	85.33	85.33
	कुल	**Total**	**6,701.74**	**430.74**	**93.28**	**2,293.86**	**9,519.62**

व्यापारिक देय 31.03.2024 तक Trade Payable Ageing Schedule as at 31.03.2024

₹ लाखो में ₹ in lakhs

		Particulars	Less than 1 year	1 - 2 years	2 - 3 years	More than 3 years	Total
(i)	एमएसएमई	MSME	1,328.88	291.68	70.18	213.02	1,903.76
(ii)	अन्य	Others	4,644.42	58.65	47.82	2,330.50	7,081.39
(iii)	विवादित देय एमएसएमई	Disputes dues - MSME	–	–	–	–	–
(iv)	अन्य विवादित देय	Disputes dues - Others	–	–	–	–	–
	कुल	**Total**	**5,973.30**	**350.33**	**118.00**	**2,543.52**	**8,985.15**

टिप्पणी : 8. अन्य चालू देयताएं Note : 8. Other Current Liabilities

₹ लाखो में ₹ in lakhs

विवरण	Particulars	31 मार्च 2025 को As at 31 March 2025	31 मार्च 2024 को As at 31 March 2024
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	Advance from Customers	12,997.15	4,990.10
सांविधिक देय	Statutory Dues	915.76	713.79
जमा प्राप्त	Deposits Received	0.30	0.30
अन्य अग्रिम	Others Advances	113.48	147.55
अन्य देयताएं	Other Liabilities	224.00	307.35
कुल	**Total**	**14,250.69**	**6,159.09**

टिप्पणी : 9. अल्पावधिक प्रावधान Note : 9. Short Term Provisions

₹ लाखो में ₹ in lakhs

विवरण	Particulars	31 मार्च 2025 को As at 31 March 2025	31 मार्च 2024 को As at 31 March 2024
(क) कार्मिक लाभ के लिए प्रावधान	**(a) Provision for Employee Benefits**		
उपदान	Gratuity	42.58	37.71
छुट्टी का भुगतान	Leave Encashment	53.93	44.36
(ख) कराधान के लिए प्रावधान	**(b) Provision for Taxation**		
आय कर के लिए	For Income Tax	94.00	44.10
कुल	**Total**	**190.51**	**126.17**

टिप्पणी : 10. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अवास्तविक परिसम्पत्तियां

Note : 10. Property, Plant And Equipment And Intangible Assets

₹ लाखो में
₹ in lakhs

	विवरण	Particulars	सकल सम्पत्ति (लागत में) Gross Block [At Cost]					मूल्य-ह्रास Depreciation					शुध्द सम्पत्ति Net Block	
			01.04.2024 को	वृध्दियां	विलय की योजना के अनुसार समायोजन	कटौती	31.03.2025 को	01.04.2024 तक	वर्ष के लिए	कटौती	विलय की योजना के अनुसार समायोजन	31.03.2025 तक कुल	31.03.2025 को	31.03.2024 को
			As At 01.04.2024	Addition	Adjustment Persuant to The Scheme of Merger	Deduction	As At 31.03.2025	Upto 01.04.2024	For The Year	Deduction	Adjustment Persuant to The Scheme of Merger	Total Upto 31.03.2025	As At 31.03.2025	As At 31.03.2024
A	**संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण**	**Property, Plant and Equipment**												
1	पट्टेपर भूमी	Leasehold Land	1.38	–	–	–	1.38	0.61	0.01	–	–	0.62	0.76	0.77
2	इमारत	Building	365.56	–	–	–	365.56	246.91	10.54	–	–	257.45	108.11	118.65
3	कार्यालय उपकरण	Office Equipments	174.07	13.33	–	21.39	166.01	152.61	7.01	20.32	–	139.30	26.71	21.46
4	संयत्र तथा मशीनरी	Plant & Machinary	456.85	21.68	–	–	478.53	408.89	9.60	–	–	418.49	60.04	47.96
5	कम्प्यूटर्स	Computers	220.27	12.81	–	13.05	220.03	198.70	17.97	12.59	–	204.08	15.95	21.57
6	सज्जा सामग्री और उपस्कर	Furniture & Fixture	529.56	3.90	–	18.58	514.88	482.08	7.31	17.70	–	471.69	43.19	47.48
7	वाहन	Vehicles	41.98	–	–	–	41.98	40.08	0.01	–	–	40.09	1.89	1.90
8	इलेक्ट्रिकल फिटिंग	Electrical Fittings	78.40	–	–	–	78.40	72.30	1.54	–	–	73.84	4.56	6.10
9	पदक**	Medals **	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	कुल (क)	**Total (A)**	**1,868.07**	**51.72**	**–**	**53.02**	**1,866.77**	**1,602.18**	**53.99**	**50.61**	**–**	**1,605.56**	**261.21**	**265.89**
B	**अवास्तविक परिसम्पत्ति**	**Intangible Asset**												
1	फिल्म अधिकार */**	Film Rights */**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	सॉफ्टवेयर	Software	90.48	–	–	0.35	90.13	68.07	4.55	0.33	–	72.29	17.84	22.41
3	सिनेमैटोग्राफ फ़िल्में	Cinematograph Films	3,718.56	–	–	–	3,718.56	3,718.56	–	–	–	3,718.56	–	–
	कुल (ख)	**Total (B)**	**3,809.04**	**–**	**–**	**0.35**	**3,808.69**	**3,786.63**	**4.55**	**0.33**	**–**	**3,790.85**	**17.84**	**22.41**
C	**विकासाधीन अवास्तविक परिसम्पत्ति**	**Intangible Asset Under Development**	–	110.71	–	–	110.71	–	–	–	–	–	110.71	–
	कुल (ग)	**Total (C)**	**–**	**110.71**	**–**	**–**	**110.71**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**110.71**	**–**
	कुल (क + ख + ग)	**Total (A + B + C)**	**5,677.11**	**162.43**	**–**	**53.37**	**5,786.17**	**5,388.81**	**58.54**	**50.94**	**–**	**5,396.41**	**389.76**	**288.30**

जोड़ में पिछले वर्षों में निर्मित 70 फ़िल्मों के अधिकार शामिल हैं.

** ₹ 500 से कम

टिप्पणी : विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति की आयु अनुसूची :

* Additions includes rights of 70 films produced in earlier years.

** less than ₹ 500

Note : Intangible Asset Under Development Ageing Schedule :

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति	Intangible Asset Under Development	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति में किसी अवधि के लिए राशि Amount in Intangible Asset Under Development for a period of				
		1 वर्ष से कम Less than 1 year	1-2 वर्ष 1-2 years	2-3 वर्ष 2-3 years	3 वर्षों से अधिक More than 3 years	कुल Total
वेबसाइट विकास	Website Development	110.71	–	–	–	110.71
गत वर्ष	Previous Year	–	–	–	–	–

ऐसी कोई विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति नहीं है जिसकी पूर्णता में विलंब हुआ हो या जिसकी लागत मूल योजना की तुलना में अधिक हो गई हो.

There are no intangible asset under development whose completion is overdue or has exceeded its cost compared to its original plan.

₹ लाखो में ₹ in lakhs

	विवरण	Particulars	सकल सम्पत्ति (लागत में) Gross Block [At Cost]					मूल्य-ह्रास Depreciation					शुध्द सम्पत्ति Net Block	
			01.04.2023 को	वृध्दियां	विलय की योजना के अनुसार समायोजन	कटौतियां	31.03.2024 को	01.04.2023 तक	वर्ष के लिए	विलय की योजना के अनुसार समायोजन	कटौतियां	31.03.2024 तक कुल	31.03.2024 को	31.03.2023 को
			As At 01.04.2023	Addition	Adjustment Persuant to The Scheme of Merger	Deductions	As At 31.03.2024	Upto 01.04.2023	For The Year	Adjustment Persuant to The Scheme of Merger	Deductions	Total Upto 31.03.2024	As At 31.03.2024	As At 31.03.2023
A	**संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण**	**Property, Plant & Equipments**												
1	पट्टेपर भूमी	Leasehold Land	1.38	–	–	–	1.38	0.60	0.01	–	–	0.61	0.77	0.78
2	इमारत	Building	365.56	–	–	–	365.56	235.32	11.59	–	–	246.91	118.65	130.24
3	कार्यालय उपकरण	Office Equipments	190.45	11.76	–	28.14	174.07	170.89	8.47	–	26.75	152.61	21.46	19.56
4	संयत्र तथा मशीनरी	Plant & Machinary	398.35	–	59.28	0.78	456.85	343.65	9.04	56.85	0.65	408.89	47.96	54.70
5	कम्प्यूटर्स	Computers	156.66	31.99	32.23	0.61	220.27	150.34	17.47	31.35	0.46	198.70	21.57	6.32
6	सज्जा सामग्री और उपस्कर	Furniture & Fixture	450.80	0.62	84.21	6.07	529.56	405.37	8.32	74.15	5.76	482.08	47.48	45.43
7	वाहन	Vehicles	34.85	–	7.13	–	41.98	32.65	0.37	7.06	–	40.08	1.90	2.20
8	इलेक्ट्रिकल फिटिंग	Electrical Fittings	77.92	0.48	–	–	78.40	69.74	2.56	–	–	72.30	6.10	8.18
9	पदक**	Medals **	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	कुल (क)	**Total (A)**	**1,675.97**	**44.85**	**182.85**	**35.60**	**1,868.07**	**1,408.56**	**57.83**	**169.41**	**33.62**	**1,602.18**	**265.89**	**267.41**
B	**अवास्तविक परिसम्पत्ति**	**Intangible Assets**												
1	फिल्म अधिकार */**	Film Rights **	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	सॉफ्टवेयर	Software	71.78	18.70	–	–	90.48	66.20	1.87	–	–	68.07	22.41	5.58
3	सिनेमैटोग्राफ फ़िल्में	Cinematograph Films	–	–	3,718.56	–	3,718.56	–	–	3,718.56	–	3,718.56	–	–
	कुल (ख)	**Total (B)**	**71.78**	**18.70**	**3,718.56**	**–**	**3,809.04**	**66.20**	**1.87**	**3,718.56**	**–**	**3,786.63**	**22.41**	**5.58**
	कुल (क + ख)	**Total (A + B)**	**1,747.75**	**63.55**	**3,901.41**	**35.60**	**5,677.11**	**1,474.76**	**59.70**	**3,887.97**	**33.62**	**5,388.81**	**288.30**	**272.99**

** Less Than ₹ 500

टिप्पणी : 11. आस्थगित कर देयताएं (शुद्ध) Note : 11. Deferred Tax Assets/(Liability) (Net)

₹ लाखो में ₹ in lakhs

विवरण	Particulars	31 मार्च 2025 को As at 31 March 2025	31 मार्च 2024 को As at 31 March 2024
निवल आस्थगित कर देयता का ब्यौरा इस प्रकार है –	The break up of net deferred tax is as under :		
(एएस 22 के अनुसार प्रकटीकरण)	(Disclosure as per AS 22)		
आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार डब्ल्यूडीवी की पुस्तकों के अनुसार डब्ल्यूडीवी से अधिक	Excess of WDV as per Income Tax Act ,1961 over WDV as per books	14.89	51.81
भुगतान के आधार पर स्वीकार्य व्यय	Expenses Allowable On Payment Basis		
उपदान	Gratuity	123.47	118.14
छुट्टी नकदीकरण	Leave Encashment	111.47	101.35
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	Provision for Doubtful Debts	607.27	607.08
अनवशोषित हानियाँ	Unabsorbed Losses	102.89	11.89
कुल	**Total**	**959.99**	**890.27**

टिप्पणी : 12. दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम Note : 12. Long Term Loans And Advances

₹ लाखो में ₹ in lakhs

विवरण	Particulars	31 मार्च 2025 को As at 31 March 2025		31 मार्च 2024 को As at 31 March 2024	
1) फिल्मों के निर्माण के लिए ऋण	**1) Loans for Production of Films**				
संदिग्ध	Doubtful	144.03		144.03	
घटाइएं – संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	Less : Provision for doubtful loans	144.03	–	144.03	–
2) सिनेमागृह के निर्माण के लिए ऋण	**2) Loans for Construction of Theatres**				
संदिग्ध	Doubtful	2.99		2.99	
घटाइएं – संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	Less : Provision for doubtful loans	2.99	–	2.99	–
कुल	**Total**		**–**		**–**

टिप्पणी : 13. अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियां Note : 13. Other Non Current Assets

₹ लाखो में ₹ in lakhs

विवरण	Particulars	31 मार्च 2025 को As at 31 March 2025		31 मार्च 2024 को As at 31 March 2024	
1) अमानते	**1) Security Deposits**				
अप्रतिभूत, असंदिग्ध	Unsecured, Considered Good	45.81		36.06	
संदिग्ध	Considered Doubtful	30.31		30.31	
घटाइएं : संदिग्ध अमानतों के लिए प्रावधान	Less : Provision for Doubtful Deposits	30.31	45.81	30.31	36.06
2) स्थगित राजस्व व्यय	**2) Deferred Revenue Expenditure**		233.98		–
3) अन्य बैंक बैलेंस	**3) Other Bank Balance**				
(i) 12 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमाराशि	(i) Term Deposits with maturity for more than 12 months		3,387.11		–
कुल	**Total**		**3,666.90**		**36.06**

टिप्पणी : 14. सम्पत्ति सूची

Note : 14. Inventories

₹ लाखो में
₹ in lakhs

विवरण	Particulars	31 मार्च 2025 को As at 31 March 2025	31 मार्च 2024 को As at 31 March 2024
तैयार सामान	**Finished Goods**		
डीवीडी-सीएफएसआई का स्टॉक	Stock of DVD-CFSI	0.15	0.15
कुल	**Total**	**0.15**	**0.15**

टिप्पणी : 15. 31.03.2025 को व्यापारिक प्राप्य

Note : 15. Trade Receivable Ageing Schedule As At 31.03.2025

₹ लाखो में
₹ in lakhs

	विवरण	Particulars	6 माह से कम Less Than 6 months	6 माह से 1 वर्ष तक 6 month to 1 year	1-2 वर्ष 1 - 2 Years	2-3 वर्ष 2 - 3 Years	3 वर्षों से अधिक More Than 3 Years	कुल राशि Total Amount
(i)	अविवादित व्यापारिक प्राप्य - असंदिग्ध	Undisputed Trade Receivables - Considered Good	3,615.23	20.51	421.30	502.56	4,605.30	9,164.90
(ii)	अविवादित व्यापारिक प्राप्य - असंदिग्ध	Undisputed Trade Receivables - Considered Doubtful	–	–	–	–	–	–
(iii)	विवादित व्यापारिक प्राप्य - असंदिग्ध	Disputed Trade Receivables - Considered good	–	5.97	–	–	–	5.97
(iv)	विवादित व्यापारिक प्राप्य - असंदिग्ध	Disputed Trade Receivables - Considered Doubtful	–	–	–	–	1,993.35	1,993.35
	कुल	**Total**	**3,615.23**	**26.48**	**421.30**	**502.56**	**6,598.65**	**11,164.22**
	घटाइएं : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	Less : Provision for Doubtful Debts	–	–	–	–	–	1,993.35
	शुद्ध व्यापारिक प्राप्य	**Net Trade Receivable**	**3,615.23**	**26.48**	**421.30**	**502.56**	**6,598.65**	**9,170.87**

*जैसे की संग्रहण की नियत तारीख परिभाषित नही की है इसलिए बिल की तारीख को नियत तिथि माना गया है.

*As the due date of collection has not been defined hence bill date is considered as due date.

31.03.2024 को व्यापारिक प्राप्य

Trade Receivable Ageing Schedule As At 31.03.2024

₹ लाखो में
₹ in lakhs

	विवरण	Particulars	6 माह से कम Less Than 6 months	6 माह से 1 वर्ष तक 6 month to 1 year	1-2 वर्ष 1 - 2 Years	2-3 वर्ष 2 - 3 Years	3 वर्षों से अधिक More Than 3 Years	कुल राशि Total Amount
(i)	अविवादित व्यापारिक प्राप्य - असंदिग्ध	Undisputed Trade Receivables - Considered Good	1,663.87	230.63	526.77	75.82	4,561.54	7,058.63
(ii)	अविवादित व्यापारिक प्राप्य - असंदिग्ध	Undisputed Trade Receivables - Considered Doubtful	–	–	–	–	–	–
(iii)	विवादित व्यापारिक प्राप्य - असंदिग्ध	Disputed Trade Receivables - Considered good	–	–	–	–	–	–
(iv)	विवादित व्यापारिक प्राप्य - असंदिग्ध	Disputed Trade Receivables - Considered Doubtful	–	–	–	–	1,992.67	1,992.67
	कुल	**Total**	**1,663.87**	**230.63**	**526.77**	**75.82**	**6,554.21**	**9,051.30**

	विवरण	Particulars	6 माह से कम Less Than 6 months	6 माह से 1 वर्ष तक 6 month to 1 year	1-2 वर्ष 1 - 2 Years	2-3 वर्ष 2 - 3 Years	3 वर्षों से अधिक More Than 3 Years	कुल राशि Total Amount
	घटाइएं : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	Less : Provision for Doubtful Debts	–	–	–	–	–	1,992.67
	शुद्ध व्यापारिक प्राप्य	**Net Trade Receivable**	**1,663.87**	**230.63**	**526.77**	**75.82**	**6,554.21**	**7,058.63**

*जैसे की संग्रहण की नियत तारीख परिभाषित नही की है इसलिए बिल की तारीख को नियत तिथि माना गया है.

*As the due date of collection has not been defined hence bill date is considered as due date.

टिप्पणी : 16. नकद और नकद समकक्ष — Note : 16. Cash And Cash Equivalents

₹ लाखो में
₹ in lakhs

विवरण	Particulars	31 मार्च 2025 को As at 31 March 2025	31 मार्च 2024 को As at 31 March 2024
क) बैंकों में शेष राशि	a) Balances with Banks		
(i) संचित खाता	(i) Savings Account	10,631.89	11,727.33
(ii) चालू खाता	(ii) Current Account	669.06	703.24
(iii) मूल परिपक्वता अवधि 3 महीने से कम वाले टर्म डिपॉज़िट्स	(iii) Term Deposits with original maturity of less than 3 months	9,453.59	4,621.89
ख) रोकड़ बाकी	b) Cash on Hand	0.23	0.71
कुल	**Total**	**20,754.77**	**17,053.17**

टिप्पणी : 17. अल्पावधिक ऋण एवं अग्रिम — Note : 17. Short Term Loans And Advances

₹ लाखो में
₹ in lakhs

विवरण	Particulars	31 मार्च 2025 को As at 31 March 2025		31 मार्च 2024 को As at 31 March 2024	
1) कर्मचारियों के लिए ऋण एवं अग्रिम	**1) Loans and advances to Staff**				
अप्रतिभूत, असंदिग्ध	Unsecured, Considered Good	0.44	0.44	0.64	0.64
2) नगद या वस्तुरूप में प्राप्य मूल्य के रूप में वसूली योग्य अग्रिम	**2) Advances recoverable in cash or kind for value to be received**				
अप्रतिभूत, असंदिग्ध	Unsecured, Considered Good	3,936.74		1,170.15	
संदिग्ध	Considered Doubtful	12.18		12.18	
घटाईएं – संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	Less : Provision for Doubtful Loans	12.18	3,936.74	12.18	1,170.15
सेवा कर प्राप्य/जीएसटी	Balances with statutory authorities	3,064.60		3,068.10	
जीएसटी प्राप्य पर टीडीएस	TDS on GST Receivable	44.40		113.85	
कर का अग्रिम भुगतान	Advance Payment of Income Tax	936.17	4,045.17	1,065.06	4,247.01
3) स्वकीय फिल्मों के लिए अग्रिम	**3) Advances for Own Production of Films**				
अप्रतिभूत, असंदिग्ध	Unsecured, Considered Good	1,598.35	1,598.35	2,822.76	2,822.76
कुल	**Total**		**9,580.70**		**8,240.56**

टिप्पणी : 18. अन्य चालू परिसम्पत्तियां — Note : 18. Other Current Assets

₹ लाखो में
₹ in lakhs

विवरण	Particulars	31 मार्च 2025 को As at 31 March 2025	31 मार्च 2024 को As at 31 March 2024
स्थायी जमा पर उपार्जित व्याज	Interest Accured on Fixed Deposits	107.29	194.44

विवरण	Particulars	31 मार्च 2025 को As at 31 March 2025	31 मार्च 2024 को As at 31 March 2024
मूल परिपक्वता अवधि 12 महीने से अधिक वाले टर्म डिपॉज़िट्स की वर्तमान परिपक्वताएँ *	Current Maturities of Term Deposits with original maturity of more than 12 months *	516.69	3,446.77
मूल परिपक्वता अवधि 3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम वाले टर्म डिपॉज़िट्स **	Term Deposits with original maturity of more than 3 months but less than 12 months **	441.74	14.49
सुरक्षा जमा राशि	Security Deposits	–	11.12
कुल	**Total**	**1,065.72**	**3,666.82**

* इसमें बैंक गारंटी के विरुद्ध जमानत रखे गए निश्चित जमा राशि शामिल हैं, जिनकी राशि ₹ शून्य है (31 मार्च, 2024 : ₹ 102.04 लाख).

** इसमें बैंक गारंटी के विरुद्ध जमानत रखे गए निश्चित जमा राशि शामिल हैं, जिनकी राशि ₹ 123.12 है (31 मार्च, 2024 : ₹ 14.49 लाख).

* includes fixed deposits amounting to ₹ Nil (March 31, 2024 : ₹ 102.04 Lakhs) pleadged against bank guarantee.

** includes fixed deposits amounting to ₹ 123.12 (March 31, 2024 : ₹ 14.49 Lakhs) pleadged against bank guarantee.

टिप्पणी : 19. प्रचलन से आय

Note : 19. Revenue From Operations

₹ लाखो में
₹ in lakhs

विवरण	Particulars	वर्ष 2024-25 Year Ended 2024-25		वर्ष 2023-24 Year Ended 2023-24	
फीचर फिल्म निर्माण	Feature Film Production		1,289.50		4,896.33
गैर फीचर फिल्म निर्माण	Non Feature Film Production		3,164.70		8,760.54
फिल्म फेसिलिटेशन ऑफिस	Film Facilitation Office		2,824.26		1,126.11
मीडिया कैपेन	Media Campaign		5,966.33		5,027.31
सोशल मीडिया	Social Media		940.93		536.29
फिल्मों का वितरण	**Distribution of Films**				
विदेशी	Overseas	49.20		33.86	
घरेलू	Domestic	804.60	853.80	134.72	168.58
सेवा परियोजनाएं	**Service Projects**				
कार्यशाला/बाजार/फिल्म बाजार	Workshop / Market/Film Bazaar *		2,026.79		1,766.87
आईएफएफआई	IFFI *		4,157.99		1,981.74
प्रशिक्षण/कार्यशाला	Training and Development		146.02		532.99
समारोह	Festivals		6,121.27		2,391.78
थिएटर (एनएफएआई/सिरीफोर्ट/ महादेव/जेबी हॉल)	Theatres (NFAI/Siri fort/Mahadev/ JB Hall)		586.31		952.96
एनएमआईसी (संग्रहालय)	NMIC (Museum)		81.49		43.95
एनएफएचएम	NFHM		10,421.54		524.37
संग्रहीय फ़िल्मों और फ़िल्म सामग्री का अधिग्रहण	Acquisition of Archival Films and Film Material		138.10		–
पूर्व दर्शन प्रेक्षागार	Preview Theatre		55.71		44.51
कुल	**Total**		**38,774.74**		**28,754.33**

* कंपनी के डीपीई / आंतरिक दिशा-निर्देश उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना आय या व्यय दर्ज करने को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करते हैं. तथापि, उपार्जन आधार पर लेखांकन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, कंपनी ने उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त होने तक अनुमानित आधार पर आय और व्यय को मान्यता दी है. उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर उत्पन्न होने वाले किसी भी अंतर को आगामी लेखा अवधि में समायोजित किया जाएगा.

* The Company's DPE / Internal guidelines explicitly prohibit booking of incomes/expenses before availing Utilisation Certificate. However, with an intention to give effect to the accrual basis of accounting, the Company has recognised income & expenses on estimated basis pending utilisation certificate. Any difference, upon obtaining utilisation certificate, shall be accounted for in the subsequent accounting period.

टिप्पणी : 20. अन्य आय

Note : 20. Other Income

₹ लाखो में
₹ in lakhs

विवरण	Particulars	वर्ष 2024-25 Year Ended 2024-25	वर्ष 2023-24 Year Ended 2023-24
ब्याज आय	Interest Income		
बैंक की स्थायी जमा पर	on Bank Fixed Deposit	308.62	239.20
बचत बैंक पर	on Savings Bank	265.99	104.87
आयकर वापसी पर	on Income Tax Refund	8.93	16.07
अन्य आय	Other Incomes		
कार्यालय परिसर से प्राप्त किराया	Rent from Office Premises	161.48	199.26
पैनल शुल्क	Empanelment Fee	–	14.72
स्थायी समिति के आयोजन व्यय की प्रतिपूर्ति	Reimbursement of standing committee event expenses	–	95.70
संपत्ति संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ	Profit on Sale of Property Plant and Equipment	8.91	2.61
विदेशी मुद्रा के उतार चढाव पर लाभ	Profit on Foreign Exchange Fluctuation	–	0.91
प्रावधानों वापिस	Provision written back	23.49	83.87
स्थगित आय	Deferred Income	2.40	–
विविध आय	Miscellaneous Income	6.76	42.36
कुल	**Total**	**786.58**	**799.57**

टिप्पणी : 21. प्रचलित व्यय

Note : 21. Operating Expenditure

₹ लाखो में
₹ in lakhs

विवरण	Particulars	वर्ष 2024-25 Year Ended 2024-25		वर्ष 2023-24 Year Ended 2023-24	
फीचर फिल्म निर्माण	Feature Film Production		1,241.78		4,654.39
गैर फीचर फिल्म निर्माण	Non Feature Film Production		2,722.76		7,760.31
फिल्म फेसिलिटेशन ऑफिस	Film Facilitation Office		2,702.60		1,109.71
मीडिया कैम्पेन	Media Campaign		5,966.33		5,027.31
सोशल मीडिया	Social Media		871.16		517.16
फिल्मों का वितरण	**Distribution of Films**				
विदेशी	Overseas	1.95		1.80	
घरेलू	Domestic	664.70	666.65	26.01	27.81
सेवा परियोजनाएं	**Service Projects**				
कार्यशाला/बाजार/फिल्म बाजार *	Workshop/Market/Film Bazaar *		1,439.01		1,320.86
आईएफएफआई *	IFFI *		3,930.10		2,077.96
प्रशिक्षण एवं विकास	Training & Development		60.18		364.11
समारोह	Festivals		5,855.03		1,568.48
थिएटर (एनएफएआई/सिरी फोर्ट/महादेव/ जेबी हॉल)	Theatres (NFAI/Siri fort/Mahadev/ JB Hall)		352.33		1,087.22
एनएमआईसी (संग्रहालय)	NMIC (Museum)		28.34		42.37
राष्ट्रीय फ़िल्म धरोहर मिशन	NFHM		9,751.61		–

विवरण	Particulars	वर्ष 2024-25		वर्ष 2023-24	
		Year Ended 2024-25		Year Ended 2023-24	
संग्रहीय फ़िल्मों एवं फ़िल्म सामग्री का अधिग्रहण	Acquisition of Archival Films and Film Material		138.10		–
पूर्व दर्शन प्रेक्षागार	Preview Theatre		34.30		32.82
कुल	**Total**		**35,760.28**		**25,590.51**

* कंपनी के डीपीई / आंतरिक दिशा-निर्देश उपयोग प्रमाणपत्र (Utilisation Certificate) प्राप्त किए बिना आय या व्यय की बुकिंग को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करते हैं. तथापि, लेखांकन को उपार्जन आधार (Accrual Basis) पर लागू करने के उद्देश्य से, कंपनी ने उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त होने तक अनुमानित आधार पर आय और व्यय को मान्यता दी है. उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर उत्पन्न किसी भी अंतर को आगामी लेखा अवधि में समायोजित किया जाएगा.

* The Company's DPE / Internal guidelines explicitly prohibit booking of incomes/expenses before availing Utilisation Certificate. However, with an intention to give effect to the accrual basis of accounting, the Company has recognised income & expenses on estimated basis pending utilisation certificate. Any difference, upon obtaining utilisation certificate, shall be accounted for in the subsequent accounting period.

टिप्पणी : 22. सम्पत्ति सूची में (वृध्दि)/कमी

Note : 22. (Increase)/Decrease In Inventories

₹ लाखो में
₹ in lakhs

विवरण	Particulars	वर्ष 2024-25	वर्ष 2023-24
		Year Ended 2024-25	Year Ended 2023-24
वर्ष की शुरुआत में इन्वेंटरी	Inventories At the Beginning of the Year		
डीवीडी का स्टॉक	Stock of DVD	0.15	–
जोड़िए : विलय के कारण प्राप्त इन्वेंट्री	Add : Inventories Received On Account of Merger	–	0.15
घटाइए : वर्ष के अंत में इन्वेंटरी	Less : Inventories At the End of the Year		
डीवीडी का स्टॉक	Stock of DVD	-0.15	-0.15
कुल	**Total**	**–**	**–**

टिप्पणी : 23. कार्मिक लाभ व्यय

Note : 23. Employee Benefit Expenses

₹ लाखो में
₹ in lakhs

विवरण	Particulars	वर्ष 2024-25	वर्ष 2023-24
		Year Ended 2024-25	Year Ended 2023-24
वेतन, भत्ते और बोनस	Salaries, Wages and Bonus	927.98	708.56
भविष्य निधियों में अंशदान	Contributions to Provident Fund	77.48	54.32
अन्य निधियों में अंशदान	Contributions to Other Fund	0.48	3.18
छुट्टी का भुगतान	Leave Encashment	67.43	31.92
उपदान	Gratuity	66.60	51.32
मेडीकल व्यय	Medical Expenses	38.81	44.55
कुल	**Total**	**1,178.78**	**893.85**

टिप्पणी : 24. मूल्यह्रास एवं अमूर्तिकरण व्यय

Note : 24. Depreciation And Amortization Expenses

₹ लाखो में
₹ in lakhs

विवरण	Particulars	वर्ष 2024-25	वर्ष 2023-24
		Year Ended 2024-25	Year Ended 2023-24
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्यह्रास	Depreciation of Property, Plant & Equipments	53.99	57.83
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन	Amortisation of Intangible Assets	4.55	1.87
कुल	**Total**	**58.54**	**59.70**

टिप्पणी : 25. अन्य व्यय

Note : 25. Other Expenses

₹ लाखो में
₹ in lakhs

विवरण	Particulars	वर्ष 2024-25 Year Ended 2024-25	वर्ष 2023-24 Year Ended 2023-24
विज्ञापन और प्रचार	Advertisement and Publicity	36.28	1.32
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक :	Auditors Remuneration :		
लेखापरीक्षा शुल्क	Audit Fees	6.99	6.03
कर लेखा परीक्षा शुल्क	Tax Audit Fees	3.41	4.88
अन्य सेवाओं के लिए शुल्क	Fees for Other Service	2.35	–
लेखा परीक्षक द्वारा दिया गया खर्च	Auditor Out of Pocket Expenses	2.09	4.60
बैंक प्रभार	Bank Charges	2.14	1.57
निदेशकों का यात्रा व्यय	Director's Travelling Expenses	9.11	7.81
बिजली प्रभार	Electricity Charges	319.87	11.29
बीमा	Insurance	2.01	1.65
टीडीएस तथा सेवा करों पर ब्याज	Interest on TDS and GST	2.78	23.67
अन्य देय राशियों पर ब्याज	Interest on Other Dues	–	–
विधि व्यय	Legal Expenses	12.67	11.29
परिसम्पत्ति के बिक्री पर हानि	Loss on Sale of Assets	–	–
विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव पर हानि	Loss on Foreign Exchange Fluctuation	1.64	0.11
कार्यालयीन सामान्य व्यय	Office General Expenses	68.87	37.34
डाक, तार, टैलेक्स और टेलिफोन व्यय	Postage,Telgrams, Telex and Telephone Expenses	56.43	30.37
वैधानिक बकाया पर जुर्माना	Penalty on statutory Dues	0.03	2.67
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	Printing & Stationery	14.91	14.52
श्रमशक्ति शुल्क	Manpower Charges	568.75	375.74
कार्यालयीन सामान्य व्यय	Professional Charges	239.75	231.71
संदिग्ध ऋणों/ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	Provision for Doubtful Debts/Loan/ Advance	0.68	30.19
पूर्व कालिन व्यय	Prior Period Expenses	13.27	4.01
दरों एवं करों	Rates & Taxes	8.07	13.97
ब्याज आय की प्रतिपूर्ति	Reimbursement of Interest Income	193.52	206.60
स्थायी समिति आयोजन व्यय	Standing committee Event Expenses	4.03	95.70
वैधानिक बकाया भुगतान	Statutory Dues Payment	21.68	23.63
भर्ती व्यय	Recruiting Exp	12.25	5.03
किराया भुगतान	Rent Paid	14.86	50.65
मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance	53.07	66.73
सुरक्षा सेवा प्रभार	Security Services Charges	119.76	36.63
कार्मिक कल्याण व्यय	Staff Welfare Expenses	15.86	14.45
स्वच्छता कार्य योजना व्यय	Swachhta Action Plan Expenses	104.08	41.64
स्थानांतरण व्यय	Shifting Expenses	3.03	10.80
विविध शेष राशि बट्टे खाते में	Sundry Balance written off	0.82	77.58

विवरण	Particulars	वर्ष 2024-25 Year Ended 2024-25	वर्ष 2023-24 Year Ended 2023-24
यात्रा और स्थानिक यात्रा व्यय	Travelling and Local Conveyance Expenses	84.15	68.35
कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	Corporate Social Responsibility Expenses	6.71	–
स्क्रिप्ट के प्रसंस्करण शुल्क	Processing charges of script	–	–
कुल	**Total**	**2,005.92**	**1,512.53**

टिप्पणी : 26.

सीएफएसआई द्वारा रखे गए बैंक बैलेंस (सावधि जमा सहित) को कार्यालय ज्ञापन संख्या एम-14016/32/2022-डीओ (एफए) दिनांक 29 दिसंबर 2022 के अनुसार एनएफडीसी को संरक्षक के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है. तदनुसार, एनएफडीसी के खाते में ब्याज आय को देयता के रूप में दर्ज किया गया है.

टिप्पणी : 27.

विविध देनदारों, ऋण एवं अग्रिमों, जमानतों तथा चालू देयताओं और कुछ शेष पिछले कुछ वर्षों से चले आ रहे है, के लेखाओं के शेष का पुष्टिकरण तथा समंजन के उपरांत आई राशि, यदि कोई हो, और उसका वित्तीय विवरणों पर यदि कोई प्रभाव हो तो इसका अभिनिश्चयन नहीं किया जा सकता.

टिप्पणी : 28. अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान

वर्ष के दौरान अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिये ₹ 0.68 (पिछले वर्ष ₹ 30.19) के विविध देनदारों तथा ऋण एवं अग्रिमों का प्रावधान किया गया है. वर्ष के दौरान किये गये 'कुछ नहीं (पिछले वर्ष 'कुछ नही) के प्रावधान को बुरे तथा संदिग्ध ऋणों के लिये काम में ले लिया गया. वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गये अशोध्य ऋण कुछ नहीं (पिछले वर्ष ₹ 77.58) है वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान जो वर्ष के दौरान बट्टा काटा किये गये कुछ नहीं (पिछले वर्ष ₹ 5.29).

टिप्पणी : 29. मैडल्स का नाममात्र कीमत पर बरकरार रखा गया

मेडल्स का प्रति मेडल ₹ 1/- के नाममात्र मूल्य पर दर्शाया गया. इन मेडल्स का नाममात्र मूल्य स्थाई परिसंपत्तियों के शिड्यूल में दर्शाया गया है.

टिप्पणी : 30. क्रेडिट बैलेंस का रिटर्न बॅक

कम्पनी के प्रबंधन ने उन मामलों में क्रेडिट बैलेंस वापस करने का निर्णय किया जहां से लेनदारी की कोई उम्मीद नहीं थी. इसी के अनुरूप वर्ष के दौरान लेनदार की राशि ₹ 23.49 लाख (पिछले वर्ष ₹ 78.57 लाख) रिटर्न बॅक कर दिये गये.

टिप्पणी : 31.

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने अपनी योजना 'विविध भारतीय भाषाओं में फिल्म निर्माण'का क्रियान्वयन एनएफडीसी को सौंपा. इस योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2025 तक ₹ 17,207.07 लाख की राशि प्राप्त हुई. वर्ष के दौरान इन फिल्मों के वितरण से राजस्व प्राप्ति की रकम ₹ 26.14 लाख (पिछले वर्ष ₹ 2.44 लाख) है जिसे कंपनी ने ऑर्डर नं. 202/21/2009-एफ (पीएसयू) दिनांक 04.08.2009 की शर्तों के मुताबिक पुन : इसी योजना में लगा दिया.

वर्ष के दौरान कंपनी ने उपरोक्त योजना के तहत फिल्मों के प्रचार और रिलीज के विज्ञापन के लिए फिल्मों के वितरण पर ₹ 6.48 लाख (पिछले वर्ष ₹ शून्य) का व्यय किया है.

Note : 26.

Bank Balances (including Fixed Deposits) held by CFSI have been transferred to NFDC as a custodian as per office memorandum no. M-14016/32/2022-DO(FA) dt. 29th December 2022. Accordingly, NFDC has accounted interest income as a liability in the books.

Note : 27.

The balances in Sundry Debtors, Loans and Advances, Deposits and Current Liabilities including outstanding balances since last few years are subject to confirmation and consequential adjustment, if any on reconciliation. The financial impact, if any, is unascertainable.

Note : 28. Provision for Bad and Doubtful Debts

During the year provision for bad and doubtful debts/Loan/ Advance of ₹ 0.68 lakhs (Previous year ₹ 30.19 lakhs) has been made towards Sundry Debtors. Provision of ₹ Nil (Previous year ₹ Nil) towards bad and doubtful debts has been utilized for the bad debts during the year. Bad debts written off during the year is ₹ NIL (Previous year ₹ 77.58 lakhs). Excess provision of doubtful debtors written back during the year ₹ NIL (Previous year ₹ 5.29 lakhs).

Note : 29. Medals retained at nominal value

Medals are disclosed at nominal values of ₹ 1/- each. The nominal value of these Medals is disclosed in Property, plant & equipment Schedule.

Note : 30. Credit Balances Written Back

The management of the Company has decided to write back credit balances in cases where there is no likelihood of liability arising. Accordingly, during the year credit balance amounting to ₹ 23.49 lakhs (Previous year ₹ 78.57 lakhs) have been written back.

Note : 31.

The Ministry of Information and Broadcasting entrusted to NFDC the execution of its Plan Scheme of "Production of films in various Indian languages". Under the scheme, an amount of ₹ 17,207.07 lakhs was received up to 31st March 2025. Revenue generated from distribution of these films during the year is ₹ 26.14 lakhs (Previous Year ₹ 2.44 lakhs) that has been ploughed back by Company into the scheme as per the terms of the Order No.202/21/2009-F (PSU) dated 04th August 2009.

During the year the company has incurred an expenditure of ₹ 6.48 lakhs (Previous Year ₹ Nil) towards distribution of films for publicity and advertising of release of films under the above scheme.

फिल्म निर्माण के लिए सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय से मिली अग्रिम राशि तथा उसके सदुपयोग का विश्लेषण इस प्रकार है :

The break-up of advance received from the Ministry of Information and Broadcasting for film production and their utilization are as under :

₹ लाखो में / ₹ in lakhs

विवरण	Particulars	31 मार्च 2025 तक As at 31st March 2025	31 मार्च 2024 तक As at 31st March 2024
सूचना और प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त अग्रिम	Advance received from Ministry of Information and Broadcasting		
गत वर्ष में प्राप्त	Received in Earlier Year	14,431.94	8,253.65
चालू वर्ष में प्राप्त	Received in Current Year	2,775.13	6,178.29
घटाइएं – मंत्रालय को रिफंड	Less : Refund to Ministry	–	–
(क)	**(A)**	**17,207.07**	**14,431.94**
जोडिए : बिक्री/आय उत्पन्न पुनर्निवेश द्वारा निधि	Add : Funds from Sale/Revenue Generation Ploughed back		
गत वर्ष में	In Earlier Year	1,055.12	1,052.68
चालू वर्ष में	In Current Year	26.14	2.44
(I)	**(I)**	**1,081.26**	**1,055.12**
घटाइएं : वितरण/प्रचार व्यय	Less : Distribution/ Publicity Expenses		
गत वर्ष में	In Earlier Year	313.44	313.44
चालू वर्ष में	In Current Year	6.48	–
(II)	**(II)**	**319.92**	**313.44**
	(B) (I-II)	**761.34**	**741.68**
फिल्म निर्माण के लिए उपलब्ध कुल निधि (ख)	**Fund available for Film Production (C)=(A)+(B)**	**17,968.41**	**15,173.62**
घटाइएं : फिल्म निर्माण के लिए कुल निधि व्यय किया गया	Less : Total Fund expensed for Film Production		
चालू वर्ष के दौरान व्यय किए गए	Expensed during the current year	1,321.07	556.32
गत वर्ष में व्यय किए गए	Expensed in earlier year	6,670.77	6,114.45
क्षेत्रीय फिल्म की सूची	Inventory of Regional Film	–	–
	(D)	**7,991.84**	**6,670.77**
विभिन्न फिल्मों के लिए आवंटित	**As allocated for various films (E) = (C)-(D)**	**9,976.57**	**8,502.85**

टिप्पणी : 32.

निदेशक मंडल ने 15 सितंबर 2009 को आयोजित अपनी बैठक में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त पत्र संख्या M-21019/9/2023/DO/FF दिनांक 11 अगस्त, 2023 के साथ दिनांक 06 अगस्त 2009 के पत्र संख्या 202/21/2009-F (PSU) पर विचार किया और निर्णय लिया कि NFDC को फिल्म के कुल निर्माण लागत का 5%/10% उत्पादन शुल्क और उद्योग के मानदंडों के अनुसार उसके द्वारा की गई सभी बिक्री पर 15% कमीशन दिया जाना चाहिए क्योंकि ये खर्च फिल्म के निर्माण और वितरण बजट का एक आंतरिक घटक हैं. तदनुसार, कंपनी ने उत्पादन शुल्क के रूप में ₹ 35.78 लाख (पिछले वर्ष ₹ 246.63 लाख) और कमीशन वितरण के रूप में ₹ 4.61 लाख (पिछले वर्ष ₹ 0.43 लाख) का हिसाब लगाया है.

Note : 32.

The Board of Directors in their meeting held on 15th September 2009 considered the letter No.202/21/2009–F (PSU) dated 06th August 2009 read with letter No. M-21019/9/2023/DO/FF dated 11th August, 2023 received from the Ministry of Information & Broadcasting and decided that NFDC should be given a Production Fee of 5% / 10% of the Total cost of production of a film and 15% Commission on all sales effected by it in accordance with industry norms as these expenses are an intrinsic component of the production and distribution budgets of a film. Accordingly, the Company has accounted for ₹ 35.78 lakhs (Previous year ₹ 246.63 lakhs) as Production Fees and ₹ 4.61 lakhs (Previous Year ₹ 0.43 lakhs) as commission distribution.

टिप्पणी : 33.

मीडिया रिलीजों के लिये आय स्वीकृत वर्ष के दौरान लिये गये मीडिया कैंपेंस के अपने अपने आय व्यय के लेखे, टेलीकास्ट/ब्रॉडकास्ट/प्रदर्शित किये गये विज्ञापनों के मूल्य का ग्राहक/मंत्रालय द्वारा अनुमोदित वास्तविक मूल्य से सनदी लेखाकार द्वारा सत्यापन/प्रमाणन के बाद किया जाता है. मीडिया अभियानों के सम्बंध में

Note : 33.

Revenue recognition for Media Releases, Revenue and Expense of respective Media Campaign undertaken during the year is accounted for after due verification /certification by the Chartered Accountants of the actual value of telecast / broadcast /appearance of the advertisement out of the Release amounts approved by the client /ministry. Revenue and Expenses in

राजस्व और व्यय जिसके लिए सफल टेलीकास्ट/प्रसारण/विज्ञापन की उपस्थिति के वास्तविक मूल्य का सत्यापन/प्रमाणन की प्रक्रिया पिछले/चालू वित्तीय वर्ष की प्रवृत्ति के अनुसार अनुमानित ड्रॉप/कटौती से कम किए गये सम्बंधित अभियान की रिलीज राशियों के आधार पर अनंतिम आधार पर गणना की जाती है.

टिप्पणी : 34.

1991 में कुछ अचल संपत्तियों को गिरवी रख देने से प्राप्त जो ₹ 30.00 लाख (पिछले वर्ष ₹ 30.00 लाख) तीन पार्टियों के पास रख दिया गया था, पार्टियों ने यह राशि लौटाई नहीं और तत्संबंधी प्रतिभूतियों को परिसमाप्त भी नहीं किया गया. इस जमा राशि की वापसी के लिये निगम ने इन पार्टियों के विरुद्ध मध्यस्थता कार्यवाही प्रारंभ की और दो पार्टियों के साथ इस मध्यस्थता कार्यवाही का फैसला निगम के पक्ष में हुआ तथा दो पार्टियों को जमाराशि में से ₹ 18.00 लाख निगम को लौटाने का निर्देश दिया गया. (पिछले वर्ष ₹ 18.00 लाख). और इसे डिक्री के लिए उच्च न्यायालय में दायर किया गया है. कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है और इसके लिए लेखा पुस्तकों में भी प्रावधान किया गया है.

टिप्पणी : 35.

फिल्म 'गांधी'के ओवरसीज वितरण से प्राप्त आय के मामले में लाभ एवं वितरण शुल्क लेखा ओवरसीज एजेंसी से प्राप्त विवरण के आधार पर किया गया है. कंपनी को मार्च 2025 तक का ब्योरा प्राप्त हुआ है और वहां तक का हिसाब कर दिया गया है.

टिप्पणी : 36.

दूरदर्शन 1980 से 2008 तक एनएफडीसी की फिल्में डीडी-1 और डीडी इंडिया पर दिखाने के लिए लेता रहा. दूरदर्शन ने जो पैसा एनएफडीसी को देना था उसमें से उसने कुछ पैसा काट लिया. उस पैसे को वापस लेने के लिए कोशिशें जारी हैं. इसके लिए उनके साथ जिन जरूरी दस्तावेजों का आदान प्रदान किया जाना था, वह भी किया जा चुका. दूरदर्शन और एनएफडीसी दोनौं ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं अत : यह फैसला किया गया कि इस बारे में दोनों पक्ष आपसी सहमति से इस मामले को सुलझा लें. दीर्घकालीन लंबित विवाद का निराकरण करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त पत्र 17.5.2019 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी ने श्री अजय मित्तल, पूर्व सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है.

उसके बाद प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने 5 दिसम्बर 2019 को एक बैठक बुलाई जिसमें एनएफडीसी और प्रसार भारती के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. एक संक्षिप्त चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि दोनों दल एक साथ बैठेंगे और बकाया राशि में सामंजस्य और और समय पर निपटान के लिए प्रासंगिक दस्तावेजों का आदान-प्रदान करें. तदनुसार एनएफडीसी टीम ने डीडी डीजी, फिल्म प्रभाग के संबंधित अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की और बिल और भुगतान में विसंगतियों को हल करने के लिए एमओयू के प्रत्येक खंड को स्पष्ट किया और सभी आवश्यक दस्तावेज भी दिए जिसमें सुलह के बाद संशोधित दावा, चालान की प्रतियां, वसूलियों का विवरण और उसी दिन अधिकार क्षेत्र में अन्य दस्तावेज शामिल है.

यह मामला संयुक्त बैठक के बाद सूचनार्थ माननीय सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था. जिसे नोट करते हुए खुशी हो रही है कि :

1. हमें पीबी के साथ सौहार्दपूर्ण समझौता करने का प्रयास करना चाहिए
2. मध्यस्थता का प्रयोग किया जाना चाहिए, यदि सौहार्दपूर्ण निपटान संभव नहीं है

इस संबंध में, डीजी, दूरदर्शन ने संयुक्त सचिव (फिल्म्स) सूचना और प्रसारण मंत्रालय और प्रबंध निदेशक, एनएफडीसी के साथ नवंबर 2020 के पहले सप्ताह में एक बैठक की. और उन्होंने सभी लंबित मुद्दों को जल्द से जल्द एनएफडीसी के साथ हल करने का आश्वासन दिया.

अत : कंपनी को उम्मीद है कि इस मामले को सुलझा लिया जाएगा और दूरदर्शन से ₹563.65 लाख की देय राशि के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना जाएगा.

respect of media campaigns for which verification /certification of the actual value of successful telecast / broadcast / appearance of advertisement in process, are accounted for on provisional basis on the basis of Release amounts of respective campaign reduced by the estimated drop/deduction as per the trend of previous /current financial year.

Note : 34.

Deposits of ₹ 30 lakhs (Previous Year ₹ 30 lakhs) placed with three parties in 1991 are secured against mortgage of immovable properties. The parties have not refunded the deposits and securities are also not liquidated. The Company has initiated arbitration proceedings against the parties for recovery of the deposits. Awards have been issued in favour of the Company against two parties for recovery of the deposit amounting to ₹ 18 lakhs (Previous Year ₹ 18 lakhs) and the same has been filed in the High Court for decree. The Court process is going on and also provision has been made for the same in the books of accounts.

Note : 35.

In case of revenue from Overseas Distribution of Film 'Gandhi', the accounting of profits and distribution fee has been done on the basis of receipt of statement from the overseas Agency. The Company has received the statement till March 2025 and the same has been accounted.

Note : 36.

As per MOU signed between Doordarshan and NFDC, Doordarshan had been sourcing films from NFDC for telecast on DD-1 and DD India since 1980 to 2008. There were certain deductions made by Doordarshan from the amounts due to NFDC. Attempts have been made to recover the amounts due and necessary documents were also shared with DD as per their requirement. Since both the media units, i.e. Doordarshan & NFDC are under the administrative control of Ministry of Information & Broadcasting, it was decided to resolve the issues through arbitration. The Ministry of Information & Broadcasting vide letter dated 17th May 2019 informed that the competent authority has approved the appointment of Shri Ajay Mittal, ex-Secretary, M/o I&B as sole arbitrator to resolve the long pending dispute.

Thereafter, the CEO Prasar Bharati, convened a meeting on 5th December 2019 wherein senior officers from NFDC and Prasar Bharati were present. After a brief discussion, it was decided that both the parties will sit together and reconcile outstanding dues and exchange relevant documents for timely settlement. Accordingly, NFDC team had detailed discussion with concerned officials of Film section DGDD and explained each and every clause of MOU to resolve discrepancies in bills and payments and also given all the required documents including revised claim after reconciliation, copies of invoices, details of recoveries and other documents in justification on same day.

The matter was submitted to the Office of Hon'ble Secretary, MIB after the joint meeting for kind information who pleased to note that :

1. We should try to have an amicable settlement with PB
2. Arbitration should be exercised, in case amicable settlement is not possible

In this connection DG Doordarshan had a meeting with JS (Films) MIB & MD NFDC in first week of November 2020 and he assured to resolve all pending issues with NFDC as early as possible.

Therefore, the Company expects that the matter will be resolved hence no provision was considered necessary towards the amounts of ₹ 563.46 lakhs due from Doordarshan.

टिप्पणी : 37.

कंपनी की लेखा नीति के अनुसार, गैर-सरकारी देनदारों के संबंध में 3 वर्ष से अधिक समय से बकाया किसी भी ऋण के लिए अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए नियमित अभ्यास के रूप में प्रावधान. कुल व्यापार प्राप्य ₹ 9,170.87 लाख में सरकारी विभाग/प्रशासनिक मंत्रालय से संबंधित ₹ 4,605.30 लाख की राशि के देनदार शामिल हैं और ये देनदार 3 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए बकाया हैं और कंपनी द्वारा उचित माना जा सकता है.

Note : 37.

As per accounting policy of the company, provision for bad and doubtful debt for any debts outstanding for more than 3 years in respect to non-government debtors as regular practice. The Net trade receivables of ₹ 9,170.87 lakhs includes debtors for a sum of ₹ 4,605.30 lakhs pertaining to government department/ administrative ministry and theses debtors are outstanding for the period more than 3 years and may be considered good by the company.

टिप्पणी : 38.

कंपनी ने ₹ 2293.86 लाख (पिछले वर्ष ₹ 2,543.52 लाख) के 3 वर्षों से अधिक के व्यापार देय को वापस नहीं किया है क्योंकि यह सरकारी देनदारों से संबंधित प्राप्य के सामने बकाया देय हैं. कार्यादेशों के अनुसार, जैसा कि विक्रेताओं द्वारा सहमति व्यक्त की गई है, भुगतान शेष ग्राहकों द्वारा वसूली के अधीन हैं.

Note : 38.

The Company has not written back the trade payables outstanding for more than 3 years of ₹ 2293.86 lakhs (Previous Year ₹ 2,543.52 lakhs) as the same are pending payables against the corresponding receivable from the government debtors. As per the work orders, as agreed by the vendors, the payments are subject to realization from the end customers.

टिप्पणी : 39.

एनएफडीसी ने श्री श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित फिल्म मुजीब – द मेकिंग ऑफ नेशन के सह-निर्माण के लिए वित्त वर्ष 2018-19 से 2021-2022 तक सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली से ₹ 3,737.70 लाख और वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान फिल्म विकास निगम (बांग्लादेश) से ₹ 1,784.25 लाख प्राप्त किए थे. सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार और सूचना मंत्रालय, पीपल्स रिपब्लिक, बांग्लादेश सरकार निर्माता हैं और एनएफडीसी और बीएफडीसी, बांग्लादेश उक्त फिल्म के कार्यकारी निर्माता हैं. एनएफडीसी ने 31 मार्च 2025 तक ₹ 2579.36 लाख का खर्च दर्ज किया है और फिल्म मुजीब – द मेकिंग ऑफ नेशन के तहत अपने व्यय के लिए इन्वेंटरी के रूप में इसका खुलासा किया गया है. (वित्तीय वर्ष 2024-2025 में मान्यता प्राप्त ₹ 113.02 लाख की राशि के व्यय सहित).

Note : 39.

NFDC had received ₹ 3737.70 lakhs from the Ministry of Information & Broadcasting, New Delhi in the F.Y 2018-19 to F.Y. 2021-2022 for the co-production of film "Mujib –The Making of Nation" directed by Shri Shyam Benegal. The Ministry of Information & Broadcasting, Govt of India and the Ministry of Information, Government of People's Republic of Bangladesh are the Producers. Further, NFDC and BFDC, Bangladesh are Executive Producers for the said film. NFDC has booked an expenditure of ₹ 2579.36 lakhs till 31st March 2025 (including expenses amounting to ₹ 113.02 lakhs recognised in Financial Year 2024-2025).

टिप्पणी : 40.

कंपनी के स्वामित्व वाली सभी अचल संपत्ति के टाइटल डीड कंपनी के नाम पर हैं, 31 मार्च, 2025 तक स्पुतनिक में सकल ब्लॉक ₹ 2.77 लाख के कार्यालय परिसर के मामले को छोड़कर, जिनके टाइटल डीड पूर्ववर्ती के नाम पर हैं फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे कंपनी के साथ 11 अप्रैल 1980 से और हाउसिंग सोसाइटी द्वारा कंपनी के पक्ष में केवल शेयर प्रमाण पत्र जारी किया जाता है. इसी प्रकार पट्टेदार के रूप में धारित अचल संपत्ति के मामले में पट्टा करारों को भी कंपनी के नाम पर विधिवत निष्पादित किया जाता है.

Note : 40.

The title deeds of all the immovable property owned by the company are in the name of company except in case of Office Premises at Sputnik with Gross Block ₹ 2.77 lakhs as at 31st March 2025, whose title deeds are held in the name of earstwhile Film Finance Corporation Limited, which was amalgamated with the Company w.e.f. 11th April 1980 and only share certificate is issued in favour of the Company by the Housing Society. Similarly, the lease agreements in case of immovable property held as lessee, are also duly executed in the name of company.

टिप्पणी : 41. व्युत्पन्न उपकरण और असुरक्षित विदेशी मुद्रा जोखिम (एएस-11)

क) तुलन पत्र की तिथि पर बकाया डेरिवेटिव
चालू वर्ष के साथ-साथ पिछले वर्ष में भी बैलेंस शीट की तिथि पर कोई डेरिवेटिव अनुबंध बकाया नहीं था.

ख) तुलन पत्र की तिथि पर असुरक्षित विदेशी मुद्रा जोखिम का विवरण

Note : 41. Derivative instruments and unhedged foreign currency exposures (AS-11)

a) Derivatives outstanding as at the balance sheet date
There were no Derivatives Contracts outstanding as at the balance sheet date in the current as well as in the previous year.

b) Particulars of unhedged foreign currency exposure as at balance sheet date

₹ लाखो में
₹ in lakhs

विवरण	Particulars	मुद्रा	Currency	31st March 2025		31st March 2024	
				विदेशी मुद्रा	₹ लाखो में	विदेशी मुद्रा	₹ लाखो में
				Foreign Currency	₹ in lakhs	Foreign Currency	₹ in lakhs
व्यापारिक प्राप्य	Trade Receivables	यू एस डी	USD	4563.00	3.90	4000.00	3.33
		यूरो	Euro	1550.00	1.43	28618.03	25.81
व्यापारिक देय	Trade Payables	यू एस डी	USD	9602.65	8.42	–	–

विवरण	Particulars	मुद्रा	Currency	31st March 2025		31st March 2024	
				विदेशी मुद्रा	₹ लाखो में	विदेशी मुद्रा	₹ लाखो में
				Foreign Currency	₹ in lakhs	Foreign Currency	₹ in lakhs
		यूरो	Euro	20748.98	20.59	24708.68	22.29
		एनज़ेडडी	NZD	1991.95	1.01	–	–
		एयूडी	AUD	1929.51	1.14	–	–

टिप्पणी : 42. सरकारी अनुदान (एएस-12)

कंपनी को राजस्व व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में सरकार से 1800.00 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1744.69 लाख रुपये) का अनुदान प्राप्त हुआ है.

Note : 42. Government Grants (AS-12)

The Company has received grants from the Government amounting to ₹ 1800.00 lakhs (Previous Year ₹ 1744.69 lakhs) as a reimbursement of revenue expenditures.

टिप्पणी : 43. कार्मिक लाभ (एएस-15)

प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट का उपयोग करते हुए एक्यूएरियल वेल्यूएशन के आधार पर वेल्युएशन

i. लाभ तथा हानि के विवरण में दिये गये मान्य खर्च

Note : 43. Employee Benefits (AS-15)

Valued as per Actuarial valuation using Projected Unit Credit Method

i. Expense recognized in the Statement of Profit & Loss.

₹ लाखो में
₹ in lakhs

विवरण	Description	उपदान (निधि द्वारा) मार्च 31, 2025	उपदान (निधि द्वारा) मार्च 31, 2024	छुट्टी का भुगतान (निधि द्वारा नहीं) मार्च 31, 2025	छुट्टी का भुगतान (निधि द्वारा नहीं) मार्च 31, 2024
		Gratuity (Funded) 31st March 2025	Gratuity (Funded) 31st March 2024	Leave Encashment (Unfunded) 31st March 2025	Leave Encashment (Unfunded) 31st March 2024
चालू सेवा लागत	Current Service Cost	9.00	12.41	13.48	13.54
व्याज लागत	Interest Cost	30.62	35.65	26.27	29.98
कुल बीमांकिक (वृध्दि)/ हानियां	Net Actuarial (Gains) / Losses	26.98	3.25	27.68	(11.60)
विगत सेवा लागत – अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त निहित लाभ	Past Service Cost – Vested Benefit Recognized during the period		–	–	–
कुल	**Total**	**66.59**	**51.32**	**67.43**	**31.92**

ii. शुद्ध परिसंपत्तियां/(देनदारियां) जैसी बैलेंस शीट में दर्शाई गई हैं

ii. Net Assets/ (Liability) recognized in the Balance Sheet

₹ लाखो में
₹ in lakhs

विवरण	Description	उपदान (निधि द्वारा) मार्च 31, 2025	उपदान (निधि द्वारा) मार्च 31, 2024	छुट्टी का भुगतान (निधि द्वारा नहीं) मार्च 31, 2025	छुट्टी का भुगतान (निधि द्वारा नहीं) मार्च 31, 2024
		Gratuity (Funded) 31st March 2025	Gratuity (Funded) 31st March 2024	Leave Encashment (Unfunded) 31st March 2025	Leave Encashment (Unfunded) 31st March 2024
निर्धारित दायित्व का वर्तमान मूल्य	Present Value of Defined Obligation	(454.92)	(434.98)	(400.67)	(364.31)
योजना परिसम्पत्तियां का शुध्द मूल्य	Fair Value of Plan Assets	11.09	10.31	–	–
वित्तपोषित स्थिति [अधिशेष/ (घाटा)]	Funded Status [Surplus /(Deficit)]	(443.82)	(424.67)	(400.67)	(364.31)
शुध्द परिसम्पत्ति/(देयताएं)	**Net Asset / (Liability)**	**(443.82)**	**(424.67)**	**(400.67)**	**(364.31)**

iii. वर्ष के दौरान बाध्यताओं में परिवर्तन

iii. Change in Obligation during the year

₹ लाखो में
₹ in lakhs

विवरण	Description	उपदान (निधि द्वारा) मार्च 31, 2025	उपदान (निधि द्वारा) मार्च 31, 2024	छुट्टी का भुगतान (निधि द्वारा नहीं) मार्च 31, 2025	छुट्टी का भुगतान (निधि द्वारा नहीं) मार्च 31, 2024
		Gratuity (Funded) 31st March 2025	Gratuity (Funded) 31st March 2024	Leave Encashment (Unfunded) 31st March 2025	Leave Encashment (Unfunded) 31st March 2024
वर्ष के प्रारम्भ में निर्धारित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	Present Value of the Defined Benefit Obligation at the beginning of the Year	434.98	509.11	364.31	410.85
चालू सेवा लागत	Current Service Cost	9.00	12.40	13.48	13.54
व्याज लागत	Interest Cost	31.36	36.36	26.27	29.97
विगत सेवा लागत – अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त निहित लाभ	Past Service Cost – Vested Benefit incurred during the period	–	–		–
देयताएं हस्तांतरित/ अधिग्रहण	Liability transferred in / acquisitions	–	–		–
देयताएं स्थानांतरित/विनिवेश	Liability Transferred out / Divestment)	–	–		–
बीमांकिक (लाभ)/हानियां	Actuarial (Gains) / Losses	27.03	3.25	12.07	(11.59)
लाभ भुगतान	Benefit Payments	(47.45)	(126.18)	(15.47)	(78.47)
वर्ष के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	**Present Value of the Defined Benefit obligation at the end of the year**	**454.92**	**434.98**	**400.67**	**364.31**

iv. वर्ष के दौरान परिसंपत्तयों में परिवर्तन

iv. Change in Assets during the year

₹ लाखो में
₹ in lakhs

विवरण	Description	उपदान (निधि द्वारा) मार्च 31, 2025	उपदान (निधि द्वारा) मार्च 31, 2024	छुट्टी का भुगतान (निधि द्वारा नहीं) मार्च 31, 2025	छुट्टी का भुगतान (निधि द्वारा नहीं) मार्च 31, 2024
		Gratuity (Funded) 31st March 2025	Gratuity (Funded) 31st March 2024	Leave Encashment (Unfunded) 31st March 2025	Leave Encashment (Unfunded) 31st March 2024
वर्ष के प्रारम्भ में योजित परिसम्पत्तियों का शुध्द मूल्य योजना	Fair Value of Plan Assets at the beginning of the Year	10.30	9.57	–	–
परिसम्पत्तियों पर अपेक्षित रिटर्न	Expected Return on Plan Assets	0.74	0.71	–	–
नियोक्ता द्वारा अंशदान	Contribution by Employer		–	–	–
परिसम्पत्तियां स्थानांतरित/ अधिग्रहण	Assets Transferred In / Acquisitions		–	–	–
प्रदत्त वास्तविक लाभ	Actual Benefits Paid		–	–	–
योजना परिसम्पत्ति पर बीमांकित लाभ/(हानियां)	Actuarial Gains/ (Losses) on Plan Assets	0.04	.02	–	–
वर्ष के अंत में योजना परिसम्पत्तियों का शुध्द मूल्य	**Fair Value of Plan Assets at the year end**	**11.09**	**10.30**	**–**	**–**

v. वस्तुत : मूल्यांकन

v. Actuarial Assumptions

₹ लाखो में
₹ in lakhs

विवरण	Description	उपदान (निधि द्वारा) मार्च 31, 2024	उपदान (निधि द्वारा) मार्च 31, 2023	छुट्टी का भुगतान (निधि द्वारा नहीं) मार्च 31, 2024	छुट्टी का भुगतान (निधि द्वारा नहीं) मार्च 31, 2023
		Gratuity (Funded) 31st March 2025	Gratuity (Funded) 31st March 2024	Leave Encashment (Unfunded) 31st March 2025	Leave Encashment (Unfunded) 31st March 2024
बट्टागत दर	Discount Rate	6.65%	7.21%	6.65%	7.21%
योजना परिसम्पत्तियों पर आय की दर	Rate of Return on Plan Assets	6.65%	7.21%	NA	NA
वेतन वृध्दि दर	Salary Escalation Rate	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%

*वर्ष में उपलब्ध लीव बेनिफिट सहित जिसे वर्ष में किये गये पारिश्रमिक में समाहित किया गया है.

क) भविष्य में होने वाली वेतन में बढोत्तरी के अनुमानों का वस्तुत : मूल्यांकन में प्रावधान करते समय मुद्रास्फीति की दर का लंबी अवधि के आधार पर विचार किया गया है.

ख) निगम की नीति के अनुसार कंपनी के कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष है.

*Including Leave Benefit availed during the year which is accounted in Salary paid during the year.

a) The estimates of future salary increases considered in actuarial valuation take into account the inflation rate on Long term basis.

b) The employees of the company retire at the age of 60 years as per the policy of the Company.

टिप्पणी : 44. खण्डीय सूचना (एएस–17)

कंपनी ने छह रिपोर्ट योग्य खंडों की पहचान की है, जैसे फिल्म निर्माण, फिल्म वितरण, सेवा परियोजना, मीडिया अभियान, मीडिया अभिलेखीय और विरासत और अन्य. उत्पादों और सेवाओं की प्रकृति, अलग-अलग जोखिम और रिटर्न और आंतरिक व्यापार रिपोर्टिंग प्रणालियों को ध्यान में रखते हुए खंडों की पहचान की गई है और उनकी रिपोर्ट की गई है. खंड रिपोर्टिंग के लिए अपनाई गई लेखांकन नीतियाँ कंपनी की लेखांकन नीति के अनुरूप हैं, जिसमें खंड रिपोर्टिंग के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त नीतियाँ हैं.

क) राजस्व और व्यय की पहचान उस खंड की परिचालन गतिविधियों के संबंध के आधार पर खंड के लिए की गई है. राजस्व और व्यय जो समग्र रूप से उद्यम से संबंधित हैं और उचित आधार पर खंड को आवंटित नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें "अआवंटनीय" के रूप में प्रकट किया गया है.

ख) खंड परिसंपत्तियाँ और खंड देयताएँ संबंधित खंडों में परिसंपत्तियों और देयताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं. निवेश, कर संबंधी परिसंपत्तियाँ और अन्य परिसंपत्तियाँ और देयताएँ जिन्हें उचित आधार पर किसी खंड में आवंटित नहीं किया जा सकता है, उन्हें "असंबद्ध" के रूप में प्रकट किया गया है.

Note : 44. Segment Reporting (AS-17)

The Company has identified six reportable segments viz. Film Production, Film Distribution, Service Project, Media Campaign, Media Archival and Heritage & Other. Segments have been identified and reported taking into account nature of products and services, the differing risks and returns and the internal business reporting systems. The accounting policies adopted for segment reporting are in line with the accounting policy of the Company with following additional policies for segment reporting.

a) Revenue and Expenses have been identified to a segment on the basis of relationship to operating activities of the segment. Revenue and Expenses which relate to enterprise as a whole and are not allocable to a segment on reasonable basis have been disclosed as "Unallocable".

b) Segment Assets and Segment Liabilities represent Assets and Liabilities in respective segments. Investments, tax related assets and other assets and liabilities that cannot be allocated to a segment on reasonable basis have been disclosed as "Unallocable".

Primary Segment Information

प्राथमिक खंड सूचना

₹ लाखो में
₹ in lakhs

विवरण	Particulars	2024-25							2023-24						
		फिल्म निर्माण	फिल्म वितरण	सेवा परियोजनाएं	मीडिया अभियान	एनएफएआई फिल्मों का अधिग्रहण, फिल्म सामग्री का संग्रह और एनएफएचएम	अन्य	कुल	फिल्म निर्माण	फिल्म वितरण	सेवा परियोजनाएं	मीडिया अभियान	एनएफएआई फिल्मों का अधिग्रहण, फिल्म सामग्री का संग्रह और एनएफएचएम	अन्य	कुल
		Film Production	Film Distribution	Service Project	Media Campaign	NFAI Acquisition of Films, Archival of Film Material & NFHM	Other	Total	Film Production	Film Distribution	Service Project	Media Campaign	NFAI Acquisition of Films, Archival of Film Material & NFHM	Other	Total
खण्ड आय	**Segment Revenue**														
विदेशी बिक्री	External Sales	4,454.20	853.80	15,999.84	6,907.26	10,559.64	786.58	39,561.32	13,656.86	168.58	8,840.91	5,563.60	524.37	799.58	29,553.90
अंतर खण्ड बिक्री	Inter segment Sales	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल आय	Total Revenue	4,454.20	853.80	15,999.84	6,907.26	10,559.64	786.58	39,561.32	13,656.86	168.58	8,840.91	5,563.60	524.37	799.58	29,553.90
खण्ड व्यय	Segment Expenses	3,964.54	666.65	14,401.89	6,837.49	9,889.71	–	35,760.28	12,414.70	27.82	7,603.52	5,544.47	–	–	25,590.51
परिचालित लाभ (हानि)	Operation Profit/(Loss)	489.66	187.15	1,597.95	69.77	669.93	786.58	3,801.04	1,242.16	140.76	1,237.40	19.13	524.37	799.58	3,963.39
व्याज व्यय	Interest Expenses	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
मूल्य -ह्रास एवं परिशोधन	Depreciation & Amortisation	–	–	21.68	–	–	36.86	58.54	–	–	23.19	–	–	36.51	59.70
अनआबंटित व्यय	Unallocated Expenses	–	–	–	–	–	3,184.70	3,1184.70	–	–	–	–	–	2,406.38	2,406.38
साधारण गतिविधियों द्वारा लाभ/ (हानि)	Profit/ (Loss) from ordinary activities	489.66	187.15	1,576.27	69.77	669.93	-2,434.98	557.80	1,242.16	140.76	1,214.20	19.13	524.37	–1,643.31	1,497.31
कर व्यय (आस्थगित कर सहित)	Tax Expenses (incl. Deferred Tax)	–	–	–	–	–	1.38	1.38	–	–	–	–	–	406.30	406.30
शुध्द लाभ/ (हानि)	Net Profit / (Loss)	489.66	187.15	1,576.27	69.77	669.93	-2,436.36	556.42	1,242.16	140.76	1,214.20	19.13	524.37	–2,049.61	1,091.01

विवरण	Particulars	2024-25							2023-24						
		फिल्म निर्माण	फिल्म वितरण	सेवा परियोजनाएं	मीडिया अभियान	एनएफएआई फिल्मों का अधिग्रहण, फिल्म सामग्री का संग्रह और एनएफएचएम	अन्य	कुल	फिल्म निर्माण	फिल्म वितरण	सेवा परियोजनाएं	मीडिया अभियान	एनएफएआई फिल्मों का अधिग्रहण, फिल्म सामग्री का संग्रह और एनएफएचएम	अन्य	कुल
		Film Production	Film Distribution	Service Project	Media Campaign	NFAI Acquisition of Films, Archival of Film Material & NFHM	Other	Total	Film Production	Film Distribution	Service Project	Media Campaign	NFAI Acquisition of Films, Archival of Film Material & NFHM	Other	Total
अन्य जानकारी	Other information														
खण्डीय परिसम्पत्तियां	**Segment Assets**	9,658.22	4,385.39	3,425.69	538.42	3,532.96	24,048.18	45,588.86	8,119.90	664.22	5,862.42	9,492.49	–	13,094.93	37,233.96
अनआबंटित निगमित परिसम्पत्तियां	Unallocated Corporate Assets	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल परिसम्पत्तियां	**Total Assets**	9,658.22	4,385.39	3,425.69	538.42	3,532.96	24,048.18	45,588.86	8,119.90	664.22	5,862.42	9,492.49	–	13,094.93	37,233.96
खण्डीय देयताएं	**Segment Liabilities**	30,065.68	241.26	1,446.91	2,612.39	345.88	6,116.96	40,829.08	14,856.20	204.68	4,222.05	3,313.79	–	10,433.88	33,030.60
अन आबंटित निगमित देयताएं	Unallocated Corporate Liabilities	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल देयताएं	**Total Liabilities**	30,065.68	241.26	1,446.91	2,612.39	345.88	6,116.96	40,829.08	14,856.20	204.68	4,222.05	3,313.79	–	10,433.88	33,030.60
पूंजी कार्य प्रगति पर	Capital Work in Progress	–	–	–	–	–	110.71	110.71	–	–	–	–	–	–	–
अन्य	Other	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल पूंजी कार्य प्रगति पर	Total Capital Work in Progress	–	–	–	–	–	110.71	110.71	–	–	–	–	–	–	–
मूल्य -ह्रास एवं परिशोधन	Depreciation & Amortisation	–	–	21.68	–	–	36.86	58.54	–	–	23.19	–	–	36.51	59.70
अन्य	Other	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल मूल्य-ह्रास	Total Depreciation	–	–	21.68	–	–	36.86	58.54	–	–	23.19	–	–	36.51	59.70
मूल्य -ह्रास एवं परिशोधन के अलावा अन्य गैर रोकड व्यय	Non cash expense other than depreciation - Amortisation	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

द्वितीयक खंड जानकारी

Secondary Segment Information

₹ लाखो में
₹ in lakhs

	विवरण	Particulars	31 मार्च 2025 31st March 2025	31 मार्च 2024 31st March 2024
1.	**खण्ड आय – बाह्य टर्नओवर**	**Segment Revenue – External Turnover**		
	भारत में	- Within India	39,503.39	29,520.04
	भारत से बाहर	- Outside India	57.93	33.86
	कुल आय	**Total Revenue**	**39,561.32**	**29,553.90**
2.	**खण्डिय परिसम्पत्तियां**	**Segment Assets**		
	भारत में	- Within India	45,558.21	37,204.80
	भारत से बाहर	- Outside India	30.65	29.15
	कुल परिसंपत्तियाँ	**Total Assets**	**45,588.86**	**37,233.96**
3.	**खण्डिय देयताएं**	**Segment Liabilities**		
	भारत में	- Within India	40,808.60	33,008.31
	भारत से बाहर	- Outside India	20.48	22.29
	कुल देयताएँ	**Total Liabilities**	**40,829.08**	**33,030.60**
4.	**पूंजी व्यय**	**Capital Expenditure**		
	भारत में	- Within India	162.43	63.55
	भारत से बाहर	- Outside India	–	–
	कुल व्यय	**Total Expenditure**	**162.43**	**63.55**

टिप्पणी : 45. संबंधित पक्षों के प्रकटीकरण (एएस - 18)

क) संबंधित पक्षों का विवरण

रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेज – राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड.

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक :		
1)	श्री पृथुल कुमार	प्रबंध निदेशक (11.01.2023 से 05.05.2025 तक)
2)	श्री प्रकाश मगदूम	प्रबंध निदेशक (05.05.2025 से)
3)	श्री राजेश कुमार	वित्त निदेशक (07.08.2025 से)
4)	सुश्री सुमोना मजूमदार	कम्पनी सचिव (01.07.2022 से)

Note : 45. Related Party Disclosures (AS-18)

a) Details of Related Parties

Reporting Enterprise : National Film Development Corporation Ltd.

Key Management Personnel :		
1)	Mr. Prithul Kumar	Managing Director (from 11.01.2023 to 05.05.2025)
2)	Mr. Prakash Magdum	Managing Director (from 05.05.2025)
3)	Mr. Rajesh Kumar	Director Finance (from 07.08.2025)
4)	Ms. Sumona Majumdar	Company Secretary (from 01.07.2022)

ख) संबद्ध पक्षों के साथ लेनदेन का विवरण जो कि एएस-18 के अंतर्गत आवश्यक है :

b) Transactions with the Related Parties as required by AS-18 is given below :

निदेशक का नाम	Name of the Related Party	Nature of Transaction	31st March 2025	31st March 2024
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	Key Management Personnel			₹ in lakhs
सुश्री सुमोना मजूमदार कम्पनी सचिव	Ms. Sumona Majumdar	Remuneration	24.09	22.71

नोट : उपरोक्त संबंधित पक्षों की पहचान प्रबंधन द्वारा की गई है और लेखा परीक्षक द्वारा उन पर भरोसा किया गया है.

Note : The above related parties are identified by the management and relied upon by the auditor.

टिप्पणी : 46. पट्टे (एएस - 19)

कंपनी ने व्यापारिक/रिहायशी परिसर संचालन लीज पर दिए हैं. इस व्यवस्था के अंतर्गत आमतौर पर वापस कर दिए जाने वाली ब्याजमुक्त राशियां स्वीकार की गई हैं. उक्त व्यवस्था के अंतर्गत लीज से प्राप्त होने वाले किराए वर्ष के हानि-लाभ विवरण में दर्ज किए जाते हैं. किराए के ₹ 161.48 लाख (पिछले वर्ष ₹ 199.26 लाख) को (टिप्पणी नं-20 में अन्य आय के अंतर्गत दिखाया गया है.) ऑपरेटिंग लीज के संबंध में प्रारंभिक सीधे मूल्य को हानि-लाभ विवरण में दर्शाया गया है.

कंपनी की महत्वपूर्ण लीज व्यवस्थाएं रिहायशी फ्लैट्स, कार्यालय स्थलों, प्लांट तथा मशीनरी और उपकरण आदि लीज पर देने के संबंध में है. यह व्यवस्था आमतौर पर 1 से लेकर 30 वर्ष तक के लिए है जिसे आपसी समझौते अथवा शर्तों के अनुसार बढ़ाया जा सकता है. इन व्यवस्थाओं में आमतौर पर ब्याजमुक्त वापस कर दी जाने वाली राशियां दी गई हैं. इस व्यवस्था में वर्ष के लिए देय लीज किराए हानि-लाभ और किराए की मद में शामिल किए गए हैं. (टिप्पणी नं-25 में इनका अन्य आय के अंतर्गत उल्लेख किया गया है). वर्ष के लिए सभी परिचालन लीज का कुल खर्च ₹ 14.86 लाख है. (पिछले वर्ष ₹ 50.65लाख).

वाशी स्थित परिसर के मामले में, पट्टा समझौता 19 अप्रैल, 2023 को समाप्त हो रहा है. हालाँकि, पट्टेदार का परिसर पर अभी भी कब्जा जारी है और कंपनी ने किराये की आय को वृद्धि की शर्तों के अनुसार मान्यता दी है.

Note : 46. Leases (AS-19)

The Company has given Commercial/Residential Premises on operating lease. Under this arrangement, generally refundable interest-free deposit have been taken. In respect of above arrangements, lease rentals receivable is recognized in the Statement of Profit and Loss for the year and are included Rental of ₹ 161.48 lakhs (Previous Year ₹ 199.26 lakhs) (Disclosed under Other Income in Note 20). The initial direct cost in respect of operating lease are recognized in the Statement of Profit and Loss.

The company's significant leasing arrangements are in respect of residential flats, office premises, plant and machinery and equipment taken on lease. The arrangements range between 1 year and 30 years generally and are usually renewable by mutual consent or mutually agreeable terms. Under these arrangements, generally refundable interest free deposits have been given. In respect of above arrangements, lease rentals payable are recognized in the Statements of Profit and Loss for the year and included under Rent (Disclosed under Other Expenses in Note 25). The aggregate rental expenses of all the operating leases for the year are ₹ 14.86 lakhs (Previous Year ₹ 50.65 lakhs).

In case of premises at Vashi, the lease agreement is expired on April 19, 2023. However, lessee continues to occupy premises and the Company has recognized Rent Income as per the terms of escalation of the expired rent agreement.

टिप्पणी : 47. आय प्रति शेयर (एएस - 20)

Note : 47. Earnings per Share (AS-20)

₹ लाखो में
₹ in lakhs

विवरण	Particulars	31 मार्च 2025 31st March 2025	31 मार्च 2024 31st March 2024
इक्विटी अंशधारकों को रोप्य शुध्द लाभ/(हानि)	Net Profit/(Loss) attributable to Equity Shareholders (₹ in Lakhs)	556.40	1,091.01
मूल के लिए इक्विटी शेयर्स की भारित औसत सं. (इपीएस)	Weighted Average No. of Equity Shares for Basic (EPS)	45,39,985	45,39,985
तनुकृत के लिए इक्विटी शेयर्स की भारित औसत सं. (इपीएस)	Weighted Average No. of Equity Shares for Diluted (EPS)	45,39,985	45,39,985
शेयर का अंकित मूल्य	Nominal Value of Share (₹)	100	100
प्रति शेयर आय – मूल	Earnings Per Share – Basic (₹)	12.26	24.03
प्रति शेयर आय – तनुकृत	Earnings Per Share – Diluted (₹)	12.26	24.03

नोट : 48. परिसंपत्तियों की हानि (एएस-28)

एएस-28 द्वारा अपेक्षित परिसंपत्तियों की हानि के संबंध में प्रबंधन द्वारा किए गए आचरण के आधार पर, प्रबंधन परिसंपत्तियों की हानि के कारण किसी भी नुकसान के लिए प्रावधान करने पर विचार नहीं करता है.

Note : 48. Impairment of Assets (AS-28)

Based on exercise conduct by the management in respect of impairment of assets as required by AS-28, the management do not consider to provide for any loss on account of Impairment of assets.

टिप्पणी : 49. आकस्मिक देयताएं और पूंजीगत प्रतिबद्धताएं (एएस-29)

Note : 49. Contingent Liabilities & Capital Commitments (AS-29)

₹ लाखो में
₹ in lakhs

	विवरण	Particulars	31 मार्च 2025 As at 31st March 2025	31 मार्च 2024 As at 31st March 2024
	आकस्मिक देयताएँ	**Contingent Liabilities**		
1.	निगम विरूध्द दावा ऋण की वजह से मान्य नही किये गये	Claims against the Company not acknowledged as debt;	951.23	910.37
2.	गारंटी	Guarantees;	49.59	39.59
3.	अन्य धन जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	Other money for which the company is contingently liable	197.15	197.15
	कुल	**Total**	**1197.97**	**1,147.11**
	पूंजीगत प्रतिबद्धताएँ	**Capital Commitments**		
1.	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति	Intangible Asset Under Development	–	–
	कुल	**Total**	**–**	**–**

टिप्पणी : 50. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रकटीकरण

Note : 50. Disclosures under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006

₹ लाखो में
₹ in lakhs

	विवरण	Particulars	31 मार्च 2025 As at 31st March 2025	31 मार्च 2024 As at 31st March 2024
1)	बकाया और अप्रदत्त मूल राशि (45 दिनों से अधिक)	Principal amount due and remaining unpaid (more than 45 days)	555.39	1,033.66
2)	उपरोक्त पर देय ब्याज	Interest due on above	752.39	545.99
3)	वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद किया गया भुगतान (मूल राशि)	Payment made beyond the appointed day during the year (Principal amount)	2,593.16	1,165.88
4)	उपरोक्त पर दिया गया ब्याज	Interest Paid on above	Nil	Nil
5)	विलंब की अवधि के लिए उपरोक्त पर देय ब्याज	Interest due and payable on above for the period of delay	208.32	82.14
6)	बकाया शेष राशि पर अर्जित और अप्रदत्त ब्याज	Interest accrued and remaining unpaid on outstanding balances	960.71	628.14
7)	आगामी वर्षों में देय और भुगतान योग्य शेष ब्याज की राशि	Amount of further interest remaining due and payable in succeeding years	960.71	628.14

यह सूचना ऐसे विक्रेताओं के संबंध में दी गई है, जहां तक कि कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर उन्हें "सूक्ष्म एवं लघु" उद्यमों के रूप में पहचाना जा सकता है.

कार्य आदेशों के अनुसार, जैसा कि विक्रेताओं द्वारा सहमति व्यक्त की गई है, भुगतान अंतिम ग्राहकों से वसूली के अधीन हैं. तदनुसार, प्रबंधन का मानना है कि अंतिम ग्राहकों से प्राप्तियों की वसूली न होने के कारण, विक्रेताओं को भुगतान देय नहीं हुआ है. इसलिए, प्रबंधन की राय में, देर से भुगतान की गई या भुगतान न की गई राशि पर कोई ब्याज देय नहीं है और तदनुसार, ब्याज के लिए पुस्तकों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है.

The information has been given in respect of such vendors to the extent they could be identified as "Micro and Small" enterprises on the basis of information available with the Company.

As per the work orders, as agreed by the vendors, the payments are subject to realization from the end customers. Accordingly, management is of the opinion that due to non-realization of receivables from the end customers, the payments to the vendors have not become due. Hence, in the opinion of the management, there is no interest payable on the amounts late paid or remaining unpaid and accordingly, no provision is made in the books for the Interest.

टिप्पणी : 51.

कंपनीज एक्ट 2013 के पैराग्राफ्स 5 (i)(m), (viii) b,5 (viii) 5 e and 5 (A) (j) के शिड्यूल 3 के पार्ट 2 के प्रावधानों के अंतर्गत अतिरिक्त सूचना, जहां तक उपयुक्त हो.

Note : 51.

Additional information pursuant to the provisions of paragraphs 5(i)(m), 5(viii) b, 5 (viii) e and 5 (A) (j) of the part II of Schedule III to the Companies Act, 2013 to the extent applicable.

i) पूर्व कालिन मदें / i) Prior Period Items

₹ लाखो में / ₹ in lakhs

विवरण	Particulars	31st March 2025	31st March 2024
पूर्व कालिन आय	Prior Period Income	–	–
पूर्व कालिन व्यय	Prior Period Expenses	13.27	4.00
निवल पूर्व अवधि आय/(व्यय)	Net Prior Period Income / (Expenses)	(13.27)	(4.00)

ii) विदेशी मुद्रा में आय / ii) Earnings in Foreign Exchange

₹ लाखो में / ₹ in lakhs

विवरण	Particulars	31st March 2025	31st March 2024
वस्तुओं/अधिकारों पर निर्यात आकलन एफओबी आधार पर किया गया	Export on goods/rights calculated on FOB basis	53.74	130.85

iii) विदेशी मुद्रा में खर्च / iii) Expenditure in Foreign Currency

₹ लाखो में / ₹ in lakhs

विवरण	Particulars	31st March 2025	31st March 2024
विदेशी यात्राएं/सहभागिता व्यय/ सलाहकार शुल्क	Foreign tours/ Participation Expenses / Mentor Fees	633.69	530.31

iv) लेखा परिक्षकों को भुगतान / iv) Payment to Auditors

₹ लाखो में / ₹ in lakhs

विवरण	Particulars	31st March 2025	31st March 2024
लेखा परीक्षण की फीस	Audit Fees	6.99	6.03
कर लेखा परीक्षण की फीस	Tax Audit Fees	3.41	4.88
अन्य सेवा के लिए शुल्क	Fees for Other Service	2.35	-

टिप्पणी : 52.

कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है और बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही लंबित नहीं है.

Note : 52.

The Company does not hold any Benami property and there is no proceedings initiated on pending against the Company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and the rules made thereunder.

टिप्पणी : 53.

कंपनी ने बैंकों और/या वित्तीय संस्थानों से कोई उधार नहीं लिया है.

Note : 53.

The Company has not taken any borrowings from banks and / or financial institutions.

टिप्पणी : 54.

कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है.

Note : 54.

The Company has not been declared as willful defaulter by any bank or financial institutions or other lender.

टिप्पणी : 55.

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत बंद कंपनियों के साथ कोई लेनदेन दर्ज नहीं किया है या उनका कोई समापन शेष नहीं है.

Note : 55.

The Company has not entered into any transactions with or have any closing balances of the companies struck off under section 248 of the Companies Act, 2013 or Section 560 of the Companies Act, 1956.

टिप्पणी : 56.

कंपनी के पास कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है जिनका वैधानिक अवधि के बाद भी कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण होना बाकी है.

Note : 56.

The Company does not have any charges or satisfaction which are yet to be registered with the Registrar of Companies beyond the statutory period.

टिप्पणी : 57.

कंपनी का किसी अन्य कंपनी में कोई डाउनस्ट्रीम निवेश नहीं है.

टिप्पणी : 58.

कम्पनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी भी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (यों) को अग्रिम या ऋण या निवेशित धन (या तो उधार धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार की निधि) का मध्यस्थ की धारणा सहित (चाहे लिखित या अन्य दर्ज किया गया हो) निवेश नहीं किया है :

i. कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करें या

ii. अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा आदि जैसे प्रदान करना;

टिप्पणी : 59.

कंपनी को विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टी) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (संस्थाओं) से कम्पनी की धारणा सहित (चाहे लिखित रूप में या अन्य दर्ज किया गया हो) कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है.

i. फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करें या

ii. अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की अन्य सुविधाएं प्रदान करें

टिप्पणी : 60.

कंपनी का कोई लेन-देन नहीं है, जोकि आयकर अधिनियम 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान सरेंडर या आय के रूप में प्रकट किए गए लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया है.

टिप्पणी : 61.

वर्ष के दौरान कंपनी ने क्रिप्टो चलन या वर्चुअल चलन में व्यापार या निवेश नहीं किया है.

टिप्पणी : 62. कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, प्रयोज्यता सीमा को पूरा करने वाली किसी भी कंपनी को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर खर्च करना होगा. यह धनराशि मुख्य रूप से कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट गतिविधियों के लिए आवंटित की गई थी.

Note : 57.

The Company does not have any downstream investment in any other company.

Note : 58.

The company has not advanced or loaned or invested funds (either borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) to any other person(s) or entity(ies), including foreign entities (Intermediaries) with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the Intermediary shall :

(i) directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company (Ultimate Beneficiaries) or

(ii) provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

Note : 59.

The company has not received any fund from any person(s) or entity(ies), including foreign entities (Funding Party) with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the company shall

(i) directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party (Ultimate Beneficiaries); or

(ii) provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries

Note : 60.

The company does not have any transaction, not recorded in the books of accounts that has been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act 1961.

Note : 61.

The Company has not traded or invested in the Crypto Currency or Virtual Currency during the year.

Note : 62. Corporate Social Responsibility

As per Section 135 of the Companies Act, 2013, a Company meeting the applicability threshold need to spend at least 2% of the average net profit for the immediately preceding three financial years on Corporate Social Responsibility (CSR) activities. The funds were primarily allocated to the activities which are specified in Schedule VII of the Companies Act, 2013.

₹ लाखो में / ₹ in lakhs

विवरण	Particulars	31st March 2025	31st March 2024
कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली आवश्यक सकल राशि	Gross amount required to be spent by the Company	6.71	–
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की गई राशि	Amount spent by the Company during the year	6.71	–
वर्ष के अंत में कमी	Shortfall at the end of the year	–	–
पिछले वर्ष की कुल कमी	Total of previous year shortfall	–	–
कमी का कारण	Reason for shortfall	लागू नहीं Not Applicable	
सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति	Nature of CSR Activities	प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष Prime Minister National Relief Fund	
सीएसआर से संबंधित संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण प्रासंगिक लेखा मानक के अनुसार व्यय	Details of related party transactions in relation to CSR Expenditure as per relevant Accounting Standard	लागू नहीं Not Applicable	

टिप्पणी : 63. अनुपातों का प्रकटीकरण

Note : 63. Disclosure of Ratios

अनुपात	न्यूमरेटर/भाजक	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को	भिन्नता	टिप्पणी
Ratios	**Numerator / Denominator**	**31st March 2025**	**31st March 2024**	**Variance**	**Remarks**
(क) चालू अनुपात (समय में)	चालू परिसम्पत्तियां/चालू देयताएं	1.69	2.36	-28.21%	नकदी एवं नकदी समकक्षों में वृद्धि के कारण
(a) Current ratio (in times)	Current Assets/ Current Liabilities	1.69	2.36	-28.21%	Due to Rise in Advance received from customer
(ख) ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण/शेयरधारक इक्विटी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–
(b) Debt-equity ratio	Total Debt/ Shareholders Equity	NA	NA	NA	–
(ग) ऋण सेवा कवरेज अनुपात	शुद्ध लाभ + मूल्यह्रास + ब्याज	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–
(c) Debt service coverage ratio	(net profit+ depreciation + interest) / Total amount of interest & principal of longterm & short term loan payable during the year	NA	NA	NA	–
(घ) इक्विटी अनुपात पर रिटर्न	कर पश्चात लाभ/औसत शेयरधारक की इक्विटी	12.42%	31.71%	-60.85%	लाभ में वृद्धि के कारण
(d) Return on equity ratio	PAT/ Avg. Shareholder's Equity	12.42%	31.71%	-60.85%	Due to Reduction in Profit
(ङ) इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	परिचालन बिक्री/औसत. भंडार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–
(e) Inventory turnover ratio	Operating Sales/ Avg. Stock	NA	NA	NA	–
(च) व्यापारिक प्राप्य टर्नओवर अनुपात	परिचालन बिक्री/औसत देनदार	4.78	4.09	16.80%	–
(f) Trade receivables turnover ratio	Operating Sales/ Avg. Debtors	4.78	4.09	16.80%	–
(छ) व्यापारिक देय टर्नओवर अनुपात	कुल खरीद/औसत लेखा खाते देय	4.08	3.89	5.05%	–
(g) Trade payables turnover ratio	Total Purchases/ Avg Accounts Payable	4.08	3.89	5.05%	–
(ज) नेट कैपिटल टर्नओवर अनुपात	परिचालन बिक्री/औसत कार्यशील पूंजी	2.08	2.11	-1.67%	–
(h) Net capital turnover ratio	Operating Sales/ Avg. Working Capital	2.08	2.11	-1.67%	–
(झ) शुद्ध लाभ अनुपात (प्रतिशत में)	कर पश्चात लाभ/परिचालन बिक्री	1.43%	3.79%	-62.18%	लाभ में वृद्धि के कारण
(i) Net profit ratio (in %)	PAT/ Operating Sales	1.43%	3.79%	-62.18%	Due to Reduction in Profit
(ञ) नियोजित पूंजी पर रिटर्न (प्रतिशत में)	ब्याज और कर पूर्व आय/नियोजित पूंजी (शेयरधारकों की इक्विटी + कुल ऋण - आस्थगित कर परिसंपत्ति)	14.68%	45.19%	-67.52%	लाभ में वृद्धि के कारण
(j) Return on capital employed (in %)	EBITA/ Cap. Employed (Shareholders equity + Total debt - deferred tax asset)	14.68%	45.19%	-67.52%	Due to Reduction in Profit
(ट) निवेश पर रिटर्न	निवेश आय (बाजार मूल्य में परिवर्तन सहित)/ निवेश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	–
(k) Return on investment	Investing Income (incl. Change in Mkt Value)/ Investments	NA	NA	NA	–

टिप्पणी : 64.

कंपनी ने 27 अगस्त 2024 को आयोजित निदेशक मंडल की 196वीं बैठक के मद संख्या 24 में पारित प्रस्ताव के तहत कोलकाता और तिरुवनंतपुरम में अपने परिचालन बंद कर दिए हैं. संबंधित कार्यालय की शेष संपत्तियाँ और देनदारियाँ क्रमशः दिल्ली और चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालयों को हस्तांतरित कर दी गई हैं.

टिप्पणी : 65.

कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लाभ में से चुकता इक्विटी शेयर पूंजी (रू 4.194 प्रति शेयर) पर 4.19% की दर से अंतिम लाभांश, जो रू 190.39 लाख है, प्रस्तावित किया है, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है. प्रस्तावित लाभांश की राशि अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है, जैसा लागू हो.

टिप्पणी : 66.

बोर्ड की राय में, चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों की राशियाँ सामान्य व्यावसायिक क्रम में वसूल की जाने वाली राशियों पर दर्शाई गई हैं. मूल्यह्रास और सभी ज्ञात देनदारियों का प्रावधान पर्याप्त है और यथोचित रूप से आवश्यक मानी जाने वाली राशि से अधिक नहीं है.

टिप्पणी : 67.

पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहां भी लागू हो, वर्तमान वर्ष की प्रस्तुति के साथ पुष्टि करने के लिए पुनर्वर्गीकृत किया गया है.

Note : 64.

The Company has discontinued its operations at Kolkata and Tiruvanantpuram vide Resolution passed in the Item No. 24 of 196th Meeting of Board of Directors held on 27th August'2024. The remaining assets and liabilities of the respective office are transferred to Delhi and Chennai Regional offices respectively.

Note : 65.

The Board of Directors of the Company have proposed final dividend for the year 4.19% on the paid-up Equity Share Capital (₹ 4.194 per Share) amounting to ₹ 190.39 lakhs, out of Profit of Financial Year 2024-2025, which is subject to the approval of the members at the ensuing Annual General Meeting. The amount of dividend proposed is in accordance with section 123 of the Act, as applicable.

Note : 66.

In the opinion of the Board, the current assets, loans and advances have been stated at amounts that would be realized in the ordinary course of business. The provision of depreciation and for all known liabilities is adequate and not in excess of amounts considered reasonably necessary.

Note : 67.

Previous year figures have been re-classified to confirm with current year presentation, wherever applicable.

वित्तीय विवरणों पर हस्ताक्षर
बोर्ड के लिए बोर्ड की ओर से

Signature to Notes Financial Statements
As per our report of even date
For and on behalf of Board

कर्णावत एंड कं की ओर से
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
(एफआरएन 104863W)

For KARNAVAT & CO.
Chartered Accountants
(FRN 104863W)

(विरल जोशी)
पार्टनर
एम. नं. 137686

(Viral Joshi)
Partner
M.No. 137686

प्रकाश मगदूम
प्रबंध निदेशक
डीआईएन नं : 11128316

Prakash Magdum
Managing Director
DIN No. : 11128316

राजेश कुमार
निदेशक (वित्त)
डीआईएन नं : 11233385

Rajesh Kumar
Director Finance
DIN No. : 11233385

सुमोना मजूमदार
कम्पनी सचिव
स.क्र. एफसीएस 8043

Sumona Majumdar
Company Secretary
M.No. FCS 8043

स्थान : मुंबई
दिनांक : 14.10.2025
यू डीआईएन UDIN : 25137686BMIOXM7239

Place : Mumbai
Dated : 14.10.2025

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड
के सदस्यों के लिये
वित्तीय वक्तव्यों के लेखा परीक्षण पर पर रिपोर्ट

सशर्त राय

हमने **राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड** (जिसे आगे "द कम्पनी" कहा जाएगा) के संलग्न वित्तीय वक्तव्यों का लेखा परीक्षण किया है जिनमें के 31 मार्च 2025 को तथा उसी तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के तुलनपत्र, लाभ-हानि लेखे तथा रोक़ड़ प्रवाह विवरण, साथ ही महत्वपूर्ण लेखा नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं का सारांश भी शामिल है (एकिकृत रूप से 'वित्तीय विवरण' के रूप में संदर्भित).

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के योग्य राय अनुभाग के आधार में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम, 2013 द्वारा (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जाएगा) द्वारा अपेक्षित जानकारी को आवश्यक तरीके से देते हैं और 31 मार्च, 2025 को कंपनी के मामलों की स्थिति उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसके हानि और रोकड़ प्रवाह के बारे में भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं.

सशर्त राय का आधार

(क) जैसा कि नोट 37 में उल्लेख किया गया है, गैर सरकारी लोगों से जो ऋण 3 साल की अवधि तक वसूल नहीं हो पाते उनके लिए कंपनी ने नियमित चलन के तौर पर बुरे ऋण या संदेहास्पद ऋण का प्रावधान किया है. कुल ₹ 9,170.87 लाख (प्रोविजन का नेट) में ₹ 4,605.30 लाख उन सरकारी विभागों/एजेंसियों की ओर बकाया हैं जो 3 साल की अवधि से भी ज्यादा बकाया हैं. इन्हें कंपनी द्वारा ठीक माना गया था अत : इनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया. इसके अलावा, दूरदर्शन के साथ वसूली को लेकर विवाद चल रहा है. केंद्र सरकार ने इस विवाद को निपटाने के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति की है. इस चलन के मुताबिक अब तक कंपनी की ओर से कोई प्रावधान नहीं किया गया है. तथ्य यह है कि ऋण 3 वर्ष से अधिक समय से बकाया हैं, प्राप्तियों की पुष्टि अधिकांश मामलों में उपलब्ध नहीं है और सरकारी देनदारों की प्रतिक्रिया इस तरह के ऋणों का भुगतान करने की इच्छा को इंगित करने के लिए सकारात्मक नहीं है, ऐसे ऋणों की वसूली पर एक महत्वपूर्ण संदेह पैदा करता है. इसलिए कंपनी को इन सरकारी ऋणों के संबंध में नीति निर्धारित करने और इनकी वसूली के बारे में वास्तविक प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता है. इसके अभाव में इस तरह के कर्जदारों से की गई किसी भी तरह की लिखत पढ़त को, जिसमें यह स्पष्ट हो कि उन्हें कर्ज अदायगी के लिये कितना समय दिया जाय, हम इस तरह के प्रावधानों को लेकर कोई निर्धारण करने में असमर्थ हैं.

(ख) जैसा कि नोट 38 में उल्लेख किया गया है, कंपनी के कुल व्यापार देय ₹ 9,519.62 लाख में 3 साल से अधिक की बकाया राशि ₹ 2,293.86 लाख तक शामिल है. जैसा कि पूर्वोक्त नोट में उल्लेख किया गया है, ये भुगतान अंतिम ग्राहकों से प्राप्य राशि के अनुरूप हैं और इस प्रकार उसमें बताए गए कारण के लिए, व्यापार देय राशि वापस नहीं लिखी जाती है. अंत ग्राहकों से व्यापार प्राप्तियों की वसूली के किसी भी ठोस सबूत और प्रमाण के अभाव में, हम इस तरह के भुगतानों की संभावना और हिस्से का न्याय करने में असमर्थ हैं और ऐसे लेनदारों की राशि को वापस लिखा जाना है, यदि कोई हो.

(ग) ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम ₹ 12,997.15 लाख, और अन्य अग्रिम ₹ 113.48 लाख जैसा कि नोट 8 में बताया गया है "अन्य मौजूदा देनदारियों" में कई अग्रिम शामिल हैं जो 1 वर्ष से अधिक बकाया हैं. उसी प्रकार नकद या वस्तु के रूप में वसूली योग्य अग्रिम ₹ 3,936.74 लाख और फिल्मों के निर्माण के लिए अग्रिम ₹ 1,598.35 लाख, जैसा कि नोट 17 "अल्पकालिक ऋण

Independent Auditor's Report

To The Members of
National Film Development Corporation Limited
Report on the Audit of Financial Statements

Qualified Opinion

We have audited the Financial Statements of **National Film Development Corporation Limited** (hereinafter referred to as "the Company"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2025, the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the Financial Statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information (collectively referred to as 'Financial Statements').

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the possible effects of the matter described in the Basis of Qualified Opinion section of our report, the aforesaid Financial Statements give the information required by the Companies Act, 2013 (hereinafter referred to as "the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2025, its loss and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Qualified Opinion

(a) As mentioned in Note 37, the company is making provision for bad and doubtful debt for any debts outstanding for more than 3 years, in respect to non-government debtors as a regular practice. The Total trade receivables of ₹ 9,170.87 Lakhs (net of provision) includes debtors for a sum of ₹ 4,605.30 Lakhs pertaining to government department/ agencies which are outstanding for the period more than 3 years and these were considered good by the company, and for which no provision is being made. Further, there is an on-going dispute with Door-Darshan on recoverability (The Central Government has appointed an arbitrator to resolve the dispute) of dues, yet as a practice, no provision is being made by the company. The facts that debts are outstanding for more than 3 years, confirmations of receivables are not available in most of the cases and there is no response from government debtors to the reminders sent by the company; raise a significant doubt on recoverability of such debts. Therefore, the company needs to adopt a policy for making provisions in respect to such government debts and a realistic presentation of recoverable should be made. In absence of any concrete outcome of correspondence with such debtors, so as to show the quantum and time by which such debts shall be paid, we are unable to quantify the amount of such provision to be made.

(b) As mentioned in Note 38, the company's trade payables of ₹ 9,519.62 Lakhs include amounts outstanding beyond 3 years to the extent of ₹ 2,293.86 Lakhs. As mentioned in the aforesaid notes, these payables are corresponding to the receivables from the end customers and thus for the reason stated therein, the trade payables are not written back. In absence of, any concrete evidence of recoverability of the trade receivables from the end customers and quantum thereof, we are unable to judge the possibility and quantum of such payables and quantify the amount of such creditors to be written back, if any.

(c) Advances received from Customers ₹ 12,997.15 Lakhs and other advances ₹ 113.48 Lakhs as disclosed in Note 8 "Other current liabilities" include several advances which are outstanding beyond 1 year. Similarly, advances recoverable in cash or kind ₹ 3,936.74 Lakhs and advances for production of films ₹ 1,598.35 Lakhs as

और अग्रिम" में बताया गया है, में एक वर्ष से अधिक बकाया प्राप्तियां भी शामिल हैं. जैसा कि हमें सूचित किया गया है, ये अग्रिम उन चालू परियोजनाओं के संबंध में हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं. परियोजनावार विवरण और इसके मिलान के अभाव में, हम वित्तीय प्रभाव का पता लगाने तथा प्रावधान की राशि यदि कोई हो, की मात्रा निर्धारित करने में असमर्थ हैं.

(घ) जैसे कि नोट 7 में उल्लेख किया गया है जिसे नोट 50 के साथ पढा जाए कंपनी को कुछ आपूर्तिकर्ताओं से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) के तहत उनकी स्थिति और सूक्ष्म और लघु उद्यम 31 मार्च 2025 तक ₹ 1,407.44 लाख है. एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 15 के अनुसार, खरीददार उसके और आपूर्तिकर्ता के बीच लिखित रूप से सहमत होने की तारीख पर या उससे पहले भुगतान करेगा या, जहां इस संबंध में कोई समझौता नहीं है, नियत तिथि से पहले जो किसी भी स्थिति में 45 दिन से अधिक नहीं होगा. विलंबित भुगतान के मामले में, कंपनी बैंक दर के तीन गुना चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है. 31 मार्च 2025 तक, 45 दिनों से अधिक बकाया ऐसे सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए देय व्यापार राशि ₹ 555.39 लाख थी और 31 मार्च 2025 तक ऐसे बकाया देय पर देय ब्याज ₹ 752.39 लाख था. इसके अलावा इस वर्ष तथा पिछले वर्ष के दौरान भुगतान के मामले में 45 दिनों से अधिक का विलंब हुआ था जिस पर एमएसएमईडी अधिनियम के तहत ब्याज भी देय है और 31 मार्च, 2025 तक बकाया संचित ब्याज ₹ 960.71 लाख था. तथापि, उक्त नोट में बताए गए कारण के लिए, कंपनी ने लेखा पुस्तकों में इस तरह के ब्याज के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है. इसके अलावा, एमएसएमई विक्रेताओं के संबंध में ब्याज, जिनका बकाया 45 दिनों से अधिक बकाया था और मूल राशि 31 मार्च, 2025 को या उससे पहले चुकाई गई थी, ऐसा ब्याज न तो प्रदान किया गया है और न ही भुगतान किया गया है और न ही वित्तीय विवरणों में इसका खुलासा किया गया है.

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार अपना लेखापरीक्षण किया. उन मानकों के तहत हमारी ज़िम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण के लिए लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है. हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही अधिनियम और उसके तहत नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षण के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है. हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं.

मामले की विशेषताएं

हम विविध देनदारों, ऋणों और अग्रिमों, जमाराशियों और चालू देनदारियों में शेष राशि के बारे में वित्तीय विवरणों के नोट 27 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें आयकर, सेवा कर और जीएसटी के संबंध में कुछ शेष राशि शामिल है, जो पुष्टि, समाधान और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन है. वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, अनिश्चित है.

प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2025 तक सकल ब्लॉक ₹ 2.77 लाख के साथ स्पुतनिक में कार्यालय परिसर के शीर्षक विलेख पूर्ववर्ती फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम पर हैं, जिसे 11 अप्रैल, 1980 को कंपनी के साथ मिला दिया गया था और हाउसिंग सोसाइटी द्वारा कंपनी के पक्ष में केवल शेयर प्रमाणपत्र जारी किया गया है.

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है.

disclosed in Note 17 "Short term loans and advances" also include receivables which are outstanding beyond 1 year. As informed to us, these advances are in respect of ongoing projects which are not yet completed. In absence of its reconciliation, we are unable to ascertain the financial impact and quantify the amount of provision, if any.

(d) As mentioned in Note 7 read with Note 50, the Company has received intimation from few Suppliers regarding their status under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (MSMED Act) and the amounts unpaid as at the year-end to the micro and small enterprises as on March 31, 2025 is ₹ 1,407.44 Lakhs. As per section 15 of MSMED Act, the buyer shall make payment therefore on or before the date agreed upon between him and the supplier in writing or, where there is no agreement in this behalf, before the appointed day which shall in no case exceed 45 days. In case of delayed payments, the company is liable to pay compound interest at three times the bank rate. As on March 31, 2025, the trade payables towards such micro and small enterprises outstanding beyond 45 days was amounting to ₹ 555.39 Lakhs and interest payable on such outstanding payables till March 31, 2025 was ₹ 752.39 Lakhs. Further, in case of payments during the year and previous year, there were delays beyond 45 days, on which also interest is payable under the MSMED Act. The accumulated accrued interest remaining unpaid on outstanding MSME Creditors as on March 31, 2025 was ₹ 960.71 Lakhs. However, for the reason stated in the aforesaid note, the Company has not made any provision for such interest in the books. Further, Interest in respect MSME Vendors whose dues were outstanding beyond 45 days and principal amount was paid on or before March 31, 2025, such interest has neither been provide & paid nor disclosed in the financial statements.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Financial Statements under the provisions of the Act and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

We draw attention to Note 27 of the Financial Statements regarding the Balances in Sundry Debtors, Loans and Advances, Deposits and Current Liabilities including few balances in respect of Income Tax, Service Tax & GST are subject to confirmation, reconciliation and consequential adjustment, if any, on the reconciliation. The financial impact, if any, is unascertained.

As per the information and explanation given to us by the management, the title deeds of Office Premises at Sputnik with Gross Block ₹ 2.77 Lakhs as at March 31, 2025 are held in the name of earstwhile Film Finance Corporation Limited, which was amalgamated with the company w.e.f. April 11, 1980 and only share certificate is issued in favour of the Company by the Housing Society.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

बुनियादी लेखा परीक्षण मामले

बुनियादी लेखा परीक्षण मामलों में वे मामले आते हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णयों में 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए. वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण में अत्यधिक महत्व के होते हैं. वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षण में तथा इन पर अपनी राय कायम करने में इन्हें समग्र रूप में संबोधित किया गया है.इस संबंध में अलग से कोई राय जाहिर नहीं की गई है. हमने निम्नलिखित मामलों को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है :

Key Audit Matters

Key Audit Matters are those matters that in our professional judgment were of most significance in our audit of the Financial Statements for the year ended March 31, 2025. These matters were addressed in the context of our audit of the Financial Statements as a whole and in forming our opinion thereon and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the Key Audit Matters to be communicated in our report :

	प्रमुख लेखा परीक्षण मामले	हमारी प्रतिक्रिया
1	**परिभाषित लाभ दायित्व** कंपनी में सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं का मूल्यांकन छूट दर, भविष्य में वेतन वृद्धि, मुद्रास्फीति की दर, मृत्यु दर और नौकरी छोड़ने की दर सहित विभिन्न बीमांकिक मान्यताओं के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है. इन योजनाओं के आकार के कारण, इन मान्यताओं में छोटे-छोटे बदलाव अनुमानित परिभाषित लाभ दायित्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं.	हमने सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्रावधान तय करने में सदस्य डेटा, धारणाओं के निर्माण और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया से जुड़ी प्रक्रिया पर प्रमुख नियंत्रणों की जांच की है. हमने एक्चुरियल धारणाओं को निर्धारित करने और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा उन धारणाओं को मंजूरी देने के लिए नियंत्रणों का परीक्षण किया. हमने पाया कि इन प्रमुख नियंत्रणों को प्रभावी ढंग से डिजाइन, कार्यान्वित और संचालित किया गया था, और इसलिए हमने निर्धारित किया कि हम अपने ऑडिट के उद्देश्यों के लिए इन प्रमुख नियंत्रणों पर भरोसा कर सकते हैं. हमने दायित्व की गणना में उपयोग किए गए कर्मचारी डेटा का परीक्षण किया और जहाँ महत्वपूर्ण था, हमने कटौती, निपटान, पिछली सेवा लागत, पुनर्मापन, भुगतान किए गए लाभ और वर्ष के दौरान दायित्वों में किए गए किसी भी अन्य संशोधन के उपचार पर भी विचार किया. प्राप्त साक्ष्य से, हमने पाया कि सेवानिवृत्ति लाभ दायित्वों के लिए बीमांकिक मूल्यांकन में प्रबंधन द्वारा उपयोग किए गए डेटा और धारणाएँ उचित थीं.
2	**पिछले वर्षों से संबंधित परिसंपत्तियों और देनदारियों के अंतर्गत विभिन्न खातों का प्रावधान, समाधान और समायोजन :** इसमें शामिल राशियों की महत्ता, वार्ता/चर्चा/मध्यस्थता/मुकदमेबाजी के परिणाम से जुड़ी अनिश्चितता, सूचना की उपलब्धता और इसके मूल्यांकन में शामिल महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय को ध्यान में रखते हुए, इसे वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना गया. इसमें शामिल राशियों की महत्ता, वार्ता/चर्चा/मध्यस्थता/मुकदमेबाजी के परिणाम से जुड़ी अनिश्चितता, सूचना की उपलब्धता और इसके मूल्यांकन में शामिल महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय को ध्यान में रखते हुए, इसे वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना गया.	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे : परिसंपत्तियों और देनदारियों के अंतर्गत खातों के प्रावधान, समाधान और समायोजन तथा ऋण और अग्रिम के अंतर्गत अग्रिमों के समायोजन और अग्रिमों की वसूली की समझ प्राप्त करना; प्रावधान, वसूली और राशियों के समायोजन के लिए उठाए गए कदमों के संबंध में प्रबंधन के साथ व्यापक रूप से चर्चा की गई और नियंत्रणों की डिजाइन और परीक्षण परिचालन प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया; इन खातों को मान्यता देने में प्रबंधन द्वारा लिए गए निर्णयों और लगाए गए अनुमानों की उचितता का आकलन किया और उन्हें पुष्टिकारी साक्ष्यों के साथ मान्य किया; विभिन्न चरणों में लंबित संबंधित दावों के लिए वर्तमान अवधि के विकास की समझ प्राप्त की गई; यह मूल्यांकन किया गया कि क्या प्रबंधन द्वारा किए गए खुलासे लागू लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं; हमारी प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन के दौरान हमारे द्वारा देखी गई अनियमितताओं का उल्लेख वित्तीय विवरण के नोट 37 और नोट 38 में किया गया है, जिन्हें इस रिपोर्ट के आधार पैरा में पैरा ए और बी के साथ पढ़ा गया है.

	Key Audit Matter	Our Response
1	**Defined benefit obligation** The valuation of the retirement benefit schemes in the Company is determined with reference to various actuarial assumptions including discount rate, future salary increases, rate of inflation, mortality rates and attrition rates. Due to the size of these schemes, small changes in these assumptions can have a material impact on the estimated defined benefit obligation.	We have examined the key controls over the process involving member data, formulation of assumptions and the financial reporting process in arriving at the provision for retirement benefits. We tested the controls for determining the actuarial assumptions and the approval of those assumptions by senior management. We found these key controls were designed, implemented and operated effectively, and therefore determined that we could place reliance on these key controls for the purposes of our audit.

	Key Audit Matter	Our Response
		We tested the employee data used in calculating the obligation and where material, we also considered the treatment of curtailments, settlements, past service costs, remeasurements, benefits paid, and any other amendments made to obligations during the year. From the evidence obtained, we found the data and assumptions used by management in the actuarial valuations for retirement benefit obligations to be appropriate.
2	**Provisioning, Reconciliation and Adjustments of various accounts under assets and liabilities pertaining to earlier years :** Considering the materiality of the amounts involved, uncertainty associated with the outcome of the negotiations/ discussions/ arbitration/ litigation, availability of information and significant management judgement involved in its assessment, this was considered to be a key audit matter in the audit of the financial statements. Considering this matter is fundamental to the understanding of the user of financial statement, we draw attention to Note 37 & Note 38 of the Financial Statement regarding recoverability, provisioning, adjustments relating to above discussed accounts.	Our audit procedures included the following : Obtaining understanding of the Provisioning, Reconciliation and Adjustments of accounts under assets and liabilities and adjustment of advances under loans and advance and recovery of advances; Discussed extensively with management regarding steps taken for provisioning, recovering and adjusting the amounts and evaluated the design and testing operating effectiveness of controls; Assessed the reasonability of judgements exercised and estimates made by management in recognition of these accounts and validating them with corroborating evidence; Obtained an understanding of current period developments for respective claims pending at various stages; Assessed that the whether the disclosures made by the management are in accordance with applicable accounting standards; Irregularities observed by us while carrying out our procedures are mentioned in Note 37 & Note 38 of the Financial Statement read with Para a & b in the Basis of Opinion para of this report.

वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार हैं. अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है.

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं.

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारे ज्ञान से भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है. यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई भौतिक रूप से गलत विवरण है, तो हमें इस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है. इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है.

वित्तीय वक्तव्यों पर प्रबंधन का दायित्वऔर शासन का प्रभार संभालने वाले

इन वित्तीय वक्तव्यों को तैयार करने का दायित्व कंपनी के निदेशक मंडल का है जिनमें कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा रोकड़ प्रवाह का समुचित परिदृश्य उन लेखा मानकों के अनुरूप प्रस्तुत किया गया हो जिनका उल्लेख कंपनी एक्ट 2013 (द एक्ट) के सेक्शन 134 (5) के अंतर्गत किया गया है. इस दायित्व में डिजाइन, परिपालन तथा आंतरिक नियंत्रणों की देखभाल आदि इस प्रकार शामिल हों जो विवरणों का सच्चा तथा समुचित परिदृश्य प्रस्तुत करें, जिसमें धोखाधड़ी या गलती से उत्पन्न कोई गलतबयानी न हो. साथ ही ये भारत में आमतौर पर अपनाये जाने वाले लेखा मानकों के अनुरूप हों जिनमें लेखाओं के वे मानक शामिल हों जिनका उल्लेख एक्ट के सेक्शन 133 में है इस उत्तरदायित्व में एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप लेखाओं के समुचित रिकॉर्ड्स रखना भी शामिल है जिनसे कि कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा की जा सके और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोका जा सके एवं उनका पता लगाया जा सके ; समुचित

Information other than Financial Statements and auditor's report thereon

The Company's Board of Directors are responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the Financial Statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the Financial Statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Financial Statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report the fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act with respect to the preparation of Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and Cash Flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the accounting Standards specified under section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable

लेखा परीक्षण प्रणालियों का चुनाव करके उन्हें लागू किया जा सके ; तर्कसंगत निर्णय और अनुमान लगाये जा सकें ; समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के तरीके सोच कर उन्हें लागू किया जा सके जिनसे लेखाओं के रिकॉर्ड्स की शुद्धता तथा संपूर्णता सुनिश्चित की जा सके, जिनकी सहायता से सच्चे एवं निष्पक्ष वित्तीय विवरण तैयार किये जा सकें जो धोखाधड़ी या फिर भूलचूक से उत्पन्न भ्रांतिपूर्ण विवरणों से मुक्त हों.

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में यह प्रबंधन का उत्तरदायित्व है कि वह कंपनी के आगे चलते रह सकने की संभावनाओं का अनुमान लगा सके. उसे वे मामले उजागर करने चाहिएं जो किसी कंपनी के आगे चलते रह सकने की संभावनाओं के लिए आवश्यक होते हैं. उसे अकाउंटिंग बेसिस के लिए भी कंपनी की आगे चल सकने की क्षमताओं का आकलन करना चाहिए. अगर प्रबंधन कंपनी को बंद करना चाहता हो या लीज ऑपरेशंस समाप्त करना चाहता हो या उसके पास ऐसा करने के अलावा और कोई वास्तविक विकल्प नहीं है.

निदेशक मंडल का यह भी दायित्व है कि वह कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया पर नजर बनाए रखे.

वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के लिए लेखा परीक्षकों के दायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से सामग्री के गैर कथन से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है. उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार आयोजित एक लेखा परीक्षण हमेशा मौजूद होने पर किसी सामग्री के गलत विवरण का पता लगाएगा. गलतियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि और मानी जाने वाली सामग्री से उत्पन्न हो सकती हैं, अगर, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, तो इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है.

एस ए की अनुरूपता के अनुकूल लेखा परीक्षण के एक भाग के तौर पर हम पेशेवर निर्णय लागू करते हैं और पूरे लेखापरीक्षण में पेशेवर संशयात्मकता बनाए रखते हैं. साथ ही हम :

- धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत होने के जोखिम को पहचानें और उनका आकलन करें, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और निष्पादित करें, और लेखा परीक्षण प्रमाण प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो. धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की ओवरराइड शामिल हो सकती है.

- लेखा परीक्षण मे प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रणों की जानकारी हासिल करते हैं जिससे लेखा परीक्षण की वह प्रक्रिया निर्धारित की जा सके जो परिस्थितिओं के अनुसार उपयुक्त साबित हो. सेक्शन 143 (3) (i) के अंतर्गत हम पर इस बात के लिए भी अपनी राय प्रकट करने की जिम्मेदारी है कि क्या कंपनी में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सही तरीके से काम कर रही है और सभी नियंत्रण प्रभावी हैं.

- अकाउंटिंग की जो नीतियां अपनाई जा रही हैं, उनकी तथा अकाउटिंग अनुमानों केऔचित्य एवं प्रबंधन की ओर से प्रस्तुत खुलासों की उपयुक्तता एवं तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना.

- प्रबंधन द्वारा किए जा रहे अकाउंटिंग आधार की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना तथा लेखापरीक्षण के लिए प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह जांचना कि क्या घटनाओं या परिस्थितियों से जुड़ी ऐसी कोई वस्तुगत अनिश्चितता मौजूद है जिससे कंपनी की आगे कार्य करते रह सकने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा होता हो. अगर हमारा निर्णय यह हो कि वस्तुगत अनिश्चितता विद्यमान है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने लेखा परीक्षण के वित्तीय विवरण में इस संबंधित खुलासे की ओर ध्यान आकर्षित करें या फिर अगर इस प्रकार के खुलासे अपर्याप्त हों तो अपनी राय बदलें. हमारे नतीजे हमारे लेखा परीक्षण की तारीख तक हमें मिले साक्ष्यों पर आधारित हैं. लेकिन संभवत :,आगे आने वाली घटनाएं या परिस्थितियां कंपनी को अपनी गतिविधियां समाप्त करने पर मजबूर कर सकती हैं.

and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Financial Statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also :

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

- वित्तीय विवरणों की कुल प्रस्तुतिकरण, संचरना तथा सामग्री का मूल्यांकन करना जिसमें खुलासे भी शामिल हों, और यह देखना कि वित्तीय विवरण बुनियादी लेनदेन और घटनाओं का प्रतिनिधित्व इस तरह करते हों जिससे साफ सुथरे प्रस्तुतिकरण की छवि उजागर हो.

भौतिकता वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की वह मात्रा है जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर यह संभावना बनाती है कि वित्तीय विवरणों के किसी उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं. हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलत बयान के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं.

हम उन सब के साथ भी बातचीत करते हैं जिन पर अन्य मामलों के अलावा सुनियोजित व्यापकता तथा लेखा परीक्षण के समय को लेकर तथा आंतरिक नियंत्रणों के उन महत्वपूर्ण निष्कर्षों या महत्वपूर्ण कमियों को लेकर जो हमने लेखा परीक्षण के दौरान स्पष्ट किए, अभिशासन के संबंध में आरोप लगते हैं.

जिन पर अभिशासन के संबंध में आरोप लगते हैं, हम उन्हें वह विवरण भी उपलब्ध कराते हैं जो हमने प्रासंगिक, नैतिक आवश्यकताओं के अनुरूप संकलित किया हो. हम उन्हें उन सभी संबंधों सहित, जिनके बारे में यह समझा जा सकता हो कि वे हमारे स्वतंत्र विचार चिंतन पर असर डाल सकते हैं, और जहां उपयुक्त हो वहां संबंधित बचाव संसूचित करते हैं.

शासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं. हम इन मामलों का वर्णन अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक होने की उम्मीद है.

अन्य कानूनी तथा नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") की आवश्यकता के अनुसार और कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की ऐसी जाँच के आधार पर, जैसा कि हमने उचित समझा और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम अनुबंध-ए में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान देते हैं, जहां तक लागू हो.

2. जैसा कि नियम की धारा 143 (3) में अपेक्षित है, हम उपरोक्तानुसार रिपोर्ट करते हैं कि :

क) हमने उपरोक्त योग्य राय पैरा के आधार पर वर्णित मामले के संभावित प्रभाव को छोड़कर सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे;

ख) हमारी राय में, उपर्युक्त योग्य राय पैरा के आधार पर वर्णित मामले के संभावित प्रभाव को छोड़कर, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जहां तक उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है;

ग) इस रिपोर्ट के साथ जिस तुलनपत्र तथा लाभ हानि के विवरण तथा रोक़ड प्रवाह से वास्ता रहा, उसका बही खातों से सामंजस्य था.

घ) हमारी राय में, उपर्युक्त योग्य राय पैरा के आधार पर वर्णित मामले के संभावित प्रभाव को छोड़कर, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा)

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Financial Statements including the disclosures, and whether the Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the Financial Statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the Financial Statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of Sub-section (11) of Section 143 of the Act and on the basis of such checks of the books and records of the Company as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us, we give in the Annexure-A a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order, to the extent applicable.

2. As required by section 143(3) of the Act, we report that :

a) We have sought and obtained all the information and explanations, except for the possible effect of the matter described in basis of qualified opinion para above, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;

b) In our opinion, except for the possible effect of the matter described in basis of qualified opinion para above, proper books of account as required by law have been kept by the Company, so far as appears from our examination of those books;

c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account;

d) In our opinion, except for the possible effect of the matter described in basis of qualified opinion para above,

नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं.

ङ) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015, निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) कंपनी पर लागू नहीं होती है, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है.

च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, अनुलग्नक-बी में हमारी अलग रिपोर्ट देखें.

छ) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है.

ज) कंपनी के (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षकों) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि –

i. कंपनी के पास कोई भी ऐसा मुकदमा लंबित नहीं है जो लेखा नोट में उल्लिखित मामलों के अलावा उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करता हो.

ii. कंपनी ने डेरीवेटिव अनुबंधों समेत कोई दीर्घकालीन अनुबंध नहीं किये हैं जिनमें भविष्य में हानि होने की कोई संभावना उत्पन्न होने की आशंका हो.

iii. ऐसे कोई राशि नहीं पाए गये जिन्हें कंपनी द्वारा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में स्थानांतरित करने की आवश्यकता हो.

iv.

(क) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कोई भी निधि अग्रिम या ऋण या निवेश नहीं किया गया है (उधार ली गई निधि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत से) कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (यों) में, विदेशी संस्थाओं सहित ("मध्यस्थ"), इस समझ के साथ मध्यस्थ के चाहे अनुसार लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार या निवेश करेगा ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा के समान प्रदान करना.

(ख) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (यों) से कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है, विदेशी संस्थाओं ("फंडिंग पार्टियां") सहित, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी, जो किसी भी तरीके से या उसकी ओर से पहचानी गई हो. फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस समान प्रदान करते हों; तथा

(ग) उपरोक्त अभ्यावेदनों के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि उपरोक्त अभ्यावेदनों में कोई भी गलत तथ्य निहित है.

the aforesaid Financial Statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

e) The Notification number G.S.R. 463(E) dated 5th June, 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, section 164(2) of the Act regarding the disqualifications of Directors is not applicable to the Company, since it is a Government Company.

f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in Annexure-B.

g) As per Notification no. G.S.R. 463(E) dated 5th June 2015 issued by the Ministry of Corporate Affairs, provisions of Section 197 of the Act are not applicable to the company, since it is a Government Company.

h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with the Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we report that :

i. The Company does not have any pending litigations which would impact its financial position other than those mentioned in notes to accounts.

ii. The Company did not have any long term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.

iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund by the Company.

iv.

(a) As per the information and explanation given to us by the management, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the company to or in any other person or entity, including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

(b) As per the information and explanation given to us by the management, no funds have been received by the company from any person or entity, including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries; and

(c) On the basis of above representations, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the above representations contained any material mis-statement.

v.

(क) कंपनी ने पिछले वर्ष कोई लाभांश घोषित नहीं किया था;

(ख) कंपनी द्वारा कोई अंतरिम लाभांश घोषित नहीं किया गया है;

(ग) कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है. प्रस्तावित लाभांश की राशि अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है, जैसा लागू हो; और

vi. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच और हमारे द्वारा निष्पादित अन्य आम तौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं शामिल थीं, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए एक लेखा सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है. हालाँकि, सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेन-देन के लिए यह साल के कुछ हिस्से के लिए चालू था. इसके अलावा, हमारे ऑडिट के दौरान, हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला.

चूंकि कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान 1 अप्रैल, 2023 से लागू है, इसलिए रिकॉर्ड प्रतिधारण की वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल के संरक्षण पर कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 (जी) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है.

v.

(a) The Company did not declare any dividend in the previous year;

(b) No Interim Dividend is declared by the Company;

(c) The Board of Directors of the Company have proposed final dividend for the year which is subject to the approval of the members at the ensuing Annual General Meeting. The amount of dividend proposed is in accordance with section 123 of the Act, as applicable; and

vi) Based on our examination, which included test checks, and other generally accepted audit procedures performed by us, we report that the company has used an accounting software for maintaining its books of account which has a feature of recording audit trail (edit log) facility. However, the same was operational for part of the year for all relevant transactions recorded in the software. Further, during the course of our audit, we did not come across any instance of audit trail feature being tampered with.

As provision to Rule 3(1) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 is applicable from April 1, 2023, reporting under Rule 11 (g) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 on preservation of audit trail as per the statutory requirements of record retention is not applicable for the financial year ended March 31, 2025.

i) धारा 143(5) के तहत अपेक्षित अनुसार, हम धारा के तहत जारी निम्नलिखित निर्देशों पर रिपोर्ट करते हैं :

i) As required under section 143(5), we report on the following directions issued under the section as under :

	दिशा – निर्देश	उत्तर
1.	कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति-पश्चात लाभों के लिए कंपनी द्वारा सीधे या ट्रस्टों के माध्यम से किए गए सभी निवेशों, उद्धृत और अउद्धृत, दोनों का उचित मूल्यांकन करें. इसमें मूल्यांकन पद्धतियों का सत्यापन, भारतीय लेखा मानक (इंड अकाउंटेंट) के साथ संगति सुनिश्चित करना और सहायक दस्तावेज़ों की समीक्षा शामिल है. लेखा परीक्षक मूल्यांकन पद्धति, उसकी तर्कसंगतता और लागू विनियमों के अनुपालन पर एक संक्षिप्त नोट प्रदान करेगा, और किसी भी महत्वपूर्ण विचलन या गलत विवरण की रिपोर्ट करेगा.	लागू नही
2.	क्या कंपनी के पास आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी सिस्टम के बाहर लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने से खातों की अखंडता पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ-साथ वित्तीय प्रभावों, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाना चाहिए.	हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सभी प्रमुख लेखांकन लेनदेन को आईटी सिस्टम के माध्यम से संसाधित करने की व्यवस्था है. इसके अलावा, हमें यह भी बताया गया कि आईटी सिस्टम के बाहर कोई भी लेखांकन लेनदेन नहीं होता है, इसलिए, यह खातों के विवरण की अखंडता को प्रभावित नहीं करता है.
3.	क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) का लेखा-जोखा लागू लेखांकन मानकों या मानदंडों के अनुसार उचित रूप से किया गया था और क्या प्राप्त धनराशि का उपयोग उसकी शर्तों के अनुसार किया गया था? क्या प्राप्त अनुदानों पर अर्जित ब्याज का लेखा-जोखा अनुदान की शर्तों के अनुसार किया गया है? विचलन के मामलों की सूची बनाएँ.	कंपनी को फिल्म निर्माण, मीडिया अभियान, फिल्म सुविधा आदि के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से धनराशि प्राप्त हुई है. हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा लेखा पुस्तकों के सत्यापन के आधार पर, हमारा मत है कि कंपनी द्वारा प्राप्त धनराशि का उचित लेखा-जोखा रखा गया है तथा कंपनी द्वारा उसका उपयोग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया गया है.
4.	क्या कंपनी ने प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की पहचान की है? यदि हाँ, तो क्या कंपनी ने इन जोखिमों को कम करने के लिए कोई जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है? यदि हाँ, तो (क) क्या जोखिम प्रबंधन नीति वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है? (ख) क्या कंपनी ने अपनी डेटा परिसंपत्तियों की पहचान की है और क्या उनका उचित मूल्यांकन किया गया है?	कंपनी ने औपचारिक रूप से जोखिम प्रबंधन नीति अपना ली है. हालाँकि, कंपनी डेटा परिसंपत्तियों की पहचान और उनके मूल्यांकन की प्रक्रिया में है.
5.	क्या कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, और सेबी, निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, सीईआरटी-आईएन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के अन्य लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन कर रही है, जहां भी लागू हो?	हमारे समक्ष प्रस्तुत बाहरी विशेषज्ञों की रिपोर्ट और हमारे द्वारा की गई परीक्षण जांच के आधार पर, हमें सकल गैर-अनुपालन का कोई मामला नहीं मिला.

	दिशा – निर्देश	उत्तर
6.	क्या किसी मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों/ ऋणों/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए. क्या ऐसे मामलों का उचित हिसाब-किताब रखा जाता है? (यदि ऋणदाता सरकारी कंपनी है, तो इसका निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है).	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी ऋण का पुनर्गठन या ऋण/ऋण/ब्याज की कोई छूट/बट्टे खाते में डालने का काम नहीं किया गया.

	Directions	Replies
1.	Assess the fair valuation of all the investments, both quoted and unquoted, made directly by the Company or through Trusts, for Post retirement benefits of the employees. This includes verifying valuation methodologies, ensuring consistency with Ind AS and reviewing supporting documentation. The auditor shall provide a brief note on the valuation approach, its reasonability, and compliance with applicable regulations, reporting any material deviations or misstatements.	Not Applicable
2.	Whether the Company has a system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated	In our opinion and according to the information and explanations given to us, system is in place to process all major accounting transaction through IT system. Further, we were given to understand that there are no accounting transactions outside IT system, therefore, it does not affect the integrity of the statement of accounts.
3.	Whether funds (grants/ subsidy etc.) received/ receivable for specific schemes from Central/State Government or its agencies were properly accounted for as per the applicable accounting standards or norms and whether the received funds were utilised as per its terms and conditions? Whether accounting of interest earned on grants received has been done as per terms and conditions of the Grant. List the cases of deviation.	The Company has received the funds from Ministry of Information and Broadcasting under various schemes for production of films, Media Campaign, Film Facilitation, etc. Based on information and explanation provided to us and on verification of books of accounts, we are of the opinion that the fund received by the Company were properly accounted for and utilised by the Company in accordance with the terms and conditions specified by The Ministry of Information and Broadcasting.
4.	Whether the Company has identified the key Risk areas? If yes, whether the Company has formulated any Risk Management Policy to mitigate these risks? If yes, (a) whether the Risk Management Policy has been formulated considering global best practices? (b) whether the Company has identified its data assets and whether it has been valued appropriately?	The Company has formally adopted Risk Management Policy. However, the Company is in the process of identifying data assets and its valuation.
5.	Whether the Company is complying with the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and other applicable rules and regulations of SEBI, Department of Investment and Public Asset Management, Ministry of Corporate Affairs, Department of Public Enterprises, Reserve Bank of India, Telecom Regulatory Authority of India, CERT-IN, Ministry of Electronics and Information Technology and National Payments Corporation of India wherever applicable?	Based on the reports of the external experts furnished before us and test checks performed by us, we did not come across any instances of gross non-compliances.
6.	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts /loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. Whether such cases are properly accounted for? (in case, lender is Government Company, then its direction is also applicable for statutory auditor of lender company).	According to the information and explanations given to us, no restructuring of any loan or any waiver/ write off of debts/ loans/ interest was done during the financial year.

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – "क"

अन्य कानूनी तथा नियामक आवश्यकताओं पर अनुलग्नक रिपोर्ट के पैरा 1 के उसी तिथि के संदर्भ में. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड (द कंपनी) के सदस्यों के लिये 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिएहम रिपोर्ट करते हैं कि :

i. इसकी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के संबंध में :

(क)

(1) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के मात्रात्मक विवरण एवं स्थिति सहित विवरण दर्शाने वाले अभिलेखों को अद्यतन करने की आवश्यकता है;

(2) अमूर्त परिसंपत्तियों के मात्रात्मक विवरण एवं स्थिति सहित विवरण दर्शाने वाले अभिलेखों को अद्यतन करने की आवश्यकता है;

(ख) कंपनी के पास अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है जो हमारी राय में कंपनी के आकार और इसकी संपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए उचित है. इस कार्यक्रम के अनुसार, प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान कुछ अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है और ऐसे सत्यापन में कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गई हैं;

(ग) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, अचल संपत्तियों का टाइटल डीड कंपनी के नाम पर है उन संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी एक पट्टेदार है और पट्टे के पक्ष में पट्टे के करार को विधिवत निष्पादित किया जाता है) वित्तीय विवरणों में प्रकटित सिवाय स्पूतनिक में ऑफिस के लिए जगह लेने के जिसमें ग्रॉस ब्लॉक शामिल है (एकत्रित ₹ 2.77 लाख), 31 मार्च 2025 को, वहां जहां टाइटल डीड्स पूर्ववर्ती फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम पर हैं जिसका 11 अप्रैल 1980 को कंपनी के साथ विलय कर दिया गया था और हाउसिंग सोसाइटी द्वारा सिर्फ शेयर सार्टिफिकेट एनएफडीसी के पक्ष में जारी किया गया है.

(घ) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (संपत्ति का उपयोग करने के अधिकार सहित) अथवा अवास्तविक संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है. तदनुसार, आदेश के का खंड 3 (i)(डी) वर्ष के लिए कंपनी पर लागू नहीं होता है.

(ङ) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, और इसलिए आदेश के खंड 3(i)(ई) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 और उसके तहत बने नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है.

ii. इसकी सूची के संबंध में :

(क) प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया गया है. हमारी राय में, सत्यापन की आवृत्ति उचित है. पुस्तक अभिलेखों की तुलना में इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गई;

(ख) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर पाँच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा मंजूर नहीं की गई है और इसलिए आदेश के खंड 3(ii) (ख) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं.

Annexure – "A" to Independent Auditor's Report

The Annexure referred to in paragraph 1 under the 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' our report to the members of National Film Development Corporation Limited, ('the Company') for the year ended on March 31, 2025. We report that :

i. In respect of its Property, Plant & Equipment :

(a)

(A) Records showing particulars including quantitative details and situation of Property, Plant & Equipment needs to be updated;

(B) Records showing particulars including quantitative details and situation of intangible assets needs to be updated;

(b) The Company has a regular programme of physical verification of fixed assets which is, in our opinion, reasonable having regard to the size of the Company and the nature of its assets. In accordance with this programme, certain Property, Plant & Equipment have been physically verified by the management during the year and no material discrepancies have been noticed on such verification;

(c) As per the information and explanation given to us by the management, the title deeds of immovable properties (other than properties where the company is a lessee and the lease agreements are duly executed in favour of the lessee) disclosed in the Financial Statements are held in the name of the Company except in case of Office Premises at Sputnik with Gross Block ₹ 2.77 Lakhs as at March 31, 2025, whose title deeds are held in the name of earstwhile Film Finance Corporation Limited, which was amalgamated with the company w.e.f. April 11, 1980 and only share certificate is issued in favour of the Company by the Housing Society;

(d) As per the information and explanation given to us by the management, the Company has not revalued its Property, Plant and Equipment (including Right of Use assets) or intangible assets or both during the year and hence provisions of Clause 3(i)(d) of the Order are not applicable to the Company;

(e) As per the information and explanation given to us by the management, no proceedings have been initiated or are pending against the Company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and rules made thereunder and hence provisions of Clause 3(i)(e) of the Order are not applicable to the Company.

ii. In respect of its inventories :

(a) The inventory has been physically verified during the year by the management. In our opinion, the frequency of verification is reasonable. There was no material discrepancies noticed on physical verification of inventories as compared to the book records;

(b) As per the information and explanation given to us by the management, the company has not been sanctioned working capital limits in excess of five crore rupees, in aggregate, from banks or financial institutions on the basis of security of current assets and hence provisions of Clause 3(ii)(b) of the Order are not applicable to the Company.

iii. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पक्षों को कोई ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित नहीं दिया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (iii) (ए) से (एफ) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं.

iv. हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 185 और 186 के अंतर्गत आने वाले पक्षों में कोई निवेश नहीं किया है, कोई ऋण नहीं दिया है, या कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है, इसलिए आदेश के खंड 3(iv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं.

v. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 73, 74, 75 और 76 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अर्थ में अधिसूचित सीमा तक जनता से जमा स्वीकार नहीं किया है. हालाँकि, ग्राहकों से प्राप्त कई अग्रिम और कंपनी द्वारा प्राप्त अन्य अग्रिम हैं जो 1 वर्ष से अधिक समय से अनसुलझे हैं जिन्हें अधिनियम की धारा 73 के अनुसार सार्वजनिक जमा माना जा सकता है.

vi. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अधिनियम की धारा 148 की उपधारा (1) के अंतर्गत लागत अभिलेखों का रखरखाव कंपनी की किसी भी गतिविधि के संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है और इसलिए आदेश के खंड 3(vi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं.

vii.

(क) कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी आमतौर पर भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, जीएसटी, बिक्री कर, संपत्ति कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर या उपकर और उस पर लागू अन्य वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया उचित अधिकारियों के पास जमा करने में नियमित है;

इसके अलावा, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, जीएसटी, बिक्री कर, संपत्ति कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर या उपकर और अन्य वैधानिक बकाया के संबंध में कोई भी निर्विवाद राशि 31 मार्च 2024 तक, देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी;

ख. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, आयकर, बिक्री कर, बकाये का विवरण जिन्हें किसी विवादित मामलों की वजह से जमा नहीं किया गया, इस प्रकार हैं :

iii. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not granted any loans, secured or unsecured to companies, firms, limited liability partnerships or other parties and hence provisions of Clause 3(iii)(a) to (f) of the Order are not applicable to the Company.

iv. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not made any investments, granted any loans, or provided any guarantee or security to the parties covered under Sections 185 and 186 of the Act and hence provisions of Clause 3(iv) of the Order are not applicable to the Company.

v. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not accepted deposits from the public within the meaning of Sections 73, 74, 75 and 76 of the Act and the Rules framed thereunder to the extent notified. However, there are several advances received from Customers and other advances received by the Company and remaining unsettled for more than 1 year which may be deemed as Public Deposit in terms of Section 73 of the Act.

vi. In our opinion and according to the information and explanations given to us, maintenance of cost records under sub-section (1) of section 148 of the Act has not been prescribed by the government in respect of any activity of the Company and hence provisions of Clause 3(vi) of the Order are not applicable to the Company.

vii.

(a) According to the records of the Company, the Company is generally regular in depositing with appropriate authorities undisputed statutory dues including provident fund, employees' state insurance, income-tax, GST, sales tax, wealth tax, duty of customs, duty of excise, value added tax or cess and other statutory dues applicable to it;

Further, according to the information and explanations given to us, no undisputed amounts payable in respect of provident fund, employees' state insurance, income-tax, GST, sales tax, wealth tax, duty of customs, duty of excise, value added tax or cess and other statutory dues were outstanding, as at March 31, 2025, for a period of more than six months from the date they became payable;

(b) According to the records of the Company and information and explanations given to us, the following are the particulars of disputed dues on account of Income Tax and Sales Tax that have not been deposited :

संविधि का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि जमाराशि के बाद मांग की राशि (रुपए लाख में)	वह अवधि जिससे राशि उस से संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है
आयकर अधिनियम 1961	माँग	₹ 160.65 लाख	वर्ष 2012-13	मा. मुम्बई उच्च न्यायालय
वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम	माँग	₹ 10.30 लाख	वर्ष 2017-18	सहायक राज्य कर आयुक्त, नरीमन पॉइंट

Name of the Statute	Nature of Dues	Amount of Demand net of deposits (₹ in Lacs)	Period to which amount relates	Forum where dispute is pending
Income Tax Act, 1961	Demand	₹ 160.65 Lacs	A.Y. 2012-13	Hon'ble Bombay High Court
Goods and Service Tax Act	Demand	₹ 10.30 Lacs	F.Y. 2017-18	Assistant Commissioner of State Tax, Nariman Point

viii. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जो लेखा पुस्तकों में दर्ज न हो और जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो.

ix.

(क) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गयी सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, प्रबंधन द्वारा, हमारा यह मत है कि कम्पनी ने किसी भी वित्तीय संस्थानों और बैंको, अथवा सरकारी या डिबेंचर धारकों को ऋण के पुनर्भुगतान में चूक नही की है.

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या सरकारी प्राधिकरण द्वारा हेतुपुरस्सर बकायेदार घोषित नहीं किया गया है.

(ग) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण सुविधा नहीं लिया है. इसलिए, आदेश के पैराग्राफ 3 का खंड (ix)(सी) प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है.

(घ) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई किसी भी धनराशि का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है.

(ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने किसी संस्था या व्यक्ति से या इसकी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए कोई फंड नहीं लिया है.

(च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी प्रतिभूतियों की गिरवी पर वर्ष के दौरान कोई भी ऋण नहीं लिया है.

x.

(क) हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गयी सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के तथा हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार कंपनी ने प्रारंभिक पब्लिक ऑफर या अग्रसर पब्लिक ऑफर के तौर पर जिसमें ऋण दस्तावेज भी शामिल हैं किसी तरह के धन की उगाही नहीं की है. तदनुसार ऑर्डर का क्लॉज 3 (x)(क) कंपनी पर लागू नहीं होता.

(ख) वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा के अधीन है कंपनी ने शेयरों के कोई प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं किये और न ही पूर्णत : या आंशिक कन्वर्टिबल डिबेंचर्स जारी किये और इसलिए प्रावधान इस वजह से ऑर्डर के पैरा 3 के क्लॉज (x)(ख) इस कंपनी पर लागू नहीं होते.

xi.

(क) भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षा पद्धतियों के अनुसार कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जांच के दौरान, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमें कंपनी द्वारा या कंपनी पर वर्ष के दौरान देखी गई या रिपोर्ट की गई किसी भी भौतिक धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं मिला है, न ही हमें प्रबंधन द्वारा ऐसे किसी मामले की जानकारी दी गई है. तदनुसार, आदेश का खंड 3(xi)(a) इसलिए, लेखा परीक्षा के तहत वर्ष के लिए कंपनी पर लागू नहीं होता है;

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत लेखापरीक्षकों द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षकों) के नियम, 2014 केंद्र सरकार के साथ नियम, 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है.

viii. According to the information and explanations given to us, there are no transactions that are not recorded in the books of accounts and have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961.

ix.

(a) Based on our audit procedures and according to the information and explanations given to us by the management, we are of the opinion that the Company has not defaulted in repayment of dues to financial institutions and bank;

(b) According to the information and explanations given to us, the company has not been declared wilful defaulter by any bank or financial institution or government or any government authority;

(c) According to the information and explanations given to us, the Company has not availed any term loan facility and hence provisions of Clause 3(ix)(c) of the aforesaid Order are not applicable to the Company;

(d) Based on our audit procedures and according to the information and explanations given to us, and on an overall examination of the Financial Statements of the Company, we report that no funds raised on short-term basis have been used for long-term purposes by the company;

(e) According to the information and explanations given to us, the Company has not taken any funds from any entity or person on account of or to meet the obligations of its subsidiaries, associates or joint ventures;

(f) According to the information and explanations given to us, the Company has not raised any loans during the year on the pledge of securities held in its subsidiaries, joint ventures or associate companies.

x.

(a) Based on our audit procedures and according to the information and explanations given to us by the management, the Company has not raised any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) and hence provisions of Clause 3(x)(a) of the Order are not applicable to the Company;

(b) The Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year under audit and hence provisions of Clause 3(x)(b) of the Order are not applicable to the Company.

xi.

(a) During the course of our examination of the books and records of the Company carried out in accordance with the generally accepted auditing practices in India, and according to the information and explanations given to us, we have neither come across any instance of material fraud by the Company or on the Company noticed or reported during the year, nor have we been informed of any such case by the management. Accordingly, Clause 3(xi)(a) of the Order is, therefore, not applicable to the Company for the year under audit;

(b) According to the information and explanations given to us, no report under sub-section (12) of Section 143 of the Companies Act, 2013 has been filed by the auditors in Form ADT-4 as prescribed under Rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government;

(ग) वर्ष के दौरान कंपनी को कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है.

xii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और निधि नियम, 2014 कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए आदेश के खंड 3(xii) (क) से (ग) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं.

xiii. हमारी राय में और हमें दी गयी सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार और हमारे द्वारा जांचे गये कंपनी के रिकार्ड्स के मुताबिक सभी संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन सेक्शन 177 और 178 के प्रावधानों के अनुरूप हैं और जैसा कि मान्य प्रचलित लेखा मानदंडों (AS) 18 में आवश्यक माना जाता है. वित्तीय विवरणों में विस्तार दे दिये गये हैं और अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट संबंधित पक्ष प्रकटीकरण, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ें.

xiv.

(क) हमारी राय में और हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और स्वरूप के आनुषंगिक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है.

(ख) हमने लेखापरीक्षा के अंतर्गत वर्ष के लिए अब तक जारी की गई कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया है.

xv. हमारी राय में और हमें दी गयी सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान उनसे संबंद्ध किन्हीं व्यक्तियों के साथ किसी तरह का नकदी रहित लेनदेन नहीं किया. और इसलिए के आदेश के खण्ड 3(xv) प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं.

xvi.

(क) हमारी राय में और हमें दी गयी सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्शन 45 IA के अंतर्गत रजिस्टर्ड कराए जाने की आवश्यकता नहीं है. इसी कारण ऑर्डर के पैरा 3 के क्लॉज (xvi)(a) और (xvi)(b) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते.

(ख) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियां संचालित नहीं की हैं, जिसके लिए कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्राप्त करने की आवश्यकता है और इसलिए आदेश के खंड 3 (xvi) (बी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं;

(ग) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है और इसलिए आदेश के खंड 3(xvi) (ग) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं;

(घ) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास समूह के हिस्से के रूप में कोई सीआईसी नहीं है, और इसलिए आदेश के खंड 3(xvi) (घ) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं.

xvii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को लेखापरीक्षित वर्ष के दौरान तथा तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है.

xviii. वर्ष के दौरान वैधानिक लेखापरीक्षकों ने त्यागपत्र नहीं दिया है और तदनुसार आदेश के पैरा 3 का खंड (xviii) कंपनी पर लागू नहीं होता है.

xix. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात, पुराने होने तथा वित्तीय संपत्तियों की वसूली की अपेक्षित तारीखों और वित्तीय देनदारियों के भुगतान के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य

(c) No whistle blower complaints have been received by the Company during the year.

xii. According to the information and explanations given to us, the Company is not a Nidhi Company and the Nidhi Rules, 2014 are not applicable to the Company and hence provisions of Clause 3(xii) (a) to (c) of the Order are not applicable to the Company.

xiii. In our opinion and according to the information and explanations given to usn our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has entered into transactions with related parties in compliance with provisions of the Section 177 and 188 of the Act. Details of such related party transactions have been disclosed in the financial statements as required under Accounting Standard (AS) 18, and Related Party Disclosures specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

xiv.

(a) In our opinion and based on our examination, the company has an internal audit system commensurate with the size and nature of its business;

(b) We have considered the internal audit reports of the company issued till date, for the year under audit.

xv. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not entered into any non-cash transactions with its directors or the persons connected with him and hence provisions of Clause 3(xv) of the Order are not applicable to the Company.

xvi.

(a) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company is not required to be registered Section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934 and hence provisions of Clause 3(xvi)(a) of the Order are not applicable to the Company;

(b) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company has not conducted any Non-Banking Financial or Housing Finance activities which requires the Company to obtain Certificate of Registration (CoR) from the Reserve Bank of India as per the Reserve Bank of India Act 1934 and hence provisions of Clause 3(xvi)(b) of the Order are not applicable to the Company;

(c) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company is not a Core Investment Company (CIC) as defined in the regulations made by the Reserve Bank of India and hence provisions of Clause 3(xvi)(c) of the Order are not applicable to the Company;

(d) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company does not have any CIC as part of the Group, and hence provisions of Clause 3(xvi)(d) of the Order are not applicable to the Company.

xvii. According to the information and explanations given to us, the company has not incurred any cash losses during the year under audit as well as in the immediately preceding financial year.

xviii. There has been no resignation of the statutory auditors during the year, and hence provisions of Clause 3(xviii) of the Order are not applicable to the Company.

xix. According to the information and explanations given to us and on the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realization of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying

जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन का हमारा ज्ञान योजनाओं और मान्यताओं का समर्थन करने वाले सबूतों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे संज्ञान में कुछ नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो जाता है कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख के अनुसार कोई भी सामग्री अनिश्चितता मौजूद है, वह कंपनी तुलन पत्र की तारीख पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है और जब वे तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आती हैं. हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए आश्वासन नहीं है. हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों का कंपनी द्वारा जब भी देय होने पर निपटान किया जाएगा.

xx. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम की धारा 135 की धारा (5) के अंतर्गत कोई भी राशि अव्ययित नहीं थी. तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx) (क) और (ख) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते.

xxi. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता नहीं है. तदनुसार, आदेश के खंड 3(xxi) (क) और (ख) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं.

कर्णावत एंड कं की ओर से
सनदी लेखाकार
एफआरएन 104863W

(विरल जोशी)
साझेदार
सदस्यता सं. : 137686
UDIN : 25137686BMIOXM7239

स्थान : मुंबई
दिनांक : 14.10.2025

the financial statements, our knowledge of the Board of Directors and management plans and based on our examination of the evidence supporting the assumptions nothing has come to our attention which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the audit report that company is not capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date. We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the company as and when they fall due.

xx. According to the information and explanations given to us, there were no amount remaining unspent under section (5) of section 135 of Companies Act. Accordingly, provisions of Clause 3(xx) (a) and (b) of the Order are not applicable to the Company.

xxi. According to the information and explanations given to us, the Company need not prepare consolidated financial statements. Accordingly, provisions of Clause 3(xxi) (a) and (b) of the Order are not applicable to the Company.

For and on behalf of
KARNAVAT & CO.
Chartered Accountants
Firm Regn No. 104863W

(Viral Joshi)
Partner
Membership No. 137686
UDIN : 25137686BMIOXM7239

Place : Mumbai
Dated : 14.10.2025

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – "ख"

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड, ('कंपनी') के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के तहत पैरा 2 (एफ) में संदर्भित अनुबंध.

कंपनी के अधिनियम (द एक्ट) के धारा 143 के क्लॉज (i) के उप धारा 3 के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट.

राय का अस्वीकरण

हमने **राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम** (द कंपनी) के संलग्न वित्तीय वक्तव्यों का लेखा परीक्षण किया है जिनमें के 31 मार्च 2025 को तथा उसी तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के तुलनपत्र, लाभ-हानि लेखे तथा रोक़ड़ प्रवाह विवरण, साथ ही महत्वपूर्ण लेखा नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं का सारांश भी शामिल है.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली पर प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण पूर्ण नहीं थे, जिससे हम यह निर्धारित कर सकें कि क्या कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया है और क्या ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी रूप से संचालित हो रहे थे.

हमने कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में लागू लेखापरीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर बताए गए अस्वीकरण पर विचार किया है, और अस्वीकरण कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करता है.

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रबंधन का दायित्व

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को संस्थापित करने और फिर उनकी देखरेख करने का दायित्व प्रबंधन का है ये कंपनी द्वारा निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रणों पर आधारित हों जिनमें कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीत निष्पादन तथा रोकड़ प्रवाह का समुचित परिदृश्य उन लेखा मानकों के अनुरूप प्रस्तुत किया गया हो जिनका उल्लेख इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के अंतर्गत किया गया है. इस दायित्व में डिजाइन, परिपालन तथा आंतरिक नियंत्रणों की देखभाल आदि इस प्रकार शामिल हों जो विवरणों का सच्चा तथा समुचित परिदृश्य प्रस्तुत करें, जिसमें धोखाधड़ी या गलती से उत्पन्न कोई गलतबयानी न हो, कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीत निष्पादन तथा रोकड़ प्रवाह का समुचित परिदृश्य उन लेखा मानकों के अनुरूप प्रस्तुत किया गया हो जिनका उल्लेख अधिनियम के अंतर्गत किया गया है.

लेखा परीक्षकों का दायित्व

हमारा दायित्व कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में हमारे लेखा परीक्षण पर राय प्रकट करना है. हम वित्तीय रिपोर्टिंग पर अपना लेखा परीक्षण ऑडिट ऑफ इंटरनल फाइनांशियल कंट्रोल्स के दिशा निर्देश नोट्स (गाइडेंस नोट्स) के प्रावधानों और आईसीएआई द्वारा जारी स्टैंडर्ड्स ऑन एडीटिंग के अनुसार करते हैं जिन्हें अधिनियम के 143(10) धारा के अंतर्गत निर्धारित किया गया है. जहां तक वे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण पर लागू होते हैं तथा आईसीएआई द्वारा जारी किये गये है. लेखा परीक्षण के मानदंड आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण के लिए जहां तक लागू हो सकते हों, दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षणों के लिए लागू होते हैं और दोनों ही इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किये गये हैं. वे मानदंड तथा दिशा निर्देश नोट, दोनों ही यह मांग करते हैं कि हम नीति विषयक आवश्यकताओं को मानें. लेखा परीक्षण में हमारी योजना एवं कार्यप्रणाली का लक्ष्य युक्तिसंगत रूप से यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण सुस्थापित हैं या नहीं, उनकी समुचित देखभाल हो रही है या नहीं और ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में लागू हैं या नहीं.

Annexure – "B" to Independent Auditor's Report

The Annexure referred to in paragraph 2(f) under the 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' our report to the members of NATIONAL FILM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED, ('the Company') for the year ended on March 31, 2025.

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-Section 3 of Section 143 of the Act

Disclaimer of Opinion

We have audited internal financial controls over financial reporting of **National Film Development Corporation Limited** ("the Company") as of March 31, 2025 in conjunction with our audit of the Financial Statements of the Company for the year then ended on that date.

The information and explanations provided by the management on system of Internal Financial Controls over financial reporting were not complete to enable us to determine if the Company has established adequate Internal Financial Controls over financial reporting and whether such Internal Financial Controls were operating effectively as at March 31, 2025.

We have considered the disclaimer reported above in determining the nature, timing, and extent of audit tests applied in our audit of the financial statements of the Company, and the disclaimer does not affect our opinion on the financial statements of the Company.

Management's Responsibility for the Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). These responsibilities includes design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of business, including adherence to Company's policies, the safeguarding of the assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Act.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting ('the Guidance Note') and the Standards on Auditing deemed to be prescribed under Section 143(10) of the Act to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of internal financial controls and both issued by the ICAI. Those Standards and Guidance note require that we comply with ethical requirements and plan and perform audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके संचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षण प्रमाण प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन प्रक्रियाएं शामिल हैं. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना शामिल है जो एक सामग्री में दोष मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करता है. चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत मूल्यांकन के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो.

हमें विश्वास हैं कि हमने जो लेखा परीक्षण प्रमाण प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षण राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं.

कंपनी का वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक नियंत्रणों का अर्थ

किसी कंपनी का वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक नियंत्रणों का अर्थ ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग और वाह्य उद्देश्यों के लिए आमतौर पर मान्य लेखा परीक्षणों के सिद्धांतों के तार्किक भरोसे के लिए डिजाइन किया जाता है. वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर किसी कंपनी के आंतरिक नियंत्रण में वे नीतियां एवं प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो :

1. उन रिकॉर्ड्स की देखरेख से ताल्लुक रखती हों जो कंपनी की परिसंपत्तियों के संबंध में सारे क्रियाकलाप तर्कसंगत विस्तार में सही तरीके से प्रतिबिंबित कर सकें.
2. इस बात का समुचित भरोसा दिला सकें कि सभी वित्तीय विवरण लेनदेन के लेखांकन के आमतौर पर प्रचलित सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किये गये हों एवं कंपनी के खर्च तथा प्राप्तियों का विवरण प्रबंधन एवं कंपनी के निदेशकों की प्राधिकृति सहित हों.
3. कंपनी की उन परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण पर रोकथाम अथवा समय पर उसका पता लगा लेना जिनका वित्तीय विवरणों पर आर्थिक प्रभाव पड़ता हो.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण जिनमें मिलीभगत अथवा अनुपयुक्त प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों की अनदेखी की संभावना बनी रहती है, गलती या धोखेबाजी की वजह से सामग्री के संबंध में गलतबयानी की जा सकती है जिसका पता न भी चले. साथ ही आने वाले दिनों के लिए किसी भी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन पर इस बात का खतरा बना रहता है कि बदलती परिस्थितियों या नीतियों की वजह वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण अपर्याप्त सिद्ध हो जाएं अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं में क्षय हो जाय.

कर्णावत एंड कं की ओर से
सनदी लेखाकार
एफआरएन 104863W

(विरल जोशी)
साझेदार
सदस्यता सं. : 137686
UDIN : 25137686BMIOXM7239

स्थान : मुंबई
दिनांक : 14.10.2025

Our audit involves performing procedure to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal controls based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the Financial Statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A Company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide a reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and preparation of financial statements for external purpose in accordance with generally accepted accounting principles. A Company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that :

1. Pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Company;
2. Provide reasonable assurance that the transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with the generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the Company; and
3. Provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the Company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial control over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

For and on behalf of
KARNAVAT & CO.
Chartered Accountants
Firm Regn No. 104863W

(Viral Joshi)
Partner
Membership No. 137686
UDIN : 25137686BMIOXM7239

Place : Mumbai
Dated : 14.10.2025

31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिये राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, भारत सरकार की टिप्पणियां.

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड का दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करना कम्पनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है. भारत के नियंत्रक और महालेखा अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया है जो अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 (2) के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है. यह दिनांक 14.10.2025 की उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उनके द्वारा किये गये काम को बताया गया है.

मैंने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड के 31 मार्च 2025 के समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर अधिनियम के धारा 143(6)(क) के अंतर्गत पूरक लेखा परीक्षा संचालित नहीं करने का निर्णय लिया है.

महालेखापरीक्षक तथा नियंत्रक,
भारत सरकार की ओर से

सौरव कुमार जयपुरियार
महालेखापरीक्षक
(केंद्रीय व्यय)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29.10.2025

Comments of The Comptroller & Auditor General of India Under Section 143(6) (B) of The Companies Act, 2013 on The Financial Statements of National Film Development Corporation, Mumbai For The Year Ended 31st March 2025.

The preparation of financial statements of National Film Development Corporation. Mumbai for the year ended 31st March 2025 in accordance with the Financial Reporting Framework prescribed under the Companies Act, 2013 (the Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143(2) of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their audit report dated 14.10.2025.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have decided not to conduct a supplementary audit of the financial statements of National Film Development Corporation, Mumbai for the year ended 31 March 2025 under section 143(6)(A) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Saurav Kumar Jaipuriyar
Director General of Audit
(Central Expenditure)

Place : New Delhi
Date : 29.10.2025

एनएफडीसी-एफडी कॉम्प्लेक्स, 24, डॉ. गोपालराव देशमुख मार्ग, मुंबई – 400 026
NFDC-FD Complex, 24, Dr. Gopalrao Deshmukh Marg, Mumbai – 400 026
T 91 22 3524 8444 **E** nfdc@nfdcindia.com
www.nfdcindia.com I films.wavesbazaar.com I indiacinehub.gov.in
CIN – U92100MH1975GOI022994 I GSTIN – 27AAACN3540R1Z3